दशा माला, खंड 14, अंक 06

बुधवार, 30 नवम्बर, 2005
9 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Sec 'C'
Acc No. 59
Dated 28/9/06

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी. के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरन साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे. पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 6, बुधवार, 30 नवम्बर, 2005/9 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	102 और 104 से 107	6-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	103 और 108 से 121	43-76
अतारांकित प्रश्न संख्या	1081 से 1269	76-339
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
सभा के कार्य के बारे में		339-340
सभा पटल पर रखे गए पत्र		340-342
राज्य सभा से संदेश		342-343
और		
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चौदहवां प्रतिवेदन		343
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति		
विवरण		343
रेलवे संबंधी स्थायी समिति		
विवरण		343-344
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
दिनांक 12-13 नवम्बर, 2005 को ढाका में आयोजित 13वां सार्क शिखर सम्मेलन		
श्री ई. अहमद		344-347
सदस्यों द्वारा निवेदन		347-372
(एक)	उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और एक एम.एल.ए. की हत्या के बारे में	347-358
(दो)	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस की प्रस्तावित जगह को कथित रूप से भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के बारे में	358-372
(तीन)	इराक में अमरीकी सेनाओं द्वारा एक भारतीय को कथित रूप से बंदी बनाए जाने के बारे में	472-473

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) देश में रसोई गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	372-404
प्रो. महादेवराव शिवनकर	372-373, 374-377
श्री मणि शंकर अय्यर	373-374, 390-404
श्री रूपचंद पाल	377-378
श्री सुधांशु सील	378-379
योगी आदित्यनाथ	379-384
श्री बसुदेव आचार्य	384-386
श्री वरकला राधाकृष्णन	386-388
श्री संतोष गंगवार	388
श्री सुरेश कुरूप	388
श्री पी. सी. थामस	388-389
श्री खारबेल स्वाईं	389
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	389-390
प्रो. रासा सिंह रावत	390
(दो) देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	404-424
योगी आदित्यनाथ	404, 409-412
डा. अंबुमणि रामदास	404-409, 417-422, 423-424
श्री शैलेन्द्र कुमार	412-413
डा. रामचन्द्र डोम	413-414
श्री संतोष गंगवार	414-415
डा. बाबू राव मिडियम	415
श्री लक्ष्मण सिंह	415-416
श्री तापिर गाव	416-417
श्री राम कृपाल यादव	423
नियम 377 के अधीन मामले	424-434
(एक) छत्तीसगढ में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन स्टोर कुनकुरी से चावल के घपी स्टॉक के कथित रूप से गायब होने के मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता	
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	424-425

विषय	कॉलम
(दो) उत्तरांचल में बस गए पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. सी. सिंह 'बाबा'	425
(तीन) देश में सभी रेलवे समपारों पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता	
श्री नवीन जिन्दल	425-426
(चार) तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित लोगों की पहचान करने के लिए नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	426
(पांच) देश में बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. एस. वी. चित्तन	426-427
(छह) गुजरात के सूरत में भविष्य निधि का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	427-428
(सात) मध्य प्रदेश के सतना और कटनी जिलों में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	428
(आठ) अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	428-429
(नौ) पश्चिम बंगाल के नवद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने की परियोजना के लिए निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अलकेश दास	429
(दस) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार आ रही बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण सेठ	429-430
(ग्यारह) भटनी और गोपालगंज के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिकेवल प्रसाद	430-431
(बारह) महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेपर और पेपर बोर्ड उद्योगों पर लगे उपकर से संग्रहित राजस्व द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	431-432
(तेरह) उड़ीसा के संबलपुर और देवगढ़ जिलों में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से राज्य में सी.आर.पी.एफ. की और बटालियनें भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री अर्जुन सेठी	432

विषय कॉलम

(चौदह) तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति पैकेज जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 432-433

(पंद्रह) कर्नाटक के चामराजनगर में क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए एक विशाल दुग्ध केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 433

(सोलह) लोगों से भूमि अधिग्रहण करने से पहले एक उचित, न्यायसंगत और जनहित वाली पुनर्वास नीति बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 433-434

राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005

तथा

भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध)- विधेयक, 2005 434-461

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री माणिकराव होडल्या गावित 434-436

प्रो. रासा सिंह रावत 436-440

श्री नवीन जिन्दल 441-449

श्री पी. करूणाकरन 449-451

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों 451-454

श्री शैलेन्द्र कुमार 454-457

श्री राम कृपाल यादव 457-460

श्रीमती वी. राधिका सेलवी 460-461

श्री अविनाश राय खन्ना 461

अनुबंध-I 478-486

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 478-479

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 479-486

अनुबंध-II 487-490

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 487

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 487-490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

সিকদারের ৫ দিন কাটি

আজকে

দিতেছ আদায় কি

আজাদের

আজাদের স্বাধী চাহিদের কি

কোটীর সিপাদার

আজকে সাদকু দেয় কি

দাদার সহযোগী কি

আজাদ হোসাইন সিদার্থ

দেকার চেয়ে কি

ছড়িয়ে দেয়াদেয়িকে ৪৫

আজিয়ে ছাড়ী করীয়াদের কি

দাদকুয়ের আজকের কি

চিনি দিয়ে কি

কি ৫৪৫ মেয়ের বাড়ে

ভাই সুকান্ত (সহযোগী) দাদকুয়ে আজ

চলার আজের সুকুর কি

চলিয়াছে ডি. জি. পি কি

लोक सभा

बुधवार, 30 नवम्बर, 2006/9 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा सूर्यास्त तक उसके समक्ष रखी गई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बेलगाम में लोकतंत्र की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)* संविधान की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)* वहां लोगों के साथ मार-पीट हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समय इस मामले को उठाने का नहीं है। प्रश्न काल अति महत्त्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई मामला उठाना चाहते हैं, तो कृपया इसे प्रश्न काल के बाद उठाएं। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी सामने बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* इसमें भारत सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* वहां पर संविधान की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)* संविधान ने देश की जनता को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हनन हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 102-श्री बेचती राम सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कृपया मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हम उनसे एक आश्वासन चाहते हैं। लोगों के जान-माल की रक्षा की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, यह समय इस मुद्दे को उठाने का नहीं है। आप एक जिम्मेवार सदस्य हैं। आप अपने दल के नेता हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न काल चलने दीजिए। आपको कुछ मामले उठाने हैं। मैं उन्हें नजरअन्दाज नहीं कर रहा हूं। परन्तु उन्हें उचित समय पर उठाना चाहिए। प्रश्न काल चलने दीजिए। मैं उन्हें बोलने का आदेश नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका यह सही तरीका नहीं है। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि आप ऐसा मत कीजिए। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। नेता होने के नाते आप संसद का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है।...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं? आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। ऐसी कुछ भी नहीं है। आप किस बारे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में बात कर रहे हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह बहुत अनुचित है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दल के नेता हैं। एक दल का नेता ऐसा बर्ताव कर रहा है। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए। मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा। कार्यवाही वृत्तान्त में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप चिल्लाते रहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पूरे देश को देखने दीजिए कि यहां क्या हो रहा है। यदि आप स्वयं को एक जिम्मेदार सदस्य मानते हैं, तो देश को यह जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इस सभा में क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब यहां क्या चल रहा है। यह प्रश्न काल है। आप जानबूझकर प्रश्न काल को बाधित कर रहे हैं और सभा को बन्धक बना रहे हैं। यह निन्दनीय है। मैं आपके व्यवहार की कड़ी निन्दा करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं? कृपया आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित न किया जाए। कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, हम क्वैश्चन ऑवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमें एक मिनट सुन लीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक मिनट भी नहीं देंगे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

यदि आपने मेरा सहयोग किया होता, यदि आप जिम्मेदाराना तरीके से पेश आते, तो मैं ऐसा कर सकता था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता। मुझे क्षमा कीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में बाधा डालें। देश देख रहा है आप कितने गैर–जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उम्मीद है कि जो भी हो रहा है देश उस पर ध्यान देगा कि इस सभा को कैसे बन्धक बनाया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह, आप सभा को बन्धक बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका यह समय नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका यह समय नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मंत्री रह चुके हैं। आप सभी मंत्री थे और आप ऐसा गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। क्या मामले पर चर्चा करने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धमका नहीं सकते। आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभा को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। कल मैंने मामले को उठाने की अनुमति दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पुनः अपील करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए। यदि आप कोई सही मामला उठाना चाहते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा। परन्तु मामला उठाने का यह तरीका नहीं है। आपको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये क्वैश्चन ऑवर को बाधित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर उचित चर्चा कर सकते हैं। मुझे और कुछ पता नहीं है। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इस समय यह मामला उठाने की कोई उचित सूचना नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : यह सरकार का कर्तव्य है...*(व्यवधान)* यह एक अत्यन्त गंभीर मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मैं प्रश्न काल आरम्भ करता हूं, प्रश्न सं. 102—श्री रेवती रमन सिंह।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की "थ्री इन वन" सेवा

***102. श्री रेवती रमन सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने इस वर्ष नवम्बर से अपने उपभोक्ताओं के लिए "थ्री इन वन" सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सेवा विद्यमान "लैंडलाइन कनेक्शन" के द्वारा दी जाएगी अथवा इस प्रयोजनार्थ अलग लाइन की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सेवा आम उपभोक्ता की पहुंच के भीतर है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने दिनांक 14.1.2005 को दिल्ली/मुम्बई दोनों शहरों में "ट्राई बैंड" नामक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की है जिसे ब्रॉडबैंड सेवा भी कहते हैं। यह नेटवर्क एक ही टेलीफोन लाइन पर एक साथ "ट्रिपल प्ले सर्विस" नामतः वॉयस, डाटा तथा वीडियो सेवा देने में सक्षम है। इस समय, हाई स्पीड इंटरनेट तथा टेलीफोनी उपलब्ध है। वीडियो सेवा मार्च, 2006 तक शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) "ट्राई बैंड" सेवा मौजूदा लैंडलाइन कनेक्शन पर कार्य करती है और इसके लिए किसी अलग लाइन की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) जी, हां। उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, 199/– रुपये से शुरू होने वाले हाई स्पीड इंटरनेट के लिए

भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं। वीडियो सेवा प्रारंभ में लगभग 300/- रुपये प्रति माह की दर पर उपलब्ध होने की संभावना है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जीसे क्या यह जानना चाहता हूं कि थ्री इन वन सेवा, जो कि नवम्बर माह में आरम्भ की जानी थी, के लिए प्रयुक्त तकनीक पूर्ण रूप से स्वदेशी है अथवा इसका आयात किया गया है? आयात की स्थिति में क्या इस तकनीक से बेहतर कोई और तकनीक भी उपलब्ध थी, उसका ब्यौरा क्या है और उस तकनीक को प्रयोग न करने के क्या कारण हैं? यदि यह सेवा आरम्भ की गई है तो उसका क्या स्वरूप है? माननीय, इसके पहले एमएआरआर और डब्ल्यूएलएल की स्कीमें लागू की गई थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका ब्यौरा क्या है और कौन सी तकनीक इन्होंने ईजाद की है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाए। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनय अपील करता हूं कि कृपया मेरे साथ सहयोग करें। यह कोई सही तरीका नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप संसद में क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। यह कोई भी मुद्दा उठाने का समय नहीं है। मैंने कभी भी किसी को मुद्दे को उठाने का अवसर देने से मना नहीं किया है परन्तु यह सही तरीका नहीं है। मैं सहयोग करने के लिए आपसे बार-बार अपील कर रहा हूं। यह कोई भी मुद्दा उठाने का सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, कृपया एक बार मेरी बात सुनें। यह आपका सदन है। आप मुद्दे उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे? कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। क्या यह उपयुक्त समय है? अब आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने चाहिए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी भी आपको महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के अवसर से वंचित नहीं किया है। परन्तु क्या यही सही तरीका है? आप मेरे पास आ सकते थे। प्रश्न काल को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सदन को इस तरह सम्मान दे रहे हैं? यदि आपने समुचित रूप से नोटिस दिया होता, यदि आपने मुझसे अनुमति मांगी होती, तो मैंने आपको अनुमति दे दी होती। परन्तु अब मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी सहायता करने की मेरी इच्छा के बावजूद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, परन्तु आप मदद नहीं चाहते हैं। आप केवल सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। वास्तव में जनता के हित में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 14 जनवरी, 2005 को फास्ट इन्टरनेट के लिए ब्रॉडबैंड सेवा एमटीएनएल के द्वारा लागू की थी। हमारा लक्ष्य था कि नवम्बर, 2005 से यह "थ्री इन वन" सेवा, जिसमें तीन तरह की सेवाएं हैं—ऑडियो, डाटा और वीडियो—ऑडियो टेलीफोन के लिए, डाटा कम्प्यूटर के लिए और वीडियो टेलीविजन के लिए है, शुरू करेंगे। हम अभी इनमें से दो सेवाएं—फास्ट स्पीड इन्टरनेट और टेलीफोन की सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। नवम्बर, 2005 से वीडियो सेवा भी प्रोवाइड करने का हमारा प्लान था, मगर टाइम्स ब्रॉडबैंड से हमारा जो समझौता था, जिसके कारण विलम्ब हुआ, अब यह स्थिति है कि मार्च, 2006 से हम यह सेवा लागू करेंगे।

श्री रेवती रमन सिंह : मान्यवर, मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, मैं आपसे मध्यस्थता करने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु आप इसे सही तरीके से करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह इतना आवश्यक है तो मैं आपके अनुरोध पर विचार कर सकता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : मैंने यह सवाल पूछा था कि थ्री इन वन सेवा जो नवम्बर महीने में शुरू की जानी थी, उसके लिए प्रयुक्त तकनीक क्या पूर्ण रूप से स्वदेशी है अथवा इसको आयात किया गया है, और क्या आयात करते समय इससे बेहतर तकनीक कोई और थी या नहीं तथा यह तकनीक क्यों नहीं अपने देश में ईजाद की गई? इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले भी डब्ल्यूएलएल की तकनीक आयात की गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रही थी। इस समय जो सेवा आप देने जा रहे हैं, उसके टैरिफ और चार्ज भी क्या कीमत होगी? लैंडलाइन टेलीफोन के जितने प्लांस हैं, क्या वे उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले नहीं हैं?

डा. शकील अहमद : जो ब्रॉडबैंड का उपकरण है, यह एरिस्कन कम्पनी का है, जो एक इस्टैब्लिश्ड कम्पनी है। उससे हमारा जब समझौता हुआ था, तब अपने देश में इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब आईटीआई ने उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी जो सेवा हम दे रहे हैं, वह इसी कम्पनी के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि स्वीडन की एक कम्पनी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। परंतु आप केवल सभा में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यक्षपीठ से सहायता नहीं चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर सही तरीके से बहस हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल नेताओं से अपील कर सकता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही निर्विघ्न तथा उचित रूप से चले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : जहां तक टैरिफ की बात है, इसके लिए उपभोक्ताओं से 1500 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। इसमें फास्ट इन्टरनेट की सुविधा होगी और उसके बाद जब हम वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देंगे, तो 300 रुपये प्रति माह चार्ज करेंगे। जहां तक डब्ल्यूएलएल की बात है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके सदस्य वहां खड़े हों। यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : पहले मार में जो कठिनाइयां हमारे सामने आई थीं, उनके मद्देनजर आज की तारीख में हमने इसमें परिवर्तन करके डब्ल्यूएलएल की सेवा देने का फैसला किया है, जो बहुत प्रभावी मानी जाती है क्योंकि केबल जो जमीन के नीचे बिछाई जाती है, कभी पीडब्ल्यूडी वाले या कभी म्युनिसिपल कार्पोरेशन के लोग जमीन खोद कर उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए ऐसे एरिया में जहां केबल बिछाना बहुत मुश्किल है, वहां हम डब्ल्यूएलएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुम्बई और दिल्ली में, जहां एमटीएनएल काम कर रहा है, लोगों को अच्छी से अच्छी इन्टरनेट, टेलीफोन और

ब्रॉडबैंड की सुविधा देने की दिशा में भारत सरकार और एमटीएनएल सतत प्रयत्नशील रहेगा।

श्री भंवर सिंह डांगावास : राजस्थान में पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जहां केबल नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए क्या वहां डब्ल्यूएलएल को प्राथमिकता देंगे?

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न एमटीएनएल से संबंधित है और एमटीएनएल केवल मुम्बई और दिल्ली में कार्यरत है। बाकी देश में बीएसएनएल काम करता है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राजस्थान और दूसरे दूरगामी क्षेत्रों में जहां केबल लाइन बिछाने में परेशानी आती है, वहां हम डब्ल्यूएलएल की सुविधा प्रदान करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सुविधा मुहैया कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : महोदय, आप महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के माध्यम से महानगरों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार, क्या सरकार के पास समयबद्ध तरीके से जिला मुख्यालयों में ट्राई–बैंड सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है?

डा. शकील अहमद : महोदय, बीएसएनएल के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवा का नाम 'डाटा वन' है। हम देश के दूरदराज के क्षेत्रों में डाटा वन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एन. एस. वी. चित्तन।

श्री एन. एस. वी. चित्तन : महोदय, मैं अगले प्रश्न में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह।

चौधरी लाल सिंह : जी नहीं, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, संविधान ने जनता को जो अधिकार दिया है, यह संविधान और जनता के अधिकारों का हनन है। यह संविधान के हनन का मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त खेद है। आप सभी जिम्मेदार सदस्य हैं। आपका व्यवहार बिल्कुल अप्रत्याशित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बिना किसी उद्देश्य के 25 मिनट खराब किए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मूल प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं। चाहे मोबाइल फोन हो या डब्ल्यूएलएल या एमआरआर हो, तमाम फोन आपने महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। क्या एमटीएनएल की तरह बीएसएनएल भी अपने टावर लगाएगा, अपने सुचालक लगाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नही आ रहा है क्या आप वहां भी अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे?

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष जी, प्रश्न एमटीएनएल का है लेकिन बीएसएनएल का प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है। हम बताना चाहते हैं कि बीएसएनएल कमिटेड है और हम ज्यादा से ज्यादा बडे क्षेत्रों में, और खासकर जो हमारे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र हैं वहां भी हम मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसीलिए भारत सरकार और बीएसएनएल ने निर्णय लिया है कि हम प्रथम चरण में जो ब्लॉक हैडक्वार्टर्स हैं वहां मोबाइल के टावर उपलब्ध कराएंगे। फेस–IV का हमारा कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। जब हमारे ब्लॉक हैडक्वार्टर्स कवर हो जाएंगे तो हम 2000 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बीएसएनएल मोबाइल टावर स्थापित करेंगे।

भारत सरकार और बीएसएनएल कमेटेड है कि जो हमारे देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक हो सकेगा, हम अपनी तरफ से सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। उत्तर प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में पूछा, हम तमाम जगहों पर बीएसएनएल टावर्स लगाकर और अपनी क्षमता बढ़ाकर, अधिक से अधिक लोगों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 103। श्री हरिसिंह चावड़ा–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 104, श्री सी. कुप्पुसामी।

फ्रांस में भारतीयों को संरक्षण

***104. श्री सी. कुप्पुसामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और इसके पड़ोसी देशों में हाल ही में हुई हिंसा, दंगों तथा नस्लीय अशान्ति पर सरकार ने कड़ी नजर रखी है;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस, बर्लिन, ब्रुसेल्स में उक्त हिंसा के कारण भारतीय मूल के कितने व्यक्ति, उनके परिवार और संपत्ति प्रभावित हुई है;

(ग) भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानियां बरती हुई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय मूल के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए दूतावासों या अन्य किन्हीं स्थानों पर कोई सहायता केन्द्र स्थापित किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हमें भारतीय मूल के किसी व्यक्ति अथवा परिवारों अथवा उनकी संपत्ति को हुई किसी प्रकार की क्षति की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) हमारे मिशन फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के विभिन्न भागों में भारतीय समुदाय के संगठनों और संघों के साथ संपर्क में थे। भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध हिंसा अथवा संपत्ति के नुकसान की कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

श्री सी. कुप्पुसामी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि इन दंगों से कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है, जबकि समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया था। मैं माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर का विश्वास करूंगा। पैरिस तथा फ्रांस के उपनगरीय इलाकों में हुई हिंसा में 100 से अधिक कारें जला दी गईं तथा हजारों लोग घायल तथा बेघर हो गए। यह हिंसा सात दिनों से अधिक समय तक चली। शरारती तत्वों ने खास–खास वर्गों पर पैट्रोल बम तथा अन्य शस्त्रों से हमला किया तथा वे भारतीय मुस्लिमों सहित दक्षिणी एशियाई लोगों तथा अफ्रीकी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। भारत जातीय भेदभाव तथा रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई तथा मानवाधिकारों का दृढ़ समर्थक रहा है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : संविधान ने लोगों को भाषा का, धर्म का अधिकार दिया है, यह संविधान की हत्या है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी सहायता स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। आप न तो अध्यक्षपीठ की मदद कर रहे हैं, न सदन की सहायता कर रहे हैं, न ही इससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। इसलिए मुझे खेद है। आप केवल व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मुद्दे को सही तरीके से उठाने की आपकी कोई मंशा नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंह : महोदय, फ्रांस में दो मुस्लिम युवक फुटबाल के खेल से वापिस आ रहे थे। मार्ग में उनका सामना पुलिस से हुआ। वे पुलिस से बच कर भागे। भागते समय उन्होंने विद्युत सब–स्टेशन में शरण ली। पावर स्टेशन में घुसते समय उन्हें करंट लग गया। तत्पश्चात्, किलशी–सू–बुआ के उपनगरीय इलाकों में लोगों द्वारा कारों को जलाने तथा अग्निकांड की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। परन्तु अगले कुछ दिनों तक यह उस विशेष उपनगर तक ही सीमित था।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें। अनुपूरक प्रश्न क्या है? उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील कर रहा हूं कि आप प्रधान मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते हैं। मैं भी उन्हें बाध्य

नहीं कर सकता हूं। यह समय नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को प्रश्न काल में बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं प्रधान मंत्री को भी उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सी. कुप्पुसामी : यह बताया गया है कि हिंसा ने एक बार पुन: फ्रांस के बड़े उपनगरीय शहर में गरीबी, आक्रोश, हताशा तथा अराजकता को उजागर किया है तथा आप्रवास नीति के बारे में प्रश्न उठाए हैं, जिससे मुख्यत: अफ्रीकी अल्पसंख्यकों, जिन्हें आवास, शिक्षा तथा नौकरियों के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, के लिए अलग-अलग बस्तियों का निर्माण कर दिया है। *(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्पूर्ण मामले की जांच तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं, किसी आयोग अथवा समिति का गठन किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या किसी स्थानीय मैत्री अथवा समन्वय समिति का गठन किया गया जिससे सभी समुदायों यथा भारतीय मूल के लोगों, दक्षिण एशियाई लोगों, अफ्रीकी अल्पसंख्यकों तथा यूरोपीय लोगों के समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लोगों के मध्य बन्धुत्व, भ्रातृभाव तथा आत्मविश्वास फैलाया जाए?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यह संविधान की सरासर हत्या है।*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रभुनाथ सिंह।*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर माननीय प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं। क्या यह सरकार दो राज्यों में दंगे करवाना चाहती है? सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। संविधान ने जनता को जो अधिकार दिया है, वह उसका हनन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सदन को आर्डर में कराइए, तभी तो हम प्रश्न पूछेंगे।*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हम तो प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन पहले आप सदन को आर्डर में करवाइए, नहीं तो सवाल पूछने का क्या मतलब है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप एक सम्मानित नेता हैं। मैं आपसे हस्तक्षेप तथा मदद करने का अनुरोध करता हूं। कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं जानता। किसी ने मुझे नहीं देखा। किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं दिया। कोई नहीं जानता कि विषय क्या है। मैं भी नहीं जानता। अचानक कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए। मैं यहां उपस्थित सभी नेताओं से अपील कर रहा हूं कि क्या वे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं। मैंने आपको समुचित रूप से चर्चा करने की अनुमति दे दी होती। मैं बार-बार आपके सामने यह बात रख रहा हूं। मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूं कि इस सभा में क्या हो रहा है। मैं आपसे नम्रतापूर्वक अपील कर रहा हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संसदिय मामला है, दो प्रदेशों का इससे संबंध है। यह मामला इससे पहले कि बिगड़ जाए और दोनों जगहों पर लोगों को आपनी जान-माल का खतरा हो, माननीय प्रधान मंत्री जी को सभी पार्टियों के लीडर्स को बुलाकर सलाह-मशविरा करना चाहिए।*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री सभी दलों के नेताओं को बुला सकते हैं। वे सभी नेताओं को बुला सकते हैं। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, वे बैठक बुला सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में ठीक ढंग से बोलना चाहिए। हमें इस बारे में कुछ लिखित नहीं दिया गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम तो शुरू से ही इसके लिए एक मिनट का समय मांग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह प्रश्न काल है। क्या आप आधे घण्टे तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अब इसकी अनुमति नहीं दूंगा। क्या आप आधे घण्टे तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या आपने निलम्बन हेतु कोई नोटिस दिया था?

श्री अनंत कुमार : महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधान मंत्री को दखल देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड करना नहीं चाहते हैं, हमें तो बोलने के लिए एक मिनट का समय चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे खेद है, मैं हरगिज अनुमति नहीं दूंगा। यहां तक कि मैं माननीय प्रधान मंत्री को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इससे पहले कि स्थिति बिगड़ जाए, लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह दो प्रदेशों का मामला है और माननीय प्रधान मंत्री जी सारी पार्टियों के लीडर्स को बुला सकते हैं और उनको बुलाकर इंटरवीन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुन ली है। वे यहीं उपस्थित हैं। मैं उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने के लिए मुझसे अनुमति लेने की आवश्यकता है। मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, आपने मल्होत्रा जी की बात सुन ली और आप हमारी बात एक मिनट नहीं सुनना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऑन मेरिट हम बात नहीं सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे सहायता के लिए अनुरोध किया था। प्रभुनाथ सिंह जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं?

[हिन्दी]

आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह की अनुशासनहीनता की इजाजत नहीं दूंगा। आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आप सभा का ध्यान भंग कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप कोई भी कदम उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए *(व्यवधान)* वहां माहौल बिगड़ रहा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, क्या आप प्रश्न करेंगे?

[हिन्दी]

क्या आप क्वैश्चन करेंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अगर हाउस आर्डर में होगा, तभी क्वैश्चन पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा...*(व्यवधान)*

श्री जे. एम. आरुन रशीद : बहुत से अल्जीरियाई और मोरक्को निवासी भारतीय फ्रांस में अल्पसंख्यक हैं...*(व्यवधान)* अब, उनमें से अधिकतर अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन वे फ्रांस के पासपोर्टधारक हैं और इसके साथ–साथ भारत के पासपोर्टधारक भी हैं। उनमें से अधिकतर पांडिचेरी, करायक्कइल, यानम और माहे से हैं...*(व्यवधान)* वे वहां पर स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। वे स्वदेश लौटना चाहते हैं। क्या सरकार उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करेगी? क्या सरकार हमारी भारतीय बीमा कंपनियों के माध्यम से भारतीय मूल के लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी?

राव इन्द्रजीत सिंह : सरकार ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता देने या न देने पर निर्णय ले रही है...*(व्यवधान)* इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हम इस पर ध्यान देंगे और इसे सभा पटल पर रखेंगे...*(व्यवधान)* हम एक नीतिगत निर्णय लेने वाले हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : दंगे हो रहे हैं...*(व्यवधान)* सरकार क्या कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : हालांकि, भारत सरकार ने इस मामले को फ्रांस की सरकार के साथ उठाया है, फिर भी कुछ मामलों में फ्रांस में सिख समुदाय के लोगों को पगड़ी पहनने संबंधी समस्याएं अभी भी आ रही हैं...*(व्यवधान)* वास्तव में, इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह : यह एक अलग प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह आपको सूचित करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)* आप एक मिनट भी सुनने के लिए तैयार नहीं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह–उपस्थित नहीं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपना प्रश्न पूछिए और कुछ नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन नंबर दीजिए।

[अनुवाद]

आपको यह अभी तक याद होना चाहिए

.. *(व्यवधान)*

खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमों में संशोधन

+

105. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

श्री उदय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उनकी बिक्री को रोकने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हाल ही में किए गए संशोधनों और प्रक्रियाधीन संशोधनों को दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पीएफए अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, खाद्य उत्पादों में मिलावट की जांच विनिर्माता तथा खुदरा विक्रेताओं के स्तर सहित सभी स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान मिलावट की प्रतिशतता 9.21 से 11.79 तक रही। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने तथा सभी स्तरों पर खाद्य उत्पादों की मिलावट को रोकने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

अनुबन्ध

पीएफए अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं की सूची

(क) अंतिम अधिसूचना

क्र.सं.	अधिसूचना	विषय
1	2	3
		2004
1.	सा.का.नि. 368 (ई) दिनांक 25.06.2004	खाद्य मिश्रणों के लिए सामान्य प्रावधान का कोडेक्स मानक के साथ सामंजस्य, बिस्कुट, ब्रेड के मानकों का संशोधन, शुगर बाइल्ड कन्फैक्शनरी, च्युइंगम, बबलगम और चाकलेटों के मानकों का संशोधन।
2.	सा.का.नि. 451 (ई) दिनांक 15.07.2004	कार्बनीकृत जल की परिभाषा का यह निर्दिष्ट करते हुए संशोधन करना कि कार्बनीकृत जल के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए जल पीएफए नियमावली, 1955 के अन्तर्गत पैकेज्ड पेयजल के मानकों के अनुरूप होगा।
3.	सा.का.नि. 517 (ई) दिनांक 10.08.2004	विभिन्न खाद्य उत्पादों में 50 और कीटनाशियों के लिए कीटनाशी अपशिष्ट संबंधी सह्य सीमा का निर्धारण करना।
4.	सा.का.नि. 812 (ई) दिनांक 16.12.2004	खाद्य वसा, टेबल मार्गेराइन, बेकरी औद्योगिक मार्गेराइन, खाद्य तेलों और वसा स्प्रेड में खाद्य मिश्रणों का प्रयोग।
5.	सा.का.नि. 821 (ई) दिनांक 21.12.2004	मछली और मछली उत्पाद के मानक का कोडेक्स मानक के साथ सामंजस्य तथा समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी पैरामीटर निर्धारित करना।
		2005
1.	सा.का.नि. 184 (ई) दिनांक 21.03.2005	चीनी, कन्फैक्शनरी, च्युइंगम, बबलगम और चाकलेट के मानकों का संशोधन।
2.	सा.का.नि. 185 (ई) दिनांक 21.03.2005	कोडैक्स मानदंड के साथ फल और सब्जी संबंधी उत्पादों के मानक निर्धारित करना।
3.	सा.का.नि. 339 (ई) दिनांक 27.05.2005	शिशु खाद्य पदार्थों के मानकों को इन्फेंट मिल्क सबस्टीट्यूट अधिनियम, 1992 के साथ मिलाने के लिए संशोधन।
4.	सा.का.नि. 356 (ई) दिनांक 07.06.2005	सूक्ष्मजीवविज्ञानी पैरामीटर को निर्धारित करने सहित दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के मानकों का संशोधन ताकि कोडेक्स मानकों के साथ सामंजस्य बनाया जा सके।

1	2	3
5.	सा.का.नि. 646 (ई) दिनांक 21.10.2005	20 कामगारों के स्टाफ से ज्यादा कामगारों वाले खाद्य प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षक/प्रबंधक/स्वामी के लिए अर्हता निर्धारित करना।
6.	सा.का.नि. 659 (ई) दिनांक 09.11.2005	बल्क कंटेनर/पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से नमूने लेने की प्रक्रिया।
7.	सा.का.नि. 655 (ई) दिनांक 10.11.2005	पैकेज्ड पेयजल और खनिज जल की नमूना मात्रा को भारी धातु, कीटनाशी अपशिष्ट इत्यादि सहित पूर्ण विश्लेषण के लिए 3000 मि.ली. से बढ़ाकर 4000 मि.ली. तक करना।
8.	सा.का.नि. (प्रतीक्षित) (ई) दिनांक 17.11.2005	पीएफए अधिनियम, 1954 की धारा 7 (iv) के अधीन अपने राज्यों में सामान्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सामान्य खाद्य नमक पर प्रतिबंध लगाने तथा प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए सामान्य नमक का अनिवार्य आयोडीनीकरण करने के लिए पीएफए नियमावली में संशोधन करना प्रस्तावित है।
9.	सा.का.नि. (प्रतीक्षित) (ई) दिनांक 23.11.2005	विश्लेषण इत्यादि को सुकर बनाने हेतु कोडेक्स तथा प्रत्येक खाद्य मिश्रण की अन्तर्राष्ट्रीय संख्या के अनुसार कतिपय खाद्य मिश्रणों का प्रयोग करना।
10.	सा.का.नि. (प्रतीक्षित) (ई) दिनांक 23.11.2005	जिन मादक पेयों में अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा हो उनको "तारीख से पहले उत्तम" के प्रावधान से छूट देना।

(ख) प्रारूप अधिसूचना

क्र.सं.	अधिसूचना	विषय
1	2	3
		2004
1.	सा.का.नि. 538 (ई) दिनांक 23.08.2004	शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अधिनियम, 1992 में शामिल करने के लिए शिशु आहार के मानदण्डों में संशोधन।
2.	सा.का.नि. 536 (ई) दिनांक 23.08.2004	10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक परिमाण में अल्कोहल वाले मादक पेय पदार्थों के लिए "तारीख से पूर्व उत्तम" के प्रावधानों से छूट।
		2005
1.	सा.का.नि. 33 (ई) दिनांक 20.01.2005	अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मामलों के मानदण्ड का सामंजस्य।
2.	सा.का.नि. 34 (ई) दिनांक 20.01.2005	विश्लेषण इत्यादि को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक खाद्य सहयोज्य के कोडेक्स तथा इन्टरनेशनल नम्बरिंग के अनुसार कुछ खाद्य सहयोज्यों का प्रयोग।
3.	सा.का.नि. 37 (ई) दिनांक 20.01.2005	कोडेक्स मानदण्डों के साथ शिशु आहार के मानदण्ड का सामंजस्य।
4.	सा.का.नि. 176 (ई) दिनांक 16.03.2005	बल्क कंटेनर/पैकेज्ड खाद्य पदार्थ से प्रतिचयन की क्रियाविधि।
5.	सा.का.नि. 276 (ई) दिनांक 06.05.2005	भारी धातुओं, कीटनाशी अवशिष्टों इत्यादि सहित पूर्ण विश्लेषण के लिए पैकेज्ड पेय जल तथा मिनरल वाटर के लिए नमूने की मात्रा को 3000 मि.ली. से 4000 मि.ली. तक बढ़ाना।

1	2	3
6.	सा.का.नि. 277 (ई) दिनांक 06.05.2005	अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के साथ चाय के मानदण्डों का सामंजस्य।
7.	सा.का.नि. 314 (ई) दिनांक 16.05.2005	कोडेक्स के साथ जैतून के तेल, उच्च तेल कुसुम (सैफ्फलावर) सूर्यमुखी तेल के मानदण्डों का सामंजस्य तथा बड़े कंटेनर में मिश्रित तेलों की पैकेजिंग।
8.	सा.का.नि. 340 (ई) दिनांक 27.05.2005	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(iv) के अन्तर्गत अपने राज्यों में सामान्य नमक की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्ति को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, खाद्य सामान्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए तथा सीधे मानवीय उपयोग के लिए सामान्य नमक के अनिवार्य आयोडीनीकरण के लिए पीएफए नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
9.	सा.का.नि. 520 (ई) दिनांक 04.08.2005	पैकेज्ड पेय जल के विनिर्माण के लिए जल के स्रोत के रूप में समुद्री जल को शामिल करने के लिए पैकेज्ड पेय जल के मानदंड में संशोधन।
10.	सा.का.नि. 526 (ई) दिनांक 08.08.2005	बिस्कुट, ब्रैड अथवा केकों के पैकेज पर ओलिगोफ्रक्टोस (आहार संबंधी तंतु) के लिए लैबलिंग से संबंधित खाद्य सहयोज्य।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : कड़े नियमों के अभाव में देश–भर में बड़ी संख्या में दूध में मिलावट के मामले होते हैं और राज्य सरकारें इन कार्यकर्ताओं को रोक पाने में असमर्थ हैं... *(व्यवधान)* सरकार दूध में मिलावट संबंधी नियमों को और अधिक. कड़ा एवं प्रभावी बनाने के संबंध में क्या कदम उठा रही है?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत अधिक खेद है और मैं आज बहुत निराश हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता आया हूं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं लेकिन, मैं आपको सभा को अपने ढंग से चलाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे सहायता करने के निमंत्रण देने के बावजूद अध्यक्षपीठ की जानबूझकर की गई अनदेखी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई संपर्क नहीं किया गया है और कोई सूचना भी नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, हम लोग आपसे बार–बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस सभा के विघटन की कीमत पर अध्यक्षता नहीं करूंगा। आप जो चाहें वह कदम उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल की है। माननीय प्रधान मंत्री ने आपकी बात सुनी है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता हूं। मैं सभी नेताओं से हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है, के अन्तर्गत, चाहे खाद्य अपमिश्रण हो या दुग्ध अपमिश्रण, राज्यों के पास इन पर नजर रखने और अपमिश्रण के इन तरीकों को रोकने के लिए अपेक्षित क्षमता है। केन्द्र सरकार नीति निर्धारित करती है और अपमिश्रण के विरुद्ध कार्यवाही करने में राज्य सरकारों की मदद करती है।

अब हम राज्य सरकारों की क्षमता, विशेषतः खाद्य जांच प्रयोगशालाओं में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से लगभग 72 राज्य सरकारों के पास हैं। हम विश्व बैंक क्षमता निर्माण परियोजना के एक चरण पर काम कर रहे हैं जिसमें हम इन प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने, इन प्रयोगशालाओं को सहायता देने और खाद्य निरीक्षकों एवं खाद्य प्राधिकरण विश्लेषकों हेतु रेफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन करने में लगभग 232 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम राज्यों की खाद्य प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरण मुहैया करा रहे हैं। वास्तव में, प्रत्येक प्रयोगशाला को राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के साथ एक केन्द्रीकृत कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है तथा हमने मानक जारी कर दिए हैं। अतः, प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया जारी है ताकि खाद्य सामग्री और दुग्ध के नमूने लिए जाएं तथा इनकी जांच की जाए...*(व्यवधान)*

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बात सुनी है कि प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निजी क्षेत्र के व्यक्तियों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाए ताकि परिणाम त्वरित गति से मिलें और निश्चित भी हों।

डा. अंबुमणि रामदास : हम सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं को आधुनिक बना रहे हैं। उद्योग और उपभोक्ताओं सहित सभी शेयरधारकों की अपमिश्रण के नियमन और रोकथाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन निजी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता। वे यहां उपस्थित हैं। जिस ढंग से आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं, इसके बावजूद मैं उन्हें उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता। मुझे खेद है, इसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्षपीठ के प्रति आपका कोई सम्मानभाव नहीं है। मैं आपसे बार-बार हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं। आपने मेरे पास आने और मुझे यह बताने की कभी जहमत ही नहीं उठाई कि यह क्या है। मैं यह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। किसी ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री को इस संबंध में बोलने तक की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको 12 बजे बोलने का मौका देंगे। उससे पहले नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात 12 बजे सुनूंगा। 20 मिनट तक आप चुप रहिए। केवल 20 मिनट बाकी हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्नासाहेब पाटील, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1954 बहुत पुराना है। क्या सरकार का इस एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है?...*(व्यवधान)* ऐसे मामलों में ट्रायल बाइ मजिस्ट्रेट और ट्रायल बाइ सीजेएम द्वारा किए जाते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट को अधिकतम तीन साल तक और सीजेएम को सात साल तक की सजा देने का अधिकार है। वर्तमान समय में देखा गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को लेकर प्रधान मंत्री खामोश बैठे हैं।...*(व्यवधान)* हम उन दंगों की निन्दा करते हुए सदन से वाकआउट करते हैं।

पूर्वाह्न 11.39 बजे

(तत्पश्चात् श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : जिस प्रकार तेल कम्पनियों को मिलावट के मामले में पेट्रोल पंपों को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, क्या उसी तरह से सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में अधिकतम सात साल की सजा के स्थान पर ट्रायल बाइ सैशन कोर्ट को देने का विचार कर रही है जिसमें उम्र कैद की सजा हो सके?...*(व्यवधान)* क्या सरकार वर्तमान कानून में इस प्रकार का संशोधन करने का विचार कर रही है?

पूर्वाह्न 11.40 बजे

(इस समय श्री अनंत कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न दोबारा पूछ रहा हूं। मूल एक्ट वर्ष 1954 का है, जो कि बहुत पुराना है। जिस समय यह एक्ट बना था उसमें ट्रायल बाइ सी.जी.एम. था। कोई सी.जी.एम. सात साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है और ट्रायल मजिस्ट्रेट तीन साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। आजकल देखने में आया है कि खाद्य पदार्थों में कई तरह से अपमिश्रण हो रहा है जबकि लेबोरेटरी की रिपोर्ट बहुत देर से आती है। कई बार एक्यूज्ड टेक्नीकल प्वाइंट पर बरी हो जाते हैं। मैं खास तौर से आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार इस एक्ट में संशोधन करके ट्राय बाइ सेशन करेगी जिसमें उम्र कैद की सजा हो सके। अगर इसमें कठोर सजा होगी तो कम से कम खाद्य अपमिश्रण को रोका जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसे तेल कंपनियों ने अभी ऐसी व्यवस्था की है कि जहां भी अपमिश्रण पाया जाएगा, उसके आधार पर पेट्रोल पम्प निरस्त कर दिया जाएगा। मैं खास तौर से चाहूंगा कि इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। क्या सरकार इस एक्ट में संशोधन करके ट्रायल बाइ सेशन करके उम्र कैद का प्रोवीजन करने पर विचार कर रही है? मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, सरकार एक नए समेकित खाद्य कानून लाए जाने पर विचार कर रही है जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, जिसे एक समेकित खाद्य कानून के द्वारा हटाया जा रहा है, सहित भिन्न-भिन्न अधिनियम सम्मिलित हैं। हम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को अधिक सुदृढ़ करने के लिए नियमों में संशोधन करने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं।

परन्तु कानूनी और दण्डात्मक उपबंधों के बारे में बात करते हुए बनाए जाने वाले समेकित खाद्य कानून जिसे संसद में पहले ही पुरस्थापित कर दिया गया है, के संबंध में संसद की स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है। यहां पर और अधिक सख्त और दण्डात्मक उपबंध हैं जिन्हें खाद्य और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण से बचाव हेतु लाया गया है।

श्री उदय सिंह : महोदय, प्रश्न मेरे नाम पर था। मैं इसे पहले नहीं पूछ सका। क्या मैं अपना अनुपूरक प्रश्न अब पूछ सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : कभी-कभार एक ऐसा गरीब किसान जिसके पास एक गाय है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जाता है और उसे दण्ड भी दिया जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या शराब इसके अन्तर्गत आती है अथवा नहीं। शराब बनाने वाले बड़े लोग बहुत अधिक मिलावट किया करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या तकनीकी रूप से यह खाद्य के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं। मेरे विचार से ऐसा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं।

श्री पी. सी. थामस : परन्तु यह अनेक गरीब व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या कानून में इस तरीके से संशोधन किया जाएगा कि प्रभावशाली और बड़े लोग इससे बच न सकें। छोटे लोग केवल अपनी अज्ञानता के कारण अथवा परिवर्तन के कारण जो कि एक गरीब व्यक्ति के लिए भी कभी-कभार होता है इस कानून के अन्तर्गत पकड़े गए हैं। एक छोटा विक्रेता, एक व्यक्ति जो सामान बेचता है अथवा जो एक छोटी दुकान में एक छोटी सी नौकरी करता है कभी-कभार कानून की गिरफ्त का सामना करता है। परन्तु बड़े लोग इससे छूट जाते हैं। क्या यह देखने हेतु कोई कार्यवाही की गई है कि कानून में पूरी तरह से संशोधन किया गया है ताकि इस अनियमितता का बड़ी दृढ़ता से और बहुत ही दृढ़ राजनैतिक इच्छा से सामना किया जा सके।

डा. अंबुमणि रामदास : बड़े प्रभावशाली लोगों और छोटे किसानों के लिए कानून समान है। हम एक नया कानून, समेकित खाद्य कानून बना रहे हैं जो आने वाला है...*(व्यवधान)* यह कानून आने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा था संसद की स्थायी समिति इस पर विचार-विमर्श कर रही है। नए कानून में बहुत सारे अपराधों संबंधी उपबंध हैं जबकि सभी अपराधों को एक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जहां पर अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा।

श्री उदय सिंह : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय मंत्री ने मुझे जो उत्तर दिया है वह संक्षिप्त प्रश्न के

'हां' और 'नहीं' में उत्तर देने जैसा है। मेरे विचार से प्रश्न के आशय को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में अवश्य ही समझा जाना चाहिए। भारत में काफी संख्या में अंतर्देशीय प्रवास हो रहे हैं, यहां गरीब वर्ग के लोग अपनी जीविका की खोज में अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जब वे छोटे भोजन–स्थलों और ढाबों पर खाना खाते हैं तब वे सभी प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वे जो कुछ भी कमाते हैं अपनी बीमारी के इलाज पर खर्च कर देते हैं।

मैं नहीं जानता हूं कि क्या यह सरकार ऐसे अधिनियम को लाने के संबंध में गंभीरता से विचार कर रही है जो नीति बनाने से अधिक यह कोशिश और सुनिश्चित करेगा कि लोगों को स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन, बिना मिलावट का भोजन मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं। महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि इससे पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने इसके बारे में सुना है। वे इस बारे में क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। इस संबंध में उनकी बात भी सुनते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यह अधिनियम न केवल नीति बनाने और इन खाद्यान्नों के उपभोक्ताओं और बेचने वालों अथवा विक्रेताओं को हानि पहुंचाने वाली बात के बारे में है अपितु लोगों और गलियों में भोजन के विक्रेताओं में जागरूकता पैदा करने के संबंध में भी है। हमने अनेक कार्यशालाएं आयोजित की हैं। वास्तव में, हमारी समन्वित बैठक हुई है, उदाहण के लिए कोलकाता में जहां पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों तथा गलियों में बिकने वाले भोजन के विक्रेताओं को विश्वास में लिया गया था और एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इन खाद्यान्नों की सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषकर जल सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में उन्हें समझाया गया। उसके बाद से निर्बाध रूप से कार्य हो रहा था।

मलेशिया और थाईलैंड जैसे कुछ देशों में गलियों में भोजन के विक्रेताओं के बारे में उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कभी–कभी यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही व्यवहार्य होता है और यदि इसे गर्म लिया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। ये सभी मुद्दे हैं। बात केवल यह है कि हम इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल नीति बनाने के बारे में नहीं है।

महोदय, हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता है। सरकार इस पर चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम 'कोडक्स एलिमेनटेरियस' मानकीकरण को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको सारे संसार में अपनाया जा रहा है। हमारे पास निर्माण संबंधी अच्छी पद्धति है। हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारत में इन 'कोडक्स' पद्धतियों का सख्ती से अनुसरण कर रहे हैं जो कि संसार में है। हम इसके एक चरण पर कार्य कर रहे हैं। पीएफए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए हमने खाद्य पदार्थों के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत नियमों संबंधी अनेक संशोधन किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह प्रश्न कानून में संशोधन करने से संबंधित है।

श्री अलकेष दास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : हम इससे सहमत हैं कि आज चार प्रश्न पूछे जाएंगे।

श्री अलकेष दास : लोगों का मत यह है कि डिब्बाबंद पेयजल, बच्चों के भोजन, तेल, बिस्कुट, केक आदि और अन्य खाद्य सामग्रियों के मामले में अपमिश्रण में लगातार वृद्धि हो रही है। माननीय मंत्री के वक्तव्य से हमें पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में अपमिश्रण में 9.21 से 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री अलकेष दास : प्रश्न यह है कि क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अपमिश्रित खाद्य पदार्थ बनाने और उनकी बिक्री की निगरानी करने में विफल हुआ है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दर पिछले वर्षों की तुलना में कम अथवा ज्यादा है?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम वर्ष 1954 में बनाया गया था। उसके पश्चात्, इसमें वर्ष 1964, वर्ष 1976 और अंत में वर्ष 1986 में कई संशोधन किए गए। तत्पश्चात्, इसे और अधिक कठोर बनाने हेतु नियमों और विनियमों संबंधी अनेक संशोधन किए गए थे। पिछले तीन से चार वर्षों में हमने नमूनों को लिया है। जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में कहा था कि यह संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है जहां पर हम नीति बनाने संबंधी कार्य करते हैं और इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उनके पास खाद्य निरीक्षकों और खाद्य प्रयोगशालाओं का संपूर्ण तंत्र है और नमूनों को लेना, उनकी जांच करना और तत्पश्चात् सुधारात्मक कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद, हम इन मुद्दों संबंधी कार्यान्वयन करने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं। हम मामलों की जांच कर रहे हैं। पिछले चार से पांच वर्षों में लगभग 9 से 11 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण किया

गया है—यह मिलावट गलत ब्रांड और अपमिश्रण के रूप में है। ये दो घटक हैं जो 9 से 11 प्रतिशत के अन्तर्गत आते हैं। हम नमूनों को लेने में वृद्धि करने और देश में उत्पादों की गुणवत्ता की सख्ती से निगरानी करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से बहुत दूर हो गए हैं। इस प्रश्न से संबंधित अंतिम अनुपूरक प्रश्न श्री राम कृपाल यादव द्वारा पूछा गया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपा नहीं की। आपके चुप बैठने पर टाइम मिलेगा, हल्ला करने से नहीं मिलेगा।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, मैं बराबर चुप रहता हूं और आपका सहयोग करता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह वर्ष का वक्तव्य है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, इसी तरह आपकी कृपा बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि राज्य सरकारों को प्रयोगशालाओं के अपडेट और मौडर्नाइजेशन करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। बिहार में ऐसी बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी स्थिति जीर्ण–शीर्ण है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में आपने बिहार की उन प्रयोगशालाओं को दुरुस्त करने, मॉडर्नाइज करने और कम्प्यूटीकृत करने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में दो प्रयोगशालाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। वहां आपने कितनी धनराशि दी है या देने का विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, संपूर्ण रूप में, हम राज्यों की लगभग 72 खाद्य जांच प्रयोगशालाओं और चार केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण करने पर लगभग 232 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। वास्तव में, हम पांच नई खाद्य निरीक्षण संबंधी प्रयोगशालाओं का निर्माण कर रहे हैं।

विशेष रूप से बिहार के सन्दर्भ में बात करते हुए, मैं माननीय सदस्य को विशेषकर उनके निर्वाचन क्षेत्र और बिहार के ब्यौरे एकत्र करने के पश्चात् सूचित करूंगा।

पुरानी बीमारियों के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

+

***106. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

सुश्री इन्ग्रिउ मैक्लोड :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में भारत को देश में पुरानी बीमारियों के कारण से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"प्रीवेंटिंग क्रोनिक डिजीज–ए वाइटल इन्वेस्टमेंट" शीर्षक से विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को हाल ही में पूरे विश्व में प्रदर्शित किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि चिरकारी रोगों से होने वाली 80 प्रतिशत मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं जिसमें भारत भी शामिल है। चिरकारी रोगों (यथा हृदय रोग, आघात, मधुमेह, कैंसर आदि) की समस्या से प्रभावित लोगों के जीवन स्तर पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे समय पूर्व मौतें होती हैं तथा इसका आर्थिक कुप्रभाव परिवारों, समुदायों और समाज पर पड़ता है। हृदय रोग, आघात और मधुमेह के कारण होने

वाली रुग्णता और मौतों के परिणामस्वरूप कम और मध्यम आय वाले देशों को आगामी 10 वर्षों में उनकी राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में अधिक क्षति होने की संभावना है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व समुदाय का आह्वान उन विस्तृत और समेकित प्रयासों और पहलों को कार्यरूप देने के लिए किया गया है जो रोग विशेष के जोखिमकारी तथ्यों पर ध्यान देते हुए उनमें कमी लाने के लिए पूरी आबादी और लोगों दोनों से जुड़े कार्यकलापों से सम्बद्ध हों।

भारत सरकार द्वारा पहले से ही नीतिगत स्तर और निचले स्तर पर जन स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें चिरकारी रोगों के क्षेत्र से जुड़े मेडिकल कार्मिकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान पर बल दिया गया है। हृदय और वक्ष रोग तथा मधुमेह रोग के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित एक समेकित राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में चिरकारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वस्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने का कार्य सभी स्तरों पर निवारक स्वास्थ्य परिचर्या क्षमताओं के विकास तथा तम्बाकू और मद्य पदार्थों के सेवन में कमी लाने आदि के माध्यम से पूरा किया जाना है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया है तथा जागरूकता सृजन और उपचार के प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस कार्यक्रम की विभिन्न उप–योजनाओं के लिए वित्तीय सीमाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की गई है। स्वस्थ खान–पान और जीवन शैली पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आयुष विभाग ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के विभिन्न उपाय किए हैं।

गैर–संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कुछ विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं :

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पांच केन्द्रों पर गैर–संचारी रोगों के जोखिम के व्याप्त तथ्यों पर अध्ययन किया है।

- विश्व बैंक की सहायता से नवम्बर, 2004 में समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक गैर–संचारी रोग के जोखिम से जुड़े तथ्यों का सर्वेक्षण है।

- मधुमेह, अस्थमा और फेफड़े से जुड़ा चिरकारी बाधक रोगों के उपचार के लिए मानक दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।

- चिरकारी रोगों के जोखिम का एकमात्र महत्वपूर्ण कारक तम्बाकू है जिसका समाधान भारत में अप्रैल, 2003 में तम्बाकू नियंत्रण के लिए विस्तृत राष्ट्रीय कानून के माध्यम से कर लिया गया है। भारत ने तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की है।

- स्वास्थ्य संवर्धन और इससे जुड़े प्रयासों की शुरूआत भारत के विभिन्न भागों में एकीकृत राष्ट्रीय गैर–संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ–साथ की गई है जिसमें औद्योगिक आबादी पर बल दिया गया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आहार, शारीरिक क्रियाकलाप और स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की है जिसमें फल और सब्जियों की खपत बढ़ाने तथा शारीरिक क्रियाकलाप को बढ़ाने की संभावनाएं विद्यमान हैं।

- चिरकारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयास के क्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्माण भवन में 'स्वस्थ जीवन शैली केन्द्र' स्थापित किया है जहां योग, व्यायाम सुविधा तथा चिरकारी रोगों के जोखिम से जुड़े तथ्यों और उन्हें रोकने के निर्देश से युक्त सूचना–शिक्षा और सम्प्रेषण सामग्री प्रदान की जा रही है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, आज तक स्वास्थ्य देखभाल पर कुल खर्च हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.9 प्रतिशत है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 प्रतिशत तक इस व्यय को बढ़ाने का वायदा किया गया है। पुराने रोग संबंधी महामारी, जिसके भारत में फैलने की संभावना है, के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री से इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक अन्तरण व्यय को पूरा करने हेतु आवश्यक निधियों को एकत्र करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में जानना चाहती हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्या ने सही सूचित किया है कि आज स्वास्थ्य पर एक प्रतिशत से भी कम खर्च किया जा रहा है और यूपीए ने हमारे माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में यह वायदा किया है कि हम अगले चार वर्षों में जन स्वास्थ्य के संबंध में अपने खर्च को आज के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 2 से 3 प्रतिशत तक करेंगे। वास्तव में, स्वास्थ्य बजट में हमारे यहां पिछले वर्ष के स्वास्थ्य बजट से 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी

और हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं जिसे इस वर्ष अप्रैल माह में शुरू किया गया है। हम इसे 18 राज्यों में कार्यान्वित कर रहे हैं। हम कम से कम 2 से 3 प्रतिशत खर्च करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं।

पुराने रोगों की बात पर वापिस आते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हमें यह सूचित किया है तथा वास्तव में हमें यह चेतावनी दी है कि आज संक्रामक रोगों की समस्या है और भविष्य में मधुमेह, कार्डियो–वैस्क्यूलर, दौरा, कैंसर और मनोरोग जैसे गैर–संक्रामक अथवा पुराने रोगों संबंधी बड़ी समस्या होने वाली है। अतः, हम उन मुद्दों के संबंध में नए कार्यक्रमों हेतु प्रयास कर रहे हैं और मेरे माननीय प्रधान मंत्री ने यह वायदा किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को पूर्ण वरीयता दी जाएगी और जन स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की परिकल्पना की जाएगी।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, माननीय मंत्री ने स्वयं एक अवसर पर यह माना है कि विश्व में भारत में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी हैं और इसकी फिर पुष्टि करते हुए डब्ल्यूएचओ ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है कि वर्ष 2015 तक मुधमेह संबंधी मौतें 30 प्रतिशत के आस–पास होने की संभावना है। उसी तरह, हृदय रोग में लगभग 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है और दौरों संबंधी रोग प्रत्येक 10,000 जनसंख्या पर 203 के आसपास होने की संभावना है। प्रत्येक वर्ष कैंसर के नए मामले होंगे। प्रत्येक वर्ष आठ लाख के आसपास अनुमानित मामलों के दोबारा होने का अनुमान है।

इस गंभीर परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर हमारे लिए अपने सरकारी अस्पतालों में जराचिकित्सा विभाग शुरू करने और हमारे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में जराचिकित्सा औषधियों को शामिल करने की भी आवश्यकता है। इसकी एमसीआई द्वारा सितम्बर 2000 में भी सिफारिश की गई थी। मैं माननीय मंत्री से इस दिशा में उठाए गए ठोस कदमों के बारे में जानना चाहती हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : माननीय सदस्या का यह कहना सही है कि पुराने रोगों, विशेषकर कार्डियो–वैस्क्यूलर, मधुमेह, दौरों, मनोरोग और कैंसर के मामले में इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और इनमें न केवल जरा रोगी अथवा वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं अपितु युवा व्यक्ति भी शामिल हैं। हमारे यहां स्कूल जाने वाले बच्चों और वयस्कों में भी मधुमेह है। अतः, हम मधुमेह, कार्डियो–वैस्क्यूलर और दौरों के संबंध में व्यापक कार्यक्रम और समेकित कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक नया कार्यक्रम होगा और हमने सिद्धान्त रूप में योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। हम निवारण, जागरूकता पैदा करने, निगरानी, जांच करने, रोगों का निपटान और अनुसंधान करने के व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने वाले हैं। ये सभी घटक मधुमेह, कार्डियो–वैस्क्यूलर और दौरे संबंधी इस समेकित कार्यक्रम का भाग होंगे जिसमें हम स्कूल के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करेंगे।

जराचिकित्सा और वरिष्ठ नागरिकों के बारे में प्रश्न पर वापिस आते हुए आज देश में प्रत्याशित आयु 63 वर्ष है। 15 से 20 वर्षों में इसके लगभग 75 वर्ष होने की आशा है। आने वाले वर्षों में देश में और अधिक वरिष्ठ नागरिक और वृद्ध लोग होने वाले हैं और हमें उनका ध्यान रखना होगा। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना होगा जिसका प्रयास हम उनका ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं।

वास्तव में, हम वृद्ध/जराचिकित्सा हेतु दो नए संस्थान शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं–एक उत्तर में और एक दक्षिण में। हमें जराचिकित्सा हेतु डाक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण देने हेतु और अधिक नीतियों को कार्यान्वित करना होगा। हमने यह आदेश दिया है कि सीजीएचएस औषधालयों सहित सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अनिवार्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों हेतु ओपीडी के लिए एक अलग से लाइन होनी चाहिए। वास्तव में, इसको शुरू करते हुए, हम जराचिकित्सा अथवा वरिष्ठ नागरिकों हेतु एम्स, जेआईपी, एमईआर, पांडिचेरी और पीजीए चंडीगढ़ में एक अलग वार्ड अथवा इमारत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इस संबंध में भरसक प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वृद्ध व्यक्तियों की कुछ आशाएं हैं।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में संकटपूर्ण मृत्यु दर का पूर्वानुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि भारत में मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसे पुराने रोगों के कारण मरने वालों की संख्या इस वर्ष 54.66 लाख तक पहुंच सकती है। सर्वेक्षण और अध्ययन के बावजूद अगले 30 से 40 दिनों में प्रभावशाली राहत प्रदान करने के लिए कौन से आपातकालीन कदम उठाए गए हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : यह एक पुराना रोग है और हमने अगले माह अथवा आगे किसी कार्यक्रम को करने की परिकल्पना नहीं की है। ये पुराने रोग हैं और हमें इनसे निपटना होगा। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था, हमें व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। हम स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने हेतु आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से पहले से ही यह कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हमने पिछले वर्ष माननीय संसद सदस्यों हेतु एक स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया था जहां

पर लगभग 365 संसद सदस्यों ने उस कैम्प में भाग लिया था। हमने योग, ऐलोपैथी, आयुर्वेद और अन्य सभी संबंधित विधाओं को शामिल किया था। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हमें और अधिक नीतियों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इन नीतियों को न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय अपितु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाना होगा जिसमें और अधिक अवसर मिल सकते हैं। हम इस संबंध में भरसक प्रयास कर रहे हैं।

डा. रामचन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से हृदय, मधुमेह और कैंसर से संबंधित रोगों को पुराने रोगों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में, क्रोनिक आबस्ट्रकटिव पुलमोनैरी डीसीज (सीओपीडी) के संबंध में एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तथ्य यह है कि अधिकांश लोग क्रोनिक आबस्ट्रकटिव पुलमोनैरी डीसीज, पुराने श्वासनली रोग और श्वासरोग से पीड़ित हैं। क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है? सरकार सीओपीडी को नियंत्रित करने हेतु कौन से ठोस कदम उठा रही है?

मेरे प्रश्न का भाग 'ख' कार्डियो–वैस्क्यूलर रोगों और मधुमेह के निवारण और नियंत्रण हेतु समेकित राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो जाएगा और आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

डा. रामचन्द्र डोम : इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गठिया हृदय रोग को शामिल करने पर विचार कर रही है अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, वह आपका मनपसंद प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास : माननीय सदस्य जो मेरे अच्छे मित्र हैं, डा. डोम मेरे व्यवसाय से ही संबद्ध हैं, ने सीओपीडी के बारे में संबंधित प्रश्न पूछा है। वास्तव में, आज हमारे पास सीओपीडी हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। हमारे पास क्षयरोग हेतु कार्यक्रम है परन्तु सीओपीडी के कारण भिन्न है। महोदय, इसके बारे में आपको अन्य किसी से भी अधिक जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्ष जानकारी।

डा. अंबुमणि रामदास : हम जागरूकता पैदा करने हेतु कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मधुमेह, कार्डियो–वैस्क्यूलर और दौरों के संबंध में समेकित कार्यक्रम के माध्यम से हम और अधिक जागरूकता पैदा करने और निवारण संबंधी जांच–पड़ताल घटक हेतु प्रयास कर रहे हैं। जहां तक गठिया हृदय रोग की बात है वह भी मधुमेह, कार्डियो–वैस्क्यूलर और दौरे संबंधी इस समेकित कार्यक्रम में एक घटक होगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट शेष है। श्री मोहम्मद सलीम, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

मोहम्मद सलीम : मैं अगले प्रश्न के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

*107. **श्रीमती सुस्मिता बाउरी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) अपने उपभोक्ता आधार में वृद्धि करने के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल द्वारा कितने राजस्व का अनुमान लगाया गया था और कितना राजस्व वास्तव में अर्जित किया गया है;

(घ) क्या एमटीएनएल विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति, अधिष्ठापन, उन्हें चालू करने और उनके कार्य–निष्पादन से संबंधित अन्य वास्तविक और वित्तीय मापदंडों के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सका;

(ङ) यदि हां, तो क्या एमटीएनएल को इसके परिणामस्वरूप 97.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि 2004–05 के लिए सीएमटीएस के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए

हैं, तथापि, कुल 5.21 लाख सीएमटीएस उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई है। एमटीएनएल मुम्बई और दिल्ली में सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में इसका मार्केट शेयर मार्च 2004 में क्रमशः 5.25 प्रतिशत और 6.73 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर, 2005 में क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 13.17 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानित राजस्व और वास्तविक रूप में अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :

वर्ष	अनुमानित राजस्व (करोड़ में)	वास्तविक रूप में अर्जित राजस्व (करोड़ में)
2002–03	6458.00	6030.66
2003–04	6210.00	6683.93
2004–05	5568.00	6084.10

(घ) 2004–05 के लिए समझौता ज्ञापन में यथा परिलक्षित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि संबंधी स्थिति संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं। एमटीएनएल ने 2004–05 के दौरान कर पश्चात् 938.97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

(च) एमटीएनएल द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

(i) दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक शहर में 4 लाख लाइनों से सीएमटीएस की क्षमता का विस्तार किया गया।

(ii) पर्याप्त क्षमता और मांग पर सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

(iii) जनरल पैकेट रोडियो सर्विस (जीपीआरएस) और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं शुरू की गई हैं।

(iv) नवीनतम एसिमेट्रिक डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन और प्लस टैक्नोलोजी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है।

एमटीएनएल के कार्य–निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जा रही है।

अनुबंध

1. स्थाई वित्तीय पैरामीटर्स से संबंधित कार्य-निष्पादन

क्र.सं.	मानदंड	समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सकल मार्जिन/सकल ब्लॉक (%)	11.96	13.42
2.	निवल लाभ/निवल मूल्य (%)	6.14	9.05
3.	सकल लाभ/नियोजित पूंजी (%)	9.30	11.04
4.	सकल मार्जिन (करोड़ रु. में)	1941.45	1895.88
5.	सकल बिक्री (करोड़ रु. में)	6461.70	5615.42
6.	पीबीडीआईटी/कुल नियोजन (रु.)	331878	343233
7.	योजित मूल्य/सकल बिक्री (%)	1.22	–4.18

2. क्षेत्र विशिष्ट वास्तविक पैरामीटर्स से संबंधित कार्य-निष्पादन

क्र.सं.	मानदंड	समझौता ज्ञापन में	उपलब्धि		
		निर्धारित लक्ष्य	दिल्ली	मुम्बई	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल और सेल्युलर सहित नए कनेक्शन प्रदान करना	450 हजार	84.056 हजार	234.941 हजार	318.997 हजार
2.	डब्ल्यूएलएल और जीएसएम की क्षमता सहित निवल स्विचन क्षमता प्रदान करना	830 हजार	358.920 हजार	464.000 हजार	822.92 हजार
3.	नए टीएएक्स/टैन्डम लाइनें प्रदान करना	187 हजार	45.000 हजार	71.240 हजार	116.24 हजार
4.	डीएलसी चालू करना	410	122	262	384

1	2	3	4	5	6
5.	पट्टेशुदा सर्किट प्रदान करना	1500	2034	1223	3257
6.	दिल्ली और मुम्बई में पीसीओ संस्थापना	1400	12078	28044	40122
7.	ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर किमी में	18000	19421.40	11360.31	30781.71

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती सुस्मिता बाउरी : महोदय, मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यह गैर–योजना स्कीम शुरू की गई थी और बहुत से आईटीएस कार्मिक ऊंचे वेतनमानों पर कार्य पर रखे गए थे। उसके बावजूद परियोजना असफल हो गई। यह भी स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति खराब कार्यान्वयन और ऊंचे वेतन की अदायगी के कारण उत्पन्न हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

डा. शकील अहमद : महोदय, हम माननीय सदस्य की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। एमटीएनएल को विगत वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है। वास्तव में एमटीएनएल ने वर्ष 2004–05 में 938.97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने अनुमानित राजस्व भी प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2003–04 में अनुमानित राजस्व 6210 करोड़ रुपये था और वास्तविक अर्जित राजस्व 6683.93 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004–05 में अनुमानित राजस्व 5568 करोड़ रुपये था और अर्जित राजस्व 6084.10 करोड़ रुपये था। अतः इस संबंध में हम माननीय संसद सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हैं। हम एमटीएनएल को यथासंभव व्यापक और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की सेवा में सुधार

*103. **श्री हरि सिंह चावडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत आने वाले औषधालयों में पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों से अंशदान के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय अपने लाभार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने 2003–04 और 2004–05 के दौरान क्रमशः 57.94 करोड़ रुपए और 66.42 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा पिछले दो वर्षों में 2003–04 और 2004–05 के दौरान किया गया व्यय क्रमशः 500.32 करोड़ रुपए ओर 581.19 करोड़ रुपए है।

(ङ) सरकार ने 463 स्वामित्व वाली औषधों और 258 जेनेरिक औषधों के प्रापण की कार्रवाई शुरू की है। इसके परिमणास्वरूप, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधों की उपलब्धता में और सुधार हो रहा है।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने और इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने हेतु सिफारिशें देने हेतु पूर्व मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है। इस समिति ने पेंशनरों और अन्य कल्याण संगठनों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने की पद्धति को दिल्ली में विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और लाभार्थियों को अब निर्माण भवन स्थित सी जी एच एस मुख्यालय में बिलकुल नहीं जाना होता

है और इसकी बजाय उन्हें अस्पताल में भरती रहने आदि के अपने दावे संबंधित औषधालयों में जमा करने होते हैं। ऐसे दावे प्रोसेस करने और भुगतान करने हेतु संबंधित जोनल अपर निदेशकों को भेजे जाते हैं। इस पद्धति से पेंशनर लाभार्थियों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावों के लंबित रहने में काफी कमी हुई है।

एन.आई.सी. को अधिदेश दिया गया है कि वे विशेष रूप से इन्वेंटरी प्रबंधन और दावों को प्रोसेस करने के संबंध में सी.जी.एच.एस. औषधालयों के कार्यकरण को कम्प्यूट्रीकृत करने हेतु एक साफ्टवेयर विकसित करें।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि

***108. श्री रामदास आठवले :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान की ओर से आतंकवारी गतिविधियों/घुसपैठ में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया है या उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) हालांकि पाकिस्तान ने सीमा–पार घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं परन्तु ये पर्याप्त नहीं है और नागरिकों तथा राजनेताओं पर किये जाने वाले हिंसक हमलों और बम विस्फोटों में अचानक वृद्धि हुई है।

(ग) भारत ने सर्वोच्च स्तर पर पाकिस्तान को सूचित किया है कि यदि पाकिस्तान प्रशिक्षण शिविरों, लांचिंग केन्द्रों और भारतीय पक्ष के आतंकवादी गुटों तथा पाकिस्तान पक्ष में उनके संचालकों के बीच संचार संपर्कों सहित आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है तो इससे वर्तमान शांति प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त वक्तव्य, जिसमें पाकिस्तान ने यह वचनबद्धता व्यक्त की थी कि वह अपने नियंत्रणाधीन किसी भूक्षेत्र का उपयोग किसी भी तरीके से आतंकवाद के समर्थन के लिए जाने की अनुमति नहीं देगा, के अनुसरण में पाकिस्तान द्वारा अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

(घ) आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के भाग के रूप में सरकार निरंतर इस संबंध में हो रही घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराती रहती है।

[अनुवाद]

रोग निगरानी प्राधिकरण

***109. श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हाल ही में फैले रोगों का पूर्वानुमान लगाने और उनकी रोकथाम करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रोगों के फैलने की पूर्व चेतावनी संकेत देने के लिए देश में कोई रोग निगरानी प्राधिकरण नहीं है; और

(घ) यदि हों, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) दैनिक आधार पर रोग निगरानी तथा अनुक्रिया मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। रोग प्रकोपों के मामले में केन्द्र सरकार जांच–पड़तालों तथा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों का दल भेज कर राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। दिल्ली में मेनिंगोकोकसीमिया, आन्ध्र प्रदेश में पीलिया तथा कर्नाटक में डेंगू एवं हैजा के हाल के प्रकोप का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

दिल्ली में तथा इसके आसपास में मेनिंगोकोक्कल रोग के मामले में स्थिति की मानीटरिंग मंत्रालय में दैनिक आधार पर की गई। स्थिति की समीक्षा प्रतिदिन राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, केन्द्र सरकार के अस्पतालों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इत्यादि के अधिकारियों के साथ की गई। जनस्वास्थ्य कार्रवाइयां करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय विशेषज्ञ दलों ने नैदानिक–जानपदिक रोग विज्ञानी जांचें कीं। मेनिंगोकोक्कल रोग की रोगी परिभाषाएं, टीकाकरण संबंधी दिशानिर्देश, रसायन रोग निरोधन तथा प्रयोगशाला निदान विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए और उन्हें सभी संबंधित को परिचालित किया गया।

पुराने हैदराबाद शहर में पीलिया के प्रकोप के मामले में इसकी जांच करने के लिए जानपदिक रोग विज्ञानियों, सूक्ष्म जीव

विज्ञानियों तथा क्लिनिशियनों का एक केन्द्रीय दल भेजा गया। इस प्रकोप से मुख्यतया चारमीनार नगरपालिका डिवीजन के दो वार्ड प्रभावित हुए और यह प्रकोप हेपेटाइटिस ई तथा ए के कारण हुआ। राज्य सरकार द्वारा सभी पेय जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण, सक्रिय निगरानी, चिकित्सा शिविरों एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन जैसे निवारक उपाय किए गए। कर्नाटक के दो जिलों में डेंगू और हैजा के प्रकोप के संबंध में राज्य के जन अधिकारियों ने पेयजल की निरापदता संबंधी मानीटरिंग, मच्छर/लार्वा सघनता संबंधी सर्वेक्षण, कीटनाशक औषधों का छिड़काव, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि जैसे कदम उठाए।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) देश में निगरानी और प्रकोप संबंधी जांच के लिए नोडल संस्था है। इसके तत्वाधान में नवम्बर, 2004 से एक समेकित रोग निगरानी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जो पूरे देश को चरणों में कवर करेगी। इस परियोजना में संचारी तथा गैर संचारी रोगों के लिए एक विकेंद्रीकृत शीघ्र चेतावनी प्रणाली प्रतिपादित करने की अपेक्षा है ताकि समयपूर्वक और प्रभावी जन स्वास्थ्य कार्यवाहियां की जा सकें। डाटा का फील्ड निगरानी यूनिट को/से द्रुत संचरण करने के लिए आई.डी.एस.पी. उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क से सुसज्जित है। इस परियोजना में संलाक्षणिक (सिंड्रोमिक) (क्लीनीकल पैटर्न के आधार पर निदान किए गए), प्रकल्पित (विशिष्ट इतिहास और क्लीनीकल जांच के आधार पर निदान किए गए) के आधार पर रोगियों को अभिज्ञात करके तथा संपुष्ट (उचित प्रयोगशाला जांच के पश्चात) आधार पर विशेष रोगियों की चल रही निगरानी को कायम रखने की अपेक्षा है। समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत आम बीमारियों संबंधी रोगी परिभाषाएं तैयार कर ली गई हैं और इनका व्यापक रूप से प्रचार किया गया है।

विवरण

हाल ही में दिल्ली में मेनिंगोकोकसीमिया, आंध्र प्रदेश में पीलिया तथा कर्नाटक में डेंगू एवं हैजा के प्रकोप का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	रोग	रोगी	मौतें	रोगी सांघातिकता
1.	आंध्र प्रदेश	पीलिया (हेपेटाइटिस ए/ई)	1730	3	0.17%
2.	दिल्ली	मेनिंगोगोकसीमिया	441	60	13.60%
		डेंगू	625	4	0.64%
3.	कर्नाटक	डेंगू	436	13	2.98%
		हैजा (हुकेरी, बेलगाम में)	576	18	3.12%

स्वास्थ्य परिचर्या के अन्तर्गत ग्रामीणों को लाभ

*110. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-केन्द्र, प्राथमिक केन्द्र और तालुक अस्पताल ग्रामीण जनसंख्या के केवल 20 प्रतिशत व्यक्तियों की ही आवश्यकताओं को पूरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2005–06 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों की पद्धति के एक त्रिस्तरीय नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं और यह निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों पर आधारित है :

जनसंख्या मानदण्ड

केन्द्र	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी जनजातीय/ दुर्गम्य क्षेत्र
उप केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

राष्ट्रीय वृहद अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य आयोग के अनुसार, 1986–96 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं ने बहिरंग रोगियों के लिए जन सुविधाओं के उपयोग में कमी दर्शायी है जो 26 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े एन.एस.ओ. के 52वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

(ग) पूरे देश के लिए 2005–06 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन गठित किया गया है; जिसमें 18 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जनसंख्या के ग्रामीण निर्धन और कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावकारी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य 2.5 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के संवर्ग के सृजन, बेहतर अस्पताल परिचर्या, संसाधनों की

इन्ट्रा और अन्तरक्षेत्रीय कन्वर्जेंस तथा प्रभावकारी उपयोग के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के अन्तर को दूर करना भी है। इसके अलावा, मिशन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए सामुदायिक भागीदारी द्वारा इसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना भी है। अन्य कार्यनीतियां हैं : उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर को बढ़ाकर भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार करना, आयुष को मुख्य धारा से जोड़ना, रोग प्रतिरक्षण का सुदृढ़ीकरण, सांस्थानिक प्रसवों में सुधार करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन, उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अतिरिक्त जेनेरिक औषधों की आपूर्ति करना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के दौरान बीमा कवर प्रदान करना।

(घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच–II) कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्यों की अपनी–अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रतिबिम्बित की गई जरूरतों के आधार पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए निधियां जारी की जाएंगी।

अंतरिक्ष कार्यक्रम

***111. श्री एल. गणेशन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दशक के लिए चांद पर उतरने सहित कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कार्यक्रम अंतरिक्ष क्लब देशों में से किसी के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत ने समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या इस संबंध में अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) अंतरिक्ष विभाग ने लक्ष्यों, कार्यक्रमों की दिशाओं तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की पहचान करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों के भाग के रूप में एक उपकरण सज्जित मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान–1 को पहले ही मंजूरी प्रदान की गई है; चंद्रमा पर अवतरण का मिशन वर्ष 2010 तक के लिए मंजूर किए गए कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है।

(ख) अगले दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूरा जोर देश के संचार और समाजार्थिक विकास को आत्मनिर्भर रूप में पूरा करने हेतु अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सुदृढ़ करने तथा उपग्रहों, प्रमोचक रॉकेटों और संबंधित भू–खण्डों के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के उन्नयन और संवर्धन पर केन्द्रित होगा। यह कार्यक्रम उन्नत प्रमोचक राकेट प्रणालियों के विकास; विकास और आपदा प्रबंधन सहायता की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र में क्षमताओं के विकास; प्राकृतिक संसाधन प्रबंध उपयोगों और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए संवर्धित प्रतिबिंबन क्षमताओं सहित भू–पर्यवेक्षण प्रणालियों में अपनी अग्रता कायम रखने; और अंतरिक्ष विज्ञान, खगोलिकी और ग्रहीय खोज के क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने हेतु अभिप्रेत है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर है। तथापि, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भाग के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, पर्यावरण और जलवायु को आवृत करते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ई.एस.ए.) और मौसम विज्ञानीय उपग्रहों का समुपयोग करने हेतु यूरोपीय संगठन (ई.यू.मेटसैट) जैसे दो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों तथा फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और यू.एस.ए. सहित 24 देशों के साथ समझौता–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

प्रतिबन्धित 'कार्डिएक स्टेन्ट्स' का प्रयोग

***112. श्री रशीद मसूद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विनिर्माताओं द्वारा प्रतिबन्धित 'कार्डिएक स्टेन्ट्स' का देश के अस्पतालों में धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है जैसा 27 जुलाई, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन स्टेन्ट्स का प्रयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे स्टेन्ट्स का आयात रोकने के लिए कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार मेडिकेटेड और नान–मेडिकेटेड कोरोनरी धमनी रोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट्स की मुख्य रूप से दो श्रेणियां हैं। प्रश्न में उल्लिखित स्टेंट्स मेडिकेटेड स्टेंट्स अर्थात रेपामाइसिन और पसलिटेक्सल जैसी दवाइयों से युक्त स्टेंट्स से संबंधित है जिससे रेस्टेनोसिस में कमी लाने में मदद मिलती है। एफ.डी.ए. (यू.एस.ए.) द्वारा मानव के लिए वाणिज्यिक उपयोग के वास्ते अनुमोदित ये दो स्टेंट्स साइफर इन्ड टैक्सस हैं जिन्हें क्रमशः जे एंड जे (कॉडिस) और बोस्टन साइंटिफिक द्वारा बनाया गया है। इन स्टेंट्स के अलावा यूरोप में सी ई मार्क के अंतर्गत तीन और स्टेंट्स बेचे जा रहे हैं। शेष मेडिकेटेड स्टेंट्स न तो एफ.डी.ए. और न ही सी.ई. मार्क वाले हैं। तथापि, उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और उनका इस्तेमाल सक्षम प्राधिकारी के समुचित अनुमोदन के बाद अन्वेषणात्मक श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना है।

चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कार्डियक स्टेंट्स का उपयोग उनकी कार्य क्षमता के बारे में प्राप्त अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रकृति के कुछ चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 6.10.2005 को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की है जिसके अन्तर्गत कार्डिएक स्टेंट्स सहित कुछ स्टराइल मेडिकल डिवाइसेज को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषध के रूप में घोषित किया गया है।

खेल संघों द्वारा धनराशि का कथित दुरुपयोग

*113. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री काशी राम राणा :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल परिसंघों को खिलाड़ियों के प्रदर्शन और अभ्यास में सुधार लाने हेतु धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई खेल परिसंघों ने गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे परिसंघों के खिलाफ गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि का दुरुपयोग करने की कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता, विदेशों में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण तथा भागीदारी, सब–जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों की राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, खेल सामग्रियों की खरीद, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के तहत खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहायक और संयुक्त सचिवों के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, खिलाड़ियों/टीमों को अपेक्षित वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (छ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ विभिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत स्वायत्तशासी पंजीकृत निकाय हैं और भारत सरकार उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। किसी राष्ट्रीय खेल परिसंघ में धनराशियों के दुर्विनियोग के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण से तथ्यों की पुष्टि कराई जाती है। शिकायत की जांच की जाती है तथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। एक मामले में यह निर्णय लिया गया है कि जारी किए गए सरकारी अनुदान की राशि की वसूली ब्याज सहित की जाए क्योंकि जो खर्च दिखाया गया था वह संस्वीकृति के अनुरूप नहीं था।

राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जारी किए गए सरकारी अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए जोर डालता है। पहली स्पर्धा के लेखाओं का निपटान होने के बाद ही किसी अन्य स्पर्धा के लिए और अनुदान दिए जाते हैं। इसके अलावा 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे राष्ट्रीय खेल परिसंघों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा कराई जाने के लिए मंजूरी भी जारी की जा रही है।

विवरण

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ

(धनराशि रुपयों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	15.01	6.63	14.25
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	116.81	166.82	111.90
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	27.95	15.99	119.36
4.	अखिल भारतीस कराटे–डो परिसंघ	15.11	0	0
5.	बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद	8.72	11.78	30.02
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	90.70	70.25	215.08
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबॉल परिसंघ	7.00	16.00	12.50
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.75	17.75	14.00
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	17.37	34.86	25.00
10.	भारतीस तीरंदाजी संघ	26.26	68.83	58.95
11.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ	12.00	16.50	7.50
12.	भारतीय बैडमिन्टन संघ	131.55	159.81	160.16
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	12.40	10.50	5.50
14.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	32.33	43.96	49.61
15.	भारतीय बिलियर्ड और स्नूकर परिसंघ	30.09	24.16	23.52
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	12.51	10.00	6.75
17.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	26.40	28.08	16.38
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	68.06	25.39	32.76
19.	भारतीय फेन्सिंग संघ	80.66	19.60	17.07
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	126.87	36.01	18.88
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	89.85	108.42	81.28
22.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0.50	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	33.44	18.54	32.48
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	70.17	128.78	94.21
25.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ	20.86	27.21	16.08
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	444.92	58.77	1241.45
27.	भारतीय पोलो संघ	1.77	202.42	1.62
28.	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	12.00	17.50	13.00
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	34.88	59.95	79.88
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	35.10	30.87	110.35
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	29.87	44.36	56.37
32.	भारतीय खो–खो परिसंघ	14.50	12.50	18.92
33.	भारतीय कोर्फबॉल परिसंघ	13.34	11.50	12.50
34.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	70.85	59.18	136.87
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	174.36	174.55	218.37
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	12.00	16.46	7.50
37.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	0	9.00	15.00
38.	भारतीय रोईंग परिसंघ	36.43	48.39	118.43
39.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	14.85	19.62	0
40.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	12.00	10.00	7.50
41.	भारतीय शूटिंग वाल परिसंघ	0	21.00	12.00
42.	भारतीय सॉफ्टबाल संघ	16.99	10.00	14.00
43.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ	96.47	18.59	119.37

1	2	3	4	5
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	46.03	60.13	11.76
45.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	71.01	74.91	116.78
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	17.57	23.22	6.00
47.	भारतीय टेन्निकोइट परिसंघ	12.00	11.50	10.50
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	16.50	12.00	7.00
49.	भारतीय रस्साकस्सी परिसंघ	16.50	11.50	12.50
50.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	50.61	76.55	32.17
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	3.00	0	5.00
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	109.77	234.89	225.35
53.	भारतीय याटिंग संघ	105.49	159.88	159.88
54.	भारतीय वूशू संघ	7.50	1.50	10.50
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	2.12	12.27	9.64
	कुल	2565.80	2568.88	4054.43

डी.एन.ए. टेस्ट हेतु व्यवस्था

*114. **श्री राजेन गोहेन :**

श्री हेमलाल मुर्मु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों की पहचान के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में डी.एन.ए. टेस्ट हेतु प्रबंध व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों की राजधानियों में डी.एन.ए. टेस्ट करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार पहचाने न जा सके शवों की पहचान के लिए सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा डी.एन.ए. जांच के प्रबन्ध किए गए हैं और कुछ व्यक्तियों के शरीर के अंग सफरदजंग अस्पताल (तीन व्यक्ति) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (दो व्यक्ति) में रखे गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा भेजी गई विशेषज्ञों की एक टीम ने इन अस्पतालों का दौरा किया है और पहचाने न जा सके इन मृत व्यक्तियों के डी.एन.ए. जांच नमूने लिए गए हैं और 11 मानव के अंग (बाडी पार्ट) इन अस्पतालों में रखे गए हैं। इसके अलावा 17 दावेदारों (पीड़ितो के रिश्तेदार) के खून के नमूने भी लिए गए हैं और ये सभी चीजें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी में विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। पहाड़गंज में हुए बम विस्फोट में मृत व्यक्तियों का कोई डी.एन.ए. परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि सभी मृत व्यक्तियों की पहचान उनके रिश्तेदारों द्वारा कर ली गई थी।

इस समय सभी राज्यों की राजधानियों में डी.एन.ए. परीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विचार नहीं किया जा रहा है।

समेकित परिवहन नीति

*115. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मेट्रो ट्रेन, स्काई बस, मोनो रेल, बैटरी चालित बसों को चलाने और विद्युत चालित ट्राम प्रणाली अपनाने के लिए एक समेकित परिवहन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिवहन नीति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसका उद्देश्य जन परिवहन हेतु सभी प्रमाणित प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सुविधा करना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के साथ-साथ एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन योजना को भी प्रोत्साहित करना है।

इस नीति का प्रारूप वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रो इकॉनामिक्स) और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट

***116. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**

श्री टेकलाल महतो :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा करने हेतु गठित समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रो इकॉनामिक्स) और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों/निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों की जांच की है तथा उन्हें स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) जी, हां। नेशनल कमीशन आन इकॉनोमिक्स एण्ड हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस आयोग के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा, स्वास्थ्य प्रणाली के विवेचनात्मक मूल्यांकन (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) तथा सभी की न्यूनतम अनिवार्य स्वास्थ्य उपचारों तक पहुंच बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से इसे और सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना शामिल है। इसका यह भी उद्देश्य था कि यह आयोग प्रदानगी प्रणाली की क्षमता बढ़ाने तथा व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कार्य करेगा। इस आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

जैसाकि इन सिफारिशों से स्पष्ट होता है, इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र के काफी मुद्दे कवर हो जाते हैं। इस आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रचालनात्मक योजनाओं तथा वित्तीय भार का विस्तारपूर्वक ब्यौरा बनाने के लिए जानकार और विख्यात लोगों और लाभग्राहियों के प्रतिनिधियों के कार्य दल गठित किए जाएं। उन्होंने एक अन्तर–क्षेत्रीय परिदृश्य की आवश्यकता से संबंधित मुद्दो के लिए मंत्रियों के दल के गठन की सिफारिश की है।

इस समय इस आयोग की सिफारिशों पर सचमुच कार्य दलों के गठन के लिए विचार किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय वृहद आर्थिक और स्वास्थ्य आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें

स्वास्थ्य में निवेश करना

1. प्रमाण से यह पता चलता है कि स्वास्थ्य और निवेश आर्थिक प्रगति/विकास में योगदान कर सकता है और यह अवश्य ही योगदान करता है। अतः स्वास्थ्य में निवेश आर्थिक विकास और समान विकास में विनियोग कर रहा है।

2. निवेश बढ़ाना। इस निवेश में गरीबी उपशमन हेतु कार्यनीतियां, स्वास्थ्य, पोषण विशेषतया उत्पाद प्रोत्साहनों, वहनीय कीमतों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक और पुष्ट खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने हेतु अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; पीने का साफ पानी और सफाई, ग्रामीण सड़क नेटवर्क तथा महिला शिक्षा है।

भारत में रोग भार

3. भारत रोग के दोहरे भार सहित प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित संचारी और संक्रामक रोगों/स्थितियों को अस्वीकार्य उच्च स्तरों तथा चिरकारी और गैर–संचारी रोगों के उद्भव से लड़खड़ा रहा है।

4. तथापि, सर्वांगीण आकस्मिक विश्लेषण से रोग और मृत्यु को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से निवारक और कम–लागत (सस्ते) हलों की प्रभावकारिता प्रदर्शित होती है, यह विश्लेषण रोग निवारण और अच्छे स्वास्थ्य के मूल्यों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सार्वजनिक निवेश हेतु प्राथमिकता देने के वास्ते एक पुष्ट मामला बनाता है।

5. स्वास्थ्य संवर्धन पर खर्च–बढ़ाना सार्वजनिक क्षेत्र के बजट का कम से कम 10 से 20 प्रतिशत बजट जन स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए निश्चित किया जाना चाहिए।

परिचर्या की प्रदानगी

6. लक्ष्यों और कार्यनीतियों में असंगतता और निर्णय लेने

तथा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन की असफलता जन स्वास्थ्य प्रणालियों के बुरे कार्यनिष्पादन के कारण हैं।

7. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दुष्क्रियात्मक के कारण निजी क्षेत्र का विकास अधिकांशतः प्रतिभासक रहा है लेकिन निजी क्षेत्र मोटे तौर पर उचित लागत पर गुणवत्ता वाली परिचर्या प्रदान करने में असफल हो गया है।

8. प्रत्येक सुविधा केन्द्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ वित्त, कार्यों और कार्यकर्ताओं की सीध बिठाकर कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए सभी सुविधा केन्द्रों का नक्शा बनाने का कार्य शुरू किया जाना चाहिए और उनमें विद्यमान सुविधाओं का कार्य–भार के मानदंडों सामुदायिक अधिमानों और दूरी के प्रतिमानों के आधार पर पुनर्आवंटन किया जाना चाहिए। इस प्रकार परिचर्या के लिए पहले सम्पर्क तक 30 मिनट, अंतरंग रोगी परिचर्या तक 60 मिनट में; आपाती प्रसूति परिचर्या सुविधा तक 2 घंटे के भीतर और एक विशेषज्ञ तक 2–4 घंटे के भीतर पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 40 ओ.पी. प्रति डाक्टर ओर आई.पी. परिचर्या इत्यादि की 75 प्रतिशत पलंग व्यस्तता दर जैसे उपयोगिता संबंधी मानदंड अपनाकर जन सुविधा केन्द्रों की कार्य–कुशलता बढ़ाना।

10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रशासनिक एकत्र और उच्चतर सुविधा केन्द्रों को भेजे जाने वाले रोगियों के लिए द्वारपाल के रूप में एकीकृत करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य संवर्धन, आपाती परिचर्या और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करना तथा प्रशिक्षित अस्पताल प्रबंधकों से जन सुविधा केन्द्रों के प्रबंधन को व्यावसायीकृत बनाना।

11. स्वास्थ्य क्षेत्र में मुद्दों के लिए जन स्वास्थ्य कानून तैयार करना।

12. स्वास्थ्य प्रबंधन को व्यावसायीकृत बनाना। संसद के एक अधिनियम से निम्नलिखित संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए :

(i) संघीय औषध प्राधिकरण,

(ii) भारतीय चिकित्सीय युक्तियां और प्रौद्योगिकी प्राधिकरण,

(iii) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन आयोग,

(iv) राष्ट्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग, और

(v) अस्पताल वित्त निगम।

13. गुणवत्ता आश्वासन, रोग निगरानी और जन–स्वास्थ्य उपायों, शिक्षा की गुणवत्ता और औषध तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के लिए तंत्रों को सुदृढ़ करना।

मानव संसाधन

14. स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट संसाधनों अर्थात उपलब्धता और सुविज्ञता दोनों की होगी।

15. चिकित्सकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों और उपचर्या स्कूलों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। कमी वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 60 चिकित्सा महा–विद्यालय स्थापित करके विद्यमान असमानता को कम करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

16. देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में पहले से ही विद्यमान जन–स्वास्थ्य स्कूलों का उन्नयन करने के अतिरिक्त 6 जन–स्वास्थ्य स्कूल स्थापित करना।

17. इसी तरह वर्ष 2015 तक अनुमानित 3.25 लाख नर्सों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसके लिए अतिरिक्त 225 उपचर्या महाविद्यालयों को स्थापित करना और मौजदा उपचर्या महाविद्यालयों का उन्नयन करना आवश्यक है।

18. भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य चिकित्सा परिषदें, जो भारत की उपचर्या परिषद भी है, व्यवसाय को विनियमित करने ओर चिकित्सा शिक्षा के मानकों को बढ़ाने तथा उनको लागू करने के लिए उनको दिए गए अधिदेश को लागू नहीं कर सके हैं। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम को इस परिषद में नागरिक समाज के प्रतिनिधित्व की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाए।

19. भारतीय चिकित्सा परिषद को स्नातक शिक्षा को विनियमित करने तक सीमित रहना चाहिए और स्नातकोत्तर शिक्षा की पृथक् रूप से किसी अन्य निकाय द्वारा मानीटरिंग की जानी चाहिए। आयुष के विभागों की व्यावसायिक परिषदों के कार्यकरण के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करने से संबंधित उद्विग्नताएं विद्यमान हैं।

20. स्वास्थ्य परिचर्या में उत्कृष्टता और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों को बढ़ावा देने के वास्ते मानव संसाधन विकास और चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग स्थापित करने की जरूरत है।

21. सभी श्रेणियों के चिकित्सीय और अर्ध–चिकित्सीय कार्मिकों के लिए एक लाइन रजिस्टर और डेटाबेस को रखे और संबंधित व्यावसायिक परिषदों द्वारा इनको अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है। हर पांच वर्षों में एक बार डाक्टरों और नर्सों के पुनः पंजीकरण और अनवरत चिकित्सा शिक्षा के घंटों की न्यूनतम संख्या सहित पुनः पंजीकरण की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।

22. भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर जन–स्वास्थ्य का एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

23. चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्व और अर्ध–चिकित्सीय विशेषज्ञताओं में कार्य–भार संभालने और उनको जारी रखने हेतु चिकित्सीय शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन, वित्तीय और गैर–वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन विशेषज्ञताओं में गैर–एम.बी.बी.एस. स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों और उपचर्या प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को उच्चतर अध्ययन शुरू करने के लिए अध्येयतावृतियां प्रदान की जानी चाहिएं और अनुसंधान शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।

24. संवेदनाहरण–विज्ञान, बाल चिकित्सा, प्रसूति रोग/स्त्री रोग, मनोचिकित्सा और सामुदायिक चिकित्सा जैसी विशेषज्ञताओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिएं।

25. जिला अस्पतालों में विरल विशेषज्ञता में 9 महीनों के स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण सहित एम.बी.बी.एस. डाक्टरों का बहु–कौशल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपेक्षित कौशलों की उपलब्धता बढ़ायेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परिचर्या के अन्तरों को दूर करने में मदद करेंगे।

26. उपचर्या और अर्ध–धात्री कौशल का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण/कार्यनीतिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जैसा कि बांग्ला देश, थाईलैंड, इन्डोनेशिया, मयनामार और श्रीलंका इत्यादि में किया गया है। सरकार को उपचारिकाओं में नेतृत्स संबंधी कौशलों का विकास करने के लिए उपचारिकाओं और अर्ध–धात्रियों के बहु–विषयक नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।

27. प्रस्तावित विभिन्न स्कूलों और स्वायत्त निकायों में संकाय स्थितियों के लिए जन–स्वास्थ्य, उपचर्या, चिकित्सीय प्रबंधन इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा हेतु 1000 अध्येतावृतियां स्थापित करना। इनमें से 25 प्रतिशत अध्येयतावृतियां पी–एच.डी. और स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए निश्चित की जानी चाहिए और उनको सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि आदि के लिए खुली रखी जानी चाहिए।

28. आयुष पद्धति के गुणवत्ता संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन और उनको मानीटर करने के लिए एक स्वतंत्र विनियम बनाना।

29. उस अधिनियम को संशोधित करना जिसके तहत भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में एम.बी.बी.एस. डिग्री धारकों के लिए 'चिकित्सा व्यवसायी' को परिभाषित किया गया है, और भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और 1972 के केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आयुष पद्धतियों के 5 लाख डिग्री धारकों को अनर्हक किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में उपयुक्त परिवर्तन इस पद्धति के संसाधन के विस्तार में सहायता करेंगे।

30. स्वास्थ्य परिचर्या के पारम्परिक पद्धतियों में सबसे अच्छी पद्धतियों को वैध बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सहभागी नैदानिक अनुसंधान का एक समन्वित कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

31. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आधुनिक चिकित्सा

सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्रियात्मक सहयोग को सरल और आसान बनाया जाना चाहिए।

32. चीन के माडल की तरह एचआईवी/एड्स के उपचार के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति तैयार करना और एचआईवी से संबंधित विशिष्ट पहलुओं पर व्यवस्थित अनुसंधान और भारतीय चिकित्सा पद्धति की भूमिका अपेक्षित है।

33. 10,000 गांवों में ग्राम औषधि उद्यान सरकारी खेतों और ग्राम औषधि निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति के जड़ी–बूटी उद्यानों को अवश्य ही विकसित किया जाना चाहिए और उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्राम चिकित्सकों को पता लगाया गया, कौशलों का मूल्यांकन किया गया, उन कौशलों को बढ़ाया गया और एकीकृत माडल में उपयोग किया गया।

34. सभी चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए एकल खिड़की नीति हेतु एक समन्वित निकाय स्थापित करना।

वहनीय औषधों तक पहुंच

35. सभी औषधों के मूल्य नियंत्रण पद्धति का विस्तार करना और सभी सार्वजनिक वित्त–पोषित कार्यक्रमों में केवल जातिगत औषधों का अनिवार्य उपयोग।

36. घरेलू औषध खर्च को कम करने के लिए अनुपयुक्त औषधों एवम् अनुपयुक्त औषध मिश्रण को हटा देना।

37. अनिवार्य औषधों पर प्रस्तावित 4 प्रतिशत मूल्य संवर्धित कर को कम करके 1 प्रतिशत करना।

38. संधु कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार व्यार लाभ (ट्रेड मारजिंस) पर नियत परिसीयन (फिक्स सीटिंग)।

39. केन्द्रीकृत पूल्ड खरीद सरकार के खर्च को 30–35 प्रतिशत तक कम करती है। पूरे देश में अपनाया गया टी.एन.एम.एस.सी. माडल लागू होना चाहिए।

40. औषध मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता, क्लीनिककीय परीक्षणों आदि का कार्य करने के लिए एक स्वायत्त स्तर वाले राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में मशेलकर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप वर्तमान राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य–निर्धारण प्राधिकरण को प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण में मिलाया जा सकता है और औषध नियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को सहायता प्रदान कर सकती है।

41. हाल ही में पारित पेटेंट एक्ट को पेटेंट क्षमता की संभावना; अनिवार्य लाइसेंस जारी करने पर दी जाने वाली रॉयल्टी की तर्कसंगतता; भारत में इनं औषधों की विनिर्माता कम्पनियों के लिए 'महत्व' (सिगनीफिकेंस) की परिभाषा स्वतः अनिवार्य लाइसेंसिग और विनियामक निकायों को सुदृढ़ करने के लिए तंत्र की संभावना को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि औषध सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच

42. जन–स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के लिए प्रमाण पत्र की वांछनीयता और मानक स्थापित करके प्रौद्योगिकी के प्रसार को विनयमित करना तथा उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के कलस्तर को कम करना।

43. नैदानिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बदले निजी क्षेत्रों को और अधिक अनुबंध दिए जाने चाहिए क्योंकि यह अधिक लागत प्रभावी होता है।

44. आई.सी.एम.आर. एवं आई.एन.एस.ए. द्वारा भारतीय चिकित्सा यंत्र प्राधिकरण की स्थापना करना तथा इस उद्देश्य के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करना। इस भागीदारी में डी.एस.टी., सी.एस.आई.आर., आई.एन.एस., डी.आर.डी.ओ., आईटी आदि के प्रतिनिधि होने चाहिए।

45. तीन क्षेत्रों–(i) टेलीमेडिसन (ii) कप्यूटरीकृत आंकड़ों की व्यवस्था और रिकार्ड रखना (iii) एड्यूसेट सुविधा के जरिए प्रशिक्षण में रोगी परिचर्या के लिए स्वास्थ्य परिचर्या में सूचना प्रौद्योगिकी को शुरू करना और उसे व्यापक बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य का वित्त पोषण

46. भारत की स्वास्थ्य संबंधी वित्त पोषण प्रणाली पुरानी है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

47. वर्तमान बजट प्रणाली तथा वित्त विभाग की लेखा वांछनीयताओं और सभी स्तरों पर कार्यान्वयन अभिकरणों

की कार्यात्मक आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ दल का गठन।

48. खर्च करने वाले सभी विभागों को स्वास्थ्य पर खर्चे संबंधी मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष वाली एक बजट लाइन रखनी चाहिए।

49. उपचार प्रोटोकॉल का मानकीकरण और इकाई लागत अनुमान लगाए जाने चाहिए तथा लाभ संबंधी एक सूची प्रकाशित की जानी चाहिए।

संगठनात्मक एवं वित्तीय पुनर्गठन

50. सार्वजनिक खर्च के मौजूदा स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत को बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

51. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उनके नीचे के स्तरों पर बुनियादी सेवाओं के पैकेज में सर्वव्यापी पहुंच सुलभ कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और साथ ही ढांचे को पुनर्गठित करके जवाबदेही को बढ़ाना तथा समुदाय तथा स्थानीय निकायों को भी शामिल करके पर्यवेक्षण को और बढ़ाना।

52. स्वास्थ्य परिचर्या के पैकेजों, कोर पैकेजों, आधारभूत स्वास्थ्य पैकेजों और द्वितीयक स्तर की परिचर्या के पैकेजों को धन राशि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रणाली का पुनर्गठन।

53. जन–स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना के मौजूदा निवेश स्तरों को बढ़ाकर सरकारी स्वास्थ्य खर्चों के 20 प्रतिशत तक पहुंचाना। रोगों से बचाव और संवर्धन पर शुरूआत के तौर पर 50 रुपये प्रति वर्ष अथवा बजट का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, आवंटित करना।

54. धीरे–धीरे द्वितीयक और तृतीयक स्तर की परिचर्या के लिए अनिवार्य सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली की ओर मुड़ना।

55. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा ई.एस.आई.एस. का विलय करना तथा भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य बीमा निगम के रूप में पुनर्स्थापना करना।

56. ग्रामीण समुदायों तथा शहरी निर्धनों के लिए सरकारी आर्थिक सहायता 70 प्रतिशत नामांकन वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए परिनियम का 30 प्रतिशत होनी चाहिए।

जवाबदेही बढ़ाना तथा मॉनीटरिंग पर ध्यान केन्द्रित करना

57. समवर्ती नमूना सर्वेक्षणों, सामाजिक लेखा तथा संस्थागत समुदाय प्रबंधन के माध्यम से मॉनीटरिंग सुधार करके निष्पादन आधारित जवाबदेही को बढ़ना।

58. जिन प्रोवाईड यूनिटों को सार्वजनिक न्यास अस्तपाल बनाया जा सकता है, उनको ज्यादा प्रबंधकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना : भावी वित्त व्यवस्था करना

59. 'वे फारवड' के कार्यान्वयन के आवश्यक अनुमानित राशि 74,000 करोड़ रुपये है जिसमें से लगभग 33,000 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के लिए है; लगभग 9000 करोड़ रुपये वह अनुमानित राशि जो गरीबों के लिए परिनियम आर्थिक सहायता पर खर्च की जानी है।

60. स्वास्थ्य तथा संबंधित क्षेत्रों अर्थात पेय जल, स्वच्छता, पोषण तथा प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को जी.एस.डी.पी. के मौजूदा 2.7 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 9.7 प्रतिशत करने–जी.एस.डी.पी. में आगामी कुछ वर्षों के लिए 7 प्रतिशत के लिए संसाधन जुटाने हेतु व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

वे फारवड

61. मुद्दों, कार्यकारी योजनाओं तथा वित्तीय बाध्यताओं पर विचार करने तथा उनका ब्यौरा देने के लिए विद्वान एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कार्यबल स्थापित करना जिसमें सभी लाभग्राही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो।

62. जिन मुद्दों पर अन्तर्क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया जा सकता है।

सूचना आयोग की स्थापना

***117. श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री मोहन सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे आयोग देश में कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अधिनियम में यह आदेश है कि विभागों को इसके लागू होने के 100 दिनों के भीतर अपने संगठनात्मक तथा कार्य संबंधी विवरण प्रकाशित करने चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो इस अधिनियम को पूर्णतया लागू करने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम बनाए हैं;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार मंत्रालयों तथा विभागों में निर्णय लेने की व्यवहार्य प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं है प्रत्येक राज्य सरकार पर 12 अक्टूबर, 2005 तक अपना-अपना राज्य सूचना आयोग गठित करने का सांविधिक दायित्व डालता है जिस तारीख को यह अधिनियम पूर्णतः लागू हो गया। अधिनियम की धारा 4(1)(ख) प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर अधिनियमन की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अधिनियम में यथा उपबन्धित कुछ संगठनात्मक और कार्यात्मक ब्योरे प्रकाशित करने का दायित्व डालता है।

इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 13 राज्यों ने अधिनियम की धारा 4, 5, और 15 के अन्तर्गत कार्रवाई करके सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित किया है। संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जो पहले ही गठित किया जा चुका है;

(च) और (छ) अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए हैं अर्थात् :

(i) सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियम, 2005;

(ii) सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005; तथा

(iii) केन्द्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005

इन नियमों में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अदा किए जाने वाले शुल्क तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील का निर्णय करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। ये नियम सरकारी राजपत्र में क्रमशः दिनांक 1.10.05 के सा.का.नि. 336, दिनांक 27.10.05 के सा.का.नि. 649 (अ) तथा दिनांक 28.10.05 के सा. का.नि. 650 (अ) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

(ज) और (झ) निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिपाटियों को सरल बनाने तथा उन्हें प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने की दृष्टि से उनकी समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

मेडिकल डिग्रियों की मान्यता समाप्त करना

*118. **श्रीमती जयाप्रदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने तत्कालीन, यू.एस.एस.आर. के कालेजों से मेडिकल डिग्रियां प्राप्त की हैं;

(ख) क्या 'यू.एस.एस.आर.' के दौरे पर गए भारतीय चिकित्सा परिषद के एक दल ने उन कालेजों के चिकित्सा शिक्षा स्तर में अनेक खामियां पाई हैं जहां भारतीय छात्र अध्ययनरत रहे हैं और ऐसी संस्थाओं की डिग्रियों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद के पास तत्कालीन सोवियत संघ के मेडिकल कालेजों से मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

सोवियत संघ सहित कई विदेशी संस्थाओं में चिकित्सा शिक्षा के मानकों में गिरावट के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद सहित विभिन्न स्रोतों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों में संशोधन किया है। किए गए संसोधनों और उसके अन्तर्गत बनाए गए जांच परीक्षण विनियम, 2002 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास भारत से बाहर की किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान

की गई प्राथमिक चिकित्सा अर्हता हो और जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा किसी राज्य चिकित्सा परिषद में 15 मार्च, 2002 को या उसके बाद अनन्तिम अथवा स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए आयोजित जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) पास करनी होगी। भारतीय छात्रों द्वारा प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा अर्हता उस देश में चिकित्सक के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाली संस्था स्थित है और जो भारत में एम.बी.बी.एस. के समकक्ष हो।

प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

*119. **श्री अजीत जोगी :**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गर्भावस्था संबंधी मौतों को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है;

(घ) क्या सरकार का उन ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों को प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है जहां से सर्वाधिक मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) प्रजनन आयु वर्ग की 15–14 वर्ष की महिलाओं में गर्भधारण और बच्चे के जन्म से जुड़े कारणों से रुग्णता और मृत्यु दर अधिक होती है। भारत के महारजिस्ट्रार की नमूना पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.–1998) द्वारा प्रदान किए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मातृ–मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 407 था जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

मातृ–मृत्यु के प्रमुख कारण हैं :

1. प्रत्यक्ष कारण : रक्तस्राव, संक्रमण बाधित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था टॉक्सीमिया आदि।
2. अप्रत्यक्ष कारण : रक्ताल्पता, वाइरल हेपेटाइटिस, क्षय रोग और मलेरिया।
3. सामाजिक आर्थिक कारण : कम आयु में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण, महिलाओं की खराब स्थिति, महिला साक्षरता का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, लिंग भेदभाव और आर्थिक निर्भरता।

भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में वर्ष 2010 तक मातृ–दर 100 से नीचे लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

भारत सरकार ने गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार लाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ किया है। प्रजनन एवं शिशु–स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा मातृ–मृत्यु दर को कम करना था, भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में देश भर की ग्रामीण जनता को कारगर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की व्यवस्था है जिसमें 18 ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां पर जन–स्वास्थ्य सूचक और आधारभूत ढांचा कमजोर है। ये राज्य हैं–अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ–मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में संस्थागत प्रसव और जन्म के समय प्रशिक्षित परिचरों को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत करना, आपाती प्रसूति परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों को कार्य करने योग्य बनाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है। इन कार्यनीतियों को लागू करने के लिए निम्नलिखित सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है :

- जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन, जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्तपालों में प्रसव कराने पर नगद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- एक हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तैनात करना। आशा, लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी और उसका गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर जांच तथा बच्चों को टीके लगवाने में विशिष्ट उत्तरदायित्व होगा।

- आपाती प्रसूति एवं शिशु–स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्य करने योग्य बनाना।
- 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाना।
- ग्राम, प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रथम रेफरल यूनिटों के बीच रेफरल सम्पर्क स्थापित करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जन–स्वास्थ्य मानकों को लागू करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

प्रत्येक प्रसव प्रशिक्षित कर्मी द्वारा कराए जाने के उद्देश्य से सहायक नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.), महिला स्वास्थ्य परिवीक्षिका (एल.एच.वी.) और स्टाफ नर्स को ग्रामीण उपकेन्द्रों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें कुशल जन्म परिचारिकाओं के रूप में दक्षता प्राप्त हो सके; इस बारे में नीति संबंधी आवश्यक निर्णय लिए जा चुके हैं और राज्य सरकारों को इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाले राज्यों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मौजूदा प्रजनन एवं शिशु–स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चलाने की सलाह दी गई है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बहुत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पुरुष और महिलाओं दोनों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर समान रूप से बल दिया जाता है।

विवरण

मातृ–मृत्यु दर–भारत और बड़े राज्य

(स्रोत : भारत के महारजिस्ट्रार, न.प.प्र. 1997, 1998)

बड़े राज्य	मातृ–मृत्यु दर (1997)	मातृ–मृत्यु दर (1998)
1	2	3
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	150
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

अमृतसर-लाहौर बस सेवा

***120. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**

श्री मुन्नी राम :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 नवम्बर, 2005 से शुरू की जाने वाली अमृतसर–लाहौर बस सेवा को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई तिथि की घोषणा कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(घ) पाकिस्तान को बस सेवा शुरू करने हेतु घोषित नए रूटों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ नई सड़कों का निर्माण कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इन सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(छ) यात्रियों के लिए उक्त सेवा द्वारा एक दूसरे देश की यात्रा करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) इन रूटों पर ट्रक सेवा को भी कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) अमृतसर–लाहौर बस सेवा का प्रचालन, जो नवंबर, 2005 के पूर्वार्ध के लिए नियत था, 8 अक्तूबर, के भूकंप के कारण स्थगित कर दिया गया था। भारत ने नवंबर, 2005 में बस के परीक्षण प्रचालन के लिए नई तारीखों का प्रस्ताव किया था जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के 11 और 13 दिसंबर 2005 के क्रमशः भारत और पाकिस्तान द्वारा बस के परीक्षण प्रचालन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

(घ) से (च) अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवा को अंतिम रूप देने के लिए 20–21 दिसंबर, 2005 को वार्ता करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार कर लिया है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने इस सेवा को शुरू करने मे ढांचागत बाधाओं का उल्लेख किया था।

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके पास बस सेवा का वैध टिकट और वैध पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेज हों, वह अमृतसर–लाहौर और प्रस्तावित अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवा द्वारा यात्रा कर सकेगा।

(ज) अटारी–वाघा पहले से ही भू–सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में अधिसूचित है और इसके जरिए व्यापार होता है, हालांकि सीमित यात्रा में। तथापि, वर्तमान में भारतीय और पाकिस्तानी ट्रकों के अटारी–वाघा में सीमा को पार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

योग पद्धति

***121. श्री रामजीलाल सुमन :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग पद्धति को मनुष्य के सम्पूर्ण स्वास्थ्य हेतु उपयोगी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति तैयार की है जिससे कि आम आदमी इस प्राचीन और जांची–परखी पद्धति से लाभान्वित हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) योग को मानव जाति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पाया गया है। इस संबंध में विश्व भर में किए गए अनेकों अनुसंधान कार्यों से इस तथ्य को समर्थन मिला है। आयुष विभाग और उसकी अनुसंधान परिषदें और राष्ट्रीय संस्थान योग और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावकारिता और वैज्ञानिक रूप से उनके उपचारिक प्रभावों को मान्यकृत करने के मद्देनजर अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देने के साथ–साथ वित्त पोषित करते हैं।

सरकार योग को देश में संवर्धित एवं प्रचारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक पृथक् विभाग आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) राष्ट्रीय स्तर पर योग के विकास की देखभाल कर रहा है। तीन स्वायत्त संस्थान यथा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को आयुष विभाग द्वारा इस आशय के साथ संस्थापित एवं वित्त पोषित किया गया है कि वे योग की शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रचारात्मक मामलों की देखभाल करेंगे। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार से संबंधित स्कीमों को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त उससे संबंधित अनुसंधान और विधिमान्यकरण की देखभाल करती है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली स्वास्थ्य मेलों आदि के माध्यम से योग के लाभों का प्रचार करने के अलावा शिक्षा, जागरूकता और अनुसंधान कार्यक्रमों को आयोजित करता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे भी संपूर्ण भारत, विशेषतः भारत के उत्तरी–पूर्वी राज्यों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को संवर्धित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति (नीति का ब्यौरा संलग्न विवरण में है) में योग सहित भाचिप एवं हो. को एकीकृत करने के अतिरिक्त अच्छे स्वास्थ्य को संवर्धित करने, आम लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या को विस्तारित करने और खर्चसह्य भाचिप एवं हो. सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2002 में योग सहित भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए एक पृथक् राष्ट्रीय नीति लागू की है। विभाग की अस्पताल और औषधालय स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों, जिला अस्पतालों और अन्य संस्थाओं को योग सहित इन पद्धतियों के विशेषीकृत चिकित्सा केंद्रों, बहिरंग रोगी विभाग स्कंधों और अंतरंग रोगी विभाग स्कंधों को स्थापित करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है। प्रमुख शैक्षणिक

अनुसंधान और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान/संगठनों आदि के सहयोग से योग और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की प्रभावकारिता को कायम करने के लिए विभाग तथा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा बहिर्वर्ती अनुसंधान कार्यक्रमों को भी वित्त पोषित किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 पर संक्षिप्त टिप्पण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में कहा गया है कि यद्यपि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की वृहद् अवसंरचनाएं देश भर में उपलब्ध हैं तथापि, इन पद्धतियों को हमारे लोगों के स्वास्थ्य परिचर्या की देखभाल के लिए पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया जाता है। अतएव, इस नीति में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अर्थपूर्ण चरणबद्ध एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। नीति के मूल उद्देश्य हैं :

1. भाचिप एवं हो. के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या को पहुंचाना और अच्छे स्वास्थ्य को संवर्धित करना।
2. ऐसे खर्चसह्य भाचिप एवं हो. सेवाओं तथा औषधियों को सुनिश्चित करना जो सुरक्षित और प्रभावी हों।
3. स्वास्थ्य और परिचर्या प्रदाय पद्धति और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाचिप एवं हो. को एकीकृत करना और अस्पतालों और औषधालयों तथा चिकित्सकों की विशाल अवसंरचना के अधिकधिक उपयोग को सुनिश्चित करना।
4. विशेषतः असाध्य रोगों से संबंधित और नई जीवन–शैली से संबद्ध प्रचलित रोगों के निदान करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध चिकित्सा और औषधों को शनैः शनैः विधिमान्यकृत करने के लिए भाचिप एवं हो. में अनुसंधान कार्यों को पुनरभिविन्यस्त तथा प्राथमिकीकृत करना।
5. भारत और विदेश में इन पद्धतियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा अन्य पणधारियों तथा स्वास्थ्य उपलब्धकर्ताओं को सुग्राही बनाना।
6. इन चिकित्सा पद्धतियों की वृद्धि और विकास, उनकी संभावनाओं व क्षमताओं के उपयोग तथा उनके गौरव के पुनरुत्थान के लिए पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना।

नीतिगत निर्देशों एवं सहायक प्रचालनात्मक उपायों और अनुवीक्षण के माध्यम से उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित नीतियों का सार निम्नवत् प्रस्तुत है :

1. शिक्षा :

(क) नए कॉलेज की शुरुआत को विनियमित, प्रवेश में वृद्धि और अध्ययन के नए पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए विधिसम्मत उपाय किए जाएंगे। अनावश्यक शिक्षण सामग्री को अलग करने के प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा करके उसमें संशोधन किया जाएगा।

(ख) भाचिप एवं हो. के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पृथक् परीक्षाएं कराने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्नातकोत्तर संस्थानों को एकीकृत प्रवेश परीक्षा शुरू कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) पंजीकरण करने वाली परिषदों में चिकित्सकों और अध्यापकों के पंजीकरण के नवीकरण हेतु उनके पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार एक प्रत्यायन पद्धति स्थापित करेंगी।

2. अनुसंधान :

(क) निवारक एवं संवर्धनात्मक पहलुओं पर विशेष जोर के साथ समकालिक प्रासंगिकताओं और पद्धतियों की क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) अनुसंधान के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये शामिल हैं :

(i) भाचिप एवं हो. के आधारभूत सिद्धांतों पर अनुसंधान।

(ii) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सकों के भरोसेमंद और व्यापक रूप से स्वीकृत चिकित्साभ्यासों और कौशलों की पहचान और मूल्यांकन;

(iii) प्राचीन साहित्य सर्वेक्षण, संग्रहण लिप्यंतरण/अनुवाद, संपादन और भाचिप एवं हो. पर उत्कृष्ट साहित्य तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

3. अन्य क्षेत्र :

भाचिप एवं हो. तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों और वितरण पद्धतियों का एकीकरण, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं, गृह उपचार किटों का प्रचलन, विशेष क्षेत्रों, चिकित्सा पर्यटन आदि का विकास।

घरों को तोड़ा जाना

1081. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो रेल लाइन को आनंद विहार या न्यू अशोक नगर तक विस्तारित किये जाने हेतु घरों को तोड़े जाने की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इन विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कराये जाने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री. एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) यमुना तट और न्यू अशोक नगर के बीच की कॉरीडोर के लिए निर्णायक स्थान का सर्वेक्षण चल रहा है और जिन संपत्तियों को गिराना पड़ेगा, उनके ब्यौरों का इस सर्वेक्षण के पूरा होने और स्टेशन प्लान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चलेगा; जहां तक इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए स्थान का संबंध है, प्रभावित व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने पर इस बारे में दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

विदेशी सरकारों द्वारा भारतीयों की सम्पत्ति को जब्त किया जाना

1082. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विदेशों में रह रहे भारतीयों की संपत्ति को विदेशी सरकारों ने ऐसे व्यक्तियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों का समर्थन करने के कारण जब्त कर लिया है;

(ख) क्या ऐसे मामले अभी भी विदेशी सरकारों के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मामलों को भारतीय दूतावास द्वारा संबंधित सरकारों के साथ उठाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार उनकी मौजूदा स्थिति क्या है;

(च) क्या एक भारतीय की करोड़ों की सम्पत्ति चीन की सरकार द्वारा हड़प ली गई है जैसाकि दिनांक 16 अप्रैल, 2005 को "सहारा समय" हिंदी साप्ताहिक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ज) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रशीतक चैनलों को बदला जाना

1083. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नरौरा तथा अन्य आणविक विद्युत केन्द्रों में प्रशीतक चैनलों को बदले जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) ये प्रशीतक चैनल कब तक बदल दिये जाने की संभावना है तथा इनकी मियाद कितनी है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) पहले वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों (ककरापार परमाणु बिजलीघर–1 तक के जिसने वर्ष 1993 में प्रचालन शुरू किया था) में, शीतलक चैनल असैम्बलियां जरकलॉय–2 की बनी हुई थीं, जिनका जीवनकाल लगभग 8.5 प्रभावी पूर्ण विद्युत वर्ष (ईएफपीवाई) था। इन्हें इनके सेवाकाल के खत्म होने के बाद बदलना आवश्यक है। शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने (ईएमसीसीआर) का काम वर्तमान में नरौरा परमाणु बिजलीघर–1 में किया जा रहा है। नरौरा परमाणु बिजलीघर–2 और ककरापार परमाणु बिजलीघर–1 अन्य ऐसे रिएक्टर हैं जिनके मामले में शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने का काम हाथ में लिया जाना है। ककरापार परमाणु बिजलीघर–1 के बाद के रिएक्टरों में श्रेष्ठ सामग्री के शीतलक चैनलों को काम में लाया गया है, जिनका जीवनकाल अपेक्षाकृत अधिक लम्बा है।

(ख) नरौरा परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 के शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने के लिए संस्वीकृत लागत 247 करोड़ रुपये है;

(ग) प्रत्येक रिएक्टर के मामले में, शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने और सुरक्षा संबंधी अपग्रेडिंग के कार्यों के लिए लगभग 2 वर्षों की आवश्यकता होती है। नरौरा परमाणु बिजलीघर–2

और ककरापार परमाणु बिजलीघर–1 के शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने का काम वर्ष 2006 और 2007 में किए जाने की योजना है। शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने के बाद, यह रिएक्टर और 25 से 30 वर्ष तक काम करेगा।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा मानदंडों को आसान बनाया जाना

1084. श्री नरेन्द कुमार कुशवाहा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के लघु उद्योग मालिकों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने का मुद्दा उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोयला खनन

1085. श्री जसुभाई दान्नाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों को संबंधित राज्य की सीमा के बाद कोयला खनन करने तथा उसे खुले बाजार में कहीं भी बेचने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन राज्यों में पर्याप्त मात्रा में कोयला भण्डार नहीं हैं वे अपना स्वयं का कोयला खनन उपक्रम बना सकते हैं तथा कोयला बाहुल्य राज्यों में कोयला खनन का कार्य शुरू कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को क्या सहायता प्रदान किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 और खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 जो कोयला तथा लिग्नाइट खनन को प्रशासित करते हैं, एक राज्य के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अन्य राज्य के प्रदेश में कायले का खनन करने से मना नहीं करते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने कोयले के खनन के लिए 28 ब्लाकों की पहचान की है और इनकी सूची को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं सभी राज्य सरकारों को अपने–अपने उपक्रमों/कम्पनियों की अभिरुचि प्राप्त करने के लिए परिचालित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन

1086. श्री समिक लाहिरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रें में सभी आवेदकों को मोबाइल कनेक्शन देने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) तथा एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) की उपलब्धता हेतु लाइसेंस करार में, अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि :

"दूरसंचार सर्किलों में, लाइसेंस की प्रभावी तिथि से प्रथम वर्ष में कम–से–कम 10% जिला मुख्यालयों को तथा तीन वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर किया जाएगा। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी अन्य शहर को कवर करने संबंधी अनुमति भी दी जाएगी; किसी जिला मुख्यालय/शहर को कवर करने का तात्पर्य यह है कि नगर निगम की सीमा–क्षेत्र के कम–से–कम 90% क्षेत्र में गलियों एवं भवनों का कवरेज शामिल होना चाहिए। जिला मुख्यालयों के संबंध में लाइसेंस की प्रभावी तिथि से जिला मुख्यालयों को हाथ में लिया जाएगा; जिला मुख्यालयों/शहरों को कवर करने तथा 50% से अधिक जिला मुख्यालयों/शहरों में आगे विस्तार करने का विकल्प लाइसेंसधारक के पास

होगा, जो उसके व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज की कोई अपेक्षा नहीं है।"

सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.), भारत संचार निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलवे मार्गों को व्यापक कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना से मोबाइल सेवाओं के आनुषंगिक कवरेज से कई ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्र लाभान्वित होंगे। फिलहाल, बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवा से 59,500 से अधिक गांव लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाना

1087. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जनजातीय जिले गढ़ चिरौली में एक आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार (केन्द्रीय आयुर्वेद संस्थान) के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्यसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) गढ़चिरौली आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल के नाम एवं पद्धति से एक नए कॉलेज स्थापित करने संबंधी अनुरोध आयुर्वेद उत्कर्ष मंडल, विदर्भ प्रदेश, नागपुर से 3.12.2004 को प्राप्त हुआ। नए आयुर्वेद कॉलेज खोलने के लिए विहित आवेदन पत्र, न्यूनतम स्तरीय मानदंड और केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के संबंधित विनियम 31.12.2004 को आवेदक के लिए भेज दिए गए ताकि विहित अनुसूची के अनुरूप समस्त अपेक्षित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सके, परंतु विभाग को वह आवेदन पत्र अब तक नहीं प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

1088. श्री सुव्रत बोस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किये गए इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है:

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि निर्धारित, संवितरित तथा खर्च की गई है; और

(ग) दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में अधिक इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापित किये गए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है :

सर्किल का नाम	2002–03	2003–04	2004–05
पश्चिम बंगाल	95	18	20
सिक्किम	2	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	98	46	20
दिल्ली	37	28	14

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ अब तक निर्धारित, संवितरित तथा खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :

सर्किल का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
	बजट प्राक्कलन (करोड़ में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)	बजट प्राक्कलन (करोड़ में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)	बजट प्राक्कलन (करोड़ में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	109.98	112.21	156.18	124.65	178.78	137
सिक्किम	4.04	3.84	4.43	3.84	4.43	4.07

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	123.06	124.36	70.21	68.96	57.79	67.51
दिल्ली	190.73*		138.43*		42.68*	

*संवितरित और प्रयुक्त। एम.टी.एन.एल. में नए एक्सचेंजों हेतु अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया जाता है तथापि सम्पूर्ण स्विचिंग क्षमता हेतु निधियों का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बी.एस.एन.एल. ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल 38 नए इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित/चालू करने की योजना बनाई है। एम.टी.एन.एल. दिल्ली के अनतर्गत, क्षेत्र में मांग के अनुसार एक्सचेंजों को स्थापित किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार

1089. श्री सुनील खां : क्या **प्रधानमंत्री** 2 मार्च, 2005 के अतारंकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधारों के कोर ग्रुप की सिफारिशों को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें मिल जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पेश किये जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें कब तक मिल जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन दिनांक 31.8.2005 को हुआ था, को आवश्यक है कि वह अपने गठन के एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत करे।

[हिन्दी]

चिकित्सा प्रभार

1090. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी.जी.आई. चंडीगढ़ के उपचार/चिकित्सा प्रभार समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन प्रभारों में क्या अन्तर है;

(ग) इन दोनों संस्थानों के चिकित्सा प्रभारों में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था;

(घ) क्या उच्च प्रभार समाज के गरीब तथा आम आदमी की पहुंच में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ दोनों संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों में कुछ मामलों में थोड़ा सा अन्तर है क्योंकि ये प्रभार प्रक्रिया, जांच, पैकेज दर के प्रकारों एवं उपभोग योग्य वस्तुओं की लागत को शामिल करने या न करने पर निर्भर करते हैं।

इन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जा रहा है। एम्स में अस्पताल प्रभारों की दरें 23.11.05 को संशोधित की गई थीं तथा पी.जी.आई.एम.ई.आर, चंडीगढ़ में कुछ विभागों में अस्पताल प्रभारों की दरें पिछली बार 6.10.2005 को संशोधित हुई थीं। प्रभारों में संशोधन करते समय उपयुक्तता एवं सामग्री की लागत को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि गरीब एवं दीनहीन मरीजों को अस्पताल प्रभारों का भुगतान करने से छूट दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त, गरीब मरीजों को राष्ट्रीय रोग सहायता निधि (आरोग्य निधि) से सहायता भी दी जाती है जो संबंधित संस्थानों में जानलेवा बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया चलाने हेतु रखी जाती है।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश की सीमाओं का सीमांकन

1091. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम, मिजोरम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत बांग्लादेश की सीमाओं के सीमांकन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : भारत और बांग्लादेश की 4096.7 कि.मी. की साझा सीमा है जो भारत के 5 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगी हुई है। सीमा का सीमांकन किया जा चुका है। केवल 6.1 कि.मी. को छोड़कर जहां अभी सीमांकन नहीं हुआ है। ये भाग हैं--दाईखाटा (1.5 कि.मी. पश्चिम बंगाल में), बेलोनिया (1.6 कि.मी. त्रिपुरा में), और लाठीटीला--दुम्बारी (3 कि.मी. असम में)।

[हिन्दी]

औषधयुक्त मच्छरदानी

1092. श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मलेरिया नियंत्रण परियोजना" के अंतर्गत औषधयुक्त मच्छरदानी की खरीद हेतु एक निजी कंपनी के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा निजी कंपनी को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत औषधयुक्त मच्छरदानी की खरीद हेतु किसी निजी कंपनी के साथ संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना के तहत अनुमोदित खरीद एजेंन्सी के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप पारंपरिक पालीस्टर बेडनेट्स और इन बेडनेट्स के संसेचन (इमप्रेगनेशन) के वास्ते केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कीटनाशक की खरीद अलग से की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सुविधाएं प्राप्त किया जाना

1093. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालयों की संख्या रोगियों की मांग की पूर्ति करने में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा किसी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 32 आयुर्वेदिक, 36 होमियोपैथिक और 10 यूनानी औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं। ये औषधालय/यूनिट इस प्रकार खोले गए हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा औषधालय/यूनिट कुल मिलाकर पर्याप्त समझे जाते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) के अस्पतालों तथा अधिक कार्यभार वाले औषधालयों को छोड़कर किसी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

यूरेनियम के भण्डार

1094. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के जजगीर तथा चम्बा जिलों में अच्छी गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। कुछ निम्न स्तर की यूरेनियम विसंगतियाँ छत्तीसगढ के जजगीर और चम्बा जिलों में पाई गई हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार प्रमाणित करने की सम्भाव्यता का पता, अन्वेषण संबंधी गतिविधियों के पूरा होने पर 8–10 वर्ष की लीड टाइम अवधि के बाद ही लग पाएगा।

(ग) यूरेनियम होने की सम्भाव्यता सिद्ध करने के लिए अन्वेषण कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

मास्टर प्लान-2021

1095. श्री वीरचन्द्र पासवान : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्टर प्लान–2021 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या उक्त प्लान में अवैध निर्माण तथा अतिक्रमणों को हटाए जाने का प्रावधान है तथा मास्टर प्लान को कायम रखने में अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मिश्रित भूमि के मिश्रित उपयोग संबंधी नीति बनाये जाने के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) नए मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्णतया विकसित क्षेत्रों को हरित क्षेत्र के रूप में दिखाये जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संकृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिल्ली ड्राफ्ट (एम.पी.डी.)–2021 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए पर्याप्त आवास का प्रावधान;

(ii) मौजूदा शहरी क्षेत्र के पुनर्विकास पर जोर;

(iii) अभिनिर्धारित प्रभाव क्षेत्र में बड़े परिवहन कॉरीडोरों के साथ–साथ विकास पर जोर;

(iv) छोटे उद्यमों, विशेषकर असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में, की समस्या के समाधान के लिए प्रावधान;

(v) नगर के पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण क्षेत्र का उन्नयन तथा स्लम संबंधी मुद्दे का समाधान;

(vi) पर्यावरण का संरक्षण तथा आधुनिक विकास के साथ–साथ विरासत का संरक्षण;

(vii) दिल्ली को खेलकूद राजधानी के रूप में विकसित करना;

(viii) पर्याप्त अवस्थापना सुविधओं का प्रावधान। संबंधित एजेंसियों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के लिए तैयार की गई संभावित योजनाएं मास्टर प्लान के साथ संलग्न हैं।

(ख) मास्टर प्लान के विभिन्न उपयोगों या उपयोग परिसरों के लिए नीतियों, मानकों एवं विकास नियंत्रण मानदंडों का प्रावधान है। निर्धारित प्रावधान से हटकर किया गया कोई भी कार्य अवैध निर्माण माना जाता है और संबंधित अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा इससे निपटा जाएगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि मिश्रित भू–उपयोग नीति बनाने का उद्देश्य परिवहन आवश्यकताओं आदि को कम करते हुए समाज की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं को संतुलित तरीके से पूरा करना है। तथापि, भीड़भाड़ पर्यावरणीय दुष्प्रभाव तथा लोगों को असुविधा इत्यादि जैसे प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए एक समुचित विनियामक तंत्र एक पूर्वापेक्षा है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि इस प्रारूप योजना में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ–साथ एक बाह्य राजस्व वाले गांव की चारदीवारी तक की भूमि, जहां कहीं उपलब्ध हो, का रखरखाव हरित क्षेत्र के रूप में किया जाएगा।

दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाया जाना

1096. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में पश्चिम बंगाल में आधुनिक संचार सुविधा उपलब्ध करा कर विद्यमान दूरभाष केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले–वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने लैंडलाइन

वॉयरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) कनैक्शन प्रदान करके मौजूदा दूरभाष केंद्रों की क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है जो निम्नानुसार है :

वर्ष	नियोजित क्षमता (फिक्स्ड + डब्ल्यूएलएल)
2005–06	355800
2006–07	350200
2007–08	375100

(ख) जिला–वार ब्यौरा और निधियों का प्रावधान निम्नानुसार है :

क्र.सं.	जिले का नाम	दूरभाष केंद्र का नाम	क्षमता	निधियों का प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	24–परगना (दक्षिण)	साऊथगरिया	1000	157.82 करोड़ रु.
2.	24–परगना (उत्तर)	धरमपुर	1000	
3.		कालूपुर	1000	
4.		पाइकपाड़ा	1000	
5.	बुर्दवान	महाटा	248	
6.	बांकुरा	विष्णुपुर (1)	1000	
7.	बीरभूम	नीचूपट्टी	1000	
8.		निश्चितपुर	1000	
9.	कूचबिहार	बाबरहाट	1000	
10.		टकडाहा	500	
11.	मालदा	तुलसीहाटा	248	
12.	मिदनापुर (पूर्व)	एगरा	500	
13.		टामुलक दक्षिण	1000	
14.		डरुआ	500	
15.	मिदनापुर (पश्चिम)	गोलबाजार	1000	
16.		जज का कोर्ट	1000	
17.	मुर्शिदाबाद	भकूरी	750	
18.		उत्तरपाड़ा	500	
19.		जिला परिषद	750	
20.	पुरुलिया	पुरुलिया एम/डब्ल्यू	2500	
21.		अमदाहा	1000	
22.		अर्षा	248	
23.		लाखनपुर	248	

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने मौजूदा दूरभाष केंद्रों की क्षमता के विस्तार हेतु उपस्कर प्रापण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यूनानी के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान

1097. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई में यूनानी के क्षेत्रीय अनुसंधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय यूनानी अनुसंधान का चेन्नई में निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, 2000 में प्रारंभ किया गया और नवंबबर, 2003 में पूरा कर लिया गया। सस्थान तब से नए भवन में अनसुंधान कार्य कर रहा है और बहिरंग रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभाग आदि की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ऋषिकेश में प्रस्तावित संस्था हेतु धनराशि जारी किया जाना

1098. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 9 मार्च, 2005 और 17 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 898 और 3398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति ले ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऋषिकेश में प्रस्तावित संस्था हेतु कोई धनराशि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रस्ताव को आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। तथापि इसे सबसे पहले संचिवों की सीमिति को भेजने का निर्णय किया गया। तदनुसार, इस प्रस्ताव को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया जिसने हाल ही में स्वीकृति प्रदान करदी है। सचिवों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए जांच की जा रही है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने तक स्थलों पर चारदीवारी निर्माण जैसे आरम्भिक कार्यकलापों के लिए धन जारी किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में चारदीवारी निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति

1099. श्री जुएल ओराम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय खनिज नीति के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या योजना आयोग ने मौदूदा नीति में कोई संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) जी, हां। योजना आयोग ने राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, इस संबंध में दिनांक 14.09.2005 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। मसौदा खनिज नीति 31 जनवरी, 2005 तक तैयार हो जायेगी।

युवा कार्यक्रम और खेलों का राष्ट्रीय सम्मेलन

1100. श्री मनोज कुमार : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी 2005 में युवक कार्यक्रम और खेलों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार–विमर्श का ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार खेल को समवर्ती सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें "खेलों" को संविधान की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने, खेल अवस्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का हस्तांतरण, राज्य युवा तथा खेल नीतियों को तैयार करना, नई योजनाओं से संबंधित मुद्दों का कार्यान्वयन, मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा सुपुर्दगी, कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना आदि।

मुख्य मुद्दों, पर राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

1. केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वार्षिक बजटीय आवंटन को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना।
2. खेल अवस्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के स्थानांतरण के निर्णय की पुनः समीक्षा पर बल देना। 160 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध देयता अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
3. "खेलों" के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के मुद्दे पर संबंधित राज्यों से आगे परामर्श अपेक्षित है। अलग–अलग राज्य सरकारें इस विषय पर सोचेंगी और अपना मत लिखित रूप से व्यक्त करेंगी।
4. भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा संगठन जैसे स्वायत्तशासी प्रमुख संगठनों को अधिक प्रभावी, जिम्मेदार तथा जवाबदेह बनाया जाना चाहिए तथा उनके क्षेत्रीय समूहों को राज्य एजेंसियों के साथ निकट संपर्क रखना चाहिए। इन संगठनों के वित्तीय तथा प्रशासनिक संगठनों को भी मजबूत बनाया जाए तथा उनका आगे विस्तार किया जाए।

5. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य युवा तथा खेल नीतियों को तैयार करने तथा अपनाने की जरूरत।

6. 2005 को अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल वर्ष के रूप में मनाने की कार्य योजना कार्यान्वित की जाएगी।

7. शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता।

8. राज्य खेल अकादमी योजना का संशोधन करना ताकि खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए विद्यमान खेल अवस्थापना का उपयोग किया जा सके।

9. पंचायती राज संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र संगठन आदि को शामिल करके शारीरिक स्वस्थता में सामूहिक सहभागिता उपलब्ध कराने की जरूरत।

10. राष्ट्रीय तथा राज्य युवा केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना को शीघ्र तैयार करना जैसाकि दसवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संकल्पना की गई है।

11. राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन में एक वार्षिक फीचर बनाया जाना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) 16 फरवरी, 2005 को राज्य मंत्रियों में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तदनुसार, इस मंत्रालय ने 11 राज्य सरकारों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं जिसमें से 5 राज्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

समुद्र के नीचे केबल बिछाना

1101. श्री एस. के. खारवेनन्थन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका के साथ भागीदारी करते हुए चेन्नई से श्रीलंका तक समुद्र के नीचे केबल बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने श्रीलंका दूरसंचार की भागीदारी में समुद्र के नीचे केबल बिछाने का प्रस्ताव किया है। तुतीकोरिन (भारत) तथा माउन्ट लेवानिया (श्रीलंका) के बीच लगभग 320 कि.मी. लम्बी केबल बिछाई जाएगी।

(ग) बी.एस.एन.एल. ने सूचना दी है कि यह परियोजना संभवतः जून, 2006 तक प्रचालन में आ जाएगी।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

1102. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई दिशा–निर्देश तैयार किये हैं जोकि विश्व के कई देश 2015 तक प्राप्त कर लेंगे;

(ख) यदि हां, तो 2015 तक और तत्पश्चात् लक्ष्यों की अपेक्षित प्राप्ति का ब्यौरा का है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) सरकार ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं। तथापि, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पूर्णतया विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के बिल्कुल समान ही हैं। वास्तव में, दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यथा विशिष्टीकृत, गरीबी उन्मूलन, शिशु मर्त्यता, मातृ मर्त्यता, स्कूल नामांकन इत्यादि से संबंधित कुछ लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में विशेष रूप से उल्लेख किए गए कुछ लक्ष्यों से अधिक महत्वाकांक्षी हैं। इन लक्ष्यों को प्रापत करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावित कदमों का दसवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछेक में कुछ क्षेत्रकों, विशेष रूप से विद्युत, सड़क में सार्वजनिक निवेशको बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना, अभिशासन में सुधार करना और सुपुर्दगी प्रणाली की कार्यक्षमता को बढाना इत्यादि शामिल हैं। विस्तृत ब्योरे दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज और दसवी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में उपलब्ध हैं जिसे संसद पुस्तकालय में रखा गया है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित व्यय के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

कोयला उद्योग के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

1103. श्री के. सी. सिंह "बाबा" : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की एक विशेष समिति द्वारा कोयला उद्योग के संबंध में कतिपय सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों के फलस्वरूप उद्योग को कितना लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) एकीकृत ऊर्जा नीति से सम्बद्ध योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिए निधि की स्थापना

1104. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले कुछ महीनो में हुए जान–माल के नुकसान को देखते हुए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक समर्पित निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या पिछले 15 वर्षों के दौरान शहरी जनसंख्या मे 30–35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अधिकांश शहर पानी की कमी, खराब अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि से जूझ रहे हैं,

(ङ) यदि हा, तो क्या सरकार का विचार कुछ ठोस उपाय करने का है, और

(च) यदि हा, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) विकास प्राधिकरण का सृजन

1105. श्री बालसाहिब विखे पाटिल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनसीआर क्षेत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) विकास प्राधिकरण बनाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति, इसे निधियों का आवंटन तथा इसके निर्णय लेने के अधिकारों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) विकास प्राधिकरण के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के तहत वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड इस क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करता है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना परियोजनायें शुरू करने के लिए राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण सहायता भी मुहैया कराता है।

जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कल्याण

1106. श्री अधीर चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जच्चा–बच्चा कल्याण के लिए कोई कार्य योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य कल्याण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई,

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार तथा विदेश से इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि मिली; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अगले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित प्रत्येक राज्य पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का दूसरा चरण शामिल है। मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु और रुग्णता में कमी लाना और महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर करना है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण–II दिनांक 01.04.2005 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है जो देश के सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को अम्ब्रेला कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें सभी संबंधित एवं आपस में जुड़ी स्टैंड एलॉन स्कीमों को शामिल कर लिया गया है। निम्नलिखित कई उपाय कार्यान्वित किए जा रहे है :

- जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है बशर्ते उनका प्रसव किसी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में हुआ हो।
- 1000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति। आशा लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराने के कार्य को सुगम बनाएगी और उनके पास प्रसव पूर्व परिचर्या, संस्थागत, प्रसव, प्रसवोत्तर जांच के लिए गर्भवती महिलाओं को लाने और बच्चों को टीकाकरण करवाने की विशेष जिम्मेदारी होगी।
- आपातकालीन प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
- चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को तैयार करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रथम रेफरल यूनिटों में जन्म के समय कुशल परिचर तैनात करना।
- एकीकृत नवजान शिशु और बाल्यावस्था रुग्णता प्रबंधन और अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या का कार्यान्वयन।
- अतिसार रोग और तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण बच्चों को होने वाली मौतों पर नियंत्रण।
- ग्राम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रथम रेफरल यूनिट के बीच रेफरल संबंध स्थापित करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों को कार्यान्वित करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- अनिवार्य औषधों एवं उपकरण की व्यवस्था।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास भागीदारों द्वारा समर्थित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण–I के तहत जारी की गई निधियों और किए गए व्यय का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ङ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की जाने वाली संभावित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II मे दिया गया है। यह प्रजनन और बाल स्वास्थ्य–II कार्यक्रम के लागू मानदण्डों और दिशा–निर्देशो के अनुपालन के अधीन होगा।

विवरण-I

आर.सी.एच. कार्यक्रम–जारी निधियों की स्थिति और सूचित व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2002–03		2003–04		2004–05		कुल योग	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1590.69	2043.85	3344.30	3010.95	3133.38	2444.89	8068.37	7499.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	269.20	160.03	145.50	203.24	319.46	350.37	734.16	713.65
3.	असम	745.28	1275.98	1462.12	621.30	2810.76	1448.80	5018.15	3346.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	3834.74	1776.14	3731.31	2705.27	3895.36	370.51	11461.40	4851.92
5.	झारखण्ड	781.05	356.87	1003.11	31.78	1341.65	2285.24	3125.81	2673.89
6.	गोवा	15.47	51.03	16.67	13.55	16.37	1.12	48.51	85.70
7.	गुजरात	1399.12	1617.02	1742.49	2452.34	8718.02	3098.38	11859.64	7167.74
8.	हरियाणा	1007.86	1196.88	2177.80	1379.46	1976.01	2363.34	5161.68	4939.68
9.	हिमाचल प्रदेश	411.41	365.65	665.90	222.99	497.32	124.73	1574.63	713.37
10.	जम्मू व कश्मीर	426.53	215.15	206.20	354.92	264.31	371.41	897.04	9411.49
11.	कर्नाटक	2883.78	1981.92	827.02	1440.54	1057.00	1862.95	4767.80	5285.42
12.	केरल	711.76	1251.04	891.95	884.63	638.32	678.81	2242.03	2814.48
13.	मध्य प्रदेश	1582.10	1670.20	2517.87	2701.81	4059.46	782.97	8159.44	5154.99
14.	छत्तीसगढ़	1190.93	379.86	1305.46	1056.58	1137.00	1439.30	3633.39	2875.74
15.	महाराष्ट्र	1528.13	2318.96	3472.98	1756.31	3486.68	1685.74	8487.79	5761.00
16.	मणिपुर	402.44	573.13	434.24	288.96	258.46	2.09	1095.13	864.19
17.	मेघालय	70.80	118.02	78.79	53.18	111.33	205.23	260.92	376.43
18.	मिजोरम	733.36	415.55	335.18	319.01	502.19	324.21	1570.72	1058.77
19.	नागालैंड	173.62	237.81	253.43	230.96	246.51	66.82	673.56	535.59
20.	उड़ीसा	690.55	1449.09	954.70	563.24	1854.70	904.66	3499.95	2916.99
21.	पंजाब	275.45	628.29	276.52	498.65	559.08	236.01	1211.04	1362.95
22.	राजस्थान	1610.99	1919.09	4119.19	3012.99	2797.98	2935.16	8528.16	7867.24
23.	सिक्किम	91.10	71.99	15.10	111.99	328.35	167.82	434.56	351.81
24.	तमिलनाडु	1688.91	1953.92	1220.86	931.01	1447.41	371.19	4357.19	3262.11
25.	त्रिपुरा	154.22	88.59	78.61	92.98	119.38	6.10	352.21	187.67
26.	उत्तर प्रदेश	9569.69	7777.81	12525.56	10645.59	15477.82	10595.83	3667.08	29019.14
27	उत्तरांचल	424.61	332.38	703.83	651.67	410.38	535.03	1538.82	1519.08
28	पश्चिम बंगाल	1640.14	1879.33	3278.19	2620.25	3356.74	2247.11	8275.08	6746.69
29	अंडमान एवं निकोबार	13.53	28.27	26.43	13.70	25.76	47.66	65.72	89.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	17.86	27.81	19.11	22.17	19.58	32.55	56.55	82.54
31.	दादरा एवं नगर हवेली	6.18	9.30	9.66	16.76	5.30	29.50	21.13	55.57
32.	दमन व दीव	25.41	11.59	7.31	6.31	13.48	42.35	46.20	60.26
33.	दिल्ली	354.06	449.00	770.61	520.70	1044.45	182.37	2169.12	1152.07
34.	लक्षद्वीप	14.16	9.44	10.24	7.85	7.31	43.28	31.72	60.57
35.	पांडिचेरी	25.85	40.95	25.78	21.14	82.13	35.70	133.76	97.79
	कुल योग	36360.98	34681.98	48754.01	39470.69	61119.46	38319.24	146234.45	112471.91

आंकड़े अनंतिम

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	वर्ष 2005–2006 के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II के तहत राज्यों द्वारा व्यय की जाने वाली सम्भावित राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	90.15
2.	गोवा	1.50
3.	गुजरात	60.50
4.	हरियाणा	25.00
5.	हिमाचल प्रदेश	7.50
6.	जम्मू और कश्मीर	12.00
7.	कर्नाटक	63.00
8.	केरल	38.00
9.	महाराष्ट्र	115.50
10.	पंजाब	29.00
11.	तमिलनाडु	74.00
12.	पश्चिम बंगाल	95.50
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.50
14.	चंडीगढ़	1.00
15.	दादरा एवं नगर हवेली	0.50
16.	दमण और दीव	0.50
17.	दिल्ली	16.50
18.	लक्षद्वीप	0.50
19.	पांडिचेरी	1.00
20.	बिहार	128.50
21.	झारखण्ड	42.00
22.	मध्य प्रदेश	93.00
23.	छत्तीसगढ़	32.50
24.	उड़ीसा	57.00
25.	राजस्थान	87.50
26.	उत्तर प्रदेश	257.50
27.	उत्तरांचल	13.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	6.50
29.	असम	116.05
30.	मणिपुर	11.93

1	2	3
31.	मेघालय	9.00
32.	मिजोरम	13.57
33.	नागालैण्ड	10.36
34.	सिक्किम	1.82
35.	त्रिपुरा	9.67

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. की सैण्डलाइन/मोबाइल सेवाएं

1107. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन/मोबाइल सेवाएं हर गांव में दी जा रही है;

(ख) उनकी जनसंख्या के अनुपात में टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो बी.एस.एन.एल. द्वारा दी जा रही टेलीफोन/मोबाइल सेवा के मामले में पीछे चल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बी.एस.एन.एल. की तुलना में मोबाइल सेवा प्रदान करने के संबंध में निजी कंपनियों की अधिकांश क्षेत्रों तक पहुंच है;

(ङ) यदि हां, तो उन निजी कंपनियों तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन कंपनियों द्वारा बी.एस.एन.एल. से अधिक सेवा दी गई है;

(च) इस संबंध में बी.एस.एन.एल. के पीछे रह जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) देश के सभी राज्यों में टेलीफोन तथा मोबाइल सुविधा को बराबर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जहां तक बुनियादी टेलीफोन सेवा का संबंध है, भारत संचार निगम लि. द्वारा अंडमान एवं निकोबार, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल राज्यों में जनगणना, 1991 के अनुसार 100 से अधिक की आबादी वाले सभी अभिगम्य, निर्विवाद तथा शांत (गड़बड़ रहित) गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी) की सुविधा प्रदान की गई है।

भारत संचार निगम लि. ने देश के 600 जिला मुख्यालयों में से 589 जिला मुख्यालयों में तथा तहसील मुख्यालयों, राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्रों, पर्यटन स्थलों आदि के अलावा भारत के 9345 शहरों/नगरों में जी.एस.एम. मोबाइल सेवा की सुविधा प्रदान की हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से यह सुविधा प्रदान करने से राजमार्ग के रास्ते में पड़ने वाले कई ग्रामीण क्षेत्रों को भी आनुषंगिक सीमित सुविधा मिलेगी।

बी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोक्ताओं के सर्किल–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं;

(घ) से (छ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) तथा एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) के लाइसेंस करार के अनुसार, मैट्रो शहरों में सेवा क्षेत्र का 90% भाग प्रभावी तिथि के एक वर्ष के भीतर कवर किया जाएगा। दूरसंचार सर्किलों में, पहले वर्ष में जिला मुख्यालयों का कम से कम 10% भाग तथा लाइसेंस की प्रभावी तिथि से तीन वर्ष के भीतर जिला मुख्यालयों का 50% भाग कवर किया जाएगा। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालयों के बदले जिले के किसी अन्य नगर को कवर करने की भी अनुमति दी जाएगी। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का चयन तथा 50% जिला मुख्यालयों/शहरों से आगे का विस्तार लाइसेंसधारक के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा। ग्रामणी क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से कवर करने की कोई शर्त नहीं है।

निजी प्रचालकों ने अपनी मोबाइल सेवाएं सितम्बर, 1995 से आरंभ कीं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः भारत संचार निगम लि. तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. ने मोबाइल सेवा वर्ष 2001 के बाद से आरंभ की।

30.9.2005 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल कनैक्शनों का सर्किल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

इस समय भारत संचार निगम लि. के पास लगभग 10 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता आधार है और इसकी योजना के अनुसार इनके नेटवर्क में चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 मिलियन लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी।

विवरण-I

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	डीईएल (फिक्स्ड + डब्ल्यूएलएल + सीएमटीएस)	जनसंख्या	दूरसंचार घनत्व
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	55384	379246	14.60
2.	आंध्र प्रदेश	4028494	80612264	5.00
3.	असम	743331	28356688	2.62
4.	बिहार	1379709	88224802	1.56
5.	छत्तीसगढ़	438892	22137377	1.98
6.	गुजरात	3492211	54263622	6.44
7.	हरियाणा	1600958	22442924	7.13
8.	हिमाचल प्रदेश	668856	6469254	10.34
9.	जम्मू और कश्मीर	636870	10719466	5.94
10.	झारखंड	715454	28645191	2.50
11.	कर्नाटक	3610409	56135505	6.43
12.	केरल	4483690	33956838	13.20
13.	मध्य प्रदेश	174554	64280194	2.72
14.	महाराष्ट्र	5108459	86721138	5.89
15.	पूर्वोत्तर–I	277183	6800365	4.08
16.	पूर्वोत्तर–II	245709	5821119	4.22
17.	उड़ीसा	1200078	39074660	3.07
18.	पंजाब	2402865	26815077	8.96
19.	राजस्थान	2530197	60115860	4.21
20.	तमिलनाडु	3903154	60314839	6.47
21.	उत्तरांचल	597612	9026527	6.62
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2911615	121788349	2.39
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1767878	54975570	3.22
24.	पश्चिम बंगाल	1674546	71902043	2.33
25.	कोलकाता	1668289	14069065	11.86
26.	चेन्नई	1294324	6839037	18.93
	जोड़	49181921	1060887020	4.64

विवरण-II

सितम्बर, 2005 को समाप्त तिमाही हेतु मोबाइल कम्पनियों का सर्किल–वार उपभोक्ता आधार

सर्किल	प्रचालक		उपभोक्ता आधार
	जीएसएम	सीडीएमए	
1	2	3	4
दिल्ली	भारती		1767759
	हच		1611665
	एमटीएनएल		605610
	आइडिया		728205
		एमटीएनएल	103916
		रिलायंस इन्फोकॉम	1301849
		टाटा टेलीसर्विसेज	371896
			6490900
मुम्बई	बीपीएल		1305958
	हच		1625465
	एमटीएनएल		677198
	भारती		901421
		एमटीएनएल	50385
		रिलायंस इन्फोकॉम	1070237
		टाटा टेलीसर्विसेज	190550
			5821214

1	2	3	4
चेन्नई	एयरसेल सेल्यूलर		626563
	भारती		521767
	बीएसएनएल		379047
	हचिसन		300430
		बीएसएनएल	9056
		रिलायंस इन्फोकॉम	449369
		टाटा टेलीसर्विसेज	64532
			2350764
कोलकाता	भारती		507214
	हचिसन पूर्व		728114
	बीएसएनएल		325891
	रिलाइएबल इंटरनेट		4626
		एमटीएनएल	20957
		रिलायंस इन्फोकॉम	572949
		टाटा टेलीसर्विसेज	82921
			2242672
महाराष्ट्र	बीपीएल		639512
	आइडिया		1437057
	बीएसएनएल		1056053
	भारती		859745
		बीएसएनएल	40375
		रिलायंस इन्फोकॉम	872686
		टाटा टेलीसर्विसेज	184943
			5090371
गुजरात	फासेल (हच)		1430909
	आइडिया		760352
	बीएसएनएल		813250
	भारती		591169
		बीएसएनएल	16977
		रिलायंस इन्फोकॉम	676896
		टाटा टेलीसर्विसेज	146753
			4436306
आंध्र प्रदेश	आइडिया		777866
	भारती		1249977
	बीएसएनएल		842677
	हचिसन		562976
		बीएसएनएल	45912
		रिलायंस इनफोकॉम	1065231
		टाटा टेलीसर्विसेज	238723
			4783302
कर्नाटक	भारती		1556895
	स्पाइस		311832
	बीएसएनएल		840599
	हच		753318
		बीएसएनएल	17653
		रिलायंस इन्फोकॉम	788538
		टाटा टेलीसर्विसेज	167536
			4406371
तमिलनाडु	बीपीएल		444644
	एयरसेल		1463581
	बीएसएनएल		917046
	भारती		603448
		बीएसएनएल	10681
		रिलायंस इन्फोकॉम	586415
		टाटा टेलीसर्विसेज	64984
			4090799

1	2	3	4
केरल	एस्कोटेल (आइडिया)		690936
	बीपीएल		415344
	बीएसएनएल		833060
	भारती		438169
		बीएसएनएल	47878
		रिलायंस इन्फोकॉम	531904
		टाटा टेलीसर्विसेज	44947
			3002238
पंजाब	स्पाइस		1178343
	भारती		1418593
	बीएसएनएल		429403
	हचिसन		353377
		बीएसएनएल	13358
		रिलायंस इनफोकॉम	508513
		एचएफसीएल इंफोकॉम	60292
		टाटा टेलीसर्विसेज	97393
			4059272
हरियाणा	एस्कोटेल (आइडिया)		244612
	एयरसेल डिजीलिंक (हच)		264267
	बीएसएनएल		438549
	भारती		337891
		बीएसएनएल	11901
		रिलायंस इन्फोकॉम	217627
		टाटा टेलीसर्विसेज	64193
			1579040
उत्तर प्रदेश	एस्कोटेल (आइडिया)		747965
(पश्चिम)	भारती		504120
	बीएसएनएल		752021
	हच साऊथ		320686
		बीएसएनएल	16000
		रिलायंस इन्फोकॉम	453668
		टाटा टेलीसर्विसेज	74846
			2869306
उत्तर प्रदेश	एयरसेल डिजीलिंक (हच)		1049528
(पूर्व)	बीएसएनएल		1183101
	भारती		409968
		बीएसएनएल	19794
		रिलायंस इन्फोकॉम	677561
		टाटा टेलीसर्विसेज	73187
			3413139
राजस्थान	एयरसेल डिजीलिंक (हच)		448707
	हेक्साकॉम (भारती)		704062
	बीएसएनएल		629787
		बीएसएनएल	71298
		रिलायंस इन्फोकॉम	497211
		श्याम टेलीलिंक	28182
		टाटा टेलीसर्विसेज	63873
			2443120
मध्य प्रदेश	आइडिया		558969
	रिलायंस		429424
	बीएसएनएल		368973
	भारती		311082
		बीएसएनएल	134536

1	2	3	4
		रिलायंस इन्फोकॉम	509464
		टाटा टेलीसर्विसेज	39487
			2351935
पश्चिम बंगाल	रिलायंस		216778
और	बीएसएनएल		388599
अंडमान व	भारती		220363
निकोबार	हच साऊथ		259535
		बीएसएनएल	1996
		रिलायंस इन्फोकॉम	179137
		टाटा टेलीसर्विसेज	26683
			1293091
हिमाचल	भारती		261328
प्रदेश	रिलायंस		58730
	बीएसएनएल		169378
		बीएसएनएल	27
		रिलायंस इन्फोकॉम	7910
		टाटा टेलीसर्विसेज	8872
			506245
बिहार	रिलायंस		479852
	बीएसएनएल		511819
	भारती		414582
		बीएसएनएल	7513
		रिलायंस इन्फोकॉम	324007
		टाटा टेलीसर्विसेज	130738
			1768511
उड़ीसा	रिलायंस		172190
	बीएसएनएल		354222
	भारती		224256
		बीएसएनएल	1087
		रिलायंस इन्फोकॉम	153306
		टाटा टेलीसर्विसेज	18808
			923869
असम	रिलायंस		172057
	बीएसएनएल		195941
	भारती		69777
	डिशनेट वायरलैस		212
		बीएसएनएल	9694
			447681
पूर्वोत्तर	रिलायंस		47048
	भारती		9717
	बीएसएनएल		141734
	डिशनेट वायरलैस		220
		बीएसएनएल	76
			198795
जम्मू व	बीएसएनएल		313013
कश्मीर	भारती		184673
		बीएसएनएल	945
			498631
			65067572

आरक्षण नीति पर उच्च न्यायालय का फैसला

1108. श्री मोहन सिंह :

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के फैसले की जानकारी है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि आरक्षित श्रेणी का एक उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी से आवेदन करता है तो वह आरक्षित श्रेणी से आवेदन नहीं कर सकता और इसी प्रकार इसके विपरीत भी नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समानान्तर टेलीफोन एक्सचेंज

1109. श्री वी. के. थुम्मर :

श्री एस. के. खारवेनथन :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई समानान्तर टेलीफोन एक्सचेंज चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार के अधिकारी भी तथाकथित रूप से इसमें संलिप्त पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन समानान्तर टेलीफोन एक्सचेंजों के कारण कुल कितने राजस्व का घाटा हो रहा है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सख्त कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। विगत में, स्रोतों से प्राप्त सूचना या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दूरसंचार विभाग के सर्तकता दूरसंचार अनुश्रवण एकक ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर देश के कई अवैध 'ग्रे' बाजार टेलीफोन ढाँचों का पता लगते ही उन पर अंकुश लगा दिया। अभी भी, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक, दूरसंचार विभाग के किसी अधिकारी की कथित संलिप्तता संबंधी किसी मामले में जानकारी विभाग को नहीं मिली है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश को 1988 से अब तक पता लगाए गए लगभग 300 अवैध "ग्रे" बाजार संबंधी मामलों में 450 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित नोशलन हानि हुई है।

(च) सरकार द्वारा की गई निवारक एवं कठोर कार्रवाई :

- सुरक्षा एजेंसी द्वारा अवैध ढांचों में लगाए गए सभी उच्च तकनीक वाले उपस्कर जब्त कर लिए गए हैं एवं दोषियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इन मामलों में आगे की कार्रवाई जारी है।

- अधिक संख्या में टेलीफोनों की बुकिंग के निरीक्षण तथा कॉलों के परियात में मॉनिटरिंग के द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है;

- दूरसंचार विभाग ने ऐसे अवैध ढांचों/धोखाधड़ियों की प्रभावी मॉनिटरिंग, खोज एवं रोकथाम हेतु सभी सेवा प्रदाताओं को निदेश/दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

- वरिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को ऐसे अवैध ढाँचों की प्रभावी खोजबीन एवं रोकथाम के संबंध में बेहतर जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) दिए जा रहे हैं।

- अपराधियों को पकड़ने के लिए सेवा प्रदात्ताओं एवं जांच एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

- केवल दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए चारों महानगरों में समर्पित सी. बी.आई. प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

- ऐसे मामलों में हुई नोशलन हानि को लापरवाह सेवा प्रदाताओं से दंड के रूप में भी वसूला जाता है।

- ऐसे "ग्रे" बाजार प्रचालनों पर अंकुश लगाने के लिए चार स्थानों, अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद एवं चेन्नई में अक्तूबर, 2004 में सतर्कता एवं दूरसंचार अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

– टॉल फ्री सार्वजनिक टेलीफोन नम्बर, 1600–110–420 की सुविधा प्रदान की गई है ताकि आम जनता ऐसे मामलों को पता लगाने में विभाग की सहायता कर सके। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं और मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों को संक्षिप्त संदेश (एस.एम. एस.) भेजे जाते हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1110. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री राकेश सिंह :
डा. राम लखन सिंह :
श्रीमती नीता पटैरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने राज्य में 2000 मेगावाट वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने मांडला जिले में बारगी को एक संभावित स्थल के रूप में पाया था। बाद में, शिवपुरी जिले में एक और स्थल भीमपुर का मूल्यांकन तकनीकी समिति द्वारा किया गया था और उसे उपयुक्त पाया गया।

नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पहले मौजूदा स्थलों पर उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करना विवेकपूर्ण माना जा रहा है ताकि, भूमि के अधिग्रहण और लोगों के विस्थापन/पुनर्निवास की समस्याओं के बिना ही उपलब्ध आधारभूत ढाँचे का पूरी तरह उपयोग किया जा सके। तदनुसार, मध्य प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1111. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री मुन्शी राम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एन. पाटले :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले की कमी का सामना कर रहे विद्युत संयंत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के वार्षिक योजना अनुमानों के अनुसार 2005–06 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं की मांग का अनुमान 303.56 मिलियन टन लगाया गया है। इस मांग की प्रतिपूर्ति 279.81 मिलियन टन की सीमा तक कोयला कंपनियों द्वारा की जानी है और 23.75 मिलियन टन का अंतर रह जाएगा। स्वदेशी कोयले की मांग और पूर्ति के बीच इस अंतर को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को 13.45 मिलियन टन कोयले, जिसका स्वदेशी कोयले की अपेक्षा उष्मीय महत्व अधिक है, का आयात करने की सलाह दी है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 20.11.2005 की स्थिति के अनुसार देश के छह विद्युत स्टेशन नाजुक कोयला भंडारण (अर्थात सात दिन की खपत से कम भंडार वाले) का सामना कर रहे हैं। राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

राज्य	विद्युत संयंत्र
उत्तर प्रदेश	सिंगरौली (एन.टी.पी.सी.)
मध्य प्रदेश	विंध्याचल (एन.टी.पी.सी.)
बिहार	बरौनी
झारखंड	पतरातु
उड़ीसा	तलचर एस.टी.पी.एस. (एन.टी.पी.सी.) और तलचर–ओल्ड (एन.टी.पी.सी.)

(घ) कोयला मंत्रालय के अधीन एक उप–समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेलवे तथा केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं, साप्ताहिक आधार पर विद्युत उपयोगिता में स्टाक धारण करने की तुलना में कोयले की आपूर्ति की निगरानी करता रहता है। यह उप–समूह जब कभी अपेक्षित हो, अतिरिक्त एवं वैकल्पिक स्रोतों से नाजुक संयंत्रों को कोयले का पुनः आवंटन करता रहता है। उप–समूह द्वारा विद्युत गृहों के छोर तक भंडार की घनिष्ठ निगरानी के कारण नवम्बर, 2004 में नाजुक विद्युत स्टेशनों की संख्या 22 से घटकर नवम्बर, 2005 में केवल 6 रह गई है। इससे पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत गृहों में पाच मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

1112. श्री अर्जुन सेठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निष्कर्षों के अनुसार 7 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या मूल्यांकन है; और

(घ) आगामी वर्षों में अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए सुधारों में तेजी लाने या अवसंरचना का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किए गए विश्व अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण (आऊटलुक) के अनुसार वर्ष 2005 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.1 प्रतिशत की वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त होने की आशा की जाती है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वास्वतिक वृद्धि दर (बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में) 7.6 प्रतिशत है।

(घ) दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में, आगामी वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। जिनमें, विभिन्न क्षेत्रकों विशेषकर कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना, अवसंरचना जैसे बिजली सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना, संसाधनों की सक्षमता आवंटन में सुधार करना, निवेशक–मित्र वातावरण सृजित करने के मद्देनजर नीति सुधारों को अधिनियमित करना, शासन में सुधार और सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता में वृद्धि करना, आदि शामिल हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाए गए उपायों का विवरण सूचीबद्ध है, जिसे संसद पुस्तकालय में रखा गया है। अवसंरचना विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना समिति का गठन किया गया है। उसी प्रकार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के लिए चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए "भारत निर्माण" के रूप में एक योजना की कल्पना की गई है। इसमें छः घटक होंगे, नामतः सिंचाई, सड़कें, जल आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीकॉम संबद्धता।

भारतीय कामगारों के लिए बीमा योजना

1113. श्रीमती मेनका गांधी :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों सहित विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए कोई बीमा योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु दी जाने वाली धनराशि तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार कितनी राशि दिए जाने का अनुमान है;

(ग) आपातकालीन स्थिति के दौरान उनके संबद्ध देशों/कार्य स्थलों से कामगारों को लाने, लाभ देने के लिए उत्प्रवास संबंधी स्वीकृति के दौरान कितना शुल्क एकत्र किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक राज्य–वार, श्रेणी–वार उक्त निधि की कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त बीमा योजना के मद्देनजर शुल्क रद्द करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के नाम से एक अनिवार्य बीमा योजना 25.12.2003 से पहले ही लागू की जा चुकी है जो भारत के उन नागरिकों के लिए लागू है जिन्हें विदेश में रोजगार के

लिए उत्प्रवास संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है। किसी भारतीय उत्प्रवासी की मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी रूप से अशक्त हो जाने की स्थिति में प्रवासी भारतीय बीमा योजना में उसके नामित व्यक्ति/विधिक उत्तराधिकारी को न्यूनतम 2.00 लाख रुपये की राशि के बीमा लाभ का प्रावधान है। इस योजना में उत्प्रवासी कामगारों के लिए चिकित्सा लाभ और उत्प्रवासी कामगार परिवार के लिए प्रसूति सुविधाएं और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2003 के तहत सरकार कोई धनराशि एकत्र नहीं करती है। तथापि, बीमा, कंपनियां छह महीने, एक वर्ष या दो वर्ष की अवधि की पॉलिसी के लिए उचित एवं तर्कसंगत प्रीमियम लेती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उत्प्रवास नियम, 1983 के नियम 15 के तहत निर्धारित उत्प्रवास शुल्क, उत्प्रवास संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए है तथा इसका प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2003 के साथ कोई संबंध नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण

1114. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री वीरचन्द पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 20 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र किए जाने तथा सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यह आश्वासन पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कार्यान्वयन का ब्यौरा

प्रश्न संख्या, तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा दिनांक 20.12.2004 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 3174	खाद्य अपमिश्रण पूछा गया कि : (क) क्या खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य नमूने एकत्र किए जाने के बावजूद देश में खाद्य अपमिश्रण जारी है; (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितने नमूने एकत्र किए;	(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) जी, नहीं। (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए नमूनों की संख्या इस प्रकार है : क्र.सं. वर्ष नमूनों की सं. 1. 2002 2154 2. 2003 2080 3. 2004 2271 (नवम्बर, 2004 तक) (ग) खाद्य निरीक्षकों की 37 पदों की कुल	उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आश्वासन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मई, 2005 माह में आवंटित किया था। सम्बद्ध विभागों से सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगा।

1	2	3	4	5

(ग) कुल कितने खाद्य निरीक्षकों की आवश्यकता है और उनकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) कितने मामलों में नमूनों में अपमिश्रण पाया गया और संबंधित खाद्य सामग्री क्या थी;

(ङ) खाद्य निरीक्षकों द्वारा उचित मूल्यांकन हेतु पर्याप्त मात्र में नमूने एकत्र न करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने अपमिश्रण वाले नमूनों के मामले में क्या कार्यवाही की है?

वर्तमान स्वीकृत क्षमता की तुलना में इस समय 32 खाद्य निरीक्षक ही हैं।

(घ) जिन नमूनों में मिलावट पाई गयी, उन नमूनों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	मिलावटी नमूनों की सं.
1.	2002	282
2.	2003	169
3.	2004	184 (नवम्बर, 2004 तक)

*जिन सामग्रियों में मिलावट पाई गयी वे सामग्री हैं–दुग्ध उत्पाद, मिठाइयां, दालें, मसाले, खाद्य तेल, पैकेज्ड पेय जल, चाय, अन्य पेय पदार्थ आदि।

(ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठाता।

(च) मिलावट की शिकायत के जिन मामलों की जांच पूरी हो गयी है तथा सहमति प्रदानकर्ता प्राधिकारी द्वारा मुकदमे के लिए सहमति दिए जाने पर उन मामलों को मुकदमे के लिए न्यायालय में ले जाया गया है। अन्य मामलों में भी कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गयी है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत-कनाडा सहयोग

1115. श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा भारत को इसके परमाणु अधिष्ठापनों के लिए संवेदनशील परमाणु सामग्री की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में विलम्ब, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (च) असैन्य परमाणु सहयोग के मामले पर पूर्व विदेश मंत्री ने 25–27 सितम्बर, 2005 के बीच अपनी कनाडा यात्रा के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा सहयोग के लिए द्विपक्षीय स्वरूप तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। कनाडा ने 'परमाणु आपूर्तिकार दल दोहरे प्रयोग हेतु दिशा–निर्देश' की अपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त आश्वासनों सहित

आई.ए.ई.ए. सुरक्षापायों के तहत भारतीय असैन्य परमाणु सुविधाओं को परमाणु संबंधी दोहरे प्रयोग की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और कनाडा ने अपनी-अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से और उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच, दोनों ही के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के विकास हेतु और अवसर तैयार करने के लिए भी सहमति व्यक्त की। इस मामले पर आगे की चर्चा जारी रहेगी।

देवनागरी तथा द्रविड़ लिपियों के डोमेन नाम

1116. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बहुभाषी डोमेन नामों को देवनागरी तथा द्रविड़ लिपियों में करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) इसके फलस्वरूप क्या लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) बहुभाषी डोमेन नामों के लिए प्रायोगिक नियोजन के प्रयोजन से तमिल एवं मलयालम भाषा टैबलेट तैयार करने के लिए उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) तिरुवनन्तपुरम को भारत राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज द्वारा 2.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. परियोजनाएं

1117. डा. राजेश मिश्रा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समय पर पूरी नहीं होने वाली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामतः ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों एवं गैर-सरकारी ग्राहकों (क्लायंट्स) से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हजारों की संख्या में परियोजनायें मिलती हैं। किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला संभावित समय अधिक से अधिक अपेक्षित समय का अंतरिम अुनमान होता है। अदालतों के हस्तक्षेप, कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच पर्याप्त समन्वय के अभाव आदि सहित विभिन्न कारकों की वजह से परियोजनाओं के पूरे होने में अनुमानित समय से अधिक समय लग जाता है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अधिक समय लगने की वजह से लागत वृद्धि का कोई आंकड़ा संकलित नहीं किया है। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार यदि कार्य पूरा करने में कार्य के लिए निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगता है तो के.लो.नि.वि. द्वारा ठेकेदारों को कीमत वृद्धि या अतिरिक्त धन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर करना

1118. श्री तूफानी सरोज : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई के उपभोक्ताओं ने अपने लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों शहरों में आज तक कितने उपभोक्ताओं ने अपने लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। एम.टी.एन.एल. सहित सभी दूरसंचार प्रचालक टेलीफोन वापिस करने की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास अनेक विकल्प मौजूद हैं। लैंडलाइन टेलीफोन वापिस करने के कुछ कारणों का एम.टी.एन.एल. ने विश्लेषण किया है जो इस प्रकार है :

(i) मोबाइल सेवा की वहनयीता।

(ii) मोबाइल की गतिशीलता और प्रयोग।

(iii) कार्यालय/कंपनी का बन्द होना।

(iv) कार्यालय/कंपनी का स्थानांनतरण।

(v) फालतू टेलीफोन कनेक्शन।

(vi) टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने पर टेलीफोन बंद करना।

(vii) आर्थिक कारण।

निम्नलिखित वर्षों के दौरान, वापिस किए गए लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई
2002–2003	66851	104387
2003–2004	190592	186650
2004–2005	28795	163643
2005–2006 (31.10.2005 तक)	76968	80562

[अनुवाद]

एड्स हेतु स्वदेशी टीके

1119. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स विषाणु का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी टीके विकसित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन टीकों का विपणन कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव (आई.ए.वी.आई.), यू.एस.ए. के बीच परस्पर सहयोग से एचआईवी–1 सब टाइप सी स्ट्रेन का प्रयोग करते हुए एक मोडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा (एम वी ए) आधारित वैकसीन तैयार की गई है। सहमति अनुक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे में किया गया। यह संस्थान दो अन्य वैक्सीनों–मल्टीइपिटोपे वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन पर भी कार्य कर रहा है। मोडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा (एमवीए) आधारित एचआईवी वैक्सीन के चरण–I परीक्षण शीघ्र ही क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई में आरम्भ होने की आशा है।

चरण I परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद वैक्सीन के चरण II और III नैदानिक परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षणों के वैक्सीन की वाणिज्यिक उपलब्धता निश्चित हो सकेगी।

(ग) चरण I, चरण II और चरण III परीक्षण सात वर्ष में पूरे हो सकेंगे। चरण I, चरण II और चरण III परीक्षण पूरे होने पर ही एचआईवी वैक्सीन को आम जनता के लिए उपयोग में लाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लंबित आवेदन

1120. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के प्रत्येक जिले विशेषकर पेरियाकुलम जिले में आज की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवदेन लंबित हैं;

(ख) ये आवेदन कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.10.2005 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में नये कनेक्शनों हेतु लंबित कुल आवेदनों की संख्या 138892 है तथा पेरियाकुलम में यह संख्या मात्र 14 है। राजस्व जिला–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य में दो दूरसंचार सर्किल हैं : (1) तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल तथा (2) चेन्नई दूरसंचार जिला। तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल में सबसे पुराना लंबित आवेदन दिनांक 21.5.2004 को पंजीकृत किया गया था। चेन्नई दूरसंचार जिला में सबसे पुराना लंबित आवेदन जनवरी, 2000 में गौण स्विचन क्षेत्र, चेंगलपट्टु में पंजीकृत किया गया।

अधिकांश प्रतीक्षा सूची उन दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों की है, जिनमें लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। अतः वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2005–2006 के दौरान तमिलनाडु सर्किल के लिए 150000 लाइनों वाले डब्ल्यू.एल.एल उपस्कर की योजना बनाई है। तमिलनाडु

सर्किल एवं चेन्नई दूरसंचार जिला की प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदनों का जून, 2006 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटान किए जाने की संभावना है।

विवरण

दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में लंबित आवेदन

तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	लंबित आवेदन
1	2	3
1.	कोयम्बटूर	8463
2.	कुड्डलोर	5584
3.	धर्मपुरी	3413
4.	डिंडीगुल	2808
5.	एरोड	6025
6.	कन्याकुमारी	7473
7.	करूर	3117
8.	कृष्णागिरी	3295
9.	मदुरै	920
10.	नागापट्टिनम	7717
11.	नामक्कल	4337
12.	पराम्बलूर	6297
13.	पेडुकोट्टाई	7053
14.	रामनाथपुरम	2913
15.	सलेम	5787
16.	शिवगंगा	4059
17.	तिंजावुर	3889
18.	नीलगिरी	0
19.	थेनी	144
20.	थिरूवरूर	4640
21.	तिरूनेल्वेली	4296
22.	तिरूवन्नामलाई	4874
23.	त्रिची	4540
24.	तूतीकोरिन	3303
25.	वेल्लोर	8315
26.	विल्लुपुरम	11126
27.	विरुद्धनगर	3454

चेन्नई दूरसंचार जिला

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	लंबित आवेदन
1.	चेन्नई	0
2.	चेंगलपट्टु (गौण स्विचन क्षेत्र)	11050
	तमिलनाडु राज्य–कुल	138892

इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क

1121. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरे किए जाने वाले इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेतु धनराशि की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) योजना आयोग को ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय टेलीफोन उद्योगों का कार्य-निष्पादन

1122. श्री एम. शिवन्ना :

श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई टी आईज़) के कॉरपोरोट कार्यालय को बंगलौर से दिल्ली स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय टेलीफोन उद्योग की सभी इकाइयों का लाभ/हानि क्या रही; और

(च) सरकार द्वारा भारतीय टेलीफोन उद्योगों की कार्यक्षमता में सुधार तथा लाभ के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। निम्नलिखित से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :

(i) आई.टी.आई. कर्मचारी संघ, बंगलौर और आई.टी. आई. अधिकारी एसोसिएशन, बंगलौर।

(ii) अध्यक्ष, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति।

(iii) विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति।

(घ) उपर्युक्त उत्तर भेजा गया है/भेजा जा रहा है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में आई.टी.आई. की समी इकाइयों को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

इकाई	2004–2005	2003–2004	2002–2003
1	2	3	4
बंगलौर	(49)	(287)	(149)
नैनी	(103)	(136)	(85)
रायबरेली	(43)	(171)	(109)
श्रीनगर	(8)	(7)	(6)
पलाक्कड़	10	8	45
मनकापुर	(112)	(118)	(92)
नेटवर्क प्रणाली इकाई	0	2	2
क्षेत्रीय कार्यालय	(5)	3	19
जोड़	(310)*	(709)	(375)

1. 0 हानि इंगित करता है।

2. *कंपनी ने पुनरुद्धार के अंतर्गत चालू/पूर्व लेखांकन अवधियों में किए गए खर्चों के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त किया। यह राशि वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ एवं हानि खातों में आय के रूप में अंकित है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 234.01 करोड़ रु. की निवल आय हुई तथा हानि में इतनी ही राशि की कमी हुई।

(च) आई.टी.आई. इकाइयों की कार्य–कुशलता और लाभ में वृद्धि लाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

1. वर्ष 2004–05 के दौरान 1025 करोड़ रु. के पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई है।
2. भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से क्रय आदेश और अग्रिम राशियां प्राप्त करने में कंपनी को सहायता प्रदान करना।
3. कंपनी में नई प्रौद्योगिकीयों की शुरूआत करने हेतु समन्वय।
4. कंपनी को निम्नलिखित के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है :
   (i) फालतू श्रमिक–शक्ति को कम करना।
   (ii) संयंत्रों को युक्तिसंगत व्यवसाय का आवंटन।
   (iii) मितोपभोगी उपाय करना।
5. कंपनी के कार्य–निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करना

1123. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री गिरिधारी यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने से संबंधित कार्यों में उचित रूप से प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों (विवरण–I) को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने संबंधी सिफारिशों का दिनांक 20.16.1988 को अनुमोदन किया था। बाद में (1988 के बाद) इस मंत्रालय ने दिनांक 31.3.2000 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 13 और कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए चिन्हित किया। इन 13 सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों (विवरण–II) में एक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. नामक एक सरकारी उपक्रम (जो पहले नेशलन प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन लि. के रूप में जाना जाता था) 24 कार्यालयों की पहली सूची में भी था।

स्थानांतरण के लिए चिन्हित किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुल 36 (24+12) कार्यालयों में से 18 कार्यालय स्थानांतरित किए जा चुके हैं, 2 कार्यालय को बरकरार रखा गया है तथा 16 कार्यालयों को अभी स्थानांतरित किया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा 11 सरकारी कार्यालयों को भी दिल्ली के बाहर स्थानांतरण के लिए चिन्हित किया गया था। इन 11 कार्यालयों में से 2 कार्यालय पूर्णतः स्थानांतरित किए जा चुके हैं। एक कार्यालय आंशिक रूप से स्थानांतरित हुआ है और दूसरा कार्यालय समाप्त हो गया है। एक अन्य कार्यालय को दिल्ली में ही बने रहने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त 4 और कार्यालयों को दिल्ली के बाहर स्थानांतरित किया गया है। 11 कार्यालयों के साथ–साथ 4 अन्य कार्यालयों की स्थिति संलग्न विवरण–III में दी गई है।

स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और यह भूमि की उपलब्धता, उस स्थान पर वैकल्पिक भवनों का निर्माण जहां कार्यालय स्थानांतरित किए जाने हैं आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। स्थानांतरण की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा सरकार के निर्णय के अनुसार दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए संबंधित कार्यालयों को अनुस्मारक बना दिया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1988 से पहले दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा चिन्हित किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	स्थानांतरित किया जाने वाला कार्यालय	स्थिति
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	मुख्यालय	
2.	स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुख्यालय	
3.	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	क्षेत्रीय कार्यालय तथा निर्माण सेल	
4.	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं जोनल कार्यालय (उत्तर)	गुड़गांव एवं नोएडा में स्थानांतरित

1	2	3	4
5.	हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुख्यालय	फरीदाबाद में स्थानांतरण
6.	हेलीकॉपटर एलाइड सर्विसेज लि.	मुख्यालय	भवन निर्माणाधीन। मार्च, 2007 तक स्थानांतरित होगा।
7.	एयर लाइंस एलाइड सर्विसेज लि.	मुख्यालय	
8.	नेशनल एयरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडिया	मुख्यालय	दिल्ली में ही रखा गया।
9.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	क्षेत्रीय कार्यालय	गुड़गांव में स्थानांतरित
10.	नेशनल फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुख्यालय	कारपोरेट कार्यालय नोएडा में स्थानांतरित
11.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	मुख्यालय	कारपोरेट कार्यालय नोएडा में स्थानांतरित
12.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	मुख्यालय	
13.	पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लि.	मुख्यालय	नोएडा में स्थानांतरित
14.	पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड	मुख्यालय	भुवनेश्वर में स्थानांतरित
15.	इंडो–वर्मा पेट्रोलियम का. लिमिटेड (केमिकल डिविजन)	मुख्यालय	नोएडा में स्थानांतरित
16.	नेशलन हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	मुख्यालय	नोएडा में स्थानांतरित
17.	नेशलन टेक्सटाइल्स कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान लिमिटेड)	क्षेत्रीय यूनिट	
18.	मिनिरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुख्यालय	
19.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	मुख्यालय	
20.	नेशलन थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	मुख्यालय	नोएडा में स्थानांतरित
21.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.	मुख्यालय	
22.	नेशलन प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	मुख्यालय	फरीदाबाद में स्थानांतरित
23.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि.	मुख्यालय	
24.	सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	मुख्यालय	दिल्ली में ही रखा गया

विवरण-II

वर्ष 1988 के बाद दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए चिन्हित किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	मंत्रालय/विभाग	स्थिति
1	2	3	4
1.	डब्लयू.ए.पी.सी.ओ.एस.लिमिटेड	जल संसाधन मंत्रालय	गुड़गांव में स्थानांतरित

1	2	3	4
2.	आरपीएलएन लिमिटेड* (पहले नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लि. के रूप में जाना जाता था)	–वही–	फरीदाबाद में स्थानांतरित
3.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट इंडस लि.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	नोएडा में स्थानांतरित
4.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा में स्थानांतरित
5.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (लि.)	–वही–	
6.	नुमालीगढ़ रीफाइनरी	–वही–	गुवाहाटी में स्थानांतरित
7.	इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड	दूर संचार विभाग	
8.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	–वही–	
9.	भारत इम्यूनलॉजीकल कारपोरेशन लिमिटेड	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	
10.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	इस्पात मंत्रालय	विशाखापट्टनम में स्थानांतरित
11.	पीजीसीआईएल	विद्युत मंत्रालय	गुड़गांव में स्थानांतरित
12.	टीएचडीसी	–वही–	नोएडा में स्थानांतरित
13.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	रक्षा मंत्रालय	

*विवरण–I के क्रम संख्या 22 पर भी है।

विवरण-III

दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए चिन्हित किए गए सरकारी कार्यालयों की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय/विभाग	कहां स्थानांतरित होना है	निर्णय का स्तर	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	डिपार्टमेंट ऑफ लाइटहाउस एंड लाइटशिप्स	नोएडा	अवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) दिनांक 7.5.1987	स्थानांतरित
2.	नेशलन एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स	फरीदाबाद	स्वैच्छिक 1990	स्थानांतरित
3.	अखिल भारतीय मृदा एवं भू–उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं सहकारिता विभाग	नोएडा	स्वैच्छिक 1990	इस कार्यालय का उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र स्थानांतरित हो गया है।
4.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डाक विभाग	गाजियाबाद	सीसीए दिनांक 24.4.1984	बंद कर दिया गया है.

1	2	3	4	5
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	नोएडा	सीसीए दिनांक 12.9.1985	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सीसीए से लिए गए अनुमोदन के अनुसार दिल्ली में ही रहने की अनुमति दी गई है।
6.	तट रक्षक मुख्यालय	नोएडा	सीसीए दिनांक 15.7.1987	अभी स्थानांतरित किया जाना है।
7.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	कोई भी दिल्ली मेट्रोपोलिटन कस्बा	सीसीए दिनांक 20.3.1990	अभी स्थानांतरित किया जाना है।
8.	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इम्प्लाइमेंट सर्विस, श्रम मंत्रालय	नोएडा	सीसीए दिनांक 13.1.1988	विभाग द्वारा नोएडा में भूमि का एक प्लाट खरीदा गया है और उसके बाद बजटीय नियतन निर्माण के लिए केलोनिवि को हस्तांतरित कर दिया गया है। तथापि अभी स्थानांतरित किया जाना है।
9.	कमिश्नर ऑफ पेमेन्ट्स, औद्योगिक विकास विभाग	गुड़गांव जैसा कोई भी उपयुक्त स्थान	सीसीए दिनांक 20.3.1990	अभी स्थानांतरित किया जाना है।
10.	निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी सर्किल आपूर्ति विभाग	गाजियाबाद	सीसीए दिनांक 14.9.1988	अभी स्थानांतरित किया जाना है।
11.	प्रकाशन विकास, शहरी विकास मंत्रालय	फरीदाबाद	प्रकाशन विभाग ने 3.5.1989 को बताया	अभी स्थानांतरित किया जाना है।

दिल्ली के बाहर स्थानांतरित हो चुके अन्य कार्यालय

1.	पोस्टल स्टाफ कॉलेज	स्थानांतरित
2.	नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फार वीमेन	स्थानांतरित
3.	सीपीडब्ल्यूडी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट	स्थानांतरित
4.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	स्थानांतरित

[अनुवाद]

चिकित्सा विज्ञान के पी.जी. सेंटर की स्थापना

1124. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तुमकुर में चिकित्सा विज्ञान का पी. जी. सेंटर खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सेंटर को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) इस समय तुमकुर में आयुर्विज्ञान का स्नातकोत्तर केन्द्र खोलने का इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

खिलाड़ियों/एथलीटों को वित्तीय सहायता

1125. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवा खिलाड़ियों/एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि वितरित की गई;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को वित्तीय सहायता के लिए किसी खिलाड़ी/एथलीट से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उन्नत प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए युवा खिलाड़ियों/एथलीटों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है :

1. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना : इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उदीयमान खिलाडियों को 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय खेल विकास निधि : इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः खेलों के संवर्धन के लिए और विशिष्ट खेल विधाओं तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अलग–अलग खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता राज्य–वार नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान खिलाड़ियों/एथलीटों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता		
	2002–03	2003–04	2004–05
प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	79.78	112.97	146.81
राष्ट्रीय खेल विकास निधि	17.50	122.11	62.26

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन अदालतें

1126. श्री देविदास पिंगले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले विशेषकर नासिक जिले में वर्ष 2004–2005 के दौरान आज तक कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए तथा निपटाए गए;

(ग) उपभोक्ताओं को प्रदान की गई रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में वर्ष 2005–06 के दौरान आयोजित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए का नाम	1.4.2004 से 31.3.2005 तक				1.4.2005 से आज तक				23.11.2005 से 31.3.2005 के दौरान आयोजित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों की संख्या
		आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों की संख्या	पंजीकृत मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई रियायतों का ब्यौरा	आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों की संख्या	पंजीकृत मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई रियायतों का ब्यौरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अहमदनगर	07	• 85	85	0	01	27	27	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अकोला	06	67	67	30070 रु.	03	35	35	2673 रु.	3
3.	अमरावती	06	05	05	00	04	1	1	0	2
4.	औरंगाबाद	06	13	13	15382 कालें	03	5	5	34564 कालें	3
5.	बीड	07	26	26	एनटीसी मामले*	04	16	16	एनटीपी मामले*	2
6.	भांदरा	06	35	35	4395 रु.	04	15	15	0	2
7.	बुल्धना	05	28	28	0	01	3	3	0	5
8.	चन्द्रपुर	02	06	06	282 रु.	01	1	1	2147 रु.	5
9.	धुले	08	31	31	0	04	13	13	0	2
10.	गढ़चिरौली	05	0	0	0	02	2	2	0	4
11.	गोवा	07	24	24	3868 रु.	04	13	13	16847 रु.	2
12.	जलगांव	06	11	11	4735 रु.	03	3	2	0	3
13.	जालना	06	09	09	10711 रु.	02	8	8	360 रु.	4
14.	कल्याण	05	28	28	1225 रु.	03	10	10	0	3
15.	कोल्हापुर	04	38	38	0	03	25	25	525 रु.	3
16.	लातूर	06	29	29	3221 रु.	03	8	8	0	3
17.	नागपुर	03	15	15	6556 रु.	03	24	24	13387 रु.	3
18.	नान्देड़	04	10	10	8630 रु.	04	6	6	0	2
19.	नासिक	07	95	95	21008 रु.	04	31	31	2074 रु.	2
20.	उस्मानाबाद	02	10	10	0	01	1	1	0	5
21.	परभणी	01	06	06	0	0	0	0	0	6
22.	पुणे	05	148	133	1106 रु.	03	14	14	8670 रु.	3
23.	रायगढ़	06	29	29	6818 रु.	03	9	9	331 रु.	3
24.	रत्नागिरि	06	12	12	0	04	7	7	0	2
25.	सांगली	05	22	22	2410 रु.	03	12	12	0	3
26.	सतारा	06	24	24	18595 रु.	03	13	13	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	सिंधुदुर्ग	04	13	13	0	01	6	6	0	5
28.	सोलापुर	05	140	140	0	04	48	48	0	2
29.	वर्धा	06	16	16	0	04	19	19	180 रु.	2
30.	यवतमाल	05	32	32	110 रु.	05	0	0	0	1
31.	एमटीएनएल मुम्बई	42	377	377	16529 रु.	20	48	48	1212 रु.	20

*नए टेलीफोन कनेक्शन = एनटीसी

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में सुधार

1127. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री एम. अंजन कुमार यादव :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार आम आमदी को कोयला उपलब्ध कराने के मद्देनजर खुले बाजार में बोली के माध्यम से कोयला बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत कोयले को इस प्रकार की बोली द्वारा बेचे जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र को विनियंत्रित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) निम्नलिखित सुधार उपाय आरम्भ किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है :

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को अप्रैल, 2002 में राज्य सभा में पेश किया गया, जो देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, गृहीत उपयोग के वर्तमान प्रतिबंध के बिना, कोयला खनन में निजी भागीदारी को अनुमति दिए जाने की मांग करता है।

2. कोयले की कीमत को 1.1.2000 से विनियंत्रित कर दिया गया था। टैरिफ आयोग को विद्युत क्षेत्र हेतु कोयले की कीमतों के निर्धारण और अन्य क्षेत्रों के लिए कोयले की कीमतों के निर्धारण की रूपरेखा सुझाने के लिए शामिल किया जा रहा है।

3. कोयले के आयात को उदारीकृत कर दिया गया है और खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत रखा गया है। आयात–शुल्क को भी 5% तक घटा दिया गया है।

4. गृहीत कोयला ब्लॉकों के लिए आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 86 कोयला ब्लॉकों को आवंटित कर दिया गया है/ किए जाने का निर्णय ले लिया गया है।

5. प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा आधार पर कोयला ब्लॉकों के आवंटन का निर्णय लिए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

6. गृहीत ब्लाकों से शीघ्र उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, विकास चरण के दौरान कोयला उत्पादन का निपटान सी.आई.एल. को किए जाने की अनुमति दी गई है।

7. विस्फोटकों को छोड़कर सभी मदों की अधिप्राप्ति से संबंधित शक्तियों को अनुषंगियों को प्रत्यायोजित करके कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

8. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री परीक्षण आधार पर 2005–06 के दौरान शुरू की गई है जहां उपभोक्ता और व्यापारी वरीय स्रोतों से अपनी कोयले की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए भाग ले सकते हैं।

9. सकल कैलोरिफिक मान (जी.सी.वी.) के आधार पर कोयले के ग्रेडीकरण हेतु पर्याप्त डाटा उत्पन्न करने के लिए एक पायलट अध्ययन का कार्य केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया है।

10. कोयला मंत्रालय ने कोयले को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटाए जाने के संबंध में अपनी सहमति की संसूचना उपभोक्ता मामले विभाग को दे दी है।

11. ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. हेतु पुररुद्धार पैकेज वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के परामर्श से विचाराधीन है।

12. मौजूदा नीति के अनुसार कोयले के संसाधन हेतु संयंत्रों की स्थापना तथा विद्युत संयंत्रों हेतु गृहीत खान के लिए 100% एफ.डी.आई. अन्य अन्त्य . उपयोगों (लोहा और इस्पात, सीमेंट) हेतु गृहीत उत्पादन के लिए अन्वेषण अथवा खनन हेतु 74% एफ.डी.आई. की अनुमति है। मंत्रालय ने औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को अनुशंसा की थी कि सभी अनुमेय क्रिया–कलापों के लिए गृहीत उपभोग हेतु कोयले/लिग्नाइट के अन्वेषण और खनन हेतु एफ.डी.आई. सीमा को बढ़ाकर 100% किया जाए और इसकी अनुमति स्वचालित मार्ग के माध्यम से दी जानी चाहिए।

13. सी.आई.एल. विदेश में कोयला परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ग) और (घ) बी.सी.सी.एल. में नवम्बर, 2004 से ई–नीलामी परीक्षण के जरिए सभी इच्छुक खरीददारों को कोयला देने के उद्देश्य से खुले बाजार में बोली के माध्यम से कोयले तथा उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है। इसे बाद में अप्रैल, 2005 से सी.आई.एल. की अन्य सभी सहायक कंपनियों में शुरू कर दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2005–06 के दौरान प्रारंभ में 10 मिलियन टन की मात्रा निर्धारित की गई थी, जो ई–नीलामी के अंतर्गत सी.आई.एल. की विभिन्न सहायक कंपनियों से पेशकश की जानी है।

(च) और (छ) कोयला क्षेत्र को विनियंत्रित करने के संबंध में किए गए उपाय उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में बताए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश में कोयले के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

निजी आपरेटरों द्वारा दरों की वसूली

1128. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निजी आपरेटर अपने–अपने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से सरकारी कंपनियों द्वारा वसूली जा रही दरों से भिन्न दरें वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ट्राई के दिशानिर्देशों तथा निर्देशों का उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में सभी सेल्यूलर प्रचालकों को टैरिफ निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मोबाइल प्रचालक अपनी प्रयोग–पद्धति के आधार पर उपभोक्ताओं को वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार के स्वामित्व वाली दोनों कंपनियां तथा निजी मोबाइल प्रचालक अपने उपभोक्ताओं को अपने टैरिफ विकल्पों की पेशकश करते हैं और ये पैकेज मासिक किरायों, कॉल–प्रभारों और अनुमत्य निशुल्क कॉलों के रूप में भिन्न–भिन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में टैरिफ योजनाएं तथा स्कीमें उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में खेल स्टेडियम

1129. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान से राज्य में स्टेडियमों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) . यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राजस्थान सहित राज्यों में वर्तमान खेल स्टेडियमों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) खेल संविधान की राज्य सूची में आता है। देश भर में स्टेडियमों सहित खेल अवस्थापना सृजित करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। 31.3.2005 तक, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करता था, बशर्ते कि राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाओं को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है और तदनुसार राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 मे सूचित कर दिया गया था। खेल अवस्थापना के लिए 2005–06 के बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है इसलिए राजस्थान सहित किसी राज्य से नए प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है चूँकि इनका वित्त–पोषण अब राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से करना होगा।

(ग) राज्य में उपलब्ध खेल स्टेडियमों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान और विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान की योजनाओं के अंतर्गत स्टेडियमों सहित खेल सुविधाएँ सृजित करने के लिए पिछले तीन वर्षों 2002–03 से 2004–05 के दौरान केन्द्रीय सहायता से पूरे किए गए स्टेडियमों सहित विभिन्न परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 तक (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत पूरी की गई खेल अवस्थापना परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	असम	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	0
3.	आंध्र प्रदेश	0	10	2
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	5
9.	हरियाणा	1	0	2
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0
12.	कर्नाटक	12	4	4
13.	केरल	1	3	1
14.	मध्य प्रदेश	0	1	1
15.	महाराष्ट्र	0	7	2
16.	मणिपुर	0	0	2
17.	मेघालय	0	4	0
18.	मिजोरम	4	14	0
19.	नागालैण्ड	0	17	11
20.	उड़ीसा	0	1	0
21.	पंजाब	1	0	0
22.	राजस्थान	0	1	1
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	तमिलनाडु	4	19	9
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1
27.	उत्तरांचल	0	0	0

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	0	2	0
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	सं.शा. चण्डीगढ़	0	0	0
	कुल	27	85	42

2002–2003 से 2004–2005 तक (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत स्टेडियमों सहित पूरी की गई खेल अवस्थापना परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	असम	0	2	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	आंध्र प्रदेश	0	2	6
4.	बिहार	0	1	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	4
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	हरियाणा	2	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0
12.	कर्नाटक	2	2	1
13.	केरल	1	0	1
14.	मध्य प्रदेश	1	0	1
15.	महाराष्ट्र	0	0	3
16.	मणिपुर	0	0	2
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	1	1
21.	पंजाब	0	3	3
22.	राजस्थान	0	2	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	तमिलनाडु	3	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	0	5	1
27.	उत्तरांचल	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	सं.शा. चण्डीगढ़	0	0	0
	कुल	9	24	31

[अनुवाद]

रक्षित खनन

1130. श्री एस. अजय कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में रक्षित खनन हेतु कोयले के ब्लॉक आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा इन कम्पनियों की संरचना तथा भागीदारी पूंजी अनुपात क्या है; और

(ग) रक्षित खनन हेतु कोयले के ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया तथा मानदण्ड क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) निम्नलिखित कम्पनियां, जिन्हें कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है, उन्होंने कोयले के गृहीत खनन के लिए संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई हैं। उनके द्वारा बनाए गए संयुक्त उपक्रमों के नाम और संयुक्त उपक्रम कम्पनियों में प्रत्येक की इक्विटी धारिता का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

क्र.स.	आबंटिति का नाम	ब्लाक	संयुक्त उपक्रम का नाम	प्रतिशत में इक्विटी धारिता	
1.	पं. बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	तारा (ईस्ट) तारा (वेस्ट)	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	(डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	–20%
				डीपीएल	–6%
				एम्टा समूह	–74%
2.	कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम	सरोशटोली	इन्टीग्रेटिड कोल माइन्स लि.	सीईएससी	–26%
				आरपीजी समूह	–74%
3.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	पचवाड़ा (सेन्ट्रल)	पेनम कोल माइन्स लि.	पीएसईबी	–26%
				एम्टा समूह	–74%
4.	कर्नाटक विद्युत निगम लि. (केपीसीएल)	बारांज–I से IV किलोनी मनोरादीप	कर्नाटक एम्टा कोल माइन्स लि.	केपीसीएल	–26%
				एम्टा समूह	–74%
5.	तेनुघाट विद्युत निगम लि. (टीवीएनएल)	बादाम	तेनुघाट एम्टा कोल माइन्स लि.	टीवीएनएल	–26%
				एम्टा समूह	–74%
6.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	बोरेजोरा गंगारामछक गंगारामछक भदूलिया	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	–26%
				डीपीएल	–6%
				एम्टा समूह	–74%
7.	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	बरजोरा (नार्थ) कस्ता–ईस्ट खगरा जोएदेव	डीवीसी एम्टा कोल माइन्स लि.	डीवीसी	–26%
				एम्टा समूह	–74%
8.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	पछवारा (नार्थ)	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	एम्टा समूह	–74%
				डब्ल्यूबीपीडीसीएल	– 20%
				डीपीएल	– 6%

(ग) गृहीत खनन हेतु आवंटन के लिए 148 कोयला ब्लाक निर्दिष्ट किए गए हैं और ऐसे ब्लाकों की एक सूची कोयला मंत्रालय की वेबसाइट में दर्शाई गई है। कोयला मंत्रालय में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठित एक जांच समिति गृहीत खनन हेतु कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करती है, उनकी जांच करती है और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद कम्पनी के ट्रैक रिकार्ड, अन्त्य उपयोग परियोजना की स्थिति और आवेदक कम्पनी की आवश्यकता के साथ ब्लॉक की गुणवत्ता और मात्रा के मिलान आदि के आधार पर ब्लाकों के आवंटन का निर्णय लेती है। कोयला ब्लाकों का आवंटन सरकार द्वारा जांच समिति की सिफारिशों पर विचार करके किया जाता है।

केटीपीपी-VI को कोल लिंकेज

1131. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एस.सी. सी.एल) ने प्रस्तावित काठगोदाम थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्टेज–VI (के.टी.पी.पी–VI) हेतु लम्बी अवधि तक कोल लिंकेज के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या के.टी.पी.पी–VI को कोयले की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस परियोजना के 11वीं योजना में शुरू होने की संभावना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 11वीं योजना अवधि के अंत अर्थात 2011–12 तक जब कोयले की निकासी के प्रबंध हो जाएंगे, एम.सी.एल. की ईब घाटी कोलफील्ड से इस परियोजना के लिए कोयले की उपलब्धता के संकेत दिए हैं।

शारजाह में भारतीय आगंतुकों के साथ दुर्व्यवहार

1132. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजिकिस्तान एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा शारजाह में भारतीय आगंतुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को संबद्ध देश के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारंण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) दुबई स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पता चला है कि 10 नवम्बर, 2005 को शारजाह अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट पर कुछ भारतीय यात्रियों तथा ताजिकिस्तान वायुसेवा के कार्मिकों के बीच बाद–विवाद हो गया था, क्योंकि फ्लाइट पर अधिक बुकिंग के कारण वैध–आरक्षण वाले कुछ यात्रियों को नई दिल्ली में ताज़िक एअर की उड़ान संख्या जे–112 से उतार दिया गया था। इससे एअरपोर्ट पर कुछ शोरगुल हुआ था, परन्तु एअरपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता

1133. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में सहयोग के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख शर्तें तथा विशेषताएँ क्या हैं तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सी.सी.एल. की परित्यक्त खानें

1134. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी. एल.) द्वारा छोड़ी गई खानों का ब्यौरा क्या है और उन्हें छोड़ने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या स्थानीय लोग सी.सी.एल के अधिकारियों/ सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलीभगत करके इन खानों से अवैध रूप से कोयला निकालते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान अवैध रूप से कुल कितना कोयला निकाला गया है;

(घ) छोड़ी गई खानों से अवैध रूप से कोयला निकालते समय अब तक कितने व्यक्ति काल–कवलित हुए हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में सी.सी.एल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) सी.सी.एल. में त्यागी गई खानों का ब्यौरा और उन्हें बंद किए जाने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कोयले के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए

सी.सी.एल के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा लगातार छापों/जांच के साथ-साथ जिला पुलिस के साथ संयुक्त छापे भी मारे जा रहे हैं। वर्ष 2005-06 (अक्तूबर, 05 तक) के दौरान, कुल 344 छापे/जांच आयोजित की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप 337.5 टन कोयले की प्राप्ति हुई है।

(घ) सी.सी.एल के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, खानों के अखनित भाग/त्यागी गई खानों से अवैध रूप से कोयले का उत्खनन करने हुए फरवरी, 2004 के बाद से 5 व्यक्ति मारे गए हैं।

(ङ) गिरीडीह और राजरप्पा क्षेत्रों में कंपनी के क्रमशः 2 और 4 पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	खान का नाम	प्रकार	बंद किए जाने के कारण
1	2	3	4
1.	अंगवाली	ओसी	पृथक् पैच, एचएफएल और प्रतिकूल भू-खनन स्थिति के अंतर्गत
2.	सयाल डी	ओसी	भंडार का खाली होना
3.	पीपराडीह	यूजी	प्रतिकूल भू-खनन स्थिति
4.	धोबीडीह	यूजी	भंडार खाली होना, वैज्ञानिक खनन संभव नहीं
5.	करकत्ता	यूजी	करकत्ता ओसी के साथ विलय
6.	पूरे धोरी	ओसी	प्रतिकूल भू-खनन स्थितियों, धोरी खास ओंसी के साथ विलय किए जाने, ओसीपी में परिवर्तित कर दिए जाने के कारण वैज्ञानिक खनन संभव नहीं है
7.	चलकारी	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी
8.	मेइल	यूजी	राजरप्पा ओसीपी के साथ विलय
9.	रावता	ओसी	समाप्त होना, प्रतिकूल भू-खनन स्थिति
10.	गिढानिया	ओसी	अन्य खान में काम करने हेतु भावी रामगढ़ वेस्ट ओसीपी ब्लाक के साथ विलय किए जाने वाले अवसंरचना विहीन पृथक पैच
11.	डकरा	यूजी	डकरा ओसी के साथ विलय
12.	पकरी बरबाडीह	यूजी	अवसंरचना का अभाव
13.	सेमरा	ओसी	समाप्त होना, प्रतिकूल, भ-खनन स्थिति, पतली खड़ी सीम
14.	सुजिया	ओसी	भंडारों का खाली होना और दूरस्थ स्थल
15.	कुजू	ओसी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी, कुजू यूजी परियोजना के साथ विलय
16.	आरा	यूजी	भंडार खाली होना प्रतिकूल आर्थिकी, आरा ओसीपी के साथ विलय
17.	ए. करनपुरा	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी
18.	के. करनपुरा	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी

1	2	3	4
19.	लपंगा	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी
20.	हुतार	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी
21.	पिनडारा	ओसी	भंडार खाली होना
22.	गिरिडीह	यूजी	भंडार खाली होना, प्रतिकूल आर्थिकी,
23.	तापीन–एस	ओसी	प्रतिकूल आर्थिकी और भूमि की समस्या
24.	गोविन्दपुर	ओसी	प्रतिकूल आर्थिकी और भूमि की समस्या
25.	सौंदा–डी	ओसी	आग, प्रतिकूल भू–खनन स्थिति, प्रतिकूल आर्थिकी और भूमि की समस्या
26.	तापीन–एस	यूजी	भंडार खाली हो गया
27.	हिन्दगिर	यूजी	भंडार खाली होना प्रतिकूल आर्थिकी
28.	घोरी खास	ओसी	भंडार का खाली होना

ओसी–ओपनकास्ट यूजी–भूमिगत एचएफएल–उच्चतम बाढ़ स्तर ओसीपी–ओपनकास्ट परियोजना

आई.एस.एम. एण्ड एच. में रिक्त पद

1135. श्री जोवाकिम बखला :

श्री रनेन बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी जी एच एस के प्रत्येक औषधालय और एकक में भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी पद्धति (आई.एस.एम. एण्ड एच.) में कितने डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय एवं एकक में नगरवार रिक्त पड़े भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के डाक्टरों के पदों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन पदों को भरने का अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर पदों को भरा जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	रिक्त पड़े पदों की संख्या		
		आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	8	3	–
2.	चेन्नई	1	1	–
3.	कानपुर	1	2	–
4.	कोलकाता	–	1	1
5.	मेरठ	–	1	–
6.	मुंबई	–	1	–
7.	नागपुर	–	1	–
8.	पुणे	–	1	–

1	2	3	4	5
9.	अहमदाबाद	1	–	–
10.	जयपुर	1	–	–
11.	लखनऊ	1	–	1
	योग	13	11	2

स्वामित्व का हस्तांतरण

1136. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुवर्ती खरीददार के नाम पर स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देता है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और खरीददार से डीडीए कितनी धनराशि वसूलता है;

(ग) क्या डीडीए द्वारा पानी के बिल खरीददार के नाम पर फ्लैट का स्वामित्व हस्तांतरित किये जाने के बावजूद भी मूल आबंटी के नाम पर ही भेजे जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि स्वामित्व का हस्तांतरण लीजहोल्ड सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की नीति कि अंतर्गत अनुमत्य है। खदीददार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन तथा समय–समय पर निर्धारित कनवर्सन फीस व साथ ही 33.33% का अतिरिक्त प्रभार देना होता है।

(ग) और (घ) फ्लैट का स्वामित्व हस्तांतरण होने के बाद खरीददार को संबंधित नागरिक प्राधिकरणों को पानी के बिलों में परिवर्तन करने के लिए आवेदन देना होता है, अन्यथा पानी के बिल मूल आबंटी के नाम ही चलते रह जाते हैं।

डाल्फिन मोबाइल नेटवर्क बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कथित छेड़छाड़

1137. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के डाल्फिन नेटवर्क बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कथित रूप से बड़ी छेड़छाड़ हुई थी, जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के डॉल्फिन मोबाइल की बिलिंग प्रणाली में ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

आर्थिक विकास एवं रोजगार

1138. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास से देश में ग्रामीण व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग के पास विभिन्न अल्पकालिक कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस नीति के क्रियान्वयन का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा दसवी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए अनुमान के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर वर्ष 1993–94 में 241.04 मिलियन से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 250.89 मिलियन हो गये थे, जो कि एनएसएसओ द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी कराए गए पंचवार्षिकी सर्वेक्षण का अद्यतन वर्ष है जिसके लिए परिणाम उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) कृषि और अन्य श्रम गहन क्षेत्रकों के विकास में तेजी सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास दर में तेजी लाना सरकार की सतत रोजगार कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है। दसवीं योजना

के मध्यावधि मूल्यांकन की विभिन्न नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन से उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

अवसंरचना में भागीदारी

1139. श्री नवीन जिन्दल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय कॉल सेंटरों के बीच अवसंरचना में भागीदारी के लिए कोई छूट प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी बी.पी.ओ. क्षेत्र को इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने स्वदेशी कॉल केन्द्रों और अन्तर्राष्ट्रीय कॉल केन्द्रों के बीच साझी अवसंरचना की हिस्सेदारी की शर्तों में और ढील दी है। मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) साझी अवसंरचना की हिस्सेदारी से भारतीय बीपीओ, सेक्टर, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए 'टाइम्स जोंस' में अन्तर होने के कारण अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे फिलीपीन्स, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और चीन आदि जैसे देशों की तुलना में भारतीय बीपीओ सेक्टर की लागत प्रतिस्पर्द्धा और बढ़ जाएगी। इससे बीपीओ/कॉल केन्द्र उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

विवरण

स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कॉल केन्द्रों के बीच साझी अवसंरचना की हिस्सेदारी की प्रमुख शर्तें

स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्रों के बीच साझी अवसंरचना हिस्सेदारी को और उदार बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(i) टर्नओवर संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं। कंपनी को कॉल केन्द्रों में कम–से–कम 50 सीटों का ढांचा (सैट–अप) स्थापित करना होगा।

(ii) साझी अवसंरचना हिस्सेदारी की अनुमति 'केप्टिव' तथा 'नान केप्टिव' कॉल केन्द्रों के लिए दी जाती है।

(iii) साझी अवसंरचना हिस्सेदारी के लिए ओ एस पी को दो विकल्प मिलेंगे:

(क) विकल्प 1 : पृथक् तथा स्वतंत्र ईपीएबीएक्स का उपयोग एक ही आपरेटर पोजिशन की हिस्सेदारी सहित अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी ओ एस पी के लिए किया जाएगा।

- 2.5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी।
- "ऑपरेटर पोजिशन" को एक समय में केवल एक ही कॉल दिया जाएगा (चाहे वह घरेलू हो, या अन्तर्राष्ट्रीय, इनकमिंग हो अथवा आउटगोइंग)।

(ख) विकल्प 2 : सुचित बंटवारे सहित साझे ईपीएबीएक्स की हिस्सेदारी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी ओएसपी केन्द्र।

- 5 करोड़ रुपये की गारंटी।
- कंपनी को ईपीएबीएक्स के विक्रेताओं की ओर से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देना होगा कि सॉफ्टवेयर स्वदेशी ओएसपी तथा अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्रों के लिए दो अलग–अलग और स्वतत्र वातावरणों में साझी अवसंरचना का समुचित बंटवारा करने में सक्षम है।

(iv) ओएसपी शर्तों के उल्लंघन के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :

(क) कंपनी द्वारा धारित ओएसपी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और कंपनी को इस प्रकार के पंजीकरण के रद्द होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए ओएसपी पंजीकरण हासिल करने से वंचित कर दिया जाएगा।

(ख) ओएसपी की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के निदेशक–मंडल को 3 वर्ष तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओएसपी पंजीकरण हासिल करने से वंचित कर दिया जाएगा।

दिनांक 2.11.2005 की संशोधित "शर्तें–अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" दूरसंचार विभाग की वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डीओटी.जीओवी आई.एन/ओएसपी/ओएसपी एचटीएमएल पर दी गई है।

बच्चों के लिए श्रवण एवं वाक् कार्यक्रम

1140. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक रूप से श्रवण अशक्तता वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग एक मिलियन है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ किये गऐ "साइट फॉर किड्स" कार्यक्रम की तर्ज पर "बच्चों के लिए श्रवण एवं वाक्" कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 9.74 लाख लोग (लगभग एक मिलियन) अत्यधिक बहरेपन से ग्रस्त हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

सी.जी.एच.एस. के कार्यकरण की समीक्षा

1141. श्री सुरेश कुरूप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित पी. के. कौल समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) सी.जी.एच.एस. के कार्यकरण, विशेषकर दवाइयों की खरीद के संबंध में सुधार के लिए सरकार ने क्या अन्तरिम उपाय किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चर्चा समाप्त होने पर समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(घ) सी.जी.एच.एस. औषधालयों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का सुधार करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सी.जी.एच.एस. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा दिशा–निदेशों के माध्यम से सी.जी.एच.एस. औषधालयों के कार्यों में सुधार के लिए एक अन्तर्निहित तंत्र मौजूद है।

सरकार ने 504 स्वामित्व वाली (प्रोपराइटरी) औषधों के संबंध में एम.एम.ओ/सी.जी.एच.एस. को पहले से ही एक संयुक्त फॉर्मूलेरी स्वीकृत की है। फॉर्मूलेरी के अनुसार सी.जी.एच.एस. के लिए दवाइयां खरीदने हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप सी.जी.एच.एस. औषधालयों में औषधियों की उपलब्धता में और सुधार हुआ है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण

1142. श्री निखिल कुमार :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री अधीर चौधरी :
श्री सुरेश अंगड़ि :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेवराव गायकवाड :
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अनन्त नायक :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है, जैसाकि दिनांक 24 अगस्त, 2005 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत निर्माण कार्यक्रम किन–किन राज्यों में शुरू किया गया है;

(घ) आज की तारीख तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम की निगरानी किस प्रकार की जा रही है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ज) इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएं कौन–कौन सी हैं; और

(झ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष की योजना आयोग के साथ 19 अगस्त, 2005 को हुई चर्चा के दौरान भारत निर्माण के व्यापक आकार के बारे में उन्हें बताया गया। विश्व बैंक द्वारा देशों को दी जाने वाली सहायता कार्यनीति में परिलक्षित विश्व बैंक परियोजनाओं के ब्यौरे जो भारत निर्माण स्कीम के अंतर्गत आ सकती है, निम्नलिखित हैं :

(I) ग्रामीण सड़क क्षेत्रक

क्र.सं.	परियोजना	क्षेत्रक	ऋण (आईबीआरडी)/ क्रेडिट (आईडीए) राशि	अभ्युक्ति
1.	ग्रामीण सड़क परियोजना–II	केन्द्रीय	500 मिलियन अमेरिकी डालर–ब्लेण्ड	विश्व बैंक के पास

(II) जल क्षेत्रक पुनर्संरचना

क्र.सं.	परियोजना	क्षेत्रक	ऋण (आईबीआरडी)/ क्रेडिट (आईडीए) राशि	अभ्युक्ति
1.	तमिनाडु जल संसाधान सुदृढ़ीकरण परियोजना	राज्य	150 मिलियन अमरीकी डालर–ब्लेण्ड	विश्व बैंक के पास
2.	बांध पुनः स्थापना एवं सुधार	केन्द्रीय	200 मिलियन अमरीकी डालर–आईबीआरडी	विश्व बैंक के पास
3.	हाइड्रोलॉजी–II परियोजना	केन्द्रीय	105 मिलियन अमरीकी डालर–आईबीआरडी	विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परंतु समझौते पर अभी हस्ताक्षर किया जाना है
	कुल		455 मिलियन अमरीकी डालर	

(III) ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्रक

क्र.सं.	परियोजना	क्षेत्रक	ऋण (आईबीआरडी)/ क्रेडिट (आईडीए) राशि	अभ्युक्ति
1.	पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	राज्य	100 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक के पास
2.	तमिलनाडु ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	राज्य	150 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक के पास
3.	उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	राज्य	100 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक के पास
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	केन्द्रीय	200 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक के पास
	कुल		550 मिलियन अमरीकी डालर	

(ग) और (घ) भारत निर्माण की कार्यसूची में चालू कार्यक्रमों तथा कुछ चालू कार्यक्रमों की श्रेणी को बढ़ाना, दोनों शामिल हैं जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना, इंदिरा आवास योजना तथा गांव के सार्वजनिक टेलीफोन हेतु सार्वजनिक सेवा दायित्व। वर्तमान वर्ष 2005–06 जो कि भारत निर्माण का पहला वर्ष है, के लिए उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न विवरण–I में दिए गए है।

(ङ) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति भारत निर्माण कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रही है। चूंकि, भारत निर्माण का एजेण्डा नया नहीं है, अतः प्रयास यह है कि निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर तत्परता दिखाई जाए, कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए।

(च) और (छ) भारत निर्माण के लिए आवश्यक निधियों को केन्द्र व राज्य के बजटीय सहायता के उपयुक्त मिश्रण, विदेशी सहायता, बाजार से उधार लेकर एवं लाभार्थियों के अंशदान (कुछ मामलों में) से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति के विचारार्थ विषय में सार्वजनिक निवेश को पूरा करने हेतु वित्तीय समझौते विकसित करना शामिल है। वर्तमान में मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां या तो सरकारी निकाय हैं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयाँ।

(ज) और (झ) चूंकि, भारत निर्माण कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में है, अतः इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया जा सकता। तथापि यदि अवरोध पैदा होते हैं, तो इसके समाधान के लिए ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति के ध्यान में लाया जाएगा।

विवरण-I

उप घटक : सिंचाई

लक्ष्य :

बड़ी और मध्यम सिंचाई	4.2 मिलियन हेक्टेयर
लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का 1 करोड़ (10 मिलियन हेक्टेयर)	2.8 मिलियन हेक्टेयर
– भूतल जल	1 मिलियन हेक्टेयर
– भूजल	1 मिलियन हेक्टेयर
पूरी हो चुकीं परियोजनाओं के उपयोग को बढ़ाना :	2.00 मिलियन हेक्टेयर
बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का ईआरएम	1.00 मिलियन हेक्टेयर
जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और उनका पुररूद्धार/एमआई स्कीमों का ईआरएम	1 मिलियन हेक्टेयर
छोटे और सीमांत किसानों और जन–जातियों–दलितों के लाभ के लिए अप्रयुक्त संभावना वाले क्षेत्रों में भूजल विकास	1.00 मिलियन हेक्टेयर

राज्य सरकारों से वर्ष–वार लक्ष्यों के परिणाम निकालने का अनुरोध किया गया है। 'अन्तिम चरण' की बड़ी और मझोली परियोजनाओं को पूरा करने और विशेष श्रेणी राज्यों/क्षेत्रों की लघु सिंचाई हेतु भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है। वर्ष 2005–06 में जारी अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उच्चतम सीमा (ऋण और अनुदान सहित)	31.10.2005 तक जारी किए गए अनुदान घटक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	600	17.889
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	–
3.	असम	35	7.245
4.	बिहार	75	10.764
5.	छत्तीसगढ़	100	–
6.	गोवा	5	–
7.	गुजरात	1000	162
8.	हरियाणा	25	3.3405
9.	हिमाचल प्रदेश	25.69	7.011
10.	जम्मू व कश्मीर	40	7.8903
11.	झारखंड	31	–
12.	कर्नाटक	400	53.4078
13.	केरल	50	–
14.	मध्य प्रदेश	750	13.4457

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	800	8.634
16.	मणिपुर	18	3.15
17.	मेघालय	4	—
18.	मिजोरम	10	4.5
19.	नागालैंड	8	—
20.	उड़ीसा	330	71.1984
21.	पंजाब	50	4.6965
22.	राजस्थान	400	29.8035
23.	सिक्किम	1.5	0.3375
24.	तमिलनाडु	5	—
25.	त्रिपुरा	20	—
26.	उत्तर प्रदेश	275	30.774
27.	उत्तरांचल	30.5	16.902
28.	पश्चिम बंगाल	40	—

विवरण-II

उप घटक : ग्रामीण विद्युतीकरण

लक्ष्य : प्रत्येक गाँव में बिजली उपलब्ध कराई जानी है : 1,25,000 गाँव शेष हैं। इसके अतिरिक्त 23 मिलियन परिवारों को भी बिजली उपलब्ध कराई जानी है।

वर्ष 2005–06 के लिए, पश्चिम बंगाल (938), बिहार (556), उत्तर प्रदेश (9180) में 10674 गाँवों को कवर करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2005–06 में 1100 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है। नवम्बर, 2005 तक उत्तर प्रदेश के 496 गाँवों और बिहार के 521 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है।

जारी की गई निधियां :

1.	उत्तर प्रदेश	639.96
2.	बिहार	200.24
3.	पश्चिम बंगाल	114.49

विवरण-III

उप घटक : आवास

लक्ष्य : ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख घरों का निर्माण किया जाना है

कार्यक्रम : इन्दिरा आवास योजना$

2005–06 में प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक (घरों की संख्या)		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्र द्वारा जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	130130	40606	243.99	123.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	4603	1207	9.49	7.91
3.	असम	101790	40190	209.94	109.81
4.	बिहार	384111	131780	720.21	256.21
5.	छत्तीसगढ़	20124	2648	37.73	26.09
6.	गोवा	801	372	1.50	0.86
7.	गुजरात	63819	12304	119.66	48.22
8.	हरियाणा	8960	2941	16.80	11.19
9.	हिमाचल प्रदेश	2873	324	5.93	4.12
10.	जम्मू व कश्मीर	8924	553	18.41	10.13
11.	झारखंड	34261	1668	64.24	53.84
12.	कर्नाटक	50136	21066	94.00	51.39
13.	केरल	27880	12928	52.28	30.22
14.	मध्य प्रदेश	40022	18369	75.04	57.60
15.	महाराष्ट्र	78478	27125	147.15	85.61
16.	मणिपुर	3969	0	8.24	2.95
17.	मेघालय	6959	2202	14.35	3.36

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	1483	466	3.06	1.65
19.	नागालैंड	4605	2869	7.73	4.13
20.	उड़ीसा	75465	23779	141.50	79.40
21.	पंजाब	11081	3194	20.78	13.14
22.	राजस्थान	32070	8690	60.13	34.91
23.	सिक्किम	881	160	1.82	1.26
24.	तमिलनाडु	52101	12107	97.69	54.26
25.	त्रिपुरा	8967	337	18.49	10.32
26.	उत्तर प्रदेश	172527	49841	323.49	193.09
27.	उत्तरांचल	7863	6806	16.22	10.81
28.	पश्चिम बंगाल	104098	54266	195.18	119.75
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1238	30	3.09	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	206	0	0.52	0.00
31.	दमन व दीव	92	6	0.23	0.00
32.	दिल्ली				
33.	लक्षद्वीप	80	1	0.20	0.20
34.	पांडिचेरी	617	52	1.54	0.00
	जोड़ (अखिल भारत)	1441241	493914	2730.63	1403.16

*अधिकांश राज्यों में उपलब्धि सितम्बर, 2005 तक की है।

विवरण-IV

उप घटक : ग्रामीण पेय जल आपूर्ति

लक्ष्य : 55067 कवर नहीं किए गए निवासस्थानों को कवर किया जाना है। पिछड़ी और जल गुणवत्ता समस्याओं को निपटाया जाना है

कार्यक्रम : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति

2005–06 में प्रगति (सितम्बर, 2005 तक)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक (आवासों की संख्या)		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्र द्वारा जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2974	852		
2.	अरुणाचल प्रदेश	397	27	210.32	125.13
3.	असम	1871	885	90.60	49.46
4.	बिहार	1623	33	152.80	84.25
5.	छत्तीसगढ़	4000	3640	153.24	76.62
6.	गोवा	1	0	51.24	29.52
7.	गुजरात	1059	581	1.93	0.00
8.	हरियाणा	791	35	123.39	65.80
9.	हिमाचल प्रदेश	1336	688	35.90	17.95
10.	जम्मू व कश्मीर	479	122	106.05	53.02
11.	झारखंड	2888	529	200.73	103.36
12.	कर्नाटक	4790	3251	55.29	31.67
13.	केरल	831	1146	175.55	104.04
14.	मध्य प्रदेश	3352	8279	53.86	30.85
15.	महाराष्ट्र	1894	324	151.01	75.50
16.	मणिपुर	133	44	275.91	165.55
17.	मेघालय	348	48	31.10	17.15
18.	मिजोरम	130	0	35.83	0.00
19.	नागालैंड	64	0	25.69	14.15
20.	उड़ीसा	2176	3140	26.37	14.53
21.	पंजाब	800	98	124.05	71.06

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	9952	5582	36.42	20.86
23.	सिक्किम	71	22	440.34	249.57
24.	तमिलनाडु	7500	1181	10.83	5.97
25.	त्रिपुरा	425	52	118.75	59.37
26.	उत्तर प्रदेश	2209	2668	31.78	17.51
27.	उत्तरांचल	450	270	247.64	141.86
28.	पश्चिम बंगाल	3669	1480	57.25	32.79
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	14	0	133.08	76.23
30.	दादरा व नगर हवेली	18	1	0.09	2.10
31.	दमन व दीव		0	0.06	0.00
32.	दिल्ली		0		0.00
33.	लक्षद्वीप	10	0	0.05	0.00
34.	पांडिचेरी	15	21		
	जोड़ (अखिल भारत)	56270	34999	3157.45	*1736.49

*स्वजल धारा को छोड़कर, जो मांग आधारित है।

विवरण-V

उप घटक : ग्रामीण सड़कें

लक्ष्य : 1000 जनसंख्या और उसके ऊपर (पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500) के प्रत्येक आवासों को बारहमासी सड़क उपलब्ध किया जाना है, शेष 66802 आवासों को कवर किया जाना है।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

2005–06 में कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक (सितम्बर, 2005 तक)				वित्तीय (करोड़ रुपये) (नवम्बर, 2205 तक)	
		लक्ष्य		उपलब्धि			
		कि.मी. में सड़कों की लंबाई	कवर किए जाने वाले आवास	पूर्ण लंबाई	कवर किए गए आवास	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्र द्वारा जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2629.00		462	12	100.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	340.00	72	0	0	52.00	0.00
3.	असम	2061.00	1278	209	9	176.00	0.00
4.	बिहार	281.00		402	0	332.00	181.56
5.	छत्तीसगढ़	4467.00	2228	1204	309	330.00	235.07
6.	गोवा	0.00		2	2	5.00	0.00
7.	गुजरात	0.00		222	119	60.00	44.35
8.	हरियाणा	362.00	149	242	0	25.00	20.56
9.	हिमाचल प्रदेश	1235.00	579	59	47	132.00	40.14

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00		0	0	60.00	0.00
11.	झारखंड	0.00		114	66	195.00	6796
12.	कर्नाटक	612.00	428	384	3	105.00	89.97
13.	केरल	0.00		11	7	25.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	5626.00	1909	1327	314	535.00	301.29
15.	महाराष्ट्र	0.00		119	51	140.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00		145	0	28.00	0.00
17.	मेघालय	93.00	30	73	33	40.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00		101	4	27.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00		290	21	25.00	0.00
20.	उड़ीसा	3097.00	1170	792	152	268.00	100.00
21.	पंजाब	0.00		45	26	30.00	9.46
22.	राजस्थान	5446.00	1273	1211	338	286.00	231.96
23.	सिक्किम	144.00	57	22	14	25.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00		409	192	85.00	0.00
25.	त्रिपुरा	81.00		16	12	35.00	19.79
26.	उत्तर प्रदेश	4231.00	2932	2015	1284	445.00	631.37
27.	उत्तरांचल	0.00		67	13	95.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	999.00	915	682	1000	221.00	1.30
	जोड़ (अखिल भारत)	31704.00	13020.00	10625.00	4028.00	3882.00	1974.78

विवरण-VI

उप घटक : ग्रामीण टेलीफोन संबद्धता

लक्ष्य : प्रत्येक गाँव को टेलीफोन से जोड़ना है, 66822 ग्राम शेष हैं।

वर्ष 2005–06 में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित राज्य और उपलब्धि नीचे तालिका में दिये गये हैं :

क्र.सं.	राज्य	गांवों की कुल संख्या	30.9.2005 तक कवरेज	अब तक जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1074	208	0.36
2.	असम	8931	1976	0.32

1	2	3	4	5
3.	झारखंड	1694	30	—
4.	गुजरात	4144	1657	0.33
5.	हिमाचल प्रदेश	1002	234	0.14
6.	जम्मू और कश्मीर	1755	206	0.23
7.	मध्य प्रदेश	11894	3454	1.60
8.	छत्तीसगढ़	5043	675	—
9.	महाराष्ट्र	6441	1844	0.28
10.	पूर्वोत्तर–I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	2128	76	0.07
11.	पूर्वोत्तर–II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	1550	30	—
12.	उड़ीसा	4899	—	—
13.	राजस्थान	12386	2493	2.71
14.	उत्तरांचल	3881	195	—
	जोड़		13078	6.04

वर्ष 2005–06 के लिए 37.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय

1143. श्री एन. एस. वी. चित्तन :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री अमन्त नायक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि इनके प्रचालनों में बेहतर सहक्रिया स्थापित की जा सके। इस कार्य में सरकार को सहायता एवं सहयोग देने हेतु एक परामर्शदाता–संकाय की नियुक्ति की गई थी। परामर्शदाताओं ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय सहित पुनर्गठन के सभी विकल्पों की जांच करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार पुनर्गठन–प्रक्रिया में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, कोई निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों की सावधानी से जांच कर रही है ताकि सभी स्टेकहोल्डरों के हित सुरक्षित रहें तथा पुनर्गठन–प्रक्रिया का मूलभूत उद्देश्य भी पूरा हो जाए।

एड्स की महामारी

1144. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारत को यह चेतावनी दी है कि देश एड्स महामारी के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1997 और 2003 के बीच भारत में सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवाइयों की वजह से एड्स से होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत की कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो एड्स से मुकाबला करने के लिए सरकारी एजेंसियों की भूमिका का क्या ब्यौरा है;

(ङ) मौतों की रोकथाम किस सीमा तक की जा सकती है; और

(च) इस बारे में योजना का क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यू एन एड की रिपोर्ट दर्शाती है कि यद्यपि कुछ राज्यों (जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र) में एच आई वी संक्रमण व्याप्तता स्थिर हुई है फिर भी यह अन्य कई राज्यों में जोखिम वाली जनसंख्या के बीच बढ़ रही है। जिसके परिणामस्वरूप, एच आई वी की कुल व्याप्तता लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तरी यूपी और बिहार की गरीब एवं घनी आबादी की

गर्भवती महिलाओं में इसकी राज्यव्यापी व्याप्तता कम है। परन्तु इसके बावजूद भी अधिक जनसंख्या होने के कारण यहां एच आई वी संक्रमण में कम वृद्धि के बाद भी इसका संक्रमण काफी लोगों में हो सकता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने अप्रैल, 2004 से एक निःशुल्क ए आर टी कार्यक्रम आरम्भ किया है। भारत में सस्ती औषधों के उपलब्ध होने से इसके संक्रमण में हो रही कमी पर अभी जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ए आर टी इलाज के बगैर एड्स के मामलों में औसत बचाव लगभग 14 महीने का है। ए आर वी उपचार के नियमित प्रयोग से प्रथम वर्ष में मृत्यु को 4 से 8 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है और ए आर वी इलाज के नियमित प्रयोगकर्ताओं में जीवन रक्षा दर 90 प्रतिशत से अधिक होती है।

(च) इस समय 40 ए आर टी केन्द्र हैं जो 15,735 मरीजों को इलाज प्रदान कर रहे हैं।

अगस्त, 2011 तक निःशुल्क ए आर टी सेवाओं को 180,000 एड्स मरीजों तक बढ़ाने की योजना है।

समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों में एड्स मामलों में अवसरवादी संक्रमणों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान की जा रही है। माता से नवजात–शिशु में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए 375 अस्पतालों के माध्यम से एच आई वी संक्रमित प्रसवपूर्व माताओं एवं उनके नवजात–शिशु को भी ए आर टी प्रदान की जा रही है। देश में वर्तमान वर्ष के दौरान समस्त शेष सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों के माध्यम से माता–पिता से बच्चे में होने वाले एच आई वी संक्रमण की रोकथाम के लिए सेवाएं प्रदान करने के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है।

अनिवासी भारतीयों हेतु निवेश मानदण्डों में ढील देना

1145. श्री के. एस. राव :

श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूके और अन्य विकसित देशों से अधिक से अधिक अनिवासी भारतीय वापस भारत लौटकर अपना व्यापार आरम्भ करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी इच्छानुसार उद्यम स्थापित करने के लिए कुशल और व्यवसायिक अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी भारत में वापसी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनके व्यापार और उद्यमों की स्थापना के लिए सुविधाओं हेतु कोई नीति तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के संबंध में निवेश मानदण्डों में कोई ढील दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कार्यवाही के फलस्वरूप देश को और अनिवासी भारतीयों को कितना लाभ होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) से (च) सरकार ने एक उदार एवं पारदर्शी एफडीआई नीति लागू की है (जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश शामिल है), जिसके अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% तक की एफडीआई की अनुमति है। जिन प्रस्तावों के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है उन पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा समयबद्ध रूप से विचार किया जाता है। ऑटोमैटिक रूट के अनतर्गत आने वाले कार्यकलापों के लिए सरकार के किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है तथा देश में भेजी गई रकम तथा/अथवा अनिवासी भारतीयों को जारी किए गए शेयरों के बारे में 30 दिन के अन्दर भारतीय रिजर्व बैंक को केवल सूचना देना अपेक्षित होता है।

एफडीआई योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाओं में ये शामिल हैं; आवास एवं सम्पति के क्षेत्र में निवेश और नागर विमानन क्षेत्र में 49% की एफडीआई की स्वीकार्य सीमा की तुलना में हवाई परिवहन के क्षेत्र में 100% तक का निवेश।

(छ) निवेश, अपने देश के साथ निकटता तथा अनिवासी

भारतीयों के लिए अच्छी आय के संदर्भ में दोनों को लाभ प्राप्त होता है।

जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना

1146. श्री पी. सी. थामस : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल ने अलेप्पी की नेहरू ट्राफी नौका दौड़ सहित नौका दौड़ों के लिए सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) भारत सरकार देश में भूमि, वायु और जल में विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु साहस के संवर्धन की योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) साहस के प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत, देश में साहसिक गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना, गैर-सरकारी संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों के समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत में जल-साहस गतिविधिया, जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उनमें लम्बी दूरी की तैराकी, सर्फिंग, नौकायन, स्नोरकेलिंग, स्कूबा डाइविंग, पॉवर बोटिंग तथा लम्बी दूरी की मोटर बोटिंग, कयाकिंग, कनोइंग इत्यादि शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, लाभ उठाने वाले 13-35 वर्ष की आयु-समूह के हैं।

(ग) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को इस वित्तीय वर्ष के दौरान, अलेप्पी में नौका-दौड़ के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन

1147. डा. अरूण कुमार शर्मा :

श्री बाजू बन रियान :

श्री किरेन रिजीजू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित अनिवार्य 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन का कड़ाई से अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ में प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां इन धनराशियों को पूरे देश के काम आने वाली परियोजनाओं पर खर्च किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी प्रत्येक व्यवस्था के संबंध में अधिकृत करने का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम

1148. श्री शिशुपाल एन. पाटले :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री मुन्शी राम :

श्री अशोक कुमार रावत :

प्रो. महादेवराज शिवनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में शुरू किए गए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) क्या सभी राज्यों द्वारा नवजात शिशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या उक्त उद्देश्य हेतु कुछ राज्यों की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे राज्यों ने टीकाकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है/कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। नियमित प्रतिरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में तकनीकी सहायता एवं योगदान प्रदान कर रहा है।

(ङ) जी, हां। ये राज्य अपने यहां टीकाकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर चुके हैं/ कर रहे हैं।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के तहत सभी राज्यों (बिहार, झारखण्ड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश समेत) को विभिन्न कार्यकलापों अर्थात वैकल्पिक टीका प्रदानगी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को मोबिलिटी सहायता, संभारतंत्र तथा एम आई एस डाटा रखने हेतु जिला स्तर पर कम्प्यूटर सहायता का प्रावधान, स्लमों एवं अल्पसेवित क्षेत्रों पर ध्यान, कोल्ड चेन रखरखाव, पुनरीक्षा बैठकें, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को जुटाना, प्रतिरक्षण कार्यकलापों हेतु प्रशिक्षण तथा प्रतिरक्षण कार्डों का मुद्रण आदि जो कि समस्त राज्यों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उनकी अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के तहत कार्यान्वित किए जाते हैं, के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

1149. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंधत्व नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों के लिए राज्य-वार निर्धारित धनराशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दृष्टिहीनता नियंत्रण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहित राज्यों/संघ क्षेत्रों की राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वास्ते निधियाँ जारी की जाती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ क्षेत्रों को आवंटित सहायता अनुदान से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2005-2006 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को आवंटित किया गया सहायता अनुदान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नई योजनाओं के लिए सहायता अनुदान										
	निशुल्क कैटोप्स के लिए सहायता अनुदान	एसईएस के लिए सहायता अनुदान	नेत्रदानों के लिए आवृति सहायता अनुदान	विजन केन्द्र @ 25000	नेत्र बैंक @10 लाख रुपये	नेत्रदान बैंक @1 लाख रुपये	गैर-सरकारी संगठनों हेतु सहायता अनुदान @ लाख रु.	प्रशिक्षण	सूचना शिक्षा व संप्रेषण	एसबीसीएस पारिश्रमिक अन्य कार्य-कलाप एवं आकस्मिकताएं	कुल सहायता अनुदान (1 लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बड़े शहर											
आंध्र प्रदेश	150.00	50.00	20.00	25.00	10.00	3.00	0.00	12.00	10.00	10.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	110.00	20.00	2.00	12.50	10.00	3.00	25.00	7.50	5.00	15.00	210.00
छत्तीसगढ़	80.00	18.00	1.50	5.00	10.00	3.00	25.00	7.50	5.00	15.00	170.00
गोवा	5.00	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	7.00	20.00
गुजरात	500.00	40.00	30.00	12.50	10.00	3.00	25.00	20.00	10.00	19.50	670.00
हरियाणा	100.00	15.00	1.00	5.00	10.00	3.00	0.00	5.00	5.00	16.00	160.00
हिमाचल प्रदेश	15.00	4.00	0.75	2.50	10.00	0.00	25.00	5.00	5.00	12.75	80.00
जम्मू और कश्मीर	12.00	5.00	0.50	2.50	10.00	0.00	0.00	7.00	7.00	16.00	50.00
झारखंड	70.00	20.00	0.50	6.25	10.00	0.00	25.00	15.00	10.00	18.75	175.00
कर्नाटक	250.00	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	380.00
केरल	100.00	20.00	5.00	2.50	10.00	3.00	0.00	10.00	7.00	17.50	175.00
मध्य प्रदेश	250.00	40.00	2.50	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	17.50	350.00
महाराष्ट्र	500.00	70.00	20.00	12.50	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	17.50	550.00
उड़ीसा	140.00	25.00	1.00	7.50	10.00	2.00	25.00	14.00	10.00	15.50	250.00
पंजाब	100.00	20.00	2.50	12.50	10.00	3.00	25.00	10.00	7.00	20.00	210.00
राजस्थान	240.00	40.00	4.00	5.00	30.00	9.00	25.00	17.00	10.00	20.00	400.00
तमिलनाडु	600.00	50.00	30.00	30.00	10.00	3.00	0.00	20.00	7.00	20.00	770.00
उत्तर प्रदेश	500.00	80.00	5.00	12.50	10.00	0.00	25.00	17.50	10.00	20.00	680.00
उत्तरांचल	40.00	20.00	1.00	5.00	10.00	0.00	25.00	7.00	7.00	15.00	120.00
पश्चिम बंगाल	150.00	25.00	7.50	25.00	10.00	3.00	25.00	10.00	7.00	17.50	260.00
योग	3913.00	603.50	145.75	224.25	210.00	38.00	275.00	236.50	154.00	340.00	6140.00
पूर्वोत्तर राज्य											
अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.00	0.10	2.50	10.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.40	28.00
असम	60.00	5.00	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	10.50	85.00
मणिपुर	6.00	2.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.50	18.00
मेघालय	10.00	2.00	0.00	2.50	10.00	0.00	25.00	1.00	1.00	5.50	57.00
मिजोरम	6.00	1.00	0.00	2.50	10.00	0.00	0.00	1.50	1.00	5.00	27.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
नागालैंड	3.00	1.00	0.10	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.50	12.00
सिक्किम	3.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.50	11.00
त्रिपुरा	30.50	2.00	0.50	5.00	10.00	1.00	25.00	1.00	1.00	5.00	82.00
योग	123.50	15.50	1.20	22.00	40.00	3.00	50.00	9.50	9.00	46.30	320.00
संघ राज्य क्षेत्र											
अंडमान एवं निकोबार	4.00	0.25	0.10	1.25	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50	5.00	12.00
चंडीगढ़	5.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	5.00	15.00
दादरा व नगर हवेली	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	5.00	7.00
दमन एवं दीव	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	5.00	7.00
दिल्ली	15.00	10.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	14.50	74.00
लक्षद्वीप	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.50	4.00	5.00
पांडिचेरी	8.00	1.00	0.45	2.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.05	20.00
योग	34.00	13.00	13.05	3.75	0.00	0.00	0.00	19.25	13.40	43.55	140.00
ईएलआईएएफसीआर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	4070.50	632.00	160.00	250.00	250.00	41.00	325.00	265.25	176.40	429.85	6600.00

बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि

1150. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांग्लादेश की जेलों में बंद भारतीय कैदियों और भारत की जेलों में बंद बांग्लादेशियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जेलों में बंद दोनों देशों के नागरिकों को उपलब्ध दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और बंगलादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न होने की प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ग) इस समय लगभग 893 भारतीय कैदी बंगलादेश की जेलों में हैं। जहां तक बंगलादेश के कैदियों का भारतीय जेलों में होने का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य–प्राधिकरणों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

(घ) चालू वर्ष के दौरान, ढाका स्थित भारत के उच्चायोग ने आठ अवसरों पर कौंसुली पहुंच की अनुमति प्रदान की है। नई दिल्ली स्थित बंगलादेश के उच्चायोग ने चार अवसरों पर कौंसुली पहुंच का अनुरोध किया था, जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

घटिया दवाओं का आयात

1151. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घटिया दवाओं का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में घटिया दवाओं की आवक को रोकने के लिए दवा आयात करने वाली विदेशी कंपनियों का पंजीकरण करना शुरू किया है;

(ङ) यदि हां, तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार विदेशी कंपनियों के परिसरों की जांच किए बिना ही कई कंपनियों का पंजीकरण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। देश में घटियां औषधों के आयात को निषेध करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें विदेशी निर्माताओं का पंजीकरण करना तथा फार्म 10 में आयात लाइसेंस के प्रत्येक औषध की स्वीकृति और बन्दरगाह अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आयात कन्साइनमैंट की जांच करना शामिल है।

(ङ) और (च) औषधों हेतु पंजीकरण की अनिवार्यता अप्रैल, 2003 में आरम्भ की गयी थी। विदेशी निर्माण स्थलों की जांच करना औषधों के आयात के पंजीकरण हेतु आवश्यक मानदण्ड नहीं है। इस समय ऐसी आयातित औषधों, जो लम्बी अवधि से देश में उपयोग की जाती हैं तथा जो अनुमोदित हैं, का पंजीकरण हो चुका है बशर्ते कि औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की सूची घ (i) तथा घ (ii) में निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया हो। आवेदक को निम्नालेखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है : औषधों की विनियामक स्थिति निशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र या फार्मास्यूटिकल उत्पाद का प्रमाणपत्र जो मूल उत्पत्ति वाले देश के विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, तथा निशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र जो अन्य बड़े देशों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो।

[हिन्दी]

बूचड़खानों द्वारा फैलाए गए संक्रमण रोग

1152. श्री विजय कृष्ण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैध/अवैध बूचड़खानों के निकट रहने वाले लोग संक्रमण रोग का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच करने कराने का है;

(ग) यदि हां, तो फैलने वाली बीमारियों का ब्यौरा क्या है और इन बूचड़खानों द्वारा राज्य–वार तथा संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार बूचड़खानों से अनेक संक्रमण रोग जैसे बुसेलोसिस, इरिसिपलाइड, लेप्टोस्पाइरोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस और वार्टस् होते हैं। ये रोग संक्रमित जानवरों अथवा पानी के संदूषित होने से फैलते हैं। ऐसे रोगों से संक्रमित लोगों के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए बूचड़खानों से कहा है ताकि अपशिष्ट का समुचित रूप से निपटान हो सके। बूचड़खानों से अच्छे पर्यावरणिक प्रबन्धन के लिए माडर्न स्लाटरिंग आपरेशन अपनाने को कहा है।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड का धीमा प्रसार

1153. श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार को देश में ब्राडबैंड के धीमे प्रसार से निपटने के लिए

उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ देने तथा सेवा प्रदाताओं को कर देने संबंधी अपनी सिफारिश स्वीकार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) वर्ष 2005 के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य तय किया गया है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) देश में ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहें है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में सरकार को यह सिफारिश करते हुए एक पत्र भेजा है कि सरकार को ब्रॉडबैंड नीति के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और लोकल लूप 'अनबण्डल' करने तथा ब्रॉडबैंड के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के संबंध में ट्राई की पूर्व सिफारिशों पर पुनः विचार करना चाहिए। तथापि ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) ब्रॉडबैंड नीति 2004 में वर्ष 2005 के अंत तक 3 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की परिकल्पना की गई है। 31.10.2005 की स्थति के अनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 0.71 मिलियन थी।

(घ) सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी, 2006 से राष्ट्रीय लम्बी दूरी/अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा लाइसेंसधारकों के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी करने की घोषणा की है। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं की लागत में कमी होने और ब्राडबैंड के उपभोक्ताओं में वृद्धि होने की आशा है।

राज्यों को विशेष आवंटन हेतु मानदण्ड

1154. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य को विशेष आवंटन उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) योजना और आवंटित राशि के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या जिन समस्याओं के कारण धनराशि की लगातार आवश्यकता पड़ती है उनके संबंध में राज्यों के साथ कोई चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) राज्यों की वार्षिक योजनाओं संबंधी केन्द्रीय सहायता के आवंटन में सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए), विदेशी सहायता परियोजनाओं (ईएपीज़) संबंधी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विशेष तथा अन्य कार्यक्रमों संबंधी एसीए शामिल है। एनसीए के अंतर्गत दिया जाने वाला आवंटन जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा दिसम्बर, 1991 में यथा अनुमोदित गाडगिल फार्मूलें पर आधारित है, एसीए के अंतर्गत ईएपीज और विशेष व अन्य कार्यक्रमों हेतु दिए जाने वाले आवंटन उनके निजी विशिष्ट मानदंडों और दिशा–निर्देशों पर आधारित हैं। गाडगिल फार्मूला अन्य बातों के साथ–साथ जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, कर प्रयास में निष्पादन, वित्तीय प्रबंधन और राष्ट्रीय लक्ष्यों, विशेष रूप में जनसंख्या नियंत्रण, निरक्षरता उन्मूलन, ईएपीज़ का समय पर समापन और भूमि सुधार को भी ध्यान में रखता है। ईएपीज संबंधी एसीए का आवंटन परियोजनाओं संबंधी निधियों के उपयोग पर आधारित है। विशेष और अन्य कार्यक्रमों संबंधी आवंटन राज्यों और प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) राज्यों के योजना आकारों को, राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर) और केन्द्रीय सहायता (सीए) के आधार पर, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच हुई चर्चाओं के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है। कुल योजना संसाधन और योजना परिव्यय के बीच यदि कोई अंतराल हों तो उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाव से वित्त घोषित किया जाता है।

(घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

नैदानिक केन्द्रों द्वारा दोहरी फीस लेना

1155. श्री सुबोध मोहिते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के पैनल में दर्ज नैदानिक केन्द्रों द्वारा परीक्षणों हेतु दोहरी फीस ली जाती है जैसाकि 12 अक्तूबर, 2005 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नैदानिक केन्द्रों के सीजीएचएस पैनल में सूचीबद्ध होने के संबंध में नियम क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में नियमों का अनुपालन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट/नैदानिक केन्द्रों ने के.स.स्वा.यो. द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभार लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनल में टेंडर में निहित मानदण्डों/नियमों के अनुसार रखा जाता है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को मुफ्त टेलीफोन

1156. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 65 वर्ष के हो चुके पेंशनभोगियों सहित वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त टेलीफोन सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को निःशुल्क टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को नॉन ओवाईटी विशेष श्रेणी, जो एक प्राथमिकता वाली श्रेणी है, में बिना किसी पंजीकरण शुल्क के अपनी मांग पंजीकृत कराने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक बुनियादी टेलीफोन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की सुलभ योजना का लाभ उठा सकते हैं जिसमें एक्सचेंज क्षमता के अनुसार किराये की राशि काफी कम अर्थात प्रति माह 99 रु. से लेकर 160 रु. तक है। योजना 250 के अंतर्गत नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) वरिष्ठ नागरिकों को किराये और संस्थापन प्रभारों में 25% तक की छूट दे रहा है।

दूरसंचार क्षेत्र में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्रों के दोनों उपक्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में काम कर रहे हैं और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार वे अपनी वाणिज्यिक नीतियाँ स्वयं निर्धारित करते हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नए केन्द्र

1157. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नए केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। सरकार का भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का एक नया परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) पूर्वी तट (विशाखापत्तनम के निकट), आंध्र प्रदेश।

(ग) लागू नहीं।

पिछड़े जिलों का विकास

1158. श्री मणि चारेनामै : क्या **प्रधानमंत्री** 4 मई 2005, के तारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के तामेंगलॉंग जिले के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई है;

(ख) जिले में किन योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि में से अब तक योजनावार कितना व्यय हुआ है;

(घ) अब तक शुरू की गयी विकास योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मणिपुर में पिछड़े जिले के रूप में उक्त जिले की पहचान करने के मानदण्ड क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) तामेंगलौंग जिले में राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल अनुमोदित/स्वीकृत राशि 45 करोड़ रुपये है, जिसे तीन वर्षों की अवधि के दौरान जारी किया जाएगा।

(ख) तामेंगलौंग जिले की जिला योजना की स्कीमों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान तामेंगलौंग जिले के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 15 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई थी। राज्य सरकार ने सितम्बर, 2005 तक 12.38 करोड़ रुपये व्यय होने की सूचना दी है। योजनाओं की सूची के साथ सितम्बर, 2005 तक हुए संचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके बाद दिनांक 28.10.2005 तक इस जिले के लिए 7.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अंतर-जिला असमानता विषय पर कराए गए विस्तृत अध्ययन के आधार पर तामेंगलौंग जिले की राज्य की सर्वाधिक पिछड़े जिले के रूप में पहचान हुई थी। इस जिले को मणिपुर के सर्वाधिक पिछड़े जिले के रूप में पहचान कराने का मानदण्ड न्यून साक्षरता, कम कृषि उत्पादकता, गरीबी का उच्च प्रसार, कम विकास, आदि है।

विवरण

योजनाओं की सूची और सितम्बर, 2005 तक प्रत्येक योजना के लिए हुए संचित व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	सितम्बर, 2005 तक हुए संचित व्यय (लाख रुपये)
1.	कृषि सड़क का निर्माण	280.45
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण	528.80
3.	उच्च विद्यालयों के कमरों का निर्माण	172.44
4.	तामेंगलौंग जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में ओटी, आईसीयू और एक्स-रे ब्लाक का निर्माण	38.62
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) का निर्माण	142.86
6.	जिला अस्पताल और नुन्गवा में टॉयलेट परिसर का निर्माण	10.56
7.	जिला अस्पताल में शव गृह और नुन्गबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	10.17
8.	तामेंगलौंग जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल की मरम्मत	7.00
9.	तामेंगलौंग में जिला अस्पताल का अहाता बनाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करना	9.80
10.	अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपकरण एवं फर्नीचर का प्रबंध	37.66
	कुल	1238.36

बायोटेक/जेनेटिक उत्पादों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति

1159. मो. मुकीम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बायोटेक/जेनेटिक उत्पादों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) रिकाम्बीनेंट आधारित थेरेपेटिक उत्पादों के बारे में मौजूदा विनियामक ढांचे को सुचारु करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तत्वावधान में डॉ. आर.ए. माशेलकर, महानिदेाक, सी.एस.आई.आर. की अध्यक्षता में रिकाम्बीनेंट फार्मा के संबंध में एक कार्य दल गठित किया गया है। उक्त समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

मानसिक रूप से विकलांग लोगों का उपयुक्त इलाज

1160. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग लोगों में से लगभग आधे बिना इलाज के रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार लोगों को उपयुक्त चिकित्सा प्रदान किए जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) लगभग 2–3 प्रतिशत जनसंख्या गंभीर मनश्चिकित्सीय विकार और 5–7 प्रतिशत जनसंख्या सामान्य मानसिक विकार से पीड़ित है। केन्द्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। अब सरकार के प्रयासों मानसिक रूप से बीमार रोगियों का शुरू की अवस्था में निदान करना तथा सामान्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से उनका उपचार करना है। मानसिक रूप से बीमार रोगियों का उपचार करने के लिए पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच बढ़ाने की व्यवस्था करने तथा उसकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 100 जिलों को कवर करने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने, 37 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा 75 चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सीय विंगों को सुदृढ़ करने, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बनाई गई है।

चिकित्सा पर प्रति व्यक्ति व्यय

1161. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या यह राशि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन जैसे विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में किया गया प्रति व्यक्ति व्यय 137 रुपये है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002 में विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :

देश	प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय (पीपीपी–यूएसडी)
भारत	96
जापान	2133
अमेरिका	5274
इंग्लैंड	2160
फ्रांस	2736
चीन	261

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मानव विकास रिपोर्ट, 2005

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधिदेश के अन्तर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर मुख्य ध्यान देते हुए अगले पांच वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट आवंटन को वर्ष

2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 में 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

सिकल सैल रोग

1162. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिकल सैल रोग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सिकल सैल रोग खराब हेमोग्लोबिन ढांचे के कारण होने वाली एक जैनेटिक बीमारी है। यह समस्या सामान्यतः देश के जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान है। यह एक अनुवांशिक रोग होने के कारण बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के एक भाग के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न उपचार संबंधी कार्यकलाप भी आरम्भ किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन के तहत सरकार ने सिकल सैल रोग सहित स्थानिकमारी रोगों समेत संचारी एवं गैर–संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आम जनता जिसमें अल्पसेवित राज्यों की जनजातीय जनता शामिल है, को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए हैं।

[अनुवाद]

पुलिस स्मारक को ध्वस्त करना/ ऊंचाई कम करना

1163. श्री सी. कुप्पुस्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में निर्माणाधीन पुलिस स्मारक को ध्वस्त करने या ऊंचाई कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्मारक की कोई समीक्षा करने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस मामले पर कोई निर्णय लेने से पहले ढांचे के कलात्मक, पर्यावरणीय और वास्तुशिल्पीय पहलुओं पर विचार किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली नगर कला आयोग ने यह सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2005 के निर्देशों की अनुपालना में दिल्ली नगर कला आयोग ने 17.10.2005 को हुई अपनी बैठक में नेशनल पुलिस मेमोरियल से सम्बद्ध प्रस्ताव की समीक्षा की है तथा शान्ति पथ के वैभव और परिदृश्य को बनाए रखने के लिए पुलिस मेमोरियल की ऊंचाई को उसकी स्थापना स्थल में या उसके आस–पास के पेड़ों की ऊंचाई से कम रखने की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने यह सूचित किया है कि प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया था जिसे स्थानीय निकाय और दिल्ली नगर कला आयोग का यथावत अनुमोदन प्राप्त था। सीपीडब्ल्यूडी ने आगे यह बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा गृह मंत्रालय, जिसकी ओर से इस परियोजना को निष्पादित किया गया था, के परामर्श से, यदि आवश्यक हुआ तो संरचना के पर्यावरणीय सौंदर्य और वास्तुशिल्पीय पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद एक संशोधित प्रस्ताव दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियां

1164. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निबटने के लिए लोक–निजी–नागरिक भागीदारी वाला समयबद्ध कार्यक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) यद्यपि सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी से संबंधित समस्या का विभिन्न सरकारी उपायों के जरिए समाधान किया जा रहा है तथापि इस संबंध में सार्वजनिक–निजी–नागरिक भागीदारी स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

1165. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कारगरता में सुधार लाने के आशय से यथा आवश्यक समुचित संशोधन करते हुए विभिन्न सुझावों की जांच–पड़ताल कर रही है।

कर्नाटक के लिए आवंटन

1166. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक के लिए कुल मंजूर/आवंटित/जारी की गई राशि कितनी है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) राज्य द्वारा कितनी राशि लौटाई गई;

(घ) राशि को लौटाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) कर्नाटक को सितम्बर, 2005 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर/आवंटित राशि कितनी है; और

(च) कर्नाटक सरकार द्वारा यह राशि किन परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) कर्नाटक का अनुमोदित नौवीं योजना परिव्यय 25631.70 करोड़ रुपये (वर्ष 1996–97 के मूल्यों पर) था।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि 26248.36 करोड़ रुपये थी (वर्ष 1996–97 के मूल्यों पर)। एनडीसी द्वारा अनुमोदित फार्मूले और योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य योजना व्यय हेतु संसाधन राज्यों के निजी संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता से बढ़ाए जाते हैं।

(ङ) और (च) कर्नाटक का अनुमोदित दसवीं योजना परिव्यय 43558.22 करोड़ रुपये था (वर्ष 2001–02 के मूल्यों पर) जिसे अनुमोदित और वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के बजट में शामिल स्कीमों और कार्यक्रमों पर राज्य द्वारा खर्च किया जाना है।

"नालको" एवं "सेल" को कोयला क्षेत्रों का आवंटन

1167. श्री जुएल ओराम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्युमीनियम कम्पनी (नालको) और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने सरकार से अपनी कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से कोयला क्षेत्र आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके अनुरोधों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) "नालको" ने केप्टिव खनन के लिए उत्कल–ई, उत्कल–एफ, राधिकापुर, तालाबीरा–II, बिजहान और नौगांव–तेलीसाही ब्लाकों की मांग की है। सेल ने तासरा तथा सितानाला कोयला ब्लाकों के लिए अनुरोध किया है। उत्कल–ई कोयला ब्लाक मैसर्स

नालको को आवंटित कर दिया गया है। उन्हें सूचित किया गया है कि नौगांव–तेलीसाही के अलावा अन्य ब्लाक जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया था, अन्य कम्पनियों को आवंटित करने का निर्णय किया गया है। तासरा सेल की एक सहायक कम्पनी इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को आवंटित किया गया है। नौगांव–तेलीसाही के लिए नालको का अनुरोध और सीतानाला ब्लाक के लिए "सेल" का अनुरोध इस मंत्रालय के जांचाधीन है।

मानव अंगों का व्यापार

1168. श्री अधीर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के बावजूद देश में बेरोकटोक व्यापार जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों को पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, किडनी के कथित गैर–कानूनी प्रत्यारोपण की कुछ घटनाओं की जानकारी भारत सरकार को मिली है। ऐसी घटनाओं के बारे में पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। किडनी सहित मानव अंगों की बिक्री और खरीद को पहले ही मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13 के तहत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार केन्द्र और राज्य सरकारों को दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त उपयुक्त प्राधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किडनी सहित मानव अंगों की बिक्री एवं खरीद सहित इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित संघ क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक उपयुक्त प्राधिकारी है। तथापि, राज्यों के मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कार्रवाई संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जानी होती है। बिना अधिकार के मानव अंग निकालने और मानव अंगों का व्यावसायिक कारोबार करने के लिए इस अधिनियम में पहले से ही सख्त दंड देने का उपबंध है।

(ग) से (ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए रिट याचिका संख्या 813/2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 6.9.2004 के निर्णय के अनुसार एक समीक्षा समिति गठित की गई है। सरकार को इस समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समीक्षा समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) इस बात को अनिवार्य बनाया जाए कि निकट संबंधी द्वारा अंग दान करने की कार्रवाई भी अधिकृत करने वाली समिति की देखरेख में हो।

(ii) अधिकृत करने वाली समिति के कार्य संबंधी दिशा–निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं।

(iii) आनुवांशिक संबंध और हिस्टोकाम्पेबिलिटी स्थापित करने संबंधी जांच स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए।

(iv) ओआरबीओ कार्यकलापों का विस्तार किया जाना चाहिए।

(v) शव दान पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(vi) प्रत्येक अस्पताल में आईसीयू/उपचार करने वाले चिकित्सा स्टाफ के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि दिमागी रूप से मृत रोगी के अंग दान के लिए उसके संबंधी से अनुरोध करें और दिमागी रूप से मृत रोगी के अंग दान की सूचना ओआरबीओ को दें।

(vii) शव के अंग दान करने वाले परिवार के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(viii) नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है।

सरकार इस समीक्षा समिति की रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का विचार कर रही है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित विभिन्न सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में किडनी और अन्य अंगों के गैर–कानूनी प्रत्यारोपण के मामले का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों का ब्यौरा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2004 के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किडनी के गैर–कानूनी प्रत्यारोपण संबंधी किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है।
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली और कक्कड़ अस्पताल, अमृतसर में गैर–कानूनी किडनी प्रत्यारोपण के बारे में छह प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली पुलिस ने दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने दिनांक 31.7.2005 को सूचित किया है कि छह प्राथमिकियों में से पांच प्राथमिकियों से संबंधित मामलों की इस समय जांच की जा रही है। छठी प्राथमिकी (दिनांक 29.3.2004 की संख्या 186) में शामिल मामले को साक्ष्य के अभाव में लापता के रूप में दर्ज किया गया है।
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
10.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बम्बई अस्पताल, मुम्बई के डा. एस. पी. त्रिवेदी पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई है। वे मानव अंगों के गैर–कानूनी व्यवसाय में लिप्त पाए गए हैं। दिनांक 3.12.2004 की स्थिति के अनुसार मुकदमा न्यायाधीन है।
11.	मणिपुर	शून्य
12.	मिजोरम	शून्य
13.	मेघालय	शून्य
14.	नागालैंड	शून्य
15.	पांडिचेरी	शून्य
16.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेषकर किडनी की

1	2	3
		खरीद का पता चला है जिसकी जांच इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष जांच दल द्वारा की जा रही है। जांच के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल नामतः राम सरन दास किशोरी लाल चेरीटेबल ट्रस्ट हास्पिटल, अमृतसर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अंग प्रत्यारोपण के नाम पर निर्धन लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण नहीं किया जा रहा है।
17.	सिक्किम	शून्य
18.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि 2004 के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।
19.	त्रिपुरा	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1.1.2004 से 31.11.2004 के बीच सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।
21.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 2004 के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य
23.	चण्डीगढ़	शून्य
24.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
25.	दमन और दीव	शून्य
26.	लक्षद्वीप	शून्य

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्युत के निजीकरण में कथित अनियमितताएं

1169. डा. चिन्ता मोहन :

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली में विद्युत के निजीकरण में कथित अनियमितता के संबंध में कोई जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जांच किस तारीख को शुरू हुई थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिल्ली में बिजली के निजीकरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित कुछ बातों पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उक्त अपेक्षित रिपोर्ट दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 को दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा डिप्लोमा जारी करना

1170. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत में मेडिकल शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने मेडिकल स्नातकोत्तरों को डिप्लोमा भी जारी करने शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या न्यायालय ने इसे अवैध बताया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की स्थापना आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में स्नातकोत्तर परीक्षा के मानक स्थापित करने के स्तर को उन्नत करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्राथमिक उद्देश्य से एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। यह बोर्ड डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड नामक डिग्री भी प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली डिप्लोमेट अर्हता विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर डिग्री और पोस्ट–डाक्टरल स्तरीय अर्हताओं के समान है और इन्हें 19 सितम्बर, 1983 को अधिसूचना के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।

भारत-फ्रांस नाभिकीय ऊर्जा सहयोग

1171. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारत की नागरिक नाभिकीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वचनबद्धता पेरिस में हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बैठक के दौरान हुई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत और फ्रांस के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) फ्रांस ने, भारत के साथ पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सिविलियन नाभिकीय सहकार की, और अन्य देशों तथा नाभिकीय संभरक वर्ग के साथ काम करके तथा द्विपक्षीय सहकार को और मजबूत करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने की आवश्यकता को मान्यता दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

मेट्रो मार्गों में परिवर्तन

1172. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री शिशुपाल एन. पाटले :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मेट्रो रेल के घोषित मार्गों को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परिवर्तित मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो परिवर्तित मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एनसीआर राज्यों द्वारा मेट्रो योजना के लिए मार्गों में प्रस्तावित परिवर्तन संबंधी दस्तावेज केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो परिवर्तित एनसीआर मार्गों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिल्ली मेट्रो के लिए अब तक अनुमोदित रूट इस प्रकार हैं :

(i) शाहदरा–रिठाला,

(ii) विश्वविद्यालय–केन्द्रीय सचिवालय,

(iii) इन्द्रप्रस्थ–द्वारका, द्वारका उपनगर तक विस्तार सहित।

इनमें से किसी में भी कोई बदलाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

1173. श्री बीर सिंह महतो :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में ठेकेदारों द्वारा कुछ कर्मचारी उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जी, हां। आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को काम पर रखे जाने का आशय उन्हें नियमित सरकारी रोजगार सुलभ करना नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता वस्तु पर किया जाने वाला खर्च

1174. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला खर्च मात्र 554 रुपये है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त दर्शाए गए लोगों में से 27 प्रतिशत लोग केवल 380 रुपये प्रति माह खर्च कर पाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के आंकड़े क्या है; और

(ङ) वे कौन–कौन से राज्य हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 554 रुपये प्रति माह के राष्ट्रीय औसत से कम खर्च कर रहे हैं और उनके द्वारा किए जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) रा.प्र. सर्वे. 59वें दौर (जनवरी–दिसम्बर, 2003 के अनुसार, ग्रामीण भारत का सम्पूर्ण भारत औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 554 रुपये था। तथापि जनवरी–जून, 2004 के दौरान आयोजित किए गए रा.प्र. सर्वे. 60वें दौर के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण भारत का (एमपीसीई) 565 रुपये था।

(ग) और (घ) रा.प्र. सर्वे. 59वें दौर (जनवरी–दिसम्बर, 2003) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 31 प्रतिशत व्यक्तियों ने 380 रुपये से कम व्यय किए। तथापि रा.प्र. सर्वे. 60वें दौर (जनवरी–जून, 2004) के अनुसार लगभग 29 प्रतिशत व्यक्तियों ने 380 रुपये से कम व्यय किए।

(ङ) उन चयनित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जहां यह रा.प्र. सर्वे. 59वें दौर के अनुसार 554 रुपये और रा.प्र. सर्वे. 60वें दौर के अनुसार 565 रुपये के राष्ट्रीय औसत से कम है को संलग्न विवरण–I में दिया गया है। रा.प्र. सर्वे. 60वें दौर के अनुसार इन राज्यों में 30 दिनों का प्रति व्यक्ति औसत व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (ग्रामीण) रुपयों में (59वां दौर)	औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (ग्रामीण) रुपयों में (60वां दौर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	567*	557
2.	असम	520	532
3.	बिहार	415	442
4.	छत्तीसगढ़	409	417
5.	झारखंड	422	405
6.	कर्नाटक	556*	502
7.	मध्य प्रदेश	455	437

1	2	3	4
8.	उड़ीसा	398	414
9.	त्रिपुरा	561*	498
10.	उत्तर प्रदेश	509	538
11.	पश्चिम बंगाल	538	580*

*संबंधित दौरों में औसत एमपीसीई राष्ट्रीय औसत से उच्चतर है।

स्रोत : रिपोर्ट सं. 490 रा.प्र. सर्वे. 59वां दौर (जनवरी–दिसम्बर, 2003) और रा.प्र. सर्वे. 60वां दौर (जनवरी–जून, 2004)।

विवरण-II

उपभोग मदों के समूहों के संबंध में प्रति व्यक्ति 30 दिनों का औसत व्यय (रुपये)–राज्यवार

ग्रामीण

मद समूह	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखंड	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनाज	118.88	132.31	111.76	124.62	112.11	91.92	83.75	112.25	113.86	93.96
चना	0.12	0.20	1.02	0.15	1.26	1.00	0.62	0.20	0.05	0.47
अन्य अनाज	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.30	0.01	0.26	0.06
दालें एवं उनके उत्पाद	17.44	17.07	14.54	12.07	13.03	17.14	16.21	11.04	11.72	19.18
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	31.10	21.15	35.50	9.37	19.04	31.03	42.72	12.34	17.98	54.21
खाद्य तेल	27.59	25.09	22.86	19.61	20.93	21.33	21.16	16.32	20.49	24.82
अंडा, मछली एवं मांस	25.09	47.74	10.64	8.87	13.91	16.24	4.45	17.12	51.58	8.66
सब्जियां	29.54	44.58	31.32	30.56	34.85	23.23	23.05	34.12	38.67	30.25
फल (ताजा)	8.50	4.59	2.70	3.81	2.54	12.22	4.22	4.81	6.85	5.03
फल (सूखे)	2.29	0.21	0.46	0.71	0.12	1.99	0.86	0.24	0.20	2.15
चीनी	6.87	8.11	6.92	8.12	6.91	10.94	12.05	7.08	5.47	14.02
नमक	1.17	1.70	0.99	0.96	1.19	1.02	0.92	1.23	1.55	0.79
मसाले	16.15	8.13	9.32	7.65	9.12	12.65	10.20	7.66	8.69	10.20
पेय पदार्थ, आदि	26.64	21.87	12.55	11.37	13.04	32.12	13.94	17.56	16.30	16.43
खाद्य योग	311.38	331.75	260.59	237.88	248.06	272.80	234.43	241.98	293.67	280.23
पान	0.93	9.64	0.74	1.26	0.85	4.31	2.12	4.27	7.00	2.22
तम्बाकू	9.28	5.26	3.82	4.40	3.92	5.99	7.25	3.25	18.83	8.12
मादक पदार्थ	9.86	6.03	2.02	4.46	5.04	4.69	3.56	3.43	6.62	2.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ईंधन एवं रोशनी	45.46	45.24	45.03	46.65	39.22	50.88	51.65	43.75	42.24	50.97
वस्त्र	37.67	39.98	34.73	34.56	32.25	40.77	33.78	31.68	28.99	38.90
जूते	4.12	4.86	3.32	3.74	3.43	4.89	5.20	2.43	3.79	5.61
शिक्षा	14.38	14.14	10.07	7.21	11.33	9.33	9.70	6.94	19.33	17.13
चिकित्सा (संस्थागत)	6.21	3.06	12.79	1.70	3.16	8.00	4.86	7.51	2.98	6.50
चिकित्सा (गैर–संस्थागत)	26.92	11.23	13.06	16.96	9.26	16.80	19.20	15.82	24.33	35.42
विविध उपभोक्ता वस्तुएं	37.54	29.77	21.79	27.02	24.51	33.51	25.55	21.75	20.14	27.60
उपभोक्ता सेवाएं	33.35	20.13	21.33	16.80	15.82	35.13	25.37	14.71	20.66	38.72
किराया	5.87	0.10	0.04	0.05	0.90	3.03	0.45	0.24	0.00	0.19
कर एवं उपकर	1.60	0.18	0.02	0.01	0.00	1.61	0.26	0.03	0.00	0.08
टिकाऊ सामान	12.55	10.33	13.13	14.64	7.05	9.87	13.96	16.29	9.00	23.89
गैर–खाद्य योग	245.73	199.94	181.90	179.45	156.73	228.80	202.91	172.11	203.91	257.95
योग उपभोक्ता व्यय	557.11	531.69	442.49	417.33	404.78	501.60	437.34	414.08	497.58	538.18
वस्त्र (पुराने)	0.16	1.36	0.17	0.05	0.08	0.24	0.51	0.09	0.04	0.08
टिकाऊ सामान (पुराना)	0.14	0.02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00	1.14
अनुमानित परिवारों की सं. (00)	127303	40390	110459	34835	36682	69645	84793	64626	5867	218838
अनुमानित व्यक्तियों की सं. (00)	524647	214718	608966	181347	208451	347599	463079	311406	28215	1292269
प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या	2972	2374	4341	1269	1685	2079	2753	2307	811	8927

स्रोत : रिपोर्ट सं. 505, रा.प्र. सर्वे. 60वां दौर (जनवरी–जून, 2004)

झुग्गी-झोंपड़ी वासियों का पुनर्वास

1175. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली के हजारों झुग्गी–झोंपड़ी वासियों का चरणबद्ध रूप से पुनर्वास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य योजना में कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या डीडीए ने इस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है;

(च) क्या डीडीए ने विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कुछेक झुग्गी–झोंपड़ी वासियों का पुनर्वास किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वर्षवार होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) स्लम/झुग्गी वासियों का पुनर्वास मुख्यतः स्मल एवं झुग्गी–झोंपड़ी विभाग, दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि जिन मामलों में सार्वजनिक परियोजना के लिए अथवा न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में भूमि की तत्काल आवश्यकता होती है, उन मामलों में स्क्वेटरों को सरकारी भूमि से हटाकर अन्यत्र बसाया जाता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बवाना, होलांबी कलां, भलस्वा, सावडा/घेबरा और कादीपुर क्षेत्रों में पुनर्वास करने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं झुग्गी–झोंपड़ी विभाग को 692 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और विकास करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है।

(च) और (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि गत 3 वर्षों में 51 झुग्गी समूहों को हटाया गया है और 18751 झुग्गी वासियों को विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में पुनर्स्थापित किया गया है। उनके पुनर्वास पर 82.50 करोड़ रुपये (करीब) की राशि खर्च की गई है।

कृतिक बल का गठन

1176. श्री रशीद मसूद : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोई कृतिक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल का गठन कब तक हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, नियमों और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी स्थानीय निकायों को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

बच्चों की खाने की आदतों के संबंध में सर्वेक्षण

1177. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केन्द्र ने दिल्ली के बच्चों की खाने की आदतों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बच्चों की खाने की आदतों का पता लगाने के लिए देश के अन्य भागों में भी इसी एजेंसी अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से वैसा ही सर्वेक्षण कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) एक गैर–सरकारी संगठन–दिल्ली डाईबिटिज रिसर्च सेंटर ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के स्कूली बच्चों में मधुमेह के बारे में जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किया तथा मोटापे और मधुमेह से इसके संबंध पर अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि शारीरिक कार्यकलापों/व्यायाम की कमी तथा फास्ट फूड और शीतल पेयों का अत्यधिक उपयोग इन बच्चों में अधिक वजन/स्थूलता का प्रमुख कारण है।

(ग) और (घ) इस समय इसी संगठन अथवा अन्य एजेंसी के माध्यम से देश के अन्य भागों में बच्चों के खान–पान संबंधी आदतों का पता लगाने के लिए ऐसे सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

1178. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सीबीआई ने सीजीएचएस अधिकारियों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है;

(घ) क्या भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए अधिकारी अभी भी सेवारत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस अधिकारियों के विरुद्ध 9 मामले दर्ज किए हैं। मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तीन मामलों में आरसी संख्या आरसीसीएए 2004ए0030, आसी–23(ए)/2002–जीडब्ल्यूएच–एसएचजी एवं आरसी 13(ए)/2003 के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एक मामले में अधिकारी को चेतावनी दी गई है और अन्य दो मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की है। अन्य 6 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच अभी भी चल रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले की सूची

क्र.सं.	नियमित मामला संख्या
1.	आरसी–जीएआई 2004ए0015/एसपीई/सीबीआई/जयपुर दिनांक 31.7.2004
2.	आरसी–जीएआई 2004ए0016/एसपीई/सीबीआई/जयपुर दिनांक 31.7.2004
3.	आरसी–डीएआई/2004ए0001 दिनांक 31.7.2004
4.	आरसीसीएए 2004ए0030 दिनांक 24.6.2004
5.	आरसीजीएआई 2003ए0005
6.	आरसी 2/2004–ईओयू–VII 292 दिनांक 12.1.2004
7.	आरसी 23(ए)/2002–जीडब्ल्यूएच–एसएचजी
8.	आरसी जीडब्ल्यूएच 2004ए0012 दिनांक 21.6.2004
9.	आरसी 13(ए)/2003

[अनुवाद]

अपात्र संस्थानों को भूमि का आवंटन

1179. श्रीमती सुस्मिता बाउरी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए ने गरीब लोगों हेतु अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करने के लिए अपात्र और गैर–निष्पादनकारी संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटित की थी;

(ख) क्या डीडीए द्वारा ऐसे 27 अस्पतालों को रियायती दर पर संस्थागत भूमि का आवंटन किया गया था, जिनमें से 23 अस्पतालों ने भूमि के आवंटन की तिथि से चार वर्ष से लेकर तीस वर्षों तक की अवधि गुजर जाने के बाद भी कार्य करना शुरू नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपात्र संस्थानों से भूमि और बकाया राशि वसूलने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि "आर्यवैद्यशाला, कोट्टकल" "यूनिक हॉस्पिटल" और "धर्मशाला कैंसर फाउंडेशन अस्पताल" नामक अयोग्य संस्थानों को 3 आवंटन किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचना दी है कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इन सभी तीन आवंटनों में से प्रत्येक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि जिन संस्थानों को अस्पताल हेतु भूमि आवंटित की गई थी, उनमें से केवल 16 अस्पतालों ने अभी तक अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इनमें से 2 मामलों में निर्माण कार्य चल रहा है, 8 मामलों में अनुमोदित/बढ़ाई गई समय सीमा अभी तक खत्म नहीं हुई है तथा 1 मामला भूमि उपयोग के परिवर्तन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, 2 मामलों में आवंटन रद्द कर दिए गए हैं शेष 3 मामलों में आवंटन रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल का विस्तार

1180. श्री राजनरायन बुधौलिया :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफदरजंग अस्पताल के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है;

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना को शुरू करने में विलंब के यदि कोई हों, तो क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) चूंकि किसी भी अस्पताल में आधुनिकीकरण/नवीनतम उपस्कर की व्यवस्था/पुनर्गठन/नई सुविधाएं बढ़ाना चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, अतः फिलहाल सफदरजंग अस्पताल का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में एड्स कार्यक्रम

1181. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले में "एड्स मुक्त बेल्लारी" कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित, जारी और खर्च की गई है;

(घ) अभी तक क्या परिणाम हासिल किए गए हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इस जिले में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार को एड्स के मरीजों का इलाज करने के लिए बेल्लारी जिले में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इन अस्पतालों के कब तक निर्माण किए जाने और कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) 'एड्स मुक्त बेल्लारी' कार्यक्रम में तीन एजेंसियों अर्थात् बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएनडीपी (चरका) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) से प्राप्त सहायता शामिल है।

(ग) आवंटित जारी की गई और खर्च की गई धनराशि के एजेंसीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, कर्नाटक के माध्यम से स्वैच्छिक परामर्शन और परीक्षण केन्द्रों (वीसीटीसी) की स्थापना, माता–पिता से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम, परामर्शन, परिचर्या और सहायता, रक्त सुरक्षा उपाय और एंट्री रिट्रोवायरल उपचार सुविधा से जुड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। चालू वर्ष से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से शुरू किए गए 'तीन' माडल जिला परियोजना में से एक जिले के रूप में बेल्लारी जिले को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

क्षमता निर्माण और जागरूकता परियोजना के माध्यम से समन्वित एचआईवी/एड्स और एसटीडी रिस्पांस कार्यक्रमों के तहत जिले के 281 स्वास्थ्य कर्मियों (पुरुष और महिला) तथा 1235 आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बेल्लारी जिले के ताल्लुकों में ग्राम स्तर पर एमवाईआरएडीए और महिला समाख्या के सहयोग से जन–जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से जिले में खनन, इस्पात, परिधान, ग्रेनाइट, परिवहन और होटल उद्योगों से जुड़े कार्यस्थल क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

स्वैच्छिक परामर्शन और परीक्षण तथा माता–पिता से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम से संबंधित 3 केन्द्र वीआईएमएस

बेल्लारी, जनरल हास्पिटल, कुडलीगी और होसपेट ताल्लुक में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 वीसीटीसी केन्द्र, एक पीपीटीसीटी केन्द्र, एक परिचर्या और सहायता केन्द्र, 2 रक्त बैंक, एक आर्ट सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।

अगस्त, 2005 तक, कुल 8732 माताओं का प्रसव पूर्व परीक्षण किया गया जिसमें से 122 को एचआईवी से ग्रस्त पाया गया जिन्हें नवजात शिशुओं के साथ–साथ प्रोफिलैक्टिक नेवायरापाइन के प्रयोग का परामर्श दिया गया।

इसी प्रकार जून, 2005 तक वीसीटीसी पर 6794 व्यक्तियों की जांच की गई जिनमें से 1810 व्यक्तियों को पाजिटिव पाया गया तथा उन्हें प्रसव पूर्व एवं बाद में परामर्श दिया गया।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

(ज) से (ञ) ऐसे अस्पतालों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वीआईएमएस अस्पताल, बेल्लारी को एआरटी केन्द्र स्वीकृत किया गया है ताकि निःशुल्क एआरटी उपचार शुरू किया जा सके।

विवरण

जारी राशि और व्यय राशि का एजेंसीवार विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	एजेंसी	अवधि	आवंटित राशि तथा जारी राशि	व्यय राशि
1.	कर्नाटक एसएसीएस के माध्यम से यूएनडीपी चरका	1.1.04 से 31.12.04 तक	14.70	14.59
		1.1.05 से 30.10.05 तक	30.711	27.189
2.	कर्नाटक हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट के माध्यम से बिल एण्ड मिलेंडा गेट फाउंडेशन	1.1.04 से 31.3.05 तक	7.83	7.50
		1.4.05 से 30.10.05 तक	5.05	5.01

दोहरी नागरिकता

1182. श्री एल. गणेशन : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता का दर्जा देने हेतु पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदकों को यह दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या ये लोग केन्द्र सरकार की पेशकश को स्वीकार करने में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) हां, प्रवासी भारतीयों के लिए।

(ख) भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) योजना शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए ये लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना

1183. श्री ब्रजेश पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को राज्य

सरकार के कर्मचारी पर मुकदमा चलाए जाने के संबंध में कोई सिफारिश करने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीवीसी द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के क्षेत्राधिकार में नहीं आते।

(घ) से (च) तद्नुसार, यह आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अपनी सलाह नहीं देता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1184. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस समय उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार हेतु पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोग मुख्य भूमि में लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर ही पूरी तरह निर्भर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या द्वीप समूह के लोगों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दिनांक 12.4.2005 को पूरे देश के लिए शुरू कर दिया गया है जिसमें 18 राज्यों जिनके सामाजिक जनांकिकीय संकेतक कमजोर हैं और जिनके पास खराब जन स्वास्थ्य अवसंरचना है, पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस द्वीपसमूह के लोगों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कवर किया गया है। इस मिशन में ग्राम और ब्लाक स्तर सहित योजना प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। मिशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाओं को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के स्तर तक लाने का प्रयास किया गया है ताकि विशेषज्ञ परिचर्या समुदाय के निकट उपलब्ध की जा सके।

(घ) लागू नहीं होता।

लंदन के बम धमाकों में भारतीय लोगों का हताहत होना

1185. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में 7 जुलाई, 2005 को हुए धमाके में अनेक भारतीय लोगों की जानें गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार मृत लोगों की अस्थियों को भारत लाने के लिए यू.के. सरकार से बातचीत कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजा दिए जाने हेतु यू.के. सरकार के साथ मुद्दा उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय मूल के दो नागरिकों, सुश्री माला त्रिवेदी एवं सुश्री नीतू जैन, को 7 जुलाई, 2005 को लंदन में हुए बम धमाकों के पीड़ितों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन पीड़ितों में से किसी के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। लंदन स्थित हमारे उच्चायोग से किसी तरह की सहायता के लिए सम्पर्क नहीं किया गया था।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर की सड़क परियोजना

1186. श्री एम. शिवन्ना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने केन्द्र सरकार के समक्ष बंगलौर शहर में 492 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा करने और विकसित करने हेतु 516 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। तथापि, बंगलौर में 174 कि.मी. लम्बी सड़कों के विकास के लिए 513 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता के लिए कर्नाटक सरकार से दिनांक 8.11.2005 को एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजनयिक की पत्नी के साथ कथित दुर्व्यवहार

1187. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश के एक उद्योगपति ने एक भारतीय राजनयिक की पत्नी को कथित रूप से रोककर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है जैसा कि 18 सितम्बर, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) 15 सितम्बर, 2005 को ढाका स्थित भारत के उच्चायोग का राजनयिक प्लेटों वाले एक वाहन को ढाका की एक आम सड़क पर कुछ व्यक्तियों के दल द्वारा रोका गया जिसमें कार्यकारी उच्चायुक्त की पत्नी भी सवार थीं। स्वचालित एसाल्ट शस्त्रों के साथ कुछ सशस्त्र व्यक्तियों सहित अनेक लोगों ने मिशन के वाहन पर हमला किया और कार्यकारी उच्चायुक्त की पत्नी के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया तथा बलपूर्वक वाहन तथा वाहन चालक को बंदी बनाए रखा।

(ग) उच्चायुक्त ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इस मामले को नई दिल्ली में बंगलादेश के कार्यकारी उच्चायुक्त और ढाका में बंगलादेश की सरकार के समक्ष उठाया गया जिसमें इस घटना के प्रति हमारी गहरी चिंता और आघात को व्यक्त किया गया है। इस मामले में बंगलादेश सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया गया है।

(घ) बंगलादेश सरकार के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में इस घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और यह आश्वासन दिया कि "विदेशी राजनयिकों" को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ङ) सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त सभी को, विशेषकर संवेदनशील केन्द्रों में नियुक्त कार्मिकों को सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

कुपोषण से होने वाली मौतें

1188. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुपोषण के कारण मारे गए बच्चों और वयस्कों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुपोषण से राज्यवार कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रभावित राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितनी सहायता जारी की गई है तथा यह सहायता किन तारीखों को दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) कुपोषण के कारण हुई बच्चों और वयस्कों की मौतों की संख्या के ब्यौरे केन्द्रीय आधार पर नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, कुपोषण एक बहुमुखी समस्या है और मौत का एक सीधा कारण नहीं है, लेकिन यह संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध शक्ति को कम करके रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि कर सकता है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–2) (1998–99) के अनुसार, 3 वर्ष से कम आयु के 47 प्रतिशत बच्चे अल्पपोषित हैं जबकि 18 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से अल्पोषित हैं। कुपोषित बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अन्तर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों के स्वास्थ्य और पौषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु निदेशित कार्यकलापों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान द्विवार्षिकी (2004–05) के लिए "पोषण" शीर्ष के अधीन नियमित बजट से 100,000 अमरीकी डालर आवंटित किए हैं।

विवरण-I

अल्प पोषित बच्चों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	आयु के अनुसार वजन	
	गंभीर रूप से अल्प पोषित (3 एसडी से नीचे प्रतिशत)	अल्प पोषित* (2 एसडी से नीचे प्रतिशत)
1	2	3
भारत	18.0	47.0
उत्तर		
दिल्ली	10.1	34.7
हरियाणा	10.1	34.6
हिमाचल प्रदेश	12.1	43.6
जम्मू व कश्मीर	8.3	34.5
पंजाब	8.8	28.7
राजस्थान	20.8	50.6
केन्द्रीय		
मध्य प्रदेश	24.3	55.1
उत्तर प्रदेश	21.9	51.7
पूर्व		
बिहार	25.5	54.4
उड़ीसा	20.7	54.4
पश्चिम बंगाल	16.3	48.7
उत्तर-पूर्व		
अरुणाचल प्रदेश	7.8	24.3
असम	13.3	36.0
मणिपुर	5.3	27.5
मेघालय	11.3	37.9
मिजोरम	5.0	27.7
नागालैंड	7.4	24.1
सिक्किम	4.2	20.6
पश्चिम		
गोवा	4.7	28.6
गुजरात	16.2	45.1
महाराष्ट्र	17.6	49.6
दक्षिण		
आंध्र प्रदेश	10.3	37.7
कर्नाटक	16.5	43.9
केरल	4.7	26.9
तमिलनाडु	10.6	36.7

*इन आंकड़ों में गंभीर रूप से अल्प पोषित भी शामिल हैं।

विवरण-II

आईसीडीएस योजना के अधीन जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस (सामान्य), विश्व बैंक और उड़ीसा के अधीन निधियां		
		2002–03	2003–04	2004–05 (9.12.2004 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14884.25	11135.88	7277.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	2530.72	1552.73	1050.65
3.	असम	8121.08	4489.45	4355.16
4.	बिहार	7833.94	5354.59	10511.47
5.	गोवा	435.75	420.70	294.52
6.	गुजरात	7055.28	9894.54	9405.58
7.	हरियाणा	4349.41	4446.88	4425.10
8.	हिमाचल प्रदेश	2194.40	1603.66	2657.26
9.	जम्मू व कश्मीर	3728.75	2415.88	1965.07
10.	कर्नाटक	10699.29	11341.87	10654.35
11.	केरल	6621.08	9585.50	5714.10
12.	मध्य प्रदेश	15528.51	16002.77	9573.86
13.	महाराष्ट्र	18935.09	19598.87	9398.19
14.	मणिपुर	2360.06	1453.55	1246.90
15.	मेघालय	1181.87	881.52	1369.16
16.	मिजोरम	1149.44	852.63	673.54
17.	नागालैंड	2416.47	1509.28	1087.50
18.	उड़ीसा	8726.42	11523.81	10666.93
19.	पंजाब	3777.09	4943.21	3904.27
20.	राजस्थान	11625.54	11727.65	11853.17
21.	सिक्किम	280.97	173.69	289.14
22.	तमिलनाडु	13459.18	10855.27	14397.55
23.	त्रिपुरा	1403.95	1822.82	1109.46
24.	उत्तर प्रदेश	13659.04	19095.23	19499.37
25.	पश्चिम बंगाल	16629.63	15873.69	8631.59
26.	छत्तीसगढ़	7294.93	6581.19	4327.21
27.	झारखंड	947.15	1862.83	4319.66
28.	उत्तरांचल	6495.63	3081.25	2398.77
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	दिल्ली	1014.18	1172.42	815.74
30.	पांडिचेरी	241.05	205.54	175.78
31.	अंडमान व निकोबार	164.32	193.18	157.52
32.	चंडीगढ़	121.50	142.54	121.49
33.	दादरा व नगर हवेली	42.00	48.50	45.13
34.	दमन व दीव	43.24	41.41	38.98
35.	लक्षद्वीप	30.83	39.64	25.15
	कुल	195982.03	191924.17	164436.66

[अनुवाद]

"कनजेशन" का बढ़ता हुआ स्तर

1189. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में "कनजेशन" के बढ़ते हुए स्तर के

कारण विभिन्न आपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेल्युलर मोबाइल फोन सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है जैसा कि 18 अक्तूबर, 2005 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जुलाई, 2000 में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियम जारी किया था और बाद में जुलाई, 2005 में इसे संशोधित किया था ताकि बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन कंजेशन सहित सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के मानदंड बनाए जा सकें। ट्राई तिमाही निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्टों के माध्यम से उपर्युक्त विनियम में विभिन्न पैरामीटरों के लिए दिए गए मानदंडों की तुलना में सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग कर रहा है।

वायरलैस टेलीफोनों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण इस वृद्धि के अनुरूप अपर्याप्त अवसंरचना की वजह से और प्रचालकों के बीच पर्याप्त संख्या में जंक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण संकुलन की समस्याओं की जानकारी मिली है। संकुलन में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कालों में रुकावट आने, आवाज की क्वालिटी खराब होने, कनेक्टिविटी खराब होने की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

ट्राई मासिक आधार पर सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों के प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन कंजेशन की मानीटरिंग कर रहा है। ट्राई ने सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की पूर्ति में आई कमियों को दूर करने हेतु सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के साथ अनेक बैठकें भी आयोजित की हैं।

उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के अनुरूप नेटवर्क का विस्तार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। दूरसंचार प्रचालक ट्राई निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हज यात्रियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं

1190. श्री देविदास पिंगले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय हज यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेषज्ञों के दल को भेजे जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और ऐसे दल के लिए कुल कितने चिकित्सक और फार्मासिस्ट निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2006 के दौरान सरकार द्वारा हज यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) हज 2006 हेतु प्रतिनियुक्त किए गए डाक्टरों और पराचिकित्सीय कर्मचारियों (फार्मासिस्टों सहित) की संख्या क्रमश: 143 एवं 146 है। डाक्टरों और पराचिकित्सीय कर्मचारियों का चयन हज यात्रियों की क्षेत्रीय एवं भाषाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। चयन संबंधी अर्हता मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सऊदी अरब में भारतीय चिकित्सा अभियान में उपयुक्त संख्या में डाक्टरों एवं पराचिकित्सीय कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। मक्का में मुख्य अस्पताल तथा मदिना में मुख्य चिकित्सालय के अतिरिक्त, मक्का में 11 शाखा चिकित्सालयों, मदिना में 4 शाखा चिकित्सालयों और हवाई अड्डा एवं मीना क्षेत्र में चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है।

विवरण

हज 2006 हेतु भारतीय महाकौंसलावास, जेद्दाह, सऊदी अरब में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता मानदण्ड एवं नियम व शर्तें

चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कर्मचारी

(क) अर्हता की शर्तें :

- डाक्टरों के लिए : अभ्यर्थी को इस समय एक केन्द्र/राज्य सरकार के अस्पताल अथवा चिकित्सालय में सेवारत होना चाहिए तथा चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के रूप में पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। हालांकि, यदि पांच वर्षों के अनुभव वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो दो वर्षों के अनुभव वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है।

- मात्र एलोपैथिक डाक्टर : सामान्य प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, सर्जन, आर्थोपेडिक्स, गायनाकालॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑप्थैलमोलॉजिस्ट, पेडिट्रिसियन, डॅटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं कार्डियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ भी पात्र हैं।
- पराचिकित्सा के लिए : अभ्यर्थी के पास नर्सिंग/ईसीजी/लैब. टेक्निशीयन में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा आवश्यक है।
- फार्मासिस्ट के पास बी. फार्मा डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।
- अभ्यर्थी की आयु 1.1.2006 को 50 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से तंदरूस्त होना चाहिए और सऊदी अरब में लम्बी सेवा अवधि तक तथा कठिन जलवायु एवं जीवनयापन परिस्थितियों में कार्य करने के योग्य होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को अपने कैडर में एक स्थायी पद पर होना चाहिए।
- जिन अभ्यर्थी को पहले तीन या अधिक बार प्रतिनियुक्त किया जा चुका है, वे पात्र नहीं होंगे। यह शर्त महिला डाक्टरों तथा महिला फार्मासिस्टों पर लागू नहीं होती है।

(ख) वांछनीय योग्यताएं :

- क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त ग्राह्यता दी जाएगी।
- प्रोफेसरों, अस्पतालों के निदेशकों तथा वरिष्ठ पदधारियों को आवेदन नहीं करना चाहिए। पैथोलॉजिस्टों, एनेथेटिस्टों, साइकिएट्रिस्टों, माइक्रोबायोजिस्टों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

नोट : समस्त आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। सीधे भेजे गए आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डाकघरों का खोला जाना

1191. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में नए डाकघर खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में डाकघर खोलने का कोई औचित्यसम्मत प्रस्ताव नहीं है।

डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदण्डों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। नए डाकघर खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में नए डाकघर खोलने के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि सभी तीनों प्रस्ताव विभागीय मानदण्डों के अनुसार औचित्यसम्मत नहीं हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

डाकघर खोलने के मानदण्ड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदण्ड :

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों

में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33.3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदण्ड :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/– रुपये तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/– रुपये है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरम्भ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक–दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

विवरण-II

वर्तमान वित्तीय वर्ष (वर्ष 2005–06) के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में नए डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावों का विवरण	जिन मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव औचित्यसम्मत नहीं पाया गया
1.	उत्तरी 24 परगना जिला के विधाननगर के वार्ड नंबर 23 में नया विभागीय उप डाकघर खोलना।	मौजूदा नजदीकी डाकघर से प्रस्तावित डाकघर की दूरी 1/2 कि.मी. है। इसलिए दूरी संबंधी मानदण्ड के आधार पर प्रस्तावित डाकघर खोलना औचित्यसम्मत नहीं है।
2.	उत्तरी 24 परगना में नातागढ़ विभागीय उप डाकघर के वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत अंबिकापुर में नया विभागीय उप डाकघर खोना जाना।	नजदीकी मौजूदा डाकघर से प्रस्तावित विभागीय उप डाकघर की दूरी एक कि. मी. है। अतः दूरी मानदण्ड के आधार पर प्रस्तावित डाकघर खोलना औचित्यसम्मत नहीं है।
3.	उत्तरी 24 परगना जिला में पूर्बा हथगाचा गांव में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना।	सबसे नजदीकी मौजूदा डाकघर से प्रस्तावित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर की दूरी 2.5 कि.मी. है और प्रस्तावित डाकघर की लागत पर आय की प्रतिशतता 27.11 प्रतिशत है। अतः दूरी और आय मानदण्डों के आधार पर प्रस्तावित डाकघर खोलना औचित्यसम्मत नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

1192. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद (झारखंड) की विभिन्न कोयला खानों में वर्षों से लगी हुई आग को अभी तक बुझाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसी कितनी खानें हैं;

(घ) प्रति वर्ष कोयले की अनुमानित कितनी मात्रा जलकर राख हो गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकरण से पूर्व झरिया कोलफील्ड में 70 खानों में आग लगी हुई थी। भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 10 खानों में आग बुझा ली गई है और अनेक आगों के फैलने को नियंत्रित कर लिया गया है। वर्तमान में, भारत कोकिंग कोल लि. के कार्य–क्षेत्र के अन्तर्गत झरिया कोलफील्ड (धनबाद) में आग द्वारा प्रभावित 40 खानें हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित आगों को छोड़कर वर्तमान में कोल इंडिया लि. की कोई अन्य ऐसी खान नहीं है जिसमें आग लगी हो। विगत में, कुछ खानों में आग के कुछ मामले रहे हैं जिनमें आग्नेय सीमें थीं जो अब नियंत्रित कर ली गई हैं और सील कर दी गई हैं। आग से नष्ट हो रहे कोयले का वार्षिक आकलन करना संभव नहीं है। तथापि, सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार झरिया कोलफील्ड में आग के कारण नष्ट हुए कोयले के भंडारों को लगभग 37 मिलियन टन आकलित किया गया है।

(ङ) कोयला खानों में आग को बुझाने/नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) बोरहोलों के माध्यम से सतह से भूमि के नीचे सक्रिय आग क्षेत्र में रेत भराई।

(2) अग्नि क्षेत्र में हवा के पहुंचने को रोकने के लिए सतह की ब्लैंकेटिंग करना।

(3) आग बुझाने के लिए बोरहोलों के माध्यम से इनर्ट गैस अन्दर फेंकना।

(4) स्थल आग को बुझाना और बुझे हुए कोयले का खनन करना।

(5) आग अवरोधों/पृथक् अवरोधों के निर्माण द्वारा आग लगी खान के एक भाग को सील किया जाना।

(6) पृथक् अवरोधों/आग अवरोधों के आस–पास प्रतिरोधक सीलेन्ट का उपयोग किया जाना।

(7) सह–डिटेक्टरों, टोक्सीमीटर, वायु नमूनाकरण की सहायता से नियमित प्रबोधन किया जाना तथा कोलियरी स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाना।

(8) आग की खुदाई करने और इसे फैलने से रोकने के लिए यंत्रीकृत साधनों द्वारा ट्रेन्च कटाई।

(9) कुछ खानों में आग बुझाने के लिए जल को इरादतन अन्दर भर देना।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, बीसीसीएल में आग से निपटने, धंसाव को रोकने और भूमि/पुनर्वास के नवीनीकरण हेतु सरकार द्वारा 16 योजनाओं को स्वीकृत तथा वित्त–पोषित किया गया है। इनमें से 9 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एक दीर्घावधि उपाय के रूप में झरिया कोलफील्ड में धंसाव के नियंत्रण और आग से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र

1193. श्रीमती मेनका गांधी : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों द्वारा स्थानवार कितने क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इन केन्द्रों पर केन्द्रवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नए नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों (एसवाईके) और केन्द्रों द्वारा, स्थान–वार कवर किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर खर्च की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युक्त संगतिकरण और विस्तार के लिए प्रस्ताव पर अन्तर–मंत्रालयी परामर्श की अवस्था पर सहमति नहीं हुई थी। अन्तिम निर्णय के लिए विशिष्ट समयावधि को बताया नहीं जा सकता है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्रों के स्थान–वार ब्यौरे ओर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर खर्च की गई राशि

क्र.सं.	नेहरू युवा केन्द्रों की स्थिति	कवर किए गए क्षेत्र	खर्च की गई धनराशि (रुपयों में)			
			2002–03	2003–04	2004–05	2005–06 (31 अक्तूबर 2005)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आगरा	संपूर्ण जिला	787164	1022265	961558	353555
2.	अलीगढ़	संपूर्ण जिला	1058290	980475	1191982	319987
3.	इलाहाबाद	संपूर्ण जिला	177191	1948806	794111	295128
4.	आजमगढ़	संपूर्ण जिला	1069721	3687816	1322128	332585
5.	बदायूं	संपूर्ण जिला	817057	713218	1016573	321904
6.	बहराइच	संपूर्ण जिला	1089438	806976	1185940	374817
7.	बलिया	संपूर्ण जिला	697441	903504	1003073	323322
8.	बांदा	संपूर्ण जिला	2013681	640702	768218	335217
9.	बाराबंकी	संपूर्ण जिला	149839	1583135	1075414	358508
10.	बरेली	संपूर्ण जिला	1938310	1097475	1301842	356698
11.	बस्ती	संपूर्ण जिला	718372	595689	851501	290559
12.	बिजनौर	संपूर्ण जिला	951750	745343	886280	262525
13.	भुवनेश्वर	संपूर्ण जिला	876507	1087147	1032108	355607
14.	अमेठी	संपूर्ण जिला	2097226	768771	986819	290867
15.	देवरिया	संपूर्ण जिला	1262802	955685	1162930	365810
16.	एटा	संपूर्ण जिला	1469271	1015711	957971	362606
17.	इटावा	संपूर्ण जिला	791737	1093819	745735	311753

1	2	3	4	5	6	7
18.	फैजाबाद	संपूर्ण जिला	1278979	976643	912079	302187
19.	फर्रुखाबाद	संपूर्ण जिला	601811	441451	716519	323500
20.	फतेहपुर	संपूर्ण जिला	970245	614995	853216	293321
21.	फिरोजाबाद	संपूर्ण जिला	836788	738057	951982	309778
22.	गाजियाबाद	संपूर्ण जिला	1137522	985718	1014222	331048
23.	गाजीपुर	संपूर्ण जिला	1194830	2096660	1146232	287353
24.	गोंडा	संपूर्ण जिला	4927193	5241952	937050	454203
25.	गोरखपुर	संपूर्ण जिला	779341	1542342	720942	304261
26.	हमीरपुर	संपूर्ण जिला	3932734	3921564	3909979	333146
27.	हरदोई	संपूर्ण जिला	907361	651830	958987	366235
28.	जालौन	संपूर्ण जिला	1562404	751199	655963	334282
29.	जौनपुर	संपूर्ण जिला	810212	802949	1128920	523446
30.	झांसी	संपूर्ण जिला	202776	1072880	1047959	320146
31.	कानपुर (देहात)	संपूर्ण जिला	0	511424	714681	326735
32.	कानपुर (नगर)	संपूर्ण जिला	2149361	1233778	804708	332650
33.	लखीमपुर खीरी	संपूर्ण जिला	723323	466598	717976	330464
34.	ललितपुर	संपूर्ण जिला	2929778	1102086	2017396	378818
35.	लखनऊ	संपूर्ण जिला	17472825	15114061	1613503	279812
36.	महराजगंज	संपूर्ण जिला	614134	793388	286400	336093
37.	मैनपुरी	संपूर्ण जिला	760088	587461	875748	313093
38.	मथुरा	संपूर्ण जिला	3056481	1681756	1567677	336974
39.	मऊ	संपूर्ण जिला	933597	609484	862555	265508
40.	मेरठ	संपूर्ण जिला	2011029	544511	741604	318108
41.	मिर्जापुर	संपूर्ण जिला	860772	1098638	735425	308665
42.	मुरादाबाद	संपूर्ण जिला	758711	622402	858477	316739
43.	मुजफ्फरनगर	संपूर्ण जिला	912859	774831	1130916	340184

1	2	3	4	5	6	7
44.	प्रतापगढ़	संपूर्ण जिला	1484724	1612548	544176	361526
45.	पीलीभीत	संपूर्ण जिला	2076471	721561	493893	277176
46.	रायबरेली	संपूर्ण जिला	1210938	799015	473899	327467
47.	रामपुर	संपूर्ण जिला	745013	770801	372430	260310
48.	सहारनपुर	संपूर्ण जिला	1075637	1059100	765799	386789
49.	शाहजहांपुर	संपूर्ण जिला	1199841	1379695	448293	303859
50.	सिद्धार्थनगर	संपूर्ण जिला	1818080	1225401	1004358	344425
51.	सीतापुर	संपूर्ण जिला	996468	1874494	459122	273362
52.	सोनभद्र	संपूर्ण जिला	1195266	291849	573540	274490
53.	सुल्तानपुर	संपूर्ण जिला	1930159	967023	550462	335845
54.	उन्नाव	संपूर्ण जिला	5048677	3726567	451340	313225
55.	वाराणसी	संपूर्ण जिला	814036	1375209	546413	347570

रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कार्य बल

1194. श्री निखिल कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रोजगार के नए अवसरों के सृजन के संबंध में सुझाव देने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कई वर्षों से रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में रोजगार अवसरों का निर्धारण करने संबंधी एक कार्यदल गठित किया था, जिसने जून, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1993–94 (50वां दौर) और वर्ष 1999–2000 (55वां दौर) में कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पिछले दो पंचवार्षिक दौरों के अनुसार, रोजगार अवसर, जो वर्ष 1993–94 में 315.84 मिलियन थे, बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 336.75 मिलियन हो गए।

सूचना का डिजीटलीकरण

1195. श्री के. एस. राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक और सांस्कृति स्वरूप के उपलब्ध सम्पूर्ण ज्ञान और सूचना को डिजीटीलाइज करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिजीटीलाइज्ड सूचना इंटरनेट पर सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंटरनेट पर रक्षा और राजनयिक संबंधों से संबंधित संवेदनशील सूचना तथा विज्ञान; रक्षा एवं अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित नाभिकीय समझौतों का ब्यौरा भी उपलब्ध होगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई व्यापक नीति तैयार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ज) जी, नहीं।

किन्तु, सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) निम्नलिखित के अंकीयकरण के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करता है :

(i) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के आदेश एवं अन्य रिकार्ड।

(ii) राज्य सभा की मौखिक बहस।

(iii) भूमि विकास रिकार्ड।

(iv) पासपोर्ट अनुप्रयोग;

(v) जल विभाजक, भूमि आदि से संबंधित नक्शे।

(vi) वन विस्तार, पर्यावरण संबंधी मानदण्ड।

(vii) सांस्कृतिक विरासत, हस्तलिपि।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय अंकीय लाइब्रेरी कक्ष स्थापित किया गया है जिसके पास देश में राष्ट्रीय अंकीय लाइब्रेरी स्थापित करने का अधिदेश है।

भारत सरकार का एक आधिकारिक पोर्टल अर्थात् India.gov.in शुरू किया गया है, जो नागरिकों एवं अन्य पणधारकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सूचना और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं का अनुमोदन

1196. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं के लिए योजना आयोग से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आरम्भ की जाने वाली कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं योजना आयोग के अनुमोदन के लिए लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाएं केन्द्रीय और राज्य योजनाओं, दोनों, के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाती हैं। गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के अन्तर्गत एनईसी की परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। पांच परियोजनाएं अर्थात् (1) प्रणाली सुधार स्कीम (विद्युत पारेषण और वितरण लाइनों और सब-स्टेशनों का उन्नयन/सुधार/निर्माण), (2) पासी घाट, अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों वाले एयरक्राफ्ट के प्रचालन के लिए एयरपोर्ट का निर्माण, (3) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मणिपुर (चरण-II) परियोजना, (4) करबी लांगपी पनविद्युत परियोजना (2x50 मेगावाट), असम, (5) धिमाजी जिला, असम में जियाधल नदी का नियंत्रण (चरण-I परियोजना), विद्युत, परिवहन और संचार, जल संसाधन और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में 'सिद्धान्त रूप में' स्वीकृति हेतु जांच के विभिन्न चरणों में है। अंतिम अनुमोदन परियोजनाओं के तकनीकी औचित्य, निधियों की उपलब्धता की संभावना आदि पर निर्भर करेगा।

केन्द्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

1197. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004 के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक भ्रष्टाचार के मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईइएस, (इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस), इंडियन अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस इत्यादि से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अधिकारियों से अधिकारीवार जब्त की गई सम्पत्ति, नकदी, गहनों इत्यादि का ब्यौरा क्या है और उस समय इन अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी किस पद पर तैनात था;

(ग) कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और अन्यों को छोड़े जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दे दागी अधिकारी अभी भी संवेदनशील पदों पर तैनात हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्च पदों पर फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कड़े उपाय किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) ऐसे अधिकारी, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया हो अथवा जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो, की सेवा के संबंध में ब्यौरा अनिवार्य रूप से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नहीं, रखा जाता है। तथापि, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास उपलब्ध, ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तलाशियां अन्वेषण का एक हिस्सा हैं और सभी मामलों में तलाशियां की जानी आवश्यक नहीं हैं। यदि तलाशियां कर भी ली जाती हैं, तो मामले के जांचाधीन रहने के दौरान, इसके ब्यौरे प्रकट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रकटीकरण से अन्वेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) गिरफ्तारी, अन्वेषण का एक हिस्सा है और यह मामले विशेष के तथ्यों और हालात पर निर्भर करती है और प्रत्येक अधिकारी, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और जिस पर विचारण न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा भी, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) किसी अधिकारी का स्थानान्तरण, उसके विरुद्ध चल रहे मामले के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है।

(ङ) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के क्रम में निवारक सतर्कता, सुरागरसानी और छानबीन और निवारक दण्डात्मक कार्रवाइयों से युक्त त्रि–सूत्री रणनीति वाली भ्रष्टाचार निरोधी नीति के निर्माण, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सहित कई कदम उठाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004 और 2005 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा

सेवा	वर्ष 2004 और 2005 (31.10.2005 तक) के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नामजद किए गए अधिकारियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की संख्या
भारतीय प्रशासनिक सेवा	10	1
भारतीय पुलिस सेवा	7	4
भारतीय वन सेवा	2	0
भारतीय राजस्व सेवा	79	10
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सेवा	19	5

भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की कमी

1198. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे भारत आने वाले संभावित विदेशी पर्यटकों के वीजा अनुरोधों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (घ) पासपोर्ट और वीसाओं से संबंधित कौंसली सेवाओं के लिए आवश्यकताओं में तीव्र वृद्धि हुई है। कार्यभार में हुई वृद्धि के अनुरूप

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, मितव्ययिता के उपायों के कारण जिसमें नए पदों के सृजन पर रोक लगना तथा सीधी भर्ती को ईष्टतम रखना भी शामिल है, नहीं हुई है। फिर भी विदेश स्थित सभी मिशनों/पोस्टों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि भारत आने के लिए संभावित विदेशी पर्यटकों के वीसा संबंधी अनुरोधों की प्रक्रिया में विलम्ब न हो। कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए कई मिशनों/पोस्टों में कौंसली सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही, स्टाफ निरीक्षण इकाई ने हाल ही में एक अध्ययन किया है और विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों में अतिरिक्त पदों की सिफारिश की है।

हज ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति

1199. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों की सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनके चयन के लिए क्या मानदंड विहित किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों की सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चयनित उम्मीदवारों की सूची को इंटरनेट पर प्रदर्शित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) और (ङ) चयनित उम्मीदवारों को उनके चयन की जानकारी सीधे ही तथा उनके मूल विभाग के माध्यम से देने की वर्तमान प्रक्रिया ठीक ढंग से काम कर रही है।

विवरण

हज 2006 हेतु भारतीय महाकौंसलावास, जेद्दाह, सऊदी अरब मे अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता मानदण्ड तथा नियम एवं शर्तें

प्रशानिक कर्मचारी

(क) अर्हता की शर्तें :

- मात्र केन्द्र एव राज्य सरकार के कर्मचारी पात्र हैं। लोक उपक्रमों/निगमों, स्वशासी निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर)/सहायता प्राप्त विद्यालयों आदि मे कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- सहायक हज अधिकारी के लिए, अभ्यर्थी को 6500–200–10500 रुपये के वेतनमान में केन्द्र सरकार के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष ग्रेड में राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। इस समय 8000–13500 रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे समस्त ग्रेड–II राजपत्रित अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। (अवर सचिव एवं ऊपरी अधिकारी सहायक हज अधिकारी के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।)
- हज सहायक के लिए, आवेदक को केन्द्र सरकार में 5500–175–9000 के वेतनमान में एक गैर–राजपत्रित पद पर होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 1.1.2006 को 35 वर्षों से कम और 50 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को शारीरिक रूप से तंदरूस्त होना चाहिए और उन्हें सरकारी अस्पताल से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को अपने ग्रेड में स्थायी पद पर होना चाहिए।
- पहले ही तीन या अधिक बार हज की ड्यूटी कर चुके कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं हैं।
- जिन लोगों ने पिछले वर्ष में प्रतिनियुक्ति की है वे भी मात्र एक हज वर्ष के अन्तराल पर इसके लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं।
- निर्धारित ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- तकनीकी पद/श्रेणी में काम करने वाले व्यक्तियों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

(ख) वांछनीय योग्यताएं :

- अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदको को उपयुक्त ग्राह्यता दी जाएगी।
- जन सम्पर्क और लेखा में अनुभव रखने वाले आवेदकों को ग्राह्यता दी जाएगी।

■ डाटा एन्ट्री और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कर्मचारी

(क) अर्हता की शर्तें :

■ डाक्टरों के लिए : अभ्यर्थी को इस समय एक केन्द्र/राज्य सरकार के अस्पताल अथवा चिकित्सालय में सेवारत होना चाहिए तथा चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के रूप में पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। हालांकि, यदि पांच वर्षों के अनुभव वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो दो वर्षों के अनुभव वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है।

■ मात्र एलोपैथिक डाक्टर : सामान्य प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, सर्जन, आर्थोपेडिक्स, गायनाकालॉजिस्ट, पौथोलॉजिस्ट, ऑप्थैलमोलॉजिस्ट, पेडिट्रिसियन, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं कार्डियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ भी पात्र हैं।

■ पराचिकित्सा के लिए : अभ्यर्थी के पास नर्सिंग/ईसीजी/लैब. टेक्निशीयन में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा आवश्यक है।

■ फार्मासिस्ट के पास बी. फार्मा डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।

■ अभ्यर्थी की आयु 1.1.2006 को 50 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

■ अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से तंदरूस्त होना चाहिए और सऊदी अरब में लम्बी सेवा अवधि तक तथा कठिन जलवायु एवं जीवनयापन परिस्थितियों में कार्य करने के योग्य होना चाहिए।

■ अभ्यर्थी को अपने कैडर में एक स्थायी पद पर होना चाहिए।

■ जिन अभ्यर्थी को पहले तीन या अधिक बार प्रतिनियुक्त किया जा चुका है, वे पात्र नहीं होंगे। यह शर्त महिला डाक्टरों तथा महिला फार्मासिस्टों पर लागू नहीं होती है।

(ख) वांछनीय योग्यताएं :

■ क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त ग्राह्यता दी जाएगी।

■ प्रोफेसरों, अस्पतालों के निदेशकों तथा वरिष्ठ पदधारियों को आवेदन नहीं करना चाहिए। पैथोलॉजिस्टों, एनेथेटिस्टों, साइकिएट्रिस्टों, माइक्रोबायोजिस्टों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

नोट : समस्त आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। सीधे भेजे गए आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

हज यात्रियों के सेवा के लिए गुजरात राज्य से विगत तीन वर्ष के दौरान सऊदी अरब को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी

हज : 2003

क्र.सं.	सहायक हज अधिकारी का नाम	क्र.सं.	हज सहायक का नाम
1.	श्री इलयास अहमद कुरैशी	1.	श्री मोहम्मद युसुफ हबीब साब प्योर
2.	श्री हुसैबी मोहम्मद सलीम	2.	श्री सिराज सुलेमान भाई मालवत
		3.	श्री जुम्मा नूर मोहम्मद परमार
		4.	श्री टेलर अब्दुलवही अब्दुलमज्द

क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम
1.	डॉ. शेरबानू ए. पठान
2.	डॉ. के. मोहम्मद इकबाल
3.	डॉ. आबिद हुसैन ए. मंसूरी
4.	डॉ. इम्तियाज अहमद जी. वोहरा
5.	डॉ. मेमोन रहीम भाई

हज : 2004

क्र.सं.	सहायक हज अधिकारी का नाम	क्र.सं.	हज सहायक का नाम
1.	श्री इल्यास अहमद एम. कुरैशी	1.	श्री नासिर मकवाना
		2.	श्री सैयद मजारहुसैन शराफत हुसैन
		3.	श्री एम. ए. शेख
		4.	श्री शौकत हुसैन काजी
		5.	श्री मंसूरी वलीभाई
		6.	इब्राहीम अब्दुललतीफ बाबुदी
		7.	श्री जुम्मा परमार

क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	क्र.सं.	पराचिकित्सा स्टाफ के नाम
1.	डॉ. मोहमेदहसर दाऊद खत्री	1.	श्री यूसुफ भाई मंसूरी
2.	डॉ. कुरैशी खालिद अमीन	2.	श्री मुसीफ भाई मंसूरी
3.	डॉ. खत्री जे. अब्दुल मजीद	3.	श्री मंसूरी रियाज अहमद
4.	डॉ. अब्दुल सईद अंसारी	4.	श्रीमती राजपुरा फातमा बने आई. भाई
5.	डॉ. सामा महमद सिद्दीकी	5.	श्रीमती मुमताज बानू उजाला
6.	डॉ. इल्यास इब्राहीम कुरैशी	6.	श्रीमती सरताज सुल्ताना मिर्जा
7.	डॉ. निजामुद्दीन खान	7.	श्रीमती शबनम के. संघि
8.	डॉ. तारिक यासीन ब्लोच	8.	श्रीमती शिरोनबेन गुलामनबी वोहरा
9.	डॉ. हिंगोरा हुसैन	9.	श्रीमती जेबुन्निसा इब्राहीमभाई दूधवाला
10.	डॉ. मेमोन रहीम भाई आई बारा		
11.	डॉ. पठान शेरबानू आजमखान		

हज : 2005

क्र.सं.	सहायक हज अधिकारी का नाम	क्र.सं.	हज सहायक का नाम
1.	श्री इल्यास अहमद एम. कुरैशी	1.	श्री गोरिया गुलाम रसूल ए. समद
		2.	श्री इब्राहीम अब्दुललतीफ बाबूदी
		3.	श्री एस. के. नईमुद्दीन जान मोहम्मद
		4.	श्री हमीद हुसैन आर. फारूकी

क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	क्र.सं.	पराचिकित्सा स्टाफ के नाम
1.	डॉ. सलीम	1.	श्रीमती पठान जमीला इब्राहीत खान
2.	डॉ. शब्बीर अली हसमभाई	2.	श्री मंसूरी मुज्तुफा उस्मान भाई
3.	डॉ. हारून भाया	3.	श्री शेख मोहम्मद फिरोज ए. गनी
4.	डॉ. कुरैशी खालिद अमीन	4.	श्री मेनोम फजल मोहम्मद गुलामनबी
5.	डॉ. हिंगोरा हुसैन	5.	श्री मोमिन मीसम्तामर
6.	डॉ. यूसुफ मोहम्मद भाई मास्टर		
7.	डॉ. अंसारी अब्दुल सईद		
8.	डॉ. मेमोन रहीम भाई इब्राहिम		
9.	डॉ. (श्रीमती) मुनीरा गुलाम ए. वोहरा		
10.	डॉ. (श्रीमती) शेरबानू आज खान पठान		

लघु टेलीफोन केन्द्रों को सी-डॉट केन्द्रों में बदला जाना

1200. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु टेलीफोन केन्द्रों को सी–डॉट केन्द्रों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय–सीमा निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लागत लाभ का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने सभी छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों को सी–डॉट एक्सचेंजों में बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल, दिल्ली अथवा मुम्बई में सी–डॉट की किस्म का कोई भी छोटा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए लागू नहीं होते।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

1201. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी दूरसंचार संचालकों द्वारा अब तक निजी और सरकारी क्षेत्र में कितना सकल निवेश किया गया है; और

(ख) वायरलाइन फोन, मोबाइल फोन, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की अवसंरचना में निवेश के अवसरों सहित संचालकवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जा रही है। दूरसंचार क्षेत्र में मार्च, 2005 तक कुल निवेश 2,07,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। दूरसंचार के सभी उप–क्षेत्रों को निवेश के अवसरों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

नर्सिंग स्कूलों की स्थापना

1202. श्री विक्रम भाई अर्जनभाई माडम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में नर्सिंग स्कूलों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में नर्सिंग स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दसवीं योजनावधि में नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कालेजों के रूप में अपग्रेड करने की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों को अनावर्ती सहायता के लिए 1.50 करोड़ रुपये की रकम दी जाती है। अब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में 10 संस्थाओं को मंजूरी जारी की गई है।

पिछड़े जिलों का विकास

1203. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम' के अन्तर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के विकास हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन जिलों की पहचान की गई और चयन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) प्रत्येक जिले को इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) इस धनराशि का किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने पहचान किए गए पिछड़े जिलों के विकास हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीस सम विकास योजना की पिछड़ा जिला पहल वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 32 जिलों सहित 147 जिलों को कवर करती है। राज्य के अंदर पिछड़े जिलों की पहचान, नामतः (1) प्रति कृषक मजदूर के आउटपुट का मूल्य; (2) कृषि मजदूरी दर; और (3) जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, प्रत्येक को समान महत्व के साथ तीनों मापदण्डों को समाविष्ट करते हुए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर की गई थी। गुजरात एवं उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) स्कीम के तहत, तीन वर्षों की अवधि के दौरान स्कीम के अन्तर्गत कवर किए गए प्रत्येक जिले के लिए 45 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाने हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत अभी तक प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत गुजरात सरकार ने सितम्बर, 2005 तक 15.52 करोड़ रुपये के परिव्यय को सूचित किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 2005 तक 158.43 करोड़ रुपये के परिव्यय को सूचित किया है।

(ङ) और (च) सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2005-06 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि गठित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) जो वर्ष 2006-07 में समाप्त होनी थी, अब आरएसवीवाई के तहत कवर किए गए प्रत्येक जिले को संरक्षित करने की उपयुक्त संक्रमण व्यवस्थाओं के साथ समाप्त किया जाएगा।

विवरण

गुजरात एवं उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल के अन्तर्गत कवर किए गए प्रत्येक जिले को अभी तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये करोड में)

राज्य/जिले का नाम	अभी तक जारी कुल राशि
1	2
गुजरात	37.50
डांग	22.50
दाहोद	7.50
पंचमहल	7.50
उत्तर प्रदेश	322.50
सीतापुर	22.50
उन्नाव	15.00
रायबरेली	15.00

1	2
सोनभद्र	22.50
हरदोई	11.50
बाराबंकी	22.50
फतेहपुर	22.50
बांदा	22.50
चित्रकूट	15.00
मिर्जापुर	15.00
गोरखपुर	7.50
आजमगढ़	7.50
कुशीनगर	15.00
जौनपुर	7.50
चंदौली	15.00
कौशाम्बी	15.00
हमीरपुर	15.00
महौबा	15.00
ललितपुर	15.00
प्रतापगढ़	7.50
जालौन	15.00

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

1204. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाओं और अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो का विस्तार

1205. श्री जुएल ओराम : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से दिल्ली में मेट्रो के विस्तार हेतु सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन देशों से सहायता मांगी गई है;

(ग) दिल्ली और देश में अन्य स्थानों पर मेट्रो के विस्तार हेतु किन–किन देशों ने सहायता की पेशकश की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) दिल्ली में मेट्रो के फेज–II तथा बंगलौर मेट्रो परियोजना के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेबीआईसी) की सहायता मांगी जा रही है। जेबीआईसी दोनों प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है।

परस्पर विधिक सहायता संबंधी भारत-अमरीकी संधि

1206. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तूबर, 2005 को दोनों देशों द्वारा पुष्टि संबंधी दस्तावेज पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने के पश्चात आपधारिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी भारत–अमरीकी संधि अस्तित्व में आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान–प्रदान किए जाने से संबंधित प्रोतोकोल पर 3 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। उसी तारीख से दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध संधि लागू हो गई।

(ख) और (ग) इस संधि से आतंकवाद, स्वापकों के अवैध व्यापार, आर्थिक एवं संगठित अपराध सहित अन्य अपराधों की जांच, अभियोजन, रोक और उनके दमन में भारत और अमरीका दोनों के विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों की प्रभावकारिता में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी

1207. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में "राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्रकोष्ठ" नामक एक प्रकोष्ठ तैयार किया गया है। इस प्रकोष्ठ के कार्य इस प्रकार हैं :

- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरियों की स्थापना।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने अभिलेखों तथा लाइब्रेरी को इसके साथ मिलाना।
- अन्य डिजिटल लाइब्रेरियों के साथ सार्वत्रिक अभिगम सहित सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुद्रित प्रारूप में संसाधन तथा संग्रहालय शिल्प अर्थात गैर–मुद्रित दस्तावेज प्रारूप संसाधन (मुरल, पेंटिंग, मर्तिकला) आदि।

अमरीकी कांग्रेस में प्रस्तावित संकल्प

1208. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दलितों और आदिवासियों पर किए गए कथित अत्याचारों को दर्शाने वाला संकल्प इस वर्ष नवम्बर में अमरीकी कांग्रेस के सभा पटल पर रखा जाना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ग) भारत में दलितों तथा आदिवासियों पर किए गए तथाकथित अत्याचारों को दर्शाने वाला कोई संकल्प अमरीकी कांग्रेस के सभा पटल पर नहीं है। इस समय उपलब्ध रिकार्ड भी ऐसा नहीं दर्शाते हैं कि अमरीकी कांग्रेस नवम्बर, 2005 में ऐसे किसी संकल्प को सभा पटल पर रखने जा रही है।

[हिन्दी]

ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डेवलेपमेंट पर कृतिक बल का गठन

1209. श्री राजनरायन बुधौलिया :

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री रशीद मसूद :

श्री नवीन जिन्दल :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डेवलेपमेंट के प्रयोजनार्थ एक कृतिक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृतिक बल के प्रस्तावित गठन की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उक्त कृतिक बल की चयन प्रक्रिया और कार्यकरण की विधि का ब्यौरा क्या है और इस कृतिक बल को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) सरकार पहले ही "सार्वभौम नीतिगत घटना संबंधी कार्य–बल" का गठन कर चुकी है।

(ख) कार्य बल का गठन 28 अक्तूबर, 2005 को 7 सदस्यों के साथ किया गया था और 18 नवम्बर, 2005 को 2 सदस्य और शामिल किए गए थे। इस कार्य बल का संघटन निम्नलिखित है :

1.	श्री के. सुब्रहमण्यम	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर अमिताभ मट्टू	सदस्य
3.	श्री अरविंद विरमानी	सदस्य
4.	प्रोफेसर एम. एस. अनंत	सदस्य
5.	प्रोफेसर पी. रामा राव	सदस्य
6.	श्री आर. के. पचौरी	सदस्य

7. श्री तरूण दास सदस्य

8. एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) विनोद पटनी सदस्य

9. कमोडोर उदय भास्कर सदस्य–सचिव

(ग) कार्यबल में विविध क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं और इसे विश्व में होने वाली नीतिगत घटनाओं के विभिन्न आयामों तथा भारत पर उनके प्रभावों की जांच क्रमित करने के लिए गठित किया गया है।

(घ) कार्यबल के संघटन का अनुमोदन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों की पहली बैठक से छह माह की अवधि तक अथवा सरकार द्वारा निर्धारित इससे अधिक अवधि तक होगा। यह कार्यबल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सेवाधीन है।

भारतीय मिशनों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के आयुक्तों/राजदूतों की नियुक्ति

1210. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न देशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिकारियों सहित उच्चायुक्तों/राजदूतों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चायुक्तों/राजदूतों के चयन हेतु क्या निर्धारित मानदंड हैं;

(ग) मंत्रालय में आज की तिथि के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित अधिकारियों सहित कितने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय मिशनों में उक्त वर्गों से संबंधित अधिकारियों को उनकी संख्या के अनुपात में नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंदरजीत सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित देशों में 111 राजदूतों/उच्चायुक्तों को नियुक्त किया गया है :

अफगानिस्तान, अलजीरिया, अंगोला, अर्मेनिया, आस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, भूटान, बुलगारिया, कम्बोडिया, चिली, चीन, कोलम्बीया, कोट डी आईवरी, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीक, जर्मनी, इण्डोनेशिया, ईरान, आईलैण्ड, इजरायल, इटली, जापान, जोर्डन, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, किर्गीस्तान, लाओस, लेबनान, लिबिया, मेडागास्कर, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैण्ड, नार्वे, ओमान, पनामा, पोलैण्ड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रूसी संघ, सऊदी अरब, सेनेगल, सर्बिया एवं मांटेनिग्रो, स्लोवाक गणराज्य, स्पेन, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, ट्यूनिशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उक्रेन, संयुक्त राज्य अमरीका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जिम्बाब्वे, आस्ट्रेलिया, बांगलादेश, ब्रुनेई दारूसलम, कनाडा, साइप्रस, फिजी, घाना, गुयाना, जुमैका, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, न्यूजीलैण्ड, नाईजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सेशल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, युगाण्डा, यूनाईटेड किंग्डम, जाम्बिया।

उपरोक्त में से 16 राजदूत/उच्चायुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं। इनमें अलजीरिया, बेलारूस, फिनलैण्ड, ओमान, स्लोवाक गणराज्य, तुर्की, यमन, जिम्बाब्वे, ब्रुनेई दारूसलम एवं केन्या में नियुक्त 10 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं तथा उत्तरी कोरिया, लाओस, लेबनान, पनामा, मोजाम्बिक एवं जाम्बिया में नियुक्त 6 राजदूत/उच्चायुक्त अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की स्थिति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 1994 से शुरू हुई और तत्पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अधिकारियों ने राजदूत/उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए अभी तक अपेक्षित वरीयता हासिल नहीं की है।

(ख) भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन नियुक्तियों पर निर्णय कई मानदण्डों के आधार पर लिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वरीयता, पृष्ठभूमि, संगत अनुभव और कार्यों एवं पद के प्रति समग्र उपयुक्तता शामिल हैं।

(ग) आज तक मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 611 है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 86, 48 एवं 48 है।

(घ) जबकि भर्ती स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों हेतु आरक्षण के निर्धारित अनुपातों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है, वहीं राजदूतों/उच्चायुक्तों के स्तर सहित, विदेश स्थित दूतावासों में तैनाती के लिए आरक्षण की कोई नीति नहीं है। हालांकि, अपेक्षित पृष्ठभूमि, अनुभव एवं वरीयता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य

पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को राजदूतों/उच्चायुक्तों के रूप में नियुक्त करने के बारे में भरसक प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गैर-संचारी रोगों की रोकथाम

1211. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–संचारी रोग देश में एक बढ़ती समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गैर–संचारी रोगों पर कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गैर–संचारी रोगों से निपटने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, हां। देश में गैर–संचारी रोगों की एक बढ़ती हुई समस्या है। अनुमान है कि चिरकारी रोगों से सभी मौतों में से 53 प्रतिशत मौतें होती हैं और 44 प्रतिशत अशक्तता (डिसेबिलिटी) के साथ समायोजित जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए कोई प्रणालीबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान कार्यकलापों के जरिए गैर–संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण सहित इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देती आ रही है और गैर–संचारी रोगों के बोझ के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने के लिए ध्यान देने हेतु इसके कार्यकलापों में विविधता उत्पन्न करने के लिए प्रयास करती आ रही है।

[हिन्दी]

सरकारी/निजी भवनों के ऊपर टावर

1212. श्री रशीद मसूद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और निजी भवनों के ऊपर टावरों की अधिष्ठापना से संबंधित कोई नीति बनाने का है;

(ख) क्या ये टावर नजदीकी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा भवनों के ऊपर टावर संस्थापित करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) संचार टावरों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

सी.बी.आई. की जांच के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार

1213. श्री बीर सिंह महतो :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. की जांच के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को अधिवर्षिता की आयु से परे सेवा विस्तार दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों और परिपत्र का उल्लंघन करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने कई उच्च रैंक के अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है;

(घ) यदि हां, तो वस्त्र मंत्रालय में ऐसे कितने अधिकारी हैं और गत वर्ष के दौरान आज तक मंत्रालय द्वारा किन–किन अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) मूल नियमों के नियम 56(घ) में सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को अधिवर्षिता की आयु से परे सेवा–विस्तार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार, जिन अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की छवि अच्छी नहीं

होती उन्हें सेवा–विस्तार प्रदान किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन अनुदेशों में यह प्रावधान भी है कि अधिवर्षिता की आयु से परे सेवा–विस्तार प्रदान किए जाने से संबंधित सभी प्रस्ताव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भिजवाए जाएंगे।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार

1214. श्री ब्रजेश पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2005 में एम्स और सफदरजंग सहित दिल्ली में सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार हेतु कोई आदेश/निर्देश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा अधीक्षकों विशेषकर सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देश के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो न्यायालय के उक्त आदेश/निर्देश का अनुपालन न करने पर विशेषकर सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.9.2005 के अपने आदेश के तहत जो निदेश दिया वह इस प्रकार है :

(i) सरकारी अस्पतालों में व्याप्त स्थितियों का सर्वेक्षण करने, दयनीय स्थिति के कारण बताने और उपचारात्मक उपाय तथा एक समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन की निधि सुझाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करके विशेषज्ञों की एक समिति गठित करना।

(ii) रोगियों/जनता से शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जांच करने और संबंधित पदाधिकारियों/अस्पतालों/संस्थानों जो उनका निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, को उनका निवारण करने का सुझाव देने के लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर पर निवारण समितियां गठित करना।

(iii) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित राज्य और केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी अस्पतालों को अपने–अपने अस्पतालों/संस्थाओं को शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिकायत सेल गठित करने हेतु।

(iv) इस तरह स्थापित शिकायत निवारण समितियों के गठन और इनकी अवस्थिति तथा शिकायतें प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि/तंत्र का प्रचार करना।

(v) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को एक ऐसी ही समिति गठित करने और इसके गठन, समय और अवस्थिति का प्रचार करने के लिए।

(vi) सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों और निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अब के बाद प्रतिरोगी एक अटेंडेंट को छोड़कर अस्पताल वार्डों में जनता का प्रवेश रोकने के लिए।

(vii) गहन चिकित्सा कक्षों, वार्डों के गंदे कालीनों को आवश्यकतानुसार बदलने तथा उनकी साफ–सफाई की स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना और इन अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्षों में रोगी के परिचारकों का प्रवेश बंद करने के तत्काल उपाय करना।

(ग) और (घ) जी, हां। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सहित विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने विशेष तौर पर निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) सफदरजंग अस्पताल में जन शिकायत प्रकोष्ठ पहले से ही कार्यरत है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं कि रोगी को भर्ती करते समय ही परिचारक पास जारी कर परिचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

(iii) नियमित सफाई कर्मचारियों के साथ–साथ सुलभ इंटरनेशनल के कामगारों की तैनाती द्वारा सफाई की स्थितियों में सुधार लाया गया है।

(iv) वार्डों/आईसीयू तथा अन्य क्षेत्रों के लिनेन का नियमित आधार पर अनुरक्षण किया जा रहा है।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

सुनामी प्रभावित राज्यों हेतु मेडिकल सीटें

1215. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुनामी प्रभावित राज्यों के छात्रों हेतु मेडिकल सीटें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोटे के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से कितने छात्रों को विभिन्न राज्यों में प्रवेश मिला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) 2005–06 के दौरान, सरकार ने एक बारगी कार्रवाई के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और पाण्डिचेरी इत्यादि राज्यों के लिए केन्द्रीय पूल से सुनामी पीड़ितों के लिए चार एमबीबीएस सीटों को नियत करने का निर्णय लिया। प्राप्त अनुक्रिया के आधार पर, यह संख्या बढ़ाकर छह एमबीबीएस सीटें कर दी गई। आवेदनों की संवीक्षा करने पर तीन सीटें तमिलनाडु को, दो अंडमान व निकोबार को तथा एक केरल को आवंटित कर दी गई। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के संबंध में ये दो सीटें केन्द्रीय आवंटन पूल के अन्तर्गत उनकी पूववर्ती सीटें बढ़ा कर 17 से 20 एमबीबीएस सीटें करने के अतिरिक्त थीं।

(ग) और (घ) अंडमान व निकोबार को आवंटित दो सीटों में से एक उम्मीदवार को मेडिकल कालेज, कोजीकोड (केरल) में तथा दूसरे को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया था।

वक्षस्थल संबंधित रोग

1216. श्री अजीत जोगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्षस्थल संबंधित रोगों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के संबंध में कोई जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बेबी फूड्स के प्रयोग का विरोध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में आरम्भिक उपक्रमण और अनन्य रूप से स्तनपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ है कि स्तनपान से महिलाओं को भी लाभ पहुंचता है। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्तनपान कराया है, उनमें वक्ष कैंसर होने की बहुत ही कम संभावना होती है।

भारत सरकार ने देश में स्तनपान के लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टीमीडिया कार्यनीति अपनाई है। इस कार्यनीति में श्रव्य, दृश्य, मुद्रण एवं अंतर–वैयक्तिक उपकरण शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्तनपान के संदेश का प्रसार करने के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल, निजी सैटेलाइट चैनलों तथा आकाशवाणी के माध्यम से वीडियो एवं आडियो स्पॉट दिखाता/प्रसारित करता है। स्तनपान से संबंधित पोस्टर, पर्चियां जैसी मुद्रण सामग्रियां मुद्रित की जा चुकी हैं और आम लोगों को वितरण हेतु इन्हें जारी कर दिया गया है। इस विषय को तिमाही समाचार–पत्र एनआरएचएम समाचार तथा "हमारा घर" एवं विभाग के कैलेण्डर में भी कवर किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत एवं नाटक प्रभाग की सेवाओं का उपयोग सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, नुमाइशें, फिल्म प्रदर्शनियां इत्यादि आयोजित करके अन्तर–वैयक्तिक संप्रेषण के माध्यम से संदेश फैलाने के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने इंफैंटमिल्क सब्सिटीट्यूटस, फीडिंग बोट्ल्स एंड इंफैंट फूड्स (उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 अधिनियमित किए हैं और इसे आगे 2003 में संशोधित किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य स्तन दूध प्रतिस्थापी के वाणिज्यिक संवर्धन के प्रभावों से स्तनपान को बचाना है जिससे शिशुओं तथा छोटे बच्चों में कुपोषण एवं मौतों की रोकथाम होगी।

[हिन्दी]

भूमिगत कोयला गैसीयकरण

1217. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री निखिल कुमार :
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री जुएल ओराम :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.आई.एल. और ओ.एन.जी.सी. ने भूमिगत कोयला गैसीयकरण में सक्रिय सहयोग हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमिगत कोयला खानों के माध्यम से प्रदान कराई जाने वाली गैस की मात्रा का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कोयले को तेल या गैस में बदलने हेतु किसी विदेशी या स्वदेशी कम्पनी के सहयोग से किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में कितना खर्चा होने की संभावना है;

(छ) क्या इस प्रयोजन हेतु किसी विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता लिए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) ने भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के लिए एक पायलेट परियोजना हेतु 50 : 50 की समान भागीदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम बनाने की दिशा में एक समझौता–ज्ञापन किया है। पायलेट परियोजना के लिए स्थल का निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए एक पायलेट परियोजना बनाएगा। पायलेट परियोजना के परिणामों के आधार पर गैस की मात्रा की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता, खपत आदि के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा। इस स्थिति में कोई आकलन करना संभव नहीं है।

(ङ) से (ज) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आयल इंडिया लि. (ओआईएल) असम में कोयले को तेल में परिवर्तित करने के कुछ परीक्षण कर रही है। इस संदर्भ में आयल इंडिया लि. के वाणिज्यिक कोयला द्रव्यीकरण संयंत्र के लिए सीआईएल के नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स से कोयले की उपलब्धता के संबंध में सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि., रांची ने एक पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन तैयार किया है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए सीआईएल तथा ओएनजीसी द्वारा एनएमआरसी–स्कोचिनाकी इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, रूस से परामर्श लिया जा रहा है। भूमिगत कोयला गैसीकरण की एक पायलेट परियोजना की स्थापना अनुमानित व्यय 100 करोड़ रुपये (लगभग) है। कोयला द्रव्यीकरण के लिए किसी विदेशी सहयोगकर्ता का चयन नहीं किया गया है तथा अभी तक किसी परियोजना व्यय का हिसाब नहीं लगाया गया है। तथापि, विदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

बच्चों और माताओं की बीमारियां

1218. श्री कमला प्रसाद रावत :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से बच्चों तथा माताओं की बीमारियों तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से आरंभ में किन–किन क्षेत्रों/राज्यों में उक्त कार्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक से उपलब्ध शिशु मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दरों से विगत वर्षों में इन दरों में कमी होने का पता चला है। पिछले 3 वर्षों की 2001 से 2003 की अवधि के लिए राज्यवार शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन बच्चों में शिशु एवं बाल मृत्यु दर तथा रुग्णता दर को कम करने हेतु विभिन्न कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। छह वैक्सीन निवार्य रोगों का रोग प्रतिरक्षण, अतिसार के कारण होने वाली मौतों को नियंत्रित करना और गंभीर श्वसनी संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों का नियंत्रण शामिल है। न्यूमोनिया और अतिसार के निदान और प्रबंधन में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उन्हें सप्लाई की गई किट ए में न्यूमोनिया के उपचार के लिए गोली पेडियाट्रिक कोट्रीमाक्साजोल तथा अतिसार के उपचार के लिए ओआरएस की आपूर्ति करके पूरक बनाया गया है। स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं के जरिए समुदाय में अनिवार्य नवजात परिचर्या और विशेष रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने तथा उपयुक्त सम्पूरक आहार देने की पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

भारत सरकार ने हाल ही में सांस्थानिक प्रसवों और जन्म के समय कुशल अटेंडेंट की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं सहित गुणकारी स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें खराब स्वास्थ्य संकेतकों और कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। चल रहा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई सेवाओं को निम्नलिखित के जरिए सुदृढ़ बनाया जाएगा :

- जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन जिसके अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं, यदि वे अपना प्रसव स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में करवाती हैं, को नगद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- इसमें इसके मुख्य घटकों के रूप में प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पंचायत की स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के जरिए एक ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने; प्रभावी रोगहरक परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल के सुदृढ़ीकरण और इसे भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के जरिए मापने और उत्तरदायी बनाने; निधियों और अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के लिए शीर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों और निधियों के एकीकरण तथा स्वास्थ्य प्रदानगी के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान है।
- प्रसूति परिचर्या का ध्यान रखने और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत प्रथम रेफरल यूनिटें स्थापित करना।
- एनेस्थीसिया देने में और प्रसूति परिचर्या में चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे साफ–सफाई और हाइजीन, पोषण तथा जिला स्वास्थ्य योजना के जरिए सुरक्षित पेय जल के साथ स्वास्थ्य संबंधी विषयों का प्रभावी एकीकरण।
- इसमें समान, वहनीय, उत्तरदायी और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए ग्रामीण लोगों विशेष रूप से गरीब महिलाओं और बच्चों की पहुंच में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)

क्र.सं.	राज्य	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
	अखिल भारत	66	63	60
1.	आंध्र प्रदेश	66	62	59
2.	असम	74	70	67
3.	बिहार	62	61	60
4.	छत्तीसगढ़	77	73	70
5.	गुजरात	60	60	57
6.	हरियाणा	66	62	59
7.	झारखंड	62	51	51
8.	कर्नाटक	58	55	52
9.	केरल	11	10	11

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	86	85	82
11.	महाराष्ट्र	45	45	42
12.	उड़ीसा	91	87	83
13.	पंजाब	52	51	49
14.	राजस्थान	80	78	75
15.	तमिलनाडु	49	44	43
16.	उत्तर प्रदेश	83	80	76
17.	पश्चिम बंगाल	51	49	46
18.	हिमाचल प्रदेश	54	52	49
19.	जम्मू व कश्मीर	48	45	44
20.	अरुणाचल प्रदेश	39	37	34
21.	दिल्ली	29	30	28
22.	गोवा	19	17	16
23.	मणिपुर	20	14	16
24.	मेघालय	56	61	57
25.	मिजोरम	19	14	16
26.	नागालैंड	एनए	एनए	एनए
27.	सिक्किम	42	34	33
28.	त्रिपुरा	39	34	32
29.	उत्तरांचल	48	41	41
30.	अंडमान और निकोबार	18	15	18
31.	चंडीगढ़	24	21	19
32.	दादरा और नगर हवेली	58	56	54
33.	दमन और द्वीव	40	42	39
34.	लक्षद्वीप	33	25	26
35.	पांडिचेरी	22	22	24

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति, भारत के महापंजीयक

उत्तर प्रदेश में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1219. श्रीमती मेनका गांधी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने डाकघरों में कम्प्यूटर लगाए गए हैं तथा कम्प्यूटरों के माध्यम से रजिस्ट्री आरंभ की गई है;

(ख) कम्प्यूटरीकृत डाकघरों के जिलेवार नाम क्या हैं; और

(ग) उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिनका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण किया जाना है और कम्प्यूटरों के माध्यम से उनमें रजिस्ट्री आरंभ किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में एक सौ चौदह (114) डाकघरों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है। डाक वस्तुओं की रजिस्ट्री सहित सभी काउंटर कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं।

(ख) कम्प्यूटरीकृत डाकघरों के जिलावार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005–06 में उत्तर प्रदेश में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और निधि की उपलब्धता के आधार पर 200 डाकघरों के कम्प्यूटीकरण का प्रस्ताव है। ऐसे डाकघरों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

उत्तर प्रदेश सर्किल में कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की जिलावार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	आगरा	अछनेरा उप डाकघर
2.		आगरा किला प्रधान डाकघर
3.		आगरा प्रधान डाकघर
4.		संजय प्लेस उप डाकघर
5.	अलीगढ़	अलीगढ़ प्रधान डाकघर
6.	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर उप डाकघर

1	2	3
7.		इलाहबाद प्रधान डाकघर
8.		इलाहाबाद कचहरी प्रधान डाकघर
9.	अम्बेडकर नगर	अकबरपुर प्रधान डाकघर
10.	औरैया	औरैया प्रधान डाकघर
11.	आजमगढ़	आजमगढ़ प्रधान डाकघर
12.	बदायूं	बदायूं प्रधान डाकघर
13.	बहराइच	बहराइच प्रधान डाकघर
14.	बलिया	बलिया प्रधान डाकघर
15.		रसरा प्रधान डाकघर
16.	बलरामपुर	बलरामपुर प्रधान डाकघर
17.	बांदा	बांदा प्रधान डाकघर
18.	बाराबंकी	बाराबंकी प्रधान डाकघर
19.	बरेली	बरेली शहर उप डाकघर
20.		बरेली प्रधान डाकघर
21.	बस्ती	बस्ती प्रधान डाकघर
22.	बिजनौर	बिजनौर प्रधान डाकघर
23.		धामपुर प्रधान डाकघर
24.	बुलंदशहर	बुलंदशहर प्रधान डाकघर
25.		खुर्जा प्रधान डाकघर
26.	देवरिया	देवरिया प्रधान डाकघर
27.		नाई बाजार उप डाकघर
28.	एटा	एटा प्रधान डाकघर
29.	इटावा	इटावा प्रधान डाकघर
30.	फैजाबाद	अयोध्या उप डाकघर
31.		फैजाबाद प्रधान डाकघर
32.	फतेहगढ़	फतेहगढ़ प्रधान डाकघर

1	2	3
33.	फतेहपुर	फतेहपुर प्रधान डाकघर
34.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद प्रधान डाकघर
35.	जी.बी. नगर	नोएडा प्रधान डाकघर
36.	गाजियाबाद	गाजियाबाद प्रधान डाकघर
37.	गाजीपुर	गाजीपुर प्रधान डाकघर
38.		जमानिया प्रधान डाकघर
39.	गोंडा	गोंडा प्रधान डाकघर
40.	गोरखपुर	गोरखपुर प्रधान डाकघर
41.		गोरखपुर विश्वविद्यालय उप डाकघर
42.		कुनराघाट प्रधान डाकघर
43.	हमीरपुर	हमीरपुर प्रधान डाकघर
44.	हरदोई	हरदोई प्रधान डाकघर
45.		सांदिला प्रधान डाकघर
46.	जे.बी. नगर	अमरोहा प्रधान डाकघर
47.	जालौन	उरई प्रधान डाकघर
48.	जौनपुर	जौनपुर प्रधान डाकघर
49.	झांसी	झांसी प्रधान डाकघर
50.	कानपुर	अनवरगंज उप डाकघर
51.		एचएनएस नगर उप डाकघर
52.		आईआईटी कानपुर उप डाकघर
53.		कानपुर कैंट प्रधान डाकघर
54.		कानपुर प्रधान डाकघर
55.		किदवई नगर उप डाकघर
56.		आर.के. नगर उप डाकघर
57.	कानपुर देहात	नवाबगंज प्रधान डाकघर
58.	खीरी	खीरी प्रधान डाकघर

1	2	3
59.	कुशीनगर	पडरौना प्रधान डाकघर
60.	ललितपुर	ललितपुर प्रधान डाकघर
61.	लखनऊ	आलमबाग उप डाकघर
62.		अलीगंज सेक्टर–सी उप डाकघर
63.		अमीनाबाद पार्क उप डाकघर
64.		आवास विकास कालोनी उप डाकघर
65.		कनाल कालोनी उप डाकघर.
66.		डीएस बाजार उप डाकघर
67.		दिलकुशा उप डाकघर
68.		गोमती नगर उप डाकघर
69.		गुरुद्वारा उप डाकघर
70.		हाई कोर्ट बेंच उप डाकघर
71.		जवाहर भवन उप डाकघर
72.		लालबाग उप डाकघर
73.		एलडीए कालोनी उप डाकघर
74.		लखनऊ चौक प्रधान डाकघर
75.		लखनऊ जीपीओ
76.		महानगर उप डाकघर
77.		न्यू हैदराबाद उप डाकघर
78.		निराला नगर उप डाकघर
79.		राजेन्द्र नगर उप डाकघर
80.		आरएसएम नगर उप डाकघर
81.		सचिवालय उप डाकघर
82.		यूपीजी कैंप उप डाकघर
83.		विकास नगर उप डाकघर
84.	मैनपुरी	मैनपुरी प्रधान डाकघर
85.	मथुरा	मथुरा प्रधान डाकघर
86.		वृंदावन उप डाकघर
87.	मऊ	मऊनाथ भंजन प्रधान डाकघर
88.	मेरठ	बड़ौत प्रधान डाकघर
89.		हापुड़ प्रधान डाकघर
90.		मेरठ कैंट प्रधान डाकघर
91.		मेरठ सिटी प्रधान डाकघर
92.	मिर्जापुर	मिर्जापुर प्रधान डाकघर
93.		शक्तिनगर प्रधान डाकघर
94.	मुरादाबाद	चंदौसी उप डाकघर
95.		मुरादाबाद प्रधान डाकघर
96.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर
97.		मुजफ्फरनगर सिटी उप डाकघर
98.		शामली प्रधान डाकघर
99.	पीलीभीत	पीलीभीत प्रधान डाकघर
100.	प्रतापगढ़	कुंडा उप डाकघर
101.		पत्ती उप डाकघर
102.		प्रतापगढ़ प्रधान डाकघर
103.	रायबरेली	लालगंज प्रधान डाकघर
104.		रायबरेली प्रधान डाकघर
105.	रामपुर	रामपुर प्रधान डाकघर
106.	सहारनपुर	सहारनपुर प्रधान डाकघर
107.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर प्रधान डाकघर
108.	सिद्धार्थ नगर	बंसी प्रधान डाकघर
109.	सीतापुर	सीतापुर प्रधान डाकघर
110.	सुलतानपुर	अमेठी उप डाकघर

1	2	3
111.		सुलतानपुर प्रधान डाकघर
112.	उन्नाव	उन्नाव प्रधान डाकघर
113.	वाराणसी	वाराणसी कैंट उप डाकघर
114.		वाराणसी प्रधान डाकघर

[हिन्दी]

एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में नामांकित सीटें

1220. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में नामांकित सीटें 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में प्रत्येक उपर्युक्त कोर्स हेतु कुल कितनी सीटें उपलब्ध कराई गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में एमबीबीएस/ बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा कोई नामांकन नहीं किया जाता है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की कुछ मेडिकल संस्थानों तथा राज्यों के मेडिकल/दंत कालेजों से स्वैच्छिक तौर पर सीटों की मांग करके एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के केन्द्रीय पूल का रखरखाव किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न दानदाता राज्यों/संस्थाओं द्वारा एमबीबीएस की 256 तथा बीडीएस की 25 सीटों का योगदान किया गया था। इस प्रकार संचित सीटों को उन राज्यों/संघ शासित राज्यों को तथा अन्य अभिनिर्धारित श्रेणियों को, अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए आवंटित किया जाता है जिनके अपने मेडिकल/डेन्टल कालेज नहीं हैं।

फिल्मों में धूम्रपान पर प्रतिबंध

1221. श्री देविदास पिंगले :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फिल्मों में सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से सिगरेट के प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद सिगरेट की बिक्री अभी भी सरेआम जारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) नियमावली, 2004 के संशोधन दिनांक 31.05.2005 की अधिसूचना के तहत किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि "कोई भी व्यक्ति विशेष अथवा कोई व्यक्ति अथवा सिनेमा और टेलिविजन कार्यक्रमों में चरित्र तंबाकू उत्पादों अथवा उनके प्रयोग का प्रदर्शन नहीं करेगा।" निम्नलिखित को छूट देने का निर्णय लिया गया है :

(i) ऐतिहासिक व्यक्तियों अथवा ऐतिहासिक युग को निरूपित करने वाले चरित्र;

(ii) पुरानी फिल्में, भारतीय और विदेशी, दोनों;

(iii) तंबाकू प्रयोग के खतरों का चित्रण करने वाले वृत्तचित्र;

(iv) टेलिविजन पर प्रसारित होने वाली खबरों, सामयिक घटनाओं, साक्षात्कारों, जनसभाओं, खेल की प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों का लाइव कवरेज;

ये प्रावधान 1 जनवरी, 2006 से लागू होंगे।

(ग) "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003" की धारा 5, जो 1 मई, 2004 से लागू हो गई है, में ऐसे विज्ञापन का प्रतिषेध है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग का समर्थन करते हों अथवा प्रोत्साहन देते हों। इस अधिनियम में आगे और यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रायोजकता, उपहार, इनाम अथवा स्कालरशिप के बदले में तंबाकू उत्पादों के किसी भी ट्रेडमार्क अथवा ब्रांड के नाम को प्रोत्साहित नहीं करेगा।

(घ) सरकार ने केवल विज्ञापनों पर ही प्रतिबंध लगाया है न कि सिगरेट उत्पादों की बिक्री पर। तथापि सिगरेट की बिक्री निम्नलिखित के लिए प्रतिषेध है :

(i) 18 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति को; और

(ii) किसी भी शैक्षिक संस्था के 100 गज के भीतर।

(ङ) तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 में दण्डात्मक प्रावधान हैं जिससे इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर अभियोजन चलाया जा सकता है। यह अधिनियम मुख्यतया राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है जिन्हें विधि के प्रावधानों का कड़ाई से प्रवर्तन करने तथा आवश्यक मैकेनिज्म स्थापित करने की सलाह दी गई है।

इराक प्रवास पर प्रतिबंध

1222. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रमिकों के इराक प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो एजेंट किस प्रकार से लोगों को बहला–फुसलाकर इराक भेजने में सफल हो जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी भर्ती एजेंसियों/एजेंटों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय दलाल भारत से ऐसा करने में सफल नहीं है।

[अनुवाद]

प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबंध को हटाना

1223. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में कार्यरत सरकारी डाक्टरों द्वारा की जाने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में नीति के बारे में निर्णय करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ राज्यों अर्थात् असम, उड़ीसा और राजस्थान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध हटा लिया है।

कर्नाटक में आईएसडीएन सेवाएं

1224. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों पर इंटिग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आईएसडीएन सेवाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) कर्नाटक सर्किल के सभी 27 राजस्व जिला मुख्यालयों में पहले ही इंटिग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होते।

पब्लिक हैल्थ स्कूलों की स्थापना

1225. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर दो प्रमुख पब्लिक हैल्थ स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हैल्थ स्कूलों की स्थापना में कुल कितनी लागत आने की संभावना है;

(घ) इन स्कूलों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन स्कूलों से आम आदमी को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) के गठन के लिए योजना आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। पीएचएफआई देश में जन स्वास्थ्य शिक्षा की उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने हेतु दो भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच) की स्थापना करेगा। दो आईआईपीएच की संस्थापना की कुल अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है। इस प्रस्ताव में संकल्पना की गई है कि भारत सरकार कुल लागत अर्थात् 65 करोड़ रुपये की मात्र एक-तिहाई धनराशि ही देगी और शेष धनराशि की पूर्ति निजी/कारपोरेट निधियों से की जाएगी। प्रस्तावित दो आईआईपीएच में से एक दिल्ली के आस-पास उत्तरी क्षेत्र में तथा दूसरा तमिलनाडु में देश के दक्षिणी क्षेत्र में होगा। इस पहल में मानव संसाधन क्षमता निर्माण करने की अपेक्षा है जिसे बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य प्रदायगी में उन्नयन हेतु अनिवार्य माना जाता है। यह प्रस्ताव सरकार के आगे और अनुमोदन तथा निजी/कारपोरेट क्षेत्र की भागीदारी के अध्यधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन

1226. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वीडियो वुआयरिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संशोधन के कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वीडियो दृश्यरितकता के अपराध से संबंधित प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। शिशु अश्लीलता को विद्यमान धारा 67 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना के प्रकाशन से संबंधित है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक 2000 का मसौदा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित करने के प्रयोजन से तैयार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

1227. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारी हैं;

(ख) क्या इनको इनकी संख्या के अनुसार इन सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना निम्नानुसार है :

	भारतीय प्रशासनिक सेवा 24.11.2005 की स्थिति के अनुसार	भारतीय पुलिस सेवा 1.9.2005 की स्थिति के अनुसार	भारतीय वन सेवा 1.11.2005 की स्थिति के अनुसार
अनु. जाति	547	311	302
अनु. जनजाति	312	158	197
अन्य पिछड़े वर्ग	222	142	85

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है और इन सेवाओं में आरक्षण, अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी

1228. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचएस) में डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी पूरा करने हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी में सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शल्य चिकित्सकों के करीब 40.9%, स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञानियों के 24.6%, काय चिकित्सकों के 41.1% तथा बाल रोग चिकित्सकों के करीब 42.8% पद रिक्त थे। कुल मिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से करीब 37.1% पद रिक्त थे। इस समय, 700 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती में विलंब, अनुपयुक्त वैयक्तिक नीति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के अभाव जैसे कारणों से डाक्टरों से रहित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनेक राज्यों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तथा पदोन्नति, विदेश में नियुक्ति अथवा विदेश में प्रशिक्षण; अवस्थितियों के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित कार्यकाल पूरा होने पर डाक्टरों के अनिवार्य रोटेशन; डाक्टरों की संविदात्मक नियुक्ति; पूर्ववर्ती प्रैक्टिसबंदी भत्ते तथा सेवा नियमों के अनुसार सौंपे गए कार्यों पर समझौता किए बगैर प्रैक्टिस करने; ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भत्ते इत्यादि के प्रोत्साहन संबंधी रूप प्रदान करने के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में अनिवार्य ग्रामीण/कठिन क्षेत्र में तैनाती जैसी विभिन्न पहलें शुरू की हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सराहनीय परिणाम नहीं निकले हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस विषय पर गठित एक कार्यदल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

- गृह नगर के निकट तैनाती को प्राथमिकता देते हुए डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना;
- जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण;
- डाक्टरों का वाक-इन-इंटरव्यू तथा संविदात्मक नियुक्ति;
- ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए वेतन को एक-तिहाई बढ़ाना;
- संवेदनाहरण के लिए मेडिकल कालेजों में दाखिला क्षमता बढ़ाना;
- संवेदनाहरण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करना;
- इस समय इस पद्धति में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के लिए संवेदनाहरण में एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करना, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाना है;
- उपर्युक्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु पांच सौ पलंगों वाले अस्पतालों को मान्यता देना;
- मामलेवार आधार पर निजी प्रैक्टिसनरों की सेवाओं को किराये पर लेना।

[हिन्दी]

अश्लील एसएमएस संदेश

1229. श्री रशीद मसूद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में अश्लील एसएमएस भेजने के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कैमरे की सुविधा वाले मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) अश्लील एसएमएस भेजने के कुछ मामले मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सरकार के ध्यान में आए हैं। अश्लील एसएमएस जैसे संदेश भेजने के लिए किसी संचार उपकरण के दुरुपयोग जैसे अपराध देश के मौजूदा कानूनों के अंतर्गत कवर होते हैं।

(घ) से (च) विभिन्न यंत्रों का एक यंत्र में समेकन करना एक ऐसी सुविधा है जो संचार, कम्प्यूटर और अंतर्वस्तु के आपसी मेल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उन्नयन के कारण संभव हुई है। कैमरा मोबाइल फोन ऐसे यंत्रों में से एक है। तस्वीर लेने के लिए कैमरा मोबाइल फोन का प्रयोग ऐसे किसी अन्य लघु कैमरा का उपयोग करने के समान है जिसमें अन्य यंत्र जुड़े होते हैं जैसे किसी पेन में लगा कैमरा, किसी सिगरेट लाइटर में लगा कैमरा आदि। इसलिए, कैमरा मोबाइल फोन का प्रयोग केवल प्रयोक्ता पर निर्भर करता है और कैमरा मोबाइल फोन का उपयोग कर अवैध फोटोग्राफी करने जैसे अपराध देश के मौजूदा कानूनों के तहत कवर होते हैं।

श्रम कल्याण बोर्ड को उपकर का भुगतान

1230. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने केन्द्र सरकार से श्रम कल्याण बोर्ड को उपकर का भुगतान करने हेतु 105 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि उपलब्ध करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डीएमआरसी को अपना हिस्सा दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

नए भवन उप-नियम

1231. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रिहायशी संपत्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दुरुपयोग करने, अवैध रूप से एक कमरे या बालकनी का निर्माण करने अथवा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए नए भवन उप–नियम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि भवन उप–नियमों को पुनः तैयार करने की कार्रवाई की गई है जिसमें अन्य के साथ–साथ भवन योजना स्वीकृति के लिए एक पारदर्शी कार्य–प्रक्रिया शामिल है ताकि अनधिकृत निर्माणों में कमी आ सके।

रिहायशी परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई संबंधी प्रावधान दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम इत्यादि में दिए गए हैं।

[हिन्दी]

परिवारों की ऋण देयता

1232. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति परिवार ऋण देयता बढ़ी है और उनकी मौद्रिक बचत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में परिवारों द्वारा की गई मौद्रिक बचत का प्रतिशत क्या रहा; और

(घ) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण देयता कितने प्रतिशत बढ़ी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2005 में उपलब्ध सूचना के अनुसार,

घरेलू क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति ऋण देयता वर्ष 2001– 02, 2002–03 तथा 2003–04 में क्रमशः 405.8 रुपये, 681.1 रुपये और 824.2 रुपये अनुमानित की गई है। घरेलू क्षेत्रक में सकल वित्तीय बचत के रूप में मापित मौद्रिक बचत इन वर्षों में क्रमशः 2954.8 रुपये, 3092.8 रुपये तथा 3753.0 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमानित की गई थी। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय बचत और ऋण देयता प्रति व्यक्ति आधार पर है परिवार आधारित नहीं क्योंकि इन वर्षों के लिए परिवारों की संख्या का तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख कियां जाता है कि ये अनुमान प्रचलित मूल्यों पर आधारित हैं।

(ख) सकल वित्तीय बचत और ऋण देयता के अंतर द्वारा मापित घरेलू क्षेत्रक की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवल परिवर्तन वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 में प्रति व्यक्ति क्रमशः 2549.0 रुपये, 2411.7 रुपये तथा 2928.8 रुपये था। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2003–04 में निवल स्थिति वर्ष 2001–02 से अधिक है, यद्यपि वर्ष 2002–03 में यह नीचे चला गया था। यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय लेखा द्वारा यथा–परिभाषित घरेलू क्षेत्रक में न केवल परिवार शामिल हैं बल्कि गैर–निगमित उद्योग भी शामिल हैं तथा उन सभी वर्गों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन दो वर्गों की बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों के कारण घरेलू क्षेत्रक की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के कारणों की पहचान करना संभव नहीं है।

(ग) घरेलू मौद्रिक बचत संबंधी सूचना मात्र वर्ष 2003–04 तक ही उपलब्ध है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार जीडीपी की सकल वित्तीय बचत का अनुपात बाजार मूल्यों पर वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के लिए क्रमशः 13.25 प्रतिशत एवं 14.59 प्रतिशत था।

(घ) उत्तर के भाग (क) में दी गई सूचना के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति ऋण देयता में बढ़ोत्तरी वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के लिए क्रमशः 67.8 प्रतिशत तथा 21.0 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य योजनाओं हेतु सहायता

1233. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने हेतु डीएफआईडी, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त योजनाओं के लिए सहायता कब तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त किया जिसमें 2005–2010 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सेवा प्रदानगी के उन्नयन तथा गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या के लिए करीब 100 मिलियन पौंड का सहायता अनुदान डीएफआईडी से मांगा गया है। प्रस्ताव के अंतर्गत कवर किए गए मुख्य विषयक क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) एड्स, यौन तथा प्रजनक स्वास्थ्य;

(ii) प्रसवपूर्व, नवजात, मातृ, बाल स्वास्थ्य;

(iii) रोग भार कम करना;

(iv) गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ाना; तथा

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव तथा परियोजना संकल्पना नोट पर सहमति दे दी है तथा इसे और आगे विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

1234. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी में जिलेवार कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के उक्त जिलों में और दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सकील अहमद) : (क) पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी जिले सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी जिले सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिले–वार संख्या

क्र.सं.	दूरसंचार जिला (गौण स्विचन क्षेत्र)	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	64
2.	आजमगढ़	60
3.	बहराइच	54
4.	बलिया	39
5.	बांदा	84
6.	बाराबंकी	60
7.	बस्ती	64
8.	देवरिया	55
9.	इटावा	26
10.	फैजाबाद	57
11.	फर्रुखाबाद	38
12.	फतेहपुर	41
13.	गाजीपुर	33
14.	गोंडा	56
15.	गोरखपुर	55
16.	हमीरपुर	32
17.	हरदोई	30
18.	जौनपुर	56
19.	झांसी	43
20.	कानपुर	68
21.	खीरी	69
22.	लखनऊ	41
23.	मैनपुरी	25
24.	मऊ	32
25.	मिर्जापुर	41
26.	उरई	32
27.	प्रतापगढ़	47
28.	रायबरेली	56
29.	शाहजहांपुर	23
30.	सीतापुर	50
31.	सुलतानपुर	69
32.	उन्नाव	45
33.	वाराणसी	79
34.	आगरा	47
35.	अलीगढ़	41
36.	बरेली	31
37.	बिजनौर	47
38.	बुलन्दशहर	25
39.	गाजियाबाद	29
40.	मेरठ	29
41.	मथुरा	33
42.	मुजफ्फरनगर	44
43.	मुरादाबाद	43
44.	नोएडा	11

1	2	3
45.	सहारनपुर	30
46.	बदायूं	15
47.	एटा	23
48.	पीलीभीत	25
49.	रामपुर	21
	कुल	2,118

श्रमिकों को विदेश भेजा जाना

1235. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आज तक श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए कतिपय देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों को वेतन और अन्य सुविधाएं देने के लिए इन समझौतों में कुछ उपबंध किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इन श्रमिकों को किन-किन देशों में भेजे जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1236. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

डा. एम. जगन्नाथ :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में सभी विभागीय डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कम्प्यूटरीकरण का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) देश में 26,165 विभागीय डाकघर हैं। इस समय विभाग दसवीं योजना में 7700 बड़े विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की योजना स्कीम को लागू कर रहा है जिसका अनुमोदित परिव्यय 836 करोड़ रुपये है। विभाग ने बाकी 18,465 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने का एक प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(ख) विभाग ने बाकी 18,465 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए 625 करोड़ रुपये के अनुमानित अतिरिक्त व्यय का आकलन किया है।

(ग) दसवीं योजना के लिए अनुमोदित 7700 बड़े विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए विभाग को वार्षिक योजना आवंटन के माध्यम से नियमित रूप से धन उपलब्ध कराया जाता है। बाकी 18,465 विभागीय उप-डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण को अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है, इस प्रयोजनार्थ कोई निधि प्रदान नहीं की गई है।

(घ) बाकी 18,465 विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण पर एक परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है।

(ङ) मार्च, 2007 तक 7700 बड़े विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बाकी 18,465 विभागीय डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

ब्लॉक/जिला स्तरीय अस्पतालों को उन्नत बनाना

1237. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपना ध्यान ब्लॉक और जिला स्तर

के अस्पतालों को उन्नत बनाने पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की भी योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुधार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) देश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं; और

(ङ) इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ब्लाक स्तरीय अस्पतालों अर्थात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) के अनुसार अद्यतन किया जाना है।

जहां तक जिला स्तरीय अस्पतालों का संबंध है, द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के उन्नयन/अद्यतन पर लक्षित विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान एवं तमिलनाडु के राज्यों में पूरी हो चुकी है/कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) सरकार देश में एन.आर.एच.एम. के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा के पाइलेटों के माध्यम से कमतर वित्तीय जोखिम पर उपलब्ध सुनिश्चित स्वास्थ्य परिचर्या की योजना बना रही है।

(ग) देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) का दर्जा बढ़ाकर आई.पी.एच.एस. करने के लिए वर्ष 2005–2006 के दौरान कुल 228.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(घ) फिलहाल, देश में कार्यरत 142655 उप–केन्द्रों, 23109 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3222 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(ङ) ये उपाय, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करेंगे, व्यवहार्य प्रथम रेफरल मैकेनिज्म अर्थात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–मंडलीय अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों के स्तर पर मैकेनिज्म लोगों, मुख्यतया गरीब और अल्पसेवित लोगों, की स्वास्थ्य स्थिति में उन्नयन करते हैं तथा नीतिगत सुधार एवं सांस्थानिक विकास के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों के आवंटन और प्रयोग में कार्यक्षमता का उन्नयन करेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में हुए बम धमाकों में पाकिस्तानी आतंकवादियों की संलिप्तता

1238. श्री ब्रजेश पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 31 अक्तूबर, 2005 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी वार्ता में यह आशंका व्यक्त की थी कि दिल्ली में हुए बम धमाकों में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का हाथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई आशंका पर ध्यान देते हुए पाकिस्तान ने भारत सरकार से उक्त बम धमाकों में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का हाथ होने संबंधी प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को बम धमाकों और सीमा क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में कोई सूचना प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो आज की तारीख की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (छ) राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 31 अक्तूबर, 2005 को प्रधानमंत्री को टेलीफोन करके दिल्ली सीरियल विस्फोटों पर अपना दुःख प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कहा कि आतंकवाद की इन घृणित कार्रवाइयों से देश को आघात पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने पुनः सीमा–पार आतंकवाद को समाप्त करने की उनकी वचनबद्धता की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि हम 29 अक्तूबर के बम विस्फोटों से जुड़े गुटों का विदेशों से संपर्क होने के संकेत मिलने के कारण आंदोलित और निराश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से भारत विरोधी आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा करता है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने विस्फोटों की जांच करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि यदि भारत जांच के परिणाम उन्हें भेजता है तो वह कार्रवाई करेंगे।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा विस्फोटों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

छोटे और मझोले शहरों का विकास

1239. श्री जसुभाई दानाभाई बाग्ड़ : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान विकास हेतु चयनित छोटे और मझोले शहरों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक शहर में विशेषतः गुजरात के संदर्भ में अब तक राज्यवार और योजनावार कितनी राशि निवेश की गयी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो दसवीं योजना अवधि के शेष भाग के दौरान विकास हेतु किन शहरों में काम शुरू होने की संभावना है और प्रत्येक शहर को राज्यवार कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण हेतु अतिरिक्त सहायता

1240. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने देशभर में सभी 26,000 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु 626 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डाक विभाग ने भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरा होने के समारोह के अवसर पर कारपोरेट ई–पोस्ट, और नए तरीके के लेटर–बॉक्स लगाने जैसे अनेक नए डाक उत्पादों और सेवाओं की घोषणा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभाग ने योजना आयोग से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो डाक विभाग के कार्य–निष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। दसवीं योजना में डाक विभाग 836 करोड़ रु. के परिव्यय से 7,7000 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना स्कीम को लागू कर रहा है। देशभर में बाकी बचे 18,465 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विभाग ने योजना आयोग से 625 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है।

(ख) योजना आयोग प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

(ग) जी, हां। डाक विभाग ने भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरा होने के समारोह के अवसर पर कारपोरेट ई–पोस्ट और नए तरीके के लेटर–बॉक्स की शुरूआत की घोषणा की है।

(घ) कारपोरेट ई–पोस्ट सेवा एक कारपोरेट ग्राहक को अपने संदेशों, लिखित सामग्री एवं चित्रों सहित, को उनकी कार्यालयी लेखन–सामग्री पर छापने, स्कैन करने और उसे ई–पोस्ट के माध्यम से एक ही बार में अधिक से अधिक 9999 प्राप्तकर्त्ताओं को ई–मेल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद इन संदेशों को डाउनलोड करके इनका प्रिंट–आउट निकालकर लिफाफे मं बंद कर पोस्टमैन द्वारा प्राप्तकर्ताओं को उनके घर पहुंचा दिया जाता है। फाइबर ग्लास के टॉप वाला उच्च क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील वाला नया लेटर बॉक्स काफी टिकाऊ साबित होगा। इससे बड़ी डाक वस्तुओं को पोस्ट करने में सुविधा होगी और डाक विभाग को विज्ञापन के लिए निश्चित की गई खास जगह पर विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने का मौका मिलेगा।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (क) में जानकारी दी गई है, बाकी बचे 18,465 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विभाग ने योजना आयोग से 625 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है।

(च) विभाग फिलहाल दसवीं योजना में 7700 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत कर रहा है। इसके अलावा प्रमुख मेल कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और स्पीड पोस्ट केन्द्रों का और उन्नयन किया जा रहा है। सभी कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय डाटा केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण के इन प्रयासों से ग्राहकों को विभिन्न ऑन–लाइन

सेवाएं प्रदान करने, नई ई–आधारित सेवाएं शुरू करने, काउंटरों पर ग्राहकों का प्रतीक्षा समय घटाने और डाक सेवा की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलेगी। डाक को तेजी से प्रोसेस करने के लिए नई दिल्ली और कोलकाता में दो और ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

अति विशिष्टि क्षेत्रों में सेल्युलर सेवा की ग्रहणशीलता (रिसेप्शन)

1241. श्री रेवती रमन सिंह :

श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनडीएमसी और लुटियंस जोन के अति विशिष्ट क्षेत्रों में सेल्युलर सेवाओं की ग्रहणशीलता (रिसेप्शन) घटिया है जैसा कि दिनांक 2 सितम्बर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 135 टावरों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में नई दिल्ली में लुटियंस जोन में केवल 12 सेल्युलर टावर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश विशेषकर नई दिल्ली में सेल्युलर सेवाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहम्द) : (क) से (ङ) दिल्ली के कतिपय क्षेत्रों विशेषकर लुटियंस बंगला जोन क्षेत्र तथा नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) क्षेत्रों में सेल्युलर सेवाओं की अल्प ग्रहणशीलता (रिसेप्टिविटी) की सूचना मिली है। इस समस्या का मुख्य कारण यह है कि नई दिल्ली नगर निगम और अन्य अभिकरणों से आवश्यक अनुमति लेने में आने वाली समस्याओं के कारण प्रचालक इन क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में दूरसंचार टावरों/सेल स्थलों की संस्थापना नहीं कर पाते हैं।

अब एनडीएमसी और अन्य अभिकरणों ने दूरसंचार टावर/सेल स्थलों की संस्थापना करने के लिए अपेक्षित अनुमति देना शुरू कर दिया है तथा इन क्षेत्रों में कवरेज में सुधार करने के लिए अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाने के लिए मोबाइल प्रचालकों द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

लापता भारतीय यात्री

1242. श्री संतोष गंगवार :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर के पाक अधिकृत कश्मीर जाने वाली कारवां–ए–अमन बस में सवार 46 भारतीय यात्रियों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें ढूंढने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) 8 अक्तूबर को आये भूकंप के कारण पाक अधिकृत कश्मीर में श्रीनगर–मुजफ्फराबाद बस सेवा के 54 फंसे भारतीय सवारियों में से 36 लोग वापस आ गए हैं। एक सवारी की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। शेष 17 लोगों के भाग्य का पता नहीं चल पाया है। सरकार ने अनेक बार उनके हित–कल्याण का पता लगाने का अनुरोध पाकिस्तान सरकार से किया है। अब तक उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पायी है।

[अनुवाद]

गूगल द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर का गलत चित्रण

1243. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूगल ने अपने मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के अंग के रूप में दिखाया है जैसा कि 22 अक्तूबर, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में गूगल के पास आधिकारिक विरोध भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत की सीमाओं को गलत तौर पर दर्शाए जाने के संबंध में गूगल इनकारपोरेशन के कार्यकारी समिति के चेयरमैन और सी.ई.ओ. को एक पत्र भेजा गया है। वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास को भी गूगल इनकारपोरेश के समक्ष इस मामले को उठाने के अनुदेश दिए गए हैं।

(घ) लागू नहीं।

बीएसएनएल की वायरलाइन क्षमता

1244. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से अलग होने के बाद भारी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो निवेश का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निगमीकरण की तारीख से 31 अक्तूबर, 2005 तक बीएसएनएल की कुल वायरलाइन क्षमता और उपभोक्ताओं की संख्या क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायरलाइन व्यवसाय में बीएसएनएल द्वारा कितना निवेश किया गया है और वायरलाइन व्यवसाय में बीएसएनएल की भावी योजनाएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000– 01, 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	वर्ष	किया गया पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रु. में)
1.	2001–02	17006.32
2.	2002–03	12057.00
3.	2003–04	6537.16
4.	2004–05	7445.66

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क की कुल वायरलाइन क्षमता 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार 2,97,44,101 थी जो 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 4,71,85,637 हो गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायरलाइन व्यवसाय के प्रति किए गए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	किया गया पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रु. में)
1.	2001–02	13478.08*
2.	2002–03	7352.13*
3.	2003–04	5113.75**
4.	2004–05	1820.01*

*इसमें वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली भी शामिल है।

**इसमें डब्ल्यूएलएल तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा भी शामिल है।

नेटवर्क घटक जैसे प्रेषण नेटवर्क तथा अन्य अवसंरचना के एक भाग को वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं द्वारा साझा उपयोग में लाया जाता है जिसके कारण योजनावार निवेश का वास्तविक पृथक्करण उपलब्ध नहीं है।

जहां तक वायरलाइनों के व्यवसाय में बीएसएनएल की भावी योजनाओं का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि नए एक्सचेंज केवल विशिष्ट मामलों में तथा उन क्षेत्रों में खोले जाते हैं जो प्रौद्योगिकीय तथा वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों जहां क्षमता उपलब्ध है, में लम्बित प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु भूमिगत केबल बिछाने संबंधी मानदंडों में छूट देकर 2.5 कि.मी. के बजाय इसे 5 कि.मी. तक कर दिया गया है। वायरलाइन टेलीफोनी को एक बड़ा झटका उपभोक्ताओं का बेतार सुविधाओं के प्रति झुकाव का होना है जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में वायरलाइन टेलीफोनों की वापसी देखी जा रही है। यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है जो बीएसएनएल के लिए कोई अनोखी नहीं है। फिर भी बीएसएनएल इन वासियों को नियंत्रित करने के सभी प्रयास कर रहा है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) वायरलाइन उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश की जा रही है जैसा कि मोबाइल सेवाओं में की जाती है।

(ii) बीएसएनएल ने जनवरी, 2005 में ब्रॉडबैंड की शुरूआत की है और यह अपने लैंडलाइन उपभोक्ताओं को ये सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(iii) बाह्य संयंत्र, जो वायरलाइन नेटवर्क में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, में उत्पन्न होने वाले दोषों के लिए जेलीयुक्त केबल के माध्यम से पेपर कोर केबल के प्रतिस्थापन द्वारा तथा बाह्य संयंत्र को खंभारहित बनाकर सुधार किया जा रहा है।

कोयला खंडों का विकास

1245. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) वर्जिन कोयला खंडों को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम शुरू कर रहा है जैसा कि 9 जुलाई, 2005 के 'द बिजनेस लाइन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खान विकास कार्यक्रम के लिए ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.सी.सी.एल. ने लघु कोयला सीम पैचों से कोयले के उत्पादन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारयण राव) : (क) और (ख) बी.सी.सी.एल. ने अद्यतन तिथि तक कोई संयुक्त उपक्रम आरंभ नहीं किया है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

(ङ) उत्पादन और लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए बी. सी.सी.एल. ने उन छोटे और पृथक् पैचों से कोयले का उत्पादन करने के लिए भाड़े पर लिए गए 'हैम' को नियोजित किया है जो विगत में आबादी अथवा रेलवे लाइन या आग आदि के कारण छूट गए थे और जिन्हें बी.सी.सी.एल. द्वारा एक नियमित खान के रूप में खनित नहीं किया जा सका था।

(च) जिन पैचों को भाड़े पर लिए गए उपकरण से खनित किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं :

घुटवे पैच, बराड़ी 'ए' पैच, बराड़ी 'बी' पैच, बागडिगी 'सी' पैच, भटडीह पैच, कुया पैच, बसदेवपुर 'ए' तथा 'बी' पैच, मुरलीडीह–II पैच, मूडीडीह पैच का तेतुलमारी सैक्शन, जेनागोरा पैच ई, त्यागा गया सालनपुर ओ.सी.पी. पैच, चन्दोर पैच, क्रशर पैच, बेनीडीह, मुराईडीह कोलियरी का नथखास सेक्शन, निचितपुर पैच, गोण्डूडीह पैच, जीलगोरा पैच।

[हिन्दी]

बीएसएनएल मोबाइल सेवा का कार्यनिष्पादन

1246. श्री सुरेश वाघमारे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन सुविधा के लिए आवेदन करने वालों को कब तक यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या बीएसएनएल मोबाइल सेवा बीएसएनएल का व्यापक नेटवर्क होने के बावजूद सुचारु ढंग से कार्य नहीं कर रही है, जबकि निजी कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) फिक्स्ड लाइन की अधिकांश प्रतीक्षा सूची ग्रामीण दूर–दराज के क्षेत्रों में है। बीएसएनएल इन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार विभिन्न उपाय कर रहा है :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क की संस्थापना करना;

(ii) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाहरी केबल के मानदंडों में 2.5 कि.मी. के बजाय 5 कि.मी. तक की छूट देना;

(iii) सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ स्थलों तथा राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क की संस्थापना करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक भागों को आनुषंगिक कवरेज मिल जाएगा और इस प्रकार इन क्षेत्रों में वायरलैस कनेक्टिविटी की मांग पूरी हो जाएगी।

उपर्युक्त सभी प्रयासों से अधिकांश मौजदा प्रतीक्षा सूची के दिसंबर, 2006 तक क्लीयर हो जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) बीएसएनएल की वैश्विक मोबाइल संचार सेवा प्रणाली (जीएसएम) संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और सामान्यतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है। तथापि, बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों के लिए जनता की अत्यधिक मांग के कारण कुछ दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल नेटवर्क की मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग किया जा चुका है। अतः कुछ क्षेत्रों में व्यस्त समय के दौरान कुछ संकुलन पाया गया है।

बीएसएनएल अपने जीएसएम नेटवर्क को निरंतर बढ़ा रहा है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में 14 मिलियन लाइनों की वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल द्वारा अपने मोबाइल नेटवर्क को निरंतर अनुकूलतम बढ़ाया जा रहा है और नेटवर्क की मानीटरिंग को सुदृढ़ बनाया गया है।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों के किराएदार

1247. डा. के. धनराजू :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में रहने वाले अनेक भारतीय लोग अपने एन.आर.आई. दर्जे का अनावश्यक फायदा उठा रहे हैं और भारत में किराए पर दिए गए अपने पैतृक आवासों को खाली कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

आंध्र प्रदेश में मेट्रो रेल

1248. श्री रायापति सांबासिया राव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार को राज्य में मेट्रो रेल शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) राज्य सरकार का निम्नलिखित अनुसार बनाओ, चलाओ और अंतरित करो (बीओटी) आधार पर तीन कोरीडारों पर 6366 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मेट्रो रेल के निर्माण का प्रस्ताव है :

1. मियापुर–चैतन्यपुरी–26 किमी.
2. सिकन्दराबाद–फलकनुमा–13 किमी.
3. तमाका–पंजागुट्टा–हाइटेक सिटी–20 किमी.

राज्य सरकार ने इसके लिए दुनियाभर से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में नलकूप कार्यक्रम

1249. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के अंतर्गत नलकूप कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल एक लाख साठ हजार प्रति वर्ष की दर से छह लाख चालीस हजार तीन सौ छियासठ निजी नलकूप और पम्प सैट लगाये जाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल एक लाख साठ हजार प्रतिवर्ष की दर से छः लाख चालीस हजार निजी नलकूप और पम्प सैट लगाए जाने की परिकल्पना की

गई है। पिछले वर्ष का जो शेष रहा गया है उसे अगले वर्ष में लगाया जाएगा।

(घ) और (ङ) नाबार्ड द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उन नलकूपों की संख्या के मामले में, जिनके लिए लाभार्थियों को निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, वर्ष 2003–04 में लक्ष्य की प्राप्ति 67 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2004–05 में उस वर्ष के लक्ष्य की प्राप्ति 108 प्रतिशत थी। अभी स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

[अनुवाद]

अवसंरचना वित्तपोषण हेतु
विशेष प्रयोजन वाहन

1250. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के लिए दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और निधियों का संवितरण करने हेतु बैंक और वित्तीय संस्थाओं के समूह का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बाजार से लिए गए एस.पी.वी. के ऋण की सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी परन्तु एस.पी.वी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए कोई प्रति–गारंटी नहीं होगी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस वर्ष एस.पी.वी. से लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी परन्तु एस.पी.वी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए कोई प्रति–गारंटी नहीं होगी;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) चालू वर्ष के दौरान एस.पी.वी. से लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस धनराशि का अब तक किस सीमा तक उपयोग किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष प्रयोजन वाहन (एस.वी.पी.) की स्कीम संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कोई समूह गठित नहीं किए जाने हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए उधार देने वाला सहायता–संकाय भिन्न–भिन्न हो सकता है।

(ङ) और (च) जी, हां। तथापि, एस.पी.वी. को दी जाने वाली गारंटी की मात्रा वार्षिक रूप से नियत सीमा शर्त के साथ होगी। आशा की जाएगी कि परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों और उन्हें सहायता देने के लिए सरकारी गारंटी की आवश्यकता न हो।

(छ) और (ज) चालू वर्ष में विशिष्ट परियोजनाओं को गारंटी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ञ) चालू वर्ष के लिए उधार देने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 2005–06 के बजट में अधिकतम 10,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी देने का प्रावधान है।

विवरण

आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) की स्थापना–इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि. (आईआईएफसीएल) नामक गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनी (एनबीएफसी) स्थापित करने संबंधी स्कीम

स्कीम

बजट में की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से आर्थिक कार्य विभाग ने विशेष प्रयोजन उपाय (जिसे इसके बाद स्कीम कहा गया है) के माध्यम से व्यवहार्य आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की एक स्कीम तैयार की है। स्कीम में इस बात की पहचान की गई है कि निम्नलिखित दबावों की वजह से आधारिक संरचना परियोजनाओं को सामान्यतया दीर्घावधिक ऋण नहीं उपलब्ध हो पाते।

(क) बाजार से दीर्घावधि उधार लेने के लिए बैंचमार्क दरों का अभाव।

(ख) अधिकांश वित्तीय संस्थानों के मामले में परिसंपत्ति दायिता, ऋण गति की बेमेलता; और

(ग) दीर्घावधिक ऋण की उच्च लागत। स्कीम को इन बाध्यताओं का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) स्कीम इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद आईआईएफसीएल कहा गया है) नामक एक विशेष प्रयोजन उपाय द्वारा लागू की जाएगी। आईआईएफसीएल को कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में निगमित किया जाएगा।

(ख) अपने शेयर के अलावा आईआईएफसीएल खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। ऋण का स्रोत निम्नलिखित हो सकता है :

(i) इस उद्देश्य के लिए सृजित उचित लिखतों के माध्यम से बाजार से लिए गए रुपये ऋण; यह सामान्यतया 10 वर्ष और इससे अधिक वर्षों की देय अवधि के ऋण उठाएगी।

(ii) आईआईएफसीएल विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी द्वीपक्षीय या बहुपक्षीय संस्थाओं से उधार ले सकती हैं।

(iii) यह सरकार की पूर्वानुमति से विदेशी करेंसी ऋण उठा सकती है जिसमें विदेशी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से ऋण शामिल हैं।

(ग) सरकार आईआईएफसीएल की उधार राशियों के एक अंश या पूर्ण राशि के मूलधन और ब्याज की पुनअर्दायगी के लिए गारंटी दे सकती है। सरकार द्वारा जो गारंटी दी जाएगी वह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सीमाओं के भीतर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय राजकोषीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित की जाएगी। वर्ष 2005–06 के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

(घ) आईआईएफसीएल किसी सत्ता द्वारा प्रायोजित केवल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को ही वित्तपोषित करेगी, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक या सार्वजनकि–निजी साझेदारी। व्यवहार्य परियोजनाओं में वह परियोजनाएं भी शामिल हो सकती हैं जो किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर निधियन को प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य होती हैं।

(ङ) परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रकों से संबंधित हो सकती हैं :

(i) सड़क और पुल, रेलमार्ग, समुद्र पत्तन, विमान पत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग और अन्य परिवहन परियोजनाएं;

(ii) विद्युत;

(iii) शहरी परिवहन, जलापूर्ति, मलव्ययन, शुष्क कचरा प्रबंधन और शहरी क्षेत्र में अन्य वास्तविक अवसंरचना;

(iv) गैस पाइपलाइनें;

(v) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं; और

(vi) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र तथा अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं।

बशर्ते कि वित्त मंत्री के अनुमोदन से कोई अधिकारिता समिति इस सूची में से किसी क्षेत्रक/उप–क्षेत्रक को जोड़ अथवा हटा सकती है। अधिकारिता समिति सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक समिति होगी जैसा कि स्कीम में परिभाषित है तथा इसमें सचिव, योजना आयोग, सचिव (व्यय) तथा विषय से संबंधित मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।

(च) आईआईएफसीएल निम्नलिखित एक अथवा अधिक माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है :

(i) पात्र परियोजनाओं को सीधे ऋण देना। सामान्यतया आईआईएफसीएल दस वर्षों की अवधि में होने वाले ऋण ही देगी।

(ii) पांच वर्ष (वरीयता दस वर्ष) अथवा अधिक अवधि

वाले ऋणों हेतु बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का पुनः वित्तीयकरण।

(iii) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित कोई अन्य उपाय।

(छ) एसपीवी स्वयं कोई भी अवसंरचना मूल्यांकन नहीं करेगा। परियोजना का मूल्यांकन परियोजना का वित्त पोषण करने वाले अंतःसंस्थागत समूह (ऋणदाताओं का संकाय) अग्रणी बैंक द्वारा किया जाएगा। इस स्कीम के कार्यों हेतु अग्रणी बैंक के रूप में अर्हता पाने के लिए, किसी बैंक के पास कुल परियोजना ऋण का कम से कम 25 प्रतिशत एक्सपोजर होना चाहिए। सभी प्रकार के भुगतान व वसूली अग्रणी बैंक के माध्यम से की जाएगी।

(ज) एसपीवी से प्राप्त ऋण सहायता परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(झ) सार्वजनिक निजी भागीदारी (अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के समर्थन में यथा परिभाषित स्कीम) के माध्यम से विकास, वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण और संचालन हेतु किसी निजी क्षेत्र कम्पनी को दी गई किसी परियोजना को इस स्कीम के अंतर्गत अधिक प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि परियोजना खुली प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा आवंटित की गई हो।

(ञ) प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से दी गई सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को छोड़कर, वे निजी क्षेत्रक कम्पनियां जो अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं, सीधे ऋण के लिए पात्र नहीं होंगी तथा ऐसे मामलों में केवल पुनः वित्तपोषण विकल्प ही उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल ऋण आईआईएफसीएल के ऋण कार्यक्रम के 20 प्रतिशत के अन्दर ही रखे जाने होंगे।

(ट) आईआईएफसीएल द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि गारंटी शुल्क के साथ-साथ प्रशासनिक लागत सहित सभी निधि लागतों को कवर किया जा सके।

कार्यान्वयन एजेंसी (आईआईएफसीएल)

(i) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई आईएफसीएल) के पास 1000 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी और 10 करोड़ रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी होगी।

(ii) आईआईएफसीएल निदेशक-बोर्ड द्वारा अभिशासित की जाएगी, जिसमें 7 से कम सदस्य नहीं होंगे। प्रबंध निदेशक और एक अन्य निदेशक पूर्णकालिक कार्य निदेशक होंगे। तीन अंशकालिक निदेशक सरकार से बाहर के विशेषज्ञ होंगे। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय, प्रत्येक द्वारा दो अंशकालिक सरकारी निदेशक नामित किए जाएंगे। दो सरकारी निदेशकों का बने रहना आवश्यक है या नहीं, यह देखने के लिए दो वर्ष के बाद बोर्ड के गठन की समीक्षा की जाएगी।

(iii) पूर्णकालिक निदेशकों का चयन संगत अर्हताओं और अनुभव के आधार पर छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वित्त सचिव/सचिव, डीईए/अपर सचिव, बैंकिंग डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा नामित दो विशेषज्ञ शामिल होंगे। उनके पारिश्रमिक पैकेज की सिफारिश छानबीन समिति द्वारा उनकी अर्हताओं और अनुभव को देखते हुए की जाएगी।

(iv) एसपीवी को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एसपीवी की स्थापना को सुकर बनाने के लिए अनुमोदन की तारीख से चार माह की अवधि के लिए विभाग में भारत सरकार में संयुक्त सचिव/निदेशक के स्तर पर विशेष कार्य अधिकारी के एक अस्थायी पद का सृजन किया जाएगा।

[हिन्दी]

रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र

1251. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत योजना (आर.ए.पी.एस.) रावतभाटा की प्रथम इकाई में अक्तूबर, 2004 से विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विद्युत उत्पादन कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है;

(घ) प्रथम इकाई में स्थाई रूप से बंद हो जाने के कारण

राजस्थान को हुए विद्युत के नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत योजना की तीसरी से छठी इकाई के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राजस्थान के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) यूनिट को उसके पुनर्सज्जीकरण के लिए विस्तृत तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु शट–डाउन किया गया है।

(ग) चूंकि विस्तृत मूल्यांकन अभी भी किया जा रहा है अतः राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट–1 का परिचालन शुरू किए जाने के लिए इस समय कोई समय–सीमा निर्धारित करना असामयिक है।

(घ) राजस्थान राज्य के पास, राजस्थान परमाणु बिजलीघर की 2 से 4 तक की यूनिटों से प्राप्त होने वाले हिस्से के अलावा नरोरा परमाणु बिजलीघर (एनएपीएस) से आवंटित हिस्सा है।

(ङ) जी, हां।

(च) राजस्थान राज्य ने, राजस्थान परमाणु बिजलीघर–1 की क्षमता के बराबर आवंटन करने के लिए, यूनिट 3 तथा 4 से, शेष क्षमता का 85 प्रतिशत हिस्सा यूनिट 3 तथा 4 से और यूनिट 5 तथा 6 से क्षमता का 85 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है।

(छ) विद्युत क्षेत्र के सभी राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में उपर्युक्त आवंटन करने के बारे में विद्युत मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय जल आयोग

1252. श्री वी. के. दुग्मर :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पेयजल की आपूर्ति और जल–मल निकासी हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार/केन्द्र शासित प्रदेश–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय जल आयोग के गठन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) शहरी विकास मंत्रालय वर्ष 1993–94 से केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। यह वित्तीय पद्धति शहरी स्थानीय निकायों से पांच प्रतिशत सहित केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 है। इसके अलावा, सरकार, चुनिन्दा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) तथा शेष शहरों हेतु छोटे और मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) शीघ्र ही शुरू कर रही है। जल आपूर्ति और सीवेज निपटान नई स्कीमों के अंतर्गत पात्र घटक हैं। एयूडब्ल्यूएसपी की मौजूदा स्कीम को यूआईडीएसएसएमटी की नई स्कीम में शामिल किया जाएगा।

(ख) एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय जल आयोग गठित करने के ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) वर्ष 1993–94 से आज की तारीख तक कार्यान्वयन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित स्कीमें		जारी कुल केन्द्रीय अंश (लाख रुपये)
		सं.	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	8583.34	3237.30

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	2963.62	540.96
3.	असम	21	6671.19	2320.33
4.	बिहार	33	4919.7	2020.03
5.	छत्तीसगढ़	42	3643.83	1790.12
6.	गोवा	4	352.35	176.18
7.	गुजरात	70	9317.69	4116.53
8.	हरियाणा	38	7667.89	3570.82
9.	हिमाचल प्रदेश	16	3208.43	1519.92
10.	जम्मू व कश्मीर	15	5561.58	1799.05
11.	झारखंड	16	3184.79	1181.34
12.	कर्नाटक	45	14554.18	5681.61
13.	केरल	13	3854.49	1379.73
14.	मध्य प्रदेश	147	15820.26	7275.28
15.	महाराष्ट्र	37	11578.24	4827.05
16.	मणिपुर	26	3455.19	1603.34
17.	मेघालय	2	581.73	290.87
18.	मिजोरम	8	1134.71	567.36
19.	नागालैंड	2	902.81	451.40
20.	उड़ीसा	35	7133.04	2765.29
21.	पंजाब	16	1225.36	501.61
22.	राजस्थान	72	12411.54	5305.56
23.	सिक्किम	2	451.56	225.78
24.	तमिलनाडु	93	10471.00	4823.56
25.	त्रिपुरा	12	3592.23	1486.53
26.	उत्तर प्रदेश	390	30829.75	14990.18
27.	उत्तरांचल	22	4426.58	2085.14
28.	पश्चिम बंगाल	22	3685.86	1441.85
	कुल	1244	182182.94	77974.72

नोट : 1. इसके अतिरिक्त, सुनामी प्रभावित पोर्ट ब्लेयर में जल आपूर्ति प्रणाली के पुनर्स्थापन के लिए 4.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

2 अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए कोई केन्द्रीय अंश जारी नहीं किया गया था।

मोबाइल फोनों के प्री-पेड कूपन

1253. श्री गणेश सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल सेलफोनों के प्री–पेड कूपन खरीदने तथा उपभोक्ताओं को प्रति कूपन टॉक–टाइम देने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या 320 रु. के कूपन के बदले उपभोक्ताओं को केवल 175 रु. का टॉक–टाइम दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पोस्ट पेड मोबाइल फोनों की बिलिंग प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मोबाइल फोन अपने सेवा क्षेत्र में भी कार्य नहीं करते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) प्री–पेड कूपनों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, आपरेटरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने से पहले उनका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय रोमिंग को छोड़कर मोबाइल सेवाओं के लिए प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। बाजार की परिस्थितियों और अन्य वाणिज्यिक कारणों के अनुसार सेवा प्रदाता विभिन्न मूल्यों के रिचार्ज कूपनों की पेशकश करते हैं। इस तरह बाजार में भिन्न–भिन्न टॉक टाइम, वैधता अवधि और प्रोसेसिंग प्रभारों से युक्त अनेक रिचार्ज कूपन काफी संख्या में उपलब्ध हैं। इन रिचार्ज कूपनों में दिया गया टॉक

टाइम कॉल प्रभारों, वैधता अवधि, मूल्य वर्धित सेवाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कुछ आपरेटर फुल टॉक टाइम वाले रिचार्ज कूपनों की पेशकश भी करते हैं। सभी मामलों में सेवा कर देय होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास फाइल की गई प्रशुल्क रिपोर्टों के अनुसार इस समय मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा 175/– रुपये के टॉक टाइम वाले 320/– रुपये के किसी रिचार्ज कूपन की पेशकश नहीं की गई है। मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा चुनी गई प्रशुल्क योजनाओं के अनुसार उन्हें बिल दिए जाते हैं जिन्हें विधिवत रूप से ट्राई के समक्ष फाइल किया जाता है और ये विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होते हैं।

(घ) बेसिक टेलीफोनों की तरह, पोस्ट पेड मोबाइल फोनों के लिए भी, बिलिंग चक्र के अंत में बिल बनाए जाते हैं और उन्हें भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को भेजा जाता है।

(ङ) जी, हां। कभी–कभी मोबाइल फोन अनेक कारणों से अपने सेवा क्षेत्र के भीतर भी कार्य नहीं करते जिनमें निम्न कारण शामिल हैं :

(i) कवरेज क्षेत्र से बाहर या ऐसे क्षेत्र जहां कवरेज कम हो जैसे किसी भवन का बेसमेंट आदि।

(ii) किसी आपरेटर की सिगनल क्षमता कमजोर हो।

(च) जी, हां। मोबाइल सेवा की खराब कवरेज का मुद्दा सरकार के ध्यान में आया है।

(छ) उपभोक्ता आधार का विस्तार हो जाने से विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने के लिए मोबाइल नेटवर्कों का उन्नयन किया जाना है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अधिकाधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) को बढाकर, बूस्टरों की संस्थापना और माइक्रो सैल आर्किटेक्चर जैसी तकनीकों को अपनाकर नेटवर्क का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह देखा गया है कि नेटवर्क उन्नयन संबंधी कार्य, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ अतिरिक्त बीटीएस की संस्थापना शामिल है, उपभोक्ता आधार में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।

सरकार ने मौजूदा प्रयोक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके अधिकाधिक स्पैक्ट्रम जारी करने के अलावा टॉवरों की संस्थापना हेतु स्थलों के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उपाय किए हैं।

कोयले की ढुलाई की दरें

1254. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू.सी.एल. क्षेत्र में कोयले की ढुलाई का कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा ली जा रही दरों की तुलना में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही कम्पनियों को ऊंची दरों पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो डब्ल्यू.सी.एल. क्षेत्र के अंतर्गत कोयले की ढुलाई के लिए विभिन्न कोयला खानों में निजी ठेकेदारों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों द्वारा प्रति टन क्या दरें वसूली जा रही हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों की ऊंची दरों के कारण डब्ल्यू.सी.एल. को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या इन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो डब्ल्यू.सी.एल. प्रबंधन को इन नियमों के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों को मानकीय दरों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, जो अप्रैल, 2001 में मैसर्स प्राइसवाटर हाउस कूपर्स द्वारा अनुशंसित और सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी। ये दरें असैनिक ठेकेदारों की दरों से अधिक हैं।

(ख) डब्ल्यूसीएल में पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक परिवहन कम्पनियों तथा असैनिक ठेकेदारों की दरों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	वर्ष 2002–03			वर्ष 2003–04			वर्ष 2004–05		
	वृद्धि किमी में	निजी ठेकेदार दर रु./टन में	ईएसएम दर रु./टन में	वृद्धि किमी में	निजी ठेकेदार दर रु./टन में	ईएसएम दर रु./टन में	वृद्धि किमी में	निजी ठेकेदार दर रु./टन में	ईएसएम दर रु./टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0–1	6.48 से 7.15	12.1	0–1	5.50 से 7.48	12.75	0–1	6.33 से 7.85	13.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.				1–2	7.71 से 11.77	15.87	1–2	9.75 से 10.46	16.31
3.							2–3	11.5	19.96
4.	3–4	15.84	20.93	3–4	15.47 से 16.45	22.62			
5.				4–5	16.88	26.18			
6.				10–11	22.77 से 23.2	44.12			
7.	11–12	22.99	42.34	11–12	23.76	47.18			
8.	14–15	29.48	50.2						
9.	19–20	48.6	62.02	19–20	43.8	67.47			

(ग) चूंकि ईएसएम कम्पनियों की दरें मानदंडों पर आधारित होती हैं और इनका प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ईएसएम कम्पनियों को नियोजित किए जाने का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध की विधवाओं को पुनर्वास करना है, इसलिए ईएसएम कम्पनियों को दी जा रही दुलाई की दरों की तुलना असैनिक ठेकेदारों की दरों से नहीं की जाती है। अतः कोयला कम्पनी को कोई घाटा नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं। नियमों के उल्लंघन की अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. को स्वतंत्र संघीय एजेंसी का दर्जा

1255. श्री एस. अजय कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. प्रमुख ने इस जांच एजेंसी को एक संघीय निकाय के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया है जैसा कि दिनांक 07 नवम्बर, 2005 के इंडियन एक्सप्रैस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सी.बी.आई. प्रमुख ने कानून में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है, जिससे कि सी.बी.आई. को राज्य सरकार की सहमति के बिना स्वयं संज्ञान लेकर मामले हाथ में लेने की छूट मिल जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी सी.बी.आई. को स्वायत्तशासी बनाए जाने की सिफारिश की गई है; और

(च) यदि हां, तो सी.बी.आई. के कर्मचारियों की कमी तथा अवसंरचना से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार, संगत भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए और समय-समय पर पड़ने वाली आवश्यकताओं और आधारभूत संरचना में सुधार को भी ध्यान में रखते हुए, आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में 137.72 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय के भवन निर्माण को अनुमोदित कर दिया है।

दिल्ली में स्थलों तथा खेल गांवों का निर्माण

1256. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए विभिन्न स्थलों तथा खेल गांवों के निर्माण करने का है;

(ख) क्या इन खेल गांवों तथा खेल स्थलों के निर्माण कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके निर्माण पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) डीडीए द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्माण के लिए अनुमान तैयार नहीं किया गया है क्योंकि ये स्थलों तथा खेल गांव के निर्णय होने पर आधारित होगा।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थान का पता लगाने के लिए मैसर्स इवेंट नालेज सर्विसेज को लगाया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए इन खेल अवस्थापनाओं के उन्नयन के प्रस्तावों के साथ खेल गांव के निर्माण के लिए विकल्प भी प्रस्तुत किये हैं।

सी.आई.एल. पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट

1257. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कई हजार करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा पहुंचाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) द्वारा कितने मामले सरकार के सामने लाए गए हैं तथा इन मामलों में से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सी. एण्ड ए.जी. ने अपनी 2005 की रिपोर्ट संख्या 3 में मूनीडीह वाशरी को विद्युत आपूर्ति करने के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने के मामले में 9198 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय को उजागर किया है;

(ङ) क्या यह विद्युत संयंत्र लगाने में असफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियंत्रक–महालेखा परीक्षक ने 2005 की अपनी रिपोर्ट सं. 2, 3, 4 (वाणिज्यिक) में कोल इंडिया एवं इसकी सहायक कम्पनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं और कार्य–निष्पादन की समीक्षा की है और उन पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। रिपोर्ट सं. 2 तथा 3 में क्रमशः पैरा 17 तथा 10 सीआईएल और उसकी कम्पनियों से संबंधित हैं। 2005 की रिपोर्ट सं. 4 में अध्याय–III तथा IV क्रमशः बीसीसीएल डब्ल्यूसीएल से संबंधित हैं। इन लेखा–परीक्षा पैराओं पर कृत कार्रवाई नोट नियंत्रक–महालेखा परीक्षक/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बद्ध समिति को यथा समय प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) 2005 की रिपोर्ट सं. 3 के पैरा 4.1.1 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मूनीडीह वाशरी में केप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को स्थापित करने पर 91.18 करोड़ रुपये के अलाभकारी व्यय का उल्लेख किया है। तथ्य यह है कि 92.21 करोड़ रुपये के कुल व्यय से 2 X 10 मेगावाट एफबीसी ब्वायलर आधारित केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने तथा उसे चालू करने के संबंध में अप्रैल, 1987 में सीआईएल तथा 'भेल' के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। निर्धारित समय–सीमा के अनुसार यह कार्य नवम्बर, 1990 में पूरा होना था। भेल विभिन्न कारणों से इस कार्य को पूरा करने में असफल हो गया। 'भेल' शेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसी वजह से 9.843 करोड़ रुपये की राशि रोककर रखी गई है।

(च) यह मामला जांचाधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत योजनाएं/कार्यक्रम

1258. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स (आशा) का चयन करने तथा प्रशिक्षण देने का लक्ष्य पूरा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा मिशन के अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन 10 राज्यों जिनमें आठ ईएजी राज्य, जम्मू व कश्मीर और असम शामिल हैं, में 2.5 लाख प्रशिक्षित प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का चयन चरणबद्ध ढंग से करना है। इनमें से कुल का इनमें 40 प्रतिशत अर्थात् 1 लाख एएसएचए का चयन वर्ष 2005–2006 में किया जाना है। इसके पूरा किए जाने हेतु लक्षित समय वर्ष 2005–2006 के अंत तक रखा गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा एनएसी की एक बैठक में एक प्रस्तुति की गई थी। एनएसी ने मिशन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए अपनी टिप्पणियां और प्रेक्षण दिए हैं।

(ङ) मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए एक कार्यान्वयन योजना को अन्तिम रूप दे रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एनएसी की टिप्पणियों और प्रेक्षणों पर ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

आवास और शहरी विकास हेतु योजना

1259. श्री जोवाकिम बक्ला :

डा. अरूण कुमार शर्मा :

श्री रनेन बर्मन :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में आवास और शहरी विकास हेतु कोई प्रभावी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

एनेस्थेटिस्ट्स की कमी

1260. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च मातृत्व मृत्युदर (एमएमआर) का एक मुख्य कारण एनेस्थेटिस्ट्स की कमी होना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एनेस्थेटिस्ट्स की कमी को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार मुश्किल प्रसव, अभिघात मामलों आदि में एनेस्थीशिया देने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन प्रसूति परिचर्या प्रदान करने के लिए मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में संज्ञाहरण विज्ञानियों की कमी को प्रथम रेफरल यूनिटों के प्रचालन में मुख्य कमियों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ख) से (घ) आपातकालीन प्रसूति परिचर्या के लिए जीवनदायक संज्ञाहरण दक्षताओं में एमबीबीएस डाक्टरों के लिए 18 महीनों का एक अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चिकित्सा कालेजों तथा उन प्रथम रेफरल यूनिटों को भी

अभिज्ञात करें जहां इन प्रशिक्षित डाक्टरों को तैनात किया जा सकता है।

सोयाबीन के उपभोग का दुष्प्रभाव

1261. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों और नवजात शिशुओं द्वारा सोयाबीन का उपभोग करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसा कि दिनांक 4 अगस्त, 2005 के 'द पायनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच हेतु कोई विशेज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिसमें बच्चों तथा शिशुओं पर सोयाबीन के प्रयोग के कुप्रभाव का उल्लेख हो।

प्रमुख शहरों में बाढ़

1262. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई, चेन्नई और बंगलौर जैसे प्रमुख शहरों में हाल ही में आई भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे बाढ़ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) मुंबई, चेन्नई और बंगलौर जैसे बड़े शहरों के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है :

मुंबई

नगर निगम, बृहत्तर मुंबई ने बरसाती जल निकासी सीवर बहाली के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ भेजी है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही हैं।

चेन्नई

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने राहत में तेजी लाने के तौर–तरीके सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। समिति शहर के अन्दर के ऊपरी हिस्सों में मौजूद छोटी नालियों एवं जल मार्गों को परस्पर जोड़ने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है ताकि बाढ़ के पानी को अन्य जल मार्गों में अन्तरित किया जा सके जिनमें भार ढोने की क्षमता उपलब्ध है। साथ ही चुनिन्दा संरचनाओं में जलमार्गों में फ्लड बैंक/कंक्रीट की दीवार मुहैया कराने की प्रणाली के लिए भी प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि निचले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को जमा होने से रोका ज़ा सके तथा जहां कहीं संभव हो, बाढ़ के और अधिक पानी को निकालने के लिए अनुप्रवाही क्षेत्रों में जलमार्गों की चौड़ाई भी बढ़ाई जा सके। विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन तथा व्यवहार्यता सुनिश्चित होने के बाद इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बंगलौर

बंगलौर महानगर पालिका ने बंगलौर शहर–हैब्बल वैली में प्रमुख और गौण बरसाती पानी नालियों की री–मॉडलिंग के लिए 99.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक विस्तृत परियोजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विचारार्थ भेजी है। मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल मृत्युदर

1263. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री शिशुपाल एन. पाटले :
श्री मुन्शी राम :
श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार के अनुसार मिलेनियम डेवेलपमेंट टारगेट्स पर 'सेक्यूरिंग राइट्स' द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005' प्रकाशित की है जिसमें विभिन्न देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2003 में प्रति हजार नवजात पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 87 थी। 47 देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर भारत से अधिक थी। रिपोर्ट का ब्यौरा दैनिक राष्ट्रीय सहारा के 19.9.2005 के अंक में प्रकाशित किया गया है।

(ग) देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, नवजात एवं बच्चों में रुग्णता और बाल मृत्युदर में कमी लाने के विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इन कार्यों में शामिल हैं—वैक्सीन से रोके जा सकने वाले 6 रोगों के प्रति प्रतिरक्षण तथा अतिसार और श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण। न्यूमोनिया और अतिसार के प्रबंधन और निदान कार्य में स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। सहायता स्वरूप आरसीएच कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदत्त किट–ए में अतिसार के उपचार के लिए ओआरएस का घोल तथा न्यमोनिया के उपचार के लिए टेबलेट पेडियाट्रिक कोट्रिमेक्साजोल की आपूर्ति की गयी है। स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े कार्यकर्ताओं के माध्यम से समुदाय में आवश्यक नवजात परिचर्या तथा विशेषरूप से स्तनपान कराने और शिशुओं को पर्याप्त आहार देते रहने को भी बढ़ावा दिया गया है।

[अनुवाद]

अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सुविधाएं

1264. श्री पी. सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरण खतरों के कारण हैपेटाइटिस और अन्य बीमारियों के कारण मेडिकल कालेज, कोट्टायम से जुड़े एक डाक्टर और कई लोगों की मृत्यु की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सुविधाओं के संबंध में मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम जिला या केरल सरकार से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार का निर्णय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केन्द्र सरकार को केरल सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दवाएं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना

1265. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीणों को सस्ती दवाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिशु मृत्युदर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को हासिल करने में सहायता हेतु कदम उठाने का है;

(घ) क्या सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु कोई उपाय निकाला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उप–केन्द्रों के नेटवर्क, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इन केन्द्रों में उच्चकोटि की परिचर्या प्रदान करने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) निर्धारित किए जा रहे हैं ताकि समुदाय को इष्टतम परिचर्या प्रदान की जा सके और

उच्चकोटि की परिचर्या का स्वीकार्य मानक हासिल किया तथा कायम रखा जा सके। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठरोग तथा एड्स जैसी मुख्य बीमारियों की रोकथाम हेतु क्रियान्वयनाधीन हैं, के अंतर्गत दवाइयां सामान्यतया निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। उचित मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार अनिवार्य पदार्थ (कॉमोडिटी) अधिनियम 1955 के अंतर्गत समय–समय पर औषध (मूल्य–नियंत्रक) आदेश प्रख्यापित करती रही है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य विशेषतया गरीबों तथा जनसंख्या के सुमेद्य वर्गों को अभिगम्य, वहनीय, जिम्मेवार, प्रभावी तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों को एक मेहराबदार छत्र प्रदान करता है जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II एक अग्रगामी कार्यक्रम है। मिशन का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर तथा मातृ–मृत्यु दर को कम करना तथा सभी संचारी रोगों को नियंत्रित करना है। एनआरएचएम की कार्यनीति के अंतर्गत अधिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के ग्रामीण लोगों तक अभिगम्य बनाने हेतु ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक नर्स धात्री की सहायता करने के लिए 2.5 लाख प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के मौजूदा परिदृय की खामियों को दूर किया जाना है। 2000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नत करके भारतीय जन स्वास्थ्य मानक तक लाने तथा सभी जिलों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जिला स्तरीय प्रबंधन दलों के सृजन का प्रस्ताव है। एनआरएचएम 7 वर्षों (2005–20) की अवधि हेतु शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधिदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या प्रमुख 7 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को जीडीपी के 0.9% से बढ़ाकर जीडीपी के 2–3% तक किए जाने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार सेवा प्रदाता

1266. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारत में कार्यरत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ आपरेटरों के पास विदेशी इक्विटी निवेश है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरे क्या हैं;

(घ) क्या कुछ आपरेटरों के पास शत–प्रतिशत भारतीय इक्विटी है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम सहित इक्विटी का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार सेवा प्रदाता की विदेशी इक्विटी में परोक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना भी की जानी है। यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सूची

1. भारत संचार निगम लिमिटेड
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
3. भारती सेल्युलर लिमिटेड
4. हचिसन मैक्स टेलीकॉम लिमिटेड
5. आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
6. एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड
7. एयरसेल लिमिटेड
8. बीपीएल सेल्युलर लिमिटेड
9. स्पाइस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
10. रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड
11. हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड
12. हचिसन एस्सार ईस्ट लिमिटेड
13. बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लिमिटेड
14. भारतीय मोबाइल लिमिटेड
15. भारती टेलीवेंचर लिमिटेड

16. रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड

17. टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड

18. टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड

19. एचएफसीएल इंफोटेल लिमिटेड

20. भारती इंफोटेल लिमिटेड

21. विदेश संचार निगम लिमिटेड

22. ह्यूजेज एस्कोर्टस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

23. सिफी लिमिटेड

24. एस्टेल कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

25. डायरेक्ट इंटरनेट लिमिटेड

26. कोमसैट मैक्स लिमिटेड

27. प्राइमस टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड

28. एचसीएल इनफीनेट लिमिटेड

29. 121 इंटरप्राइज, लिमिटेड

30. पैसिफिक इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

31. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

32. डिशनेट वायरलैस लिमिटेड

33. डाटा इंफोसिस लिमिटेड

34. हाथवे केबल एंड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड

35. इन2केबल (इंडिया) लिमिटेड

समान अवसर प्रदान किया जाना

1267. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षोपाय/ऐतिहासिक उपाय किए हैं कि कोई संचालक बाजार पर आधिपत्य स्थापित न कर सके और नए संचालकों की तुलना में अनुचित लाभ न उठा सके;

(ख) यदि हां, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल के मामले में क्या सुरक्षोपाय/ऐतिहासिक उपाय किए गए हैं;

(ग) ये उपाय किस सीमा तक सफल रहे हैं; और

(घ) 'ट्राई' इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने में किस तरीके की भूमिका निभा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्रचालक बाजार पर आधिपत्य स्थापित न कर सके और नए प्रचालकों की तुलना में अनुचित लाभ न उठा सके, सुरक्षोपाय किए गए हैं/सावधानियां बरती गई हैं। ऐसे कुछ उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने संदर्भ अंतर्संयोजन प्रस्तावों को प्रकाशित किया है जिनमें उचित और प्रभावी अंतर्संयोजन में निहित विभिन्न सिद्धांतों और घटकों का उल्लेख किया गया है। मामला न्यायाधीन है।

(ii) ट्राई ने भी अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार विनियम जारी किए हैं जिनके आधार पर पारगमन और समापन प्रभारों को निर्धारित किया जाता है। इनका अनुसरण करके नये प्रचालक उपयोग आधारित प्रभारों का भुगतान करते हैं जिससे वे बाजार में काम कर रहे बड़े प्रचालकों के प्रभाव में आकर उच्च प्रभार का भुगतान नहीं कर सकते।

(iii) अंतरा सर्किल विलय और अधिग्रहण की अनुमति देते हुए निर्धारित किया गया है कि लाइसेंसों के विलय की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि ऐसे विलय के परिणामस्वरूप उस सेवा क्षेत्र में संबंधित सेवा के लिए बाजार में कम से कम तीन प्रचालक उपलब्ध रहें।

(iv) अबाधित प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्र खोले गए हैं।

(v) मूल्य में अचानक बहुत अधिक वृद्धि करने जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों पर स्पष्टतः रोक लगा दी गई है।

(ग) उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और प्रशुल्क में कमी यह इंगित करती है कि ये उपाय सफल सिद्ध हुए हैं।

(घ) ट्राई ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में संतोषजनक भूमिका निभाई है।

बीएसएनएल द्वारा अतिरिक्त क्षमता सृजन

1268. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वॉयरलाइन फिक्स्ड वायरलैस और मोबाइल फोन के क्षेत्र में सृजित की गई अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क पर वॉयरलाइन कनेक्शन, फिक्स्ड वॉयरलैस कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन की प्रति लाइन पर लागत क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वायरलाइन, वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा सेल्यूलर मोबाइल के क्षेत्र में सृजित की गई अतिरिक्त स्विचन क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	मद	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1.	वायरलाइन क्षमता (लाइनें)	6664850	6374761	3864090	1305324	794076
2.	डब्ल्यूएलएल क्षमता (लाइनें)	*	*	311500	1489450	465950
3.	सेल्यूलर मोबाइल क्षमता (लाइनें)	*	*	2657140	2170811	4631203

*बीएसएनएल की डब्ल्यूएलएल और सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं वर्ष 2002–03 में शुरू हुईं।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क पर वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल और सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन का प्रति लाइन लागत संबंधी अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन 5500/– रु. (हैंडसेट की व्यवस्था उपभोक्ता द्वारा की जाएगी)

(ii) डब्ल्यूएलएल 9000/– रु. (डब्ल्यूएलएल हैंडसेट सहित)

(iii) वायरलाइन 26000/– रु.

ऊपर दर्शाई गई लागतें केवल अनुमानित हैं। वास्तविक लागत भिन्न–भिन्न हो सकती है जो कई घटकों पर निर्भर करती है जिसमें विचाराधीन परियोजना द्वारा कवर किए जा रहे क्षेत्र तथा उसकी मांग, परियोजना के निष्पादन के समय अवसंरचना, स्विचन तथा पारेषण उपस्कर के संदर्भ में मौजूदा नेटवर्क शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी में प्रगति क्रमिक रूप से नेटवर्क अभिसारिता की ओर प्रेरित कर रही है जिसके कारण नेटवर्क के बहुत बड़े हिस्से को वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल तथा सेल्युलर मोबाइल जैसी विभिन्न प्रकार की अभिगम्यता द्वारा साझा रूप से उपयोग में लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. में कथित भ्रष्टाचार

1269. श्री हरिकेवल प्रसाद :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कथित रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों के अधिकारियों के विरुद्ध आज की स्थिति के अनुसार कितनी विभागीय कार्यवाहियां तथा आपराधिक मामले लंबित हैं;

(घ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया तथा जिन्हें बहाल रखा गया; और

(ङ) ऐसे भ्रष्ट लोगों को सेवा में रखने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जब भी किसी भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं की सूचना प्राप्त होती है, उक्त की जांच मंत्रालय/कोयला कम्पनियों द्वारा की जाती है। शिकायतों की जांच कोयला कम्पनियों के सतर्कता विंग के माध्यम से की जाती है जिनकी अध्यक्षता पूर्वकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। यदि कोई लिप्त अधिकारी उनके अधिकार–क्षेत्र में पाया जाता है तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भी सलाह ली जाती है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर 185 आपराधिक मामले तथा 352 विभागीय कार्यवाहियां लम्बित हैं। ऐसे मामलों में लिप्त अधिकारियों के सहायक कम्पनी–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	ईसीएल	बीसीसीएल*	सीसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनसीएल	सीएमपीडीआईएल	सीआईएल	जोड़
आपराधिक मामले	11	92	42	12	11	4	5	7	1	185
विभागीय कार्यवाहियां	37**	55	136	34	40	21	6	–	3	332

*11 कार्यपालक आपराधिक तथा विभागीय दोनों मामलों में लिप्त हैं, अतः 136 कार्यपालक वास्तव में लिप्त हैं।

**एक अधिकारी तीन मामलों में लिप्त है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रश्न काल के पश्चात् लिया जाता है। आज, कुछ माननीय सदस्य किसी जगह घटी किसी घटना के कारण बहुत उत्तेजित हो गए थे। मेरी केवल इतनी ही अपील रही है कि आप जिसकी चर्चा चाहते हैं उसके बारे में मुझे बता दीजिए। कम से कम एक नोटिस तो दीजिए। अचानक कुछ माननीय सदस्य मुझे कुछ भी बताए बगैर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। जो कुछ घट रहा था उसे मैं समझ भी नहीं सका। क्या इससे किसी को फायदा होगा?

मैं आप सभी से, सभी नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं। सदन आप ही का है और आपको महत्वपूर्ण मामले उठाने होते हैं। हम इसे कैसे कर सकते हैं जब प्रश्न काल को निलंबित किये जाने का नोटिस भी नहीं दिया गया है? ऐसे कतिपय मामले हैं जिन्हें श्री मल्होत्रा उठाना चाहते थे और उन्होंने मुझे इस संबंध में बताया था। हमने इस पर बैठक में भी विचार किया था। अपनी विवशता के बावजूद मैंने उन्हें सहयोग करने के लिए कहा है। बहुत से महत्वपूर्ण मामले है। मैं आज प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने के लिए अवसर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपसे कुछ सहयोग चाहता हूं ताकि सभा में आपके मुद्दे पूरी तरह से रखे जा सकें। यदि आप माननीय प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं—मैं इस संबंध में उन्हें कुछ निर्देश नहीं दे सकता, यह आप भली–भांति जानते हैं वे सदन में उपस्थित थे। प्रतिक्रिया व्यक्त करना पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन यह जिस ढंग से रखा गया, मैं तो यह भी नहीं जानता कि सभा में क्या हो रहा है। कल एक मामला उठाया गया था। मैं समझ पाया था कि दो राज्यों के बीच कुछ विवाद था। क्या ऐसे मामले को उठाने का यही तरीका है? मुझे सहयोग दीजिए। सभा में किसी महत्वपूर्ण मामले को उठाने में मैं बाधा क्यों बनूं?

यह मेरी हार्दिक अपील है। यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में शुरू करना चाहते हैं तो मैं 'शून्य काल' के बाद ऐसा कर सकता हूं। अन्यथा, मैं इसे अभी प्रारंभ कर दूंगा। मैं सर्वानुमति के अनुरूप चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आज महत्वपूर्ण 'शून्यकाल' पहले प्रारंभ करना चाहिए तो मैं यही करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : शून्य काल।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे पहले प्रारंभ करना चाहते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मैं वही करूंगा। श्री मल्होत्रा, आपने मुझे इसके बारे में बताया था, यद्यपि यहां कोई नोटिस नहीं है। लेकिन, क्या मैं पहले सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों का कार्य कर लूं? दो–तीन मिनट का समय दीजिए ताकि पत्रों को सभा पटल पर रखा जा सके।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 जो 1 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 336 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005 जो 27 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 जो 28 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 650(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2897/2005]

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 23 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2898/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2899/2005]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2900/2005]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 24 नवम्बर, 2005 की उद्घोषणा, जिसमें उनके द्वारा 7 मार्च, 2005 को जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को रद्द किया गया है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2901/2005]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2005 को यथापारित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कोलकाता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में शहरी विकास संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के संबंध में समिति की सिफारिशों के बारे में की गई कार्यवाही से संबंधित 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

रेलवे संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शानेवाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 2005-06 के बारे में 7वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेलवे द्वारा लोक शिकायतों का निवारण' के बारे में 10वां प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिनांक 12-13 नवम्बर, 2005 को ढाका में आयोजित 13वां सार्क शिखर सम्मेलन

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, मैं वक्तव्य पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप मंत्री महोदय को वक्तव्य पढ़ने की अनुमति देंगे?

श्री ई. अहमद : मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। मैं केवल दो से तीन मिनट ही लूंगा चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया सहयोग करें। वे वक्तव्य पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री ई. अहमद : यह पिछली तथा वर्तमान सरकार में घटित घटनाओं के क्रम में है।

*13वां सार्क शिखर सम्मेलन 12-13 नवम्बर, 2005 तक ढाका में हुआ। भारत ने ढाका में शिखर सम्मेलन की तैयारियों और वहां हुए विचार-विमर्शों दोनों में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां भारत के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और उनसे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नये अवसर मिलेंगे।

सदस्यों को जानकारी होगी कि लंबे समय से भारत का यह विचार रहा है कि यदि दक्षिण एशिया को विश्व में चल रही क्षेत्रीय सहयोग की वृहत्तर प्रक्रिया और वैश्वीकरण का एक गतिशील घटक बनना है तो उसके लिए इसे अनिवार्यतः अपने सदस्य देशों के बीच

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2902/2005

आर्थिक एकीकरण लाना होगा। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सार्क का एक ऐसा सुस्पष्ट परिदृश्य प्रस्तुत किया जो एक–दूसरे से जुड़ा हो, जहां राजनैतिक निर्णयों के कारण हमारे संपूर्ण क्षेत्र में लोगों, सामानों और सेवाओं तथा विचारों का प्रवाह दुष्प्रभावित न हो। इस संदर्भ में उन्होंने आपसी आधार पर उस क्षेत्र के सभी देशों को पारगमन सुविधाएं तथा मुक्त आकाश व्यवस्था के द्वारा बेहतर हवाई संपर्क का प्रस्ताव किया। भारत ने एक ठोस राजनैतिक संदेश का मसौदा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई कि साफ्टा (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र) करार को लागू करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए।

सदस्यों को यह भी मालूम होगा कि भारत ने सार्क के नये सदस्य के रूप में अफगानिस्तान का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए ठोस पहल की थी। सार्क राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों द्वारा सर्वसम्मति से सार्क के आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान का स्वागत करने का निर्णय भारतीय कूटनीति की एक बड़ी सफलता है। अफगानिस्तान के प्रवेश के साथ ही सार्क को एक पूर्ण क्षेत्रीय पहचान प्राप्त होगी और एक ऐसा देश सार्क का अंग बन जाएगा जिसके साथ भारत के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

इस शिखर सम्मेलन में आपसी हित के क्षेत्रों में सार्क के साथ सहयोग करने के अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निकायों और इकाइयों की नई रुचि पर गौर किया गया। भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में सार्क में शामिल होने की चीन और जापान द्वारा दर्शायी गयी रुचि का स्वागत किया है। हम अन्य इच्छुक देशों को भी इसी प्रकार शामिल करना चाहेंगे। यह सहमति हुई है कि मंत्रियों की परिषद जुलाई, 2006 में होने वाली अपनी 27वीं बैठक में उसके तौर–तरीकों के संबंध में निर्णय लेगी।

सदस्यों को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि भारत में सार्क आपदा प्रबंधन एवं तैयारी केन्द्र बनाने के भारत के प्रस्ताव का शिखर सम्मेलन में स्वागत किया गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। पिछले एक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान–माल की हुई व्यापक क्षति को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इस बात को स्पष्ट रूप से माना गया कि हमें एक स्थायी क्षेत्रीय उत्तरदायी तंत्र की आवश्यकता है जो आपदा तैयारी, आपात राहत और पुनर्वास को समर्पित हो। इस संबंध में भारत के रिकार्ड और प्रदर्शित क्षमताओं के कारण इस केन्द्र को भारत में स्थापित करने के हमारे प्रस्ताव की सफलता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। यह केन्द्र दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर कार्य करेगा।

दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, जो एक उत्कृष्ट केन्द्र में पूरे दक्षिण एशिया के विद्वानों, वैज्ञानिकों और छात्रों को एक साथ ला पाएगा, की स्थापना करने के भारत के प्रस्ताव का जोश से सवागत किया गया। इस संबंध में हम एक 'संकल्पना पत्र' तैयार करेंगे जिस पर सार्क राज्याध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों द्वारा आगे विचार किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा एक क्षेत्रीय खाद्यान्न भंडार बनाने, एक क्षेत्रीय दूर–चिकित्सा नेटवर्क स्थापित करने और वर्ष 2007 की पहली तिमाही में भारत में आयोजित किए जाने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर सार्क कार रैली आयोजित करने जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हाथो–हाथ लिया गया। सार्क सदस्यों के साथ घनिष्ठ विचार–विमर्श करके हम इस विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग इस शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विषय–वस्तु रही। यह ध्यान देने योग्य है कि शिखर घोषणा में आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की गयी है और इस क्षेत्र तथा पूरे विश्व से इस लोक कंटक का उन्मूलन करने की वचनबद्धता व्यक्त की गयी है। पहली बार [illegible] इस सामूहिक चुनौती का मुकाबला करने में दोहरे मानदण्डों [illegible] के संबंध में स्पष्ट संदर्भ दिए गए हैं। इसे भी मैं इस शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं जो पूर्णतः भारत की अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।

यह शिखर सम्मेलन निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण व्यापार सुविधा करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए भी जाना जाएगा :

- सीमा–शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर करार।
- सार्क विवाचन परिषद की सथाना पर करार।
- दोहरे कराधान से परिहार और कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर सीमित करार।

इन करारों के क्रियान्वयन के साथ ही सार्क के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्क सम्मेलन में अन्य निर्णय भी लिये गये जिन्हें शिखर सम्मेलन घोषणापत्र में देखा जा सकता है जो सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि 13वां शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना थी जो उस समय आयोजित हुई जब

[श्री ई. अहमद]

सार्क ने अपनी स्थापना के तीसरे दशक में प्रवेश किया। सदस्य देशों का ठोस विचार था कि समय आ गया है कि अब हमें घोषणा और परामर्शी प्रक्रियाओं के दौर से आगे बढ़कर और व्यावहारिक तथा सहयोगी प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना चाहिए। भारत क्षेत्रीय परियोजनाओं, अवसंरचना, गरीबी उपशमन और प्राकृतिक आपदा एचआईवी, एड्स तथा एवियन फ्लू तथा आतंकवाद के सभी स्वरूपों एवं अभिव्यक्तियों जैसी सीमा–पार चुनौतियों का मुकाबला करने में सहयोग का बड़ा समर्थक रहा है। मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले महीनों में हमारा उद्देश्य न सिर्फ शिखर सम्मेलन के दौरान लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने का है बल्कि सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक, परिणामोन्मुख सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देना भी है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि वर्ष 2007 की पहली तिमाही में जब भारत अगले सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तब तक सार्क के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मंच तैयार होगा और दक्षिण एशिया में सही मायनों में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की दिशा में आरंभिक कदम उठा लिये जाएंगे।

अपराह्न 12.14 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और एक एम.एल.ए. की हत्या के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री मल्होत्रा से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। आमतौर पर, यह एक राज्य का मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को अवसर दूंगा। मैं जानता हूं कि यह एक संवेदनशील मामला है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का आदर करता हूं। कृपया मुझे कार्यवाही का संचालन करने दें ताकि आपके विचार स्पष्ट रूप से कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएं।

श्री त्यागत सतपथी (ढेंकानाल) : हम इतने अनुशासित हैं कि हम हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कभी–कभी ऐसे विचार मुझे इस पद पर बने रहने के लिए प्रेरणा देते हैं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : हम ऐसा कभी नहीं करते।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, मल्होत्रा जी के बाद हमें भी बोलने का अवसर दिया जाये।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, एक बहुत ही भीषण घटना हुई है...*(व्यवधान)* इनको बिठाइये न।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस समय आप वहां से अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तब भी आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस आदत को छोड़ देना चाहिए। आपने आज देखा है कि मुझे कोई भी व्यक्ति धमका नहीं सकता है। आप मुझे चाहें या न चाहें, यह एक अलग बात है। कृपया इस प्रकार का व्यवहार न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का कोई भी उल्लेख करने से बचें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, एक बहुत ही भीषण घटना हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भाजपा के विधायक श्री कृष्णानन्द जी की हत्या हुई। उनके साथ सात और आदमी भी उसमें मारे गये। दिन के समय पर, दिन–दहाड़े उनके काफिले को, जो क्रिकेट के मैच का उद्घाटन करके वहां से आये थे, एक.के. 47 की गोलियों से भून दिया गया। उनके साथ जो सात व्यक्ति थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष जी, यह पार्टी का या प्रदेश का प्रश्न नहीं है, अपितु यह निर्वाचित सदस्यों के लिए भी एक भीषण समस्या है। किसी भी काम करते हुए व्यक्ति की क्या हत्या कर दी जाएगी? वह भी जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, यह गंभीर मामला है। उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें अपनी हत्या की आशंका है। इस बात की चेतावनी बार–बार दी थी कि उनकी हत्या हो सकती है। उन्हें हत्या की धमकियां दी जा रही थीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, यह एक गम्भीर मामला है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह केवल कानून और

व्यवस्था की समस्या ही नहीं है। आपने कहा है कि यह केवल एक कानून और व्यवस्था की समस्या है। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह एक साम्प्रदायिक समस्या भी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मऊ के अंदर पहले भी इस इस तरह के हत्याकाण्ड हुए हैं। उसमें एक ही कम्यूनिटी के लोग मारे गए हैं,* बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे व्यवस्था स्थापित करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया किसी अन्य मामले का उल्लेख न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता बोल रहे हैं। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रो. रासा सिंह रावत, कृपया बैठ जाएं।

प्रो. मल्होत्रा मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कोई अन्य मुद्दा न उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको धैर्य नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, उस शब्द में क्या अनुचित है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा की टिप्पणियों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आप भी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस प्रकार अध्यक्ष की अवज्ञा करेंगे तो मुझे दुःख है। मुझे अप्रिय कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें। यह आदत बन चुकी है। मैं इसे विनियमित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने प्रो. मल्होत्रा से अनुरोध किया है कि किसी अन्य मामले का उल्लेख न करें। वे सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, वे सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी सुन लीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इंतजार कीजिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा? आप हर समय अध्यक्षपीठ को निदेश नहीं दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : महोदय, यह डिक्टेशन नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके नेता जानते हैं। आपके पास अपने नेताओं से बात करने का भी धैर्य नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक राज्य का विषय है परन्तु चूंकि दुर्भाग्य से एक निर्वाचित सदस्य की हत्या हुई है, इसलिए मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मैंने कहा था कि राज्य के उल्लेख से बचें ताकि मुझे प्रो. राम गोपाल यादव से इसकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

प्रो. मल्होत्रा, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें तथा कोई विवादास्पद उल्लेख न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि आपने राज्य का मामला उठाया है, तथा मुझे उसका ध्यान रखना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी का नेता और बहुजन समाजवादी पार्टी का लीडर मारा गया था तब हमने उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। हम हमेशा ऐसा कहते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई बीजेपी का व्यक्ति मारा जाए तो क्या उस पर इस तरह से हंगामा करना चाहिए?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसको वहीं तक सीमित रखें। कल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैंने आपको अनुमति दी है। वे आपको नहीं रोक सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको साम्प्रदायिक इसलिए कहा क्योंकि कहीं यह मामला साम्प्रदायिक रूप में न बदल जाए, इसकी चिन्ता करनी चाहिए, इस पर चिन्ता होनी चाहिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री तो मौजूद नहीं है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह साम्प्रदायिक मामला बनता जा रहा है। यह ऐसा मामला नहीं है, महिलाओं का या साम्प्रदायिक दंगों का मामला सदन में डिसकस हो सकता है। इसमें केन्द्र सरकार की भी भूमिका है, उनको यह देखना होगा कि जिस तरह से अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र का मामला हुआ है, वैसे ही स्थिति कहीं यहां पर भी न बन जाए। अगर यह मामला चलता रहा तो यह साम्प्रदायिक मामला बनेगा और इसके परिणाम देश भर में बहुत ही खराब होंगे, बहुत भयानक होंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यूपी की स्थिति भी बिहार जैसी न बन जाए। यूपी के अंदर भी लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी न बिगड़े, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, जब हाउस में कहा गया कि उनकी हत्या का अंदेशा है तो इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। हम यह बात यहां पर उठाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, आपने इस मुद्दे को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उठाया है।

श्री संतोष गंगवार, श्री चंद्रकांत खैरे, श्री अविनाश राय खन्ना, बिक्रम केशरी देव, श्री अशोक प्रधान तथा डा. राजेश मिश्रा ने स्वयं को प्रो. मल्होत्रा की बात से सम्बद्ध किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री संतोष गंगवार से सहयोग करने की अपील करता हूं। हमारे पास विचार करने के लिए अन्य मामले भी हैं। मैंने सभी नाम दर्ज करा दिए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैंने ऐसा अवसर दिया है जिसका सदस्यों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश का मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप बैठ जाइए। आपका मैटर आने वाला है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रयास व्यर्थ न करें। श्री राम गोपाल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साधु जी, आपको थोड़ा डिसिप्लिंड होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना बंद करेंगे? आप क्या कर रहे हैं। एक स्वामी ही अनुशासित नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? इसे रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। मैंने सभी नामों को रिकार्ड करने की अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति देकर गलती की है तथा आप दिए गए अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप पर विश्वास करके तथा भरोसा करके गलती की है। मुझे आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने आप पर विश्वास करके गलती की है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने सदस्यों को नियंत्रित करेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैं अब आपका नाम लेकर चेतावनी देने जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मैं निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना है। आप मेरे सलाहकार नहीं हैं। संसद को एक मजाक मत बनाइए। आप मजाक बना रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, हमें उस पर बहुत अफसोस और दुख है।...*(व्यवधान)* उसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है।...*(व्यवधान)* मैंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर यह मामला पार्लियामेंट में आता है और स्पीकर साहब चाहें तो श्री विजय कुमार मलहोत्रा, श्री आडवाणी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के नेतृत्व में एक कमेटी बना दें और बैठकर तय करें कि क्रिमिनल्स पोलीटिक्स में कैसे आते हैं और उन पर कैसे रोक लगाई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बहुत आपत्तिजनक है। भा.ज.पा. के एक विधायक की हत्या हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दिवंगत विधायक को अपराधी नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल की टिप्पणियों के अलावा कोई टिप्पणी, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुझे आपका नाम लेकर चेतावनी देनी पड़ेगी। आप जानबूझकर सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं आपसे बार-बार बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। यह क्या तरीका है?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको अवसर नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को सिखा देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। केवल श्री राम गोपाल यादव को बोलने की अनुमति है। कृपया संक्षेप में कहें। आपने एक प्रस्ताव दिया है। यह ठीक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सांसद जो बात कह रहे हैं,*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह अत्यंत आपत्तिजनक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे हटा दिया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय सदस्यो, मैंने उस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। श्री राम गोपाल जी, आप बहुत ही मर्यादित सदस्य हैं। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। हम सब आपका आदर करते हैं। श्री मल्होत्रा आपको याद होगा कि इसी वजह से मैंने कहा था कि मैंने इस समस्या का पहले ही अनुमान लगा लिया था। लोक सभा को विधान सभा मत बनाइए। राज्य में विधान सभा है। मुझे नहीं पता कि वहां सत्र चल रहा है या नहीं। यह एक ऐसा मामला है, मुझे पूरा विश्वास है

[हिन्दी]

कि वे लोग सैशन में इस मुद्दे को उठाएंगे।

[अनुवाद]

यह हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच-बीच में बोलकर व्यवधान मत डालिए। इस आसन पर बैठकर, जिसके लिए आपने मुझे चुना है, इस विषय पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि यदि इस देश के किसी भी भाग में किसी निर्वाचित सदस्य की हत्या कर दी जाती है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अब, क्योंकि वे इस मुद्दे को इस दृष्टि से उठाना चाहते हैं, अपनी गंभीर आपत्तियों के बावजूद, मैंने अनुमति इसलिए दी क्योंकि एक विधान सभा सदस्य की हत्या हुई है यद्यपि श्री राम गोपाल जी को कह दिया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, फिर भी मैंने उन्हें अनुमति दी और श्री राम गोपाल जी ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। उन्होंने एक समिति के गठन का प्रस्ताव किया है जिसका निर्णय मैं नहीं कर सकता।

अब, चूंकि यह अध्याय समाप्त हो गया है, मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया जाना है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी है और अब मैं सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि वे एक-दूसरे की बात सुनें। कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा, व्यक्तिगत मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या हम लोग नहीं बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र जी, मेरा केवल यही कहना है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि मैं इस सभा में किसी पर विश्वास नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या बीजेपी ही इस मुद्दे पर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोलेगी?...*(व्यवधान)* केवल आप लोग ही बोलेंगे?...*(व्यवधान)* आप इस हत्या की घटना को साम्प्रदायिक कहेंगे, तो क्या हम चुप रहेंगे?... *(व्यवधान)* यह क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र जी, आप अध्यक्षपीठ के प्रति अति अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम लोग कभी नहीं उठते।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तब आप अति अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। कृपया याद रखिए कि आप सभापति तालिका में एक सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पैनल ऑफ चेयरमैन का क्या मतलब है? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे?...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जब मैं यह कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है, दुख है।...*(व्यवधान)* आप जैसा चाहें वैसा करें। इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, वह चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या कहीं भी हो, बच नहीं सकता।...*(व्यवधान)* लेकिन इस बात को ये लोग साम्प्रदायिकता का नाम दें, तो यह गलत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामगोपाल जी, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : कौन नहीं जानता कि जब पटना से गोलू का अपहरण हुआ था।...*(व्यवधान)* यहां बिहार के लोग बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* उस समय किसका नाम आया था?...*(व्यवधान)* गोलू अपहरण में जिस भाई का नाम आया था, उस नाम को मैं यहां नहीं लेना चाहता।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस पर अपनी राय रखना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे पर हमें भी बोलने का समय मिलना चाहिए।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी–सी बात है कि जिस मैम्बर ने कहा कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो इस तरह की घटना न हो इसलिए उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह से आपको दिए गए अवसर का दुरुपयोग करते रहे, तो मैं कार्यवाही वृत्तांत से सब कुछ हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर और चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। इस मुद्दे पर की गई कोई और टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप देश के लोगों के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की प्रस्तावित जगह को कथित रूप से भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब दल के नेता बोल रहे हैं तो कृपया बैठ जाइए। आप सभी के नाम सूची में हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मैं सरकार को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार किस प्रकार राज्य की उपेक्षा कर रही है और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं परन्तु आप सभी उपाध्यक्ष बन रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। अभी जब मल्होत्रा जी बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वहां बिहार जैसी स्थिति पैदा होगी।...*(व्यवधान)* यह बोलने में उनकी क्या मंशा थी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बिहार राज्य अब उनके नियंत्रण में है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वहां बिहार जैसी स्थिति बनेगी।... *(व्यवधान)* इस घटना में बिहार कहां से आता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा और यदि कोई अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो मैं उसे हटा दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को स्थगित करना होगा और किसी भी सदस्य का मामला नहीं उठाया जाएगा। कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखिए। आपको एक–दूसरे की सहायता भी करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह, कृपया कुछ बोलने से पहले अपनी सीट पर वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, 2003 में एन.डी.ए. के शासन के दौरान संघ सरकार ने भुवनेश्वर, पुने, इलाहाबाद और चेन्नई में इंटीग्रेटेड साइंस में अध्ययन के चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह संसद के लिए बहुत बुरा दिन है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। वे जिम्मेदार नेता हैं। वे जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है सभा का समय व्यर्थ करना।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति के दिनांक 23 जुलाई, 2003 के पत्र के माध्यम से दी गई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मेरे पास आपका मामला है। उचित समय आने पर आप बोल सकते हैं। कृपया तब तक आप इंतजार कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : तदनुसार, उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भुवनेश्वर में 75 एकड़ भूमि का पता लगाया है। विगत में उड़ीसा में अब तक न तो आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. स्थापित किया गया है और न ही कोई अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया यहां पर चर्चा मत कीजिए। यह आपस में चर्चा करने का स्थान नहीं है। यदि आप आपस में कुछ चर्चा करना चाहते हैं कृपया बाहर जाइए। यह आपकी बैठक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने केन्द्र में अब भुवनेश्वर के स्थान पर पूर्वी जौन में पुणे और कोलकाता में शैक्षिक अनुसंधान हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दो केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भुवनेश्वर नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इंतजार कीजिए। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? उन्हें अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का हक है। आप उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बाधा मत डालिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह गलत जानकारी दे रहे हैं और सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे सही करने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, यदि आपके दल के सदस्य सहयोग नहीं करेंगे तो हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : यदि वे कहते हैं कि इसे भुवनेश्वर से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो इसमें क्या नुकसान है। उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं तो उनकी सहायता कर रहा हूं। अन्यथा मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : हमें अपनी मांग उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कौन अनुमति नहीं दे रहा है? मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैंने श्री त्रिपाठी को बोलने की अनुमति दी है और मैं उन्हें व्यवधान न डालने के लिए कह रहा हूं। परन्तु आप अपने ही दल के सदस्य को टोक रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आचार्य से व्यवधान नहीं डालने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं आपको उचित समय पर बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि संस्थान को भुवनेश्वर से कोलकाता ले जाया जा रहा है। इससे उड़ीसा में छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी और जनता इस बात से आंदोलित हैं। अब उड़ीसा में छात्र असंतोष फैल गया है। सरकार के इस निर्णय से उड़ीसा जैसे शांत राज्य में भी अब असंतोष है।

महोदय, उड़ीसा के साथ वे अन्याय कर रहे हैं। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। वे जब भी केन्द्र में रहे उन्होंने कभी भी उड़ीसा के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। अब वे इसे भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन के शासनकाल में वहां स्थापित किया गया था। उड़ीसा में एक भी केन्द्रीय संस्थान नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में मात्र यही संस्थान उड़ीसा में स्थापित किया गया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 75 एकड़ भूमि को चिन्हित भी कर लिया है। हमारे मुख्यमंत्री ने भिन्न-भिन्न माननीय प्रधानमंत्रियों को तीन पत्र लिखे हैं। परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। ऐसा उड़ीसा के साथ क्यों हो रहा है?...*(व्यवधान)* क्या यह भारत का भाग नहीं है? क्या यह देश हमारा नहीं है? इस सभा को पता होना चाहिए कि उड़ीसा ने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं... *(व्यवधान)* ब्रिटिश शासन के तहत हम सबसे अंत में आए थे, परन्तु स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई सबसे पहले हमने लड़ी थी। और इसकी हमें यह कीमत मिल रही है। हम उड़िया लोगों ने 1857 की 'सिपाही क्रांति' से बहुत पहले अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई आरंभ की थी और बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। अनेक उड़िया लोगों को फांसी दे दी गई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलें। आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : स्वतंत्रता के पश्चात् भी सारे देश को उड़ीसा से फायदा हो रहा है। यदि उड़ीसा चाहे तो देश के कुछ भाग अंधकार में डूबे रहेंगे। हम सारे देश को कोयला, लौह-अयस्क और अन्य खनिजों की आपूर्ति कर रहे हैं...*(व्यवधान)* हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायता दे रहे हैं...*(व्यवधान)* और हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत बोलें। यह सही नहीं है श्री त्रिपाठी। आपने जो मामला उठाया है वह उचित है। आपने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पर काफी बोल लिया है।

मेरे विचार से सभी राज्य इसके लिए दावा कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। परन्तु मैं सरकार को निर्देश नहीं दे सकता हूं। ऐसी धमकियां मत दें। ऐसा राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आपकी भावनाओं की पूरी तरह से कद्र करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। वे, दोनों राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह दो राज्यों का मामला नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। आप समझ नहीं रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : उड़ीसा में खनन कार्य हो रहा है परन्तु निगमित कार्यालय कोलकाता में या अन्यत्र है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तथागत सत्पथी, ऐसा मत करें। व्यवधान मत डालें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आप मुझे यह बताएं कि किसका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा, श्री सत्पथी का वक्तव्य या श्री त्रिपाठी का वक्तव्य?

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* हम उड़ीसा के लिए वित्तीय पैकेज हेतु माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर अनुरोध करने के लिए गए थे। क्या आपको पता है जब उड़ीसा के सभी सदस्य उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने क्या कहा था?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। ऐसे राज्य के बारे में, जो राष्ट्र निर्माण में सभी तरह की सहायता दे रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ऐसा उत्तर दे रहे हैं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री के पत्रों का मान रखना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : इसके कारण उड़ीसा जैसे शांतिपूर्ण राज्य में उथल-पुथल मची हुई है...*(व्यवधान)* भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। उड़ीसा में संस्थान तत्काल कार्य करना आरंभ कर देगा।...*(व्यवधान)* पिछले सत्र में भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि यह मुद्दा संबंधित मंत्री की जानकारी में लाया जाएगा। परन्तु कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने इस बारे में सभा को कुछ भी नहीं बताया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अब स्थगनादेश दे दिया है.. *(व्यवधान)* उन्होंने उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि यह संघ सरकार का निर्णय नहीं था। चिट्ठियां हमारे पास हैं। मुख्यमंत्री की चिट्ठी हमारे पास है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मुख्यमंत्री तथा उत्कल विश्वविद्यालय को लिखी गई चिट्ठियां भी हमारे पास हैं। वे कह रहे हैं कि इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।...*(व्यवधान)* यदि वे ऐसा राजनीतिक निर्णय लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उड़ीसा के लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाएगे और वहां गभीर अशांति फैल जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, आपने पूरे जोर-शोर से अपनी बात रखी है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सभा के माननीय नेता यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : हम मंत्री महोदय से वक्तव्य देने की मांग करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तथागत सत्पथी, श्री अर्जुन सेठी, श्रीमती अर्चना नायक, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री ब्रह्मानंद पंडा, श्री सुग्रीवसिंह, श्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबद्ध किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : मेरे मित्र श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने सभा में जो कुछ कहा है, उसमें मुझे कुछ जोड़ना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है। यह आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। केवल आप बोल सकते हैं, सब नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री को तीन पत्र लिखे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी पहले ही यह कह चुके हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : उन्होंने उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री को कुछ भी जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे यह पहले ही कह चुके हैं।

श्री अर्जुन सेठी : दूसरी ओर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हुए थे और उन्होंने यह कहते हुए शपथ पत्र दाखिल किया था कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह सत्य नहीं है पत्र मेरे पास हैं। यू.जी.सी. द्वारा जो भी पत्र उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे गये हैं, वे मेरे साथ हैं। जब उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखे गये हैं तो यह सरकार या वह अधिकारी कैसे कह सकता है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसा कहना उड़ीसा सरकार को लिखे गये पत्र के विपरीत है।

सभा के माननीय नेता यहां उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन सभा के नेता यहां मौजूद हैं। उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि उड़ीसा में इस विशेष संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की जाएगी। उड़ीसा को कुछ भी देने से इन्कार करने की बजाय उन्हें इस पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट। श्री सेठी, आपके सभी सहयोगी, आपके राज्य के हमारे सभी सहयोगी...

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। मैंने आपकी मांग के बारे में कहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह वैध नहीं है। आपकी मांग वैध है। मैं सभी माननीय सदस्यों, सभा के सभी वर्गों से यह अनुरोध करने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल एक राज्य के विरुद्ध दूसरे को खड़ा करने की कोशिश हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। श्री तथागत यह बहुत अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य या श्री सलीम कौन बोलेगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी आंतरिक या अंतर-राज्यीय मामले का उल्लेख न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, क्या आप बोलना चाहते हैं? या कौन बोलना चाहता है?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय यह...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। आपको यह अच्छी तरह पता है। आप अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठते?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब निर्णय करने जा रहा हूं कि यदि कोई सदस्य मेरी अवहेलना करता है तो जो कुछ उसने कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही लिखा है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं आया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे चौथी बार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तथागत सत्पथी, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर जाइए। इस तरह का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.42 बजे

(इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

श्री अर्जुन सेठी : इस सम्मानीय सभा में कई बार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? श्री त्रिपाठी क्या आपकी पार्टी ऐसी है? यह कौन सा तरीका है?

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : ...*(व्यवधान)* उन्हें पालन करना चाहिए। उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। सदन के माननीय नेता से आपके माध्यम से हमारा यह अनुरोध है। वे यहां उपस्थित हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको आदर करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे दिए गए वचन को भंग किया है। मैंने जो कहा था, मैंने उसकी अनुमति दी है। आपने दिए गए वचन को भंग किया है। आपने मुझे वचन दिया था।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : कोई वचन नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने दिया था।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : कोई वचन नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने वचन दिया था। आपने वचन दिया था।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : हम देख रहे हैं कि सभा में जिस प्रकार से काम चल रहा है। हमने इसी बार अपनी आवाज उठाई है। इससे पहले हमने सदन में ऐसा कभी नहीं किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. वी. वेल्लारमिन।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : केवल यही समय है। सदन के माननीय नेता यहां मौजूद हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सदन, भारत की संसद के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूं। आप सभी इसकी मूल भावना को खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि इससे आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। आप सोचते हैं कि इससे आपके राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। आपका केवल यही उद्देश्य है। यह शर्मनाक है। आपका व्यवहार शर्मनाक है।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : सभा के नेता यहां मौजूद हैं। कम से कम भावनाओं का आदर कीजिए...*(व्यवधान)* इसमें क्या हानि है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वेल्लारमिन, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेल्लारमिन, मैं आपसे बैठने को कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह चाहते हैं। नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आप अपना भाषण जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : ...*(व्यवधान)* कांग्रेस के सदस्यों सहित उड़ीसा राज्य विधान सभा के सदस्यों ने निर्णय का विरोध किया है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह दो राज्यों के बीच का प्रश्न नहीं है।...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। बंगालियों के उड़ीसा के लोगों के साथ परम्परागत संबंध हैं। महोदय, हम भी चाहते हैं कि यदि कोलकाता में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को स्वीकृति दे दी जाती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि उड़ीसा राज्य को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान से वंचित किया जाए। हम उड़ीसा का विकास चाहते हैं। हम उड़ीसा के विकास के विरुद्ध नहीं हैं...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है। यह स्थान को बदलने अथवा संस्थान के भुवनेश्वर से कोलकाता

स्थानांतरित करने का मामला नहीं है। कोलकाता में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान मौजूद है।

महोदय, भुवनेश्वर के संबंध में, यदि पिछली सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था तो हम इसके विरोध में नहीं हैं। भुवनेश्वर में भी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री बसुदेव आचार्य का भाषण ही कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : भुवनेश्वर में भी एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान होना चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री त्रिपाठी ने संस्थान के निर्माण का स्थान भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित करने का उल्लेख किया है। प्रश्न, स्थान को भुवनेश्वर से कोलकाता बदलने का नहीं है... *(व्यवधान)*। यह संस्थान के स्थान को बदलने का मामला नहीं है। ऐसा मत कहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप स्थान बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया है। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : भुवनेश्वर में भी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान होना चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*। आप लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि यह मुद्दा स्थान को बदलने अथवा संस्थान को भुवनेश्वर से कोलाकता स्थानांतरित करने का है। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कुछ कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : एक चीज जो भुवनेश्वर को मिली हुई थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। मुझे खेद है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभा के नेता यहां उपस्थित हैं। वे सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि संस्थान का स्थान भुवनेश्वर से हटाया नहीं जाएगा। हम केवल यही प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हें यह कहने दीजिए। ऐसा कैसे किया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति तब तक नहीं दूंगा जब तक कि वे अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जब तक कि आप वापिस अपने स्थान पर नहीं जाते हैं, मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। वे इसका उत्तर नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.47 बजे

(इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आकर यहां बैठिए और निर्णय कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप मुझे पद से हटाने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की मांग कर सकते हैं और इस पर पीठासीन हो सकते हैं। फिर मैं देखूंगा कि आप क्या करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इसका उत्तर देना पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : हां, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके चैम्बर में क्या घटित हुआ। मुझे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि वे इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। यदि मुझे जानकारी होती, तो निश्चित रूप से मैं तथ्यों के साथ तैयारी करके ही आता और मैंने सभा को जानकारी दे दी होती।

चूंकि, माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को सभा में उठाया है, मैंने उन्हें सुना है। निश्चित तौर पर, मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और महोदय, मैं इस माननीय सभा को आपके माध्यम से सूचित करूंगा। लेकिन, मैं सादर यह कहना चाहता हूं कि सदन के नेता को यह बताए बिना कि वे क्या मुद्दा उठाने वाले हैं, उसकी तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करना कठिन होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? कृपया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। स्कूली बच्चे भी आपसे अधिक जिम्मेवार होते हैं। यह काफी निराशाजनक है।

...(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं। कृपया मेरे वक्तव्य में बाधा न डालें...*(व्यवधान)* जब वे बोल रहे थे, तो मैंने उनकी बात में विघ्न नहीं डाला था। माननीय सदस्यगण, जब मैं उत्तर दे रहा हूं, आप मेरे भाषण में बाधा डाल रहे हैं। आपने मुझे उत्तर देने के लिए कहा। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोला था। आपके दल के सदस्यों ने ही मुझे बोलने को कहा। प्रो. मल्होत्रा ने मुझे उत्तर देने के लिए कहा था। अचानक ही आप मेरी बात में बाधा डाल रहे हैं।

अतः, मैं सादर यह बात कहना चाहता हूं। मैंने यही मुद्दा विगत वर्ष भी उठाया था। यदि माननीय सदस्य मुझसे उत्तर की उम्मीद करते हैं, तो उन्हें मुझे इस नोटिस की एक प्रति भी भेजनी चाहिए जो वे अन्य को भेज रहे हैं या अध्यक्षपीठ को अनुमति प्राप्त करने हेतु भेज रहे हैं। तब मैं अपने पास उपलब्ध न्यूनतम समय में भी तथ्यों के साथ तैयारी करके ही आता। मैं यहां सभा में केवल सभा के प्रति सम्मान के लिए ही बैठा हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे तुरंत उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए। अब इसका उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद सभा में वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रो. मल्होत्रा, यह उचित नहीं है। आपको मुझसे अपनी बात उगलवाने की आदत है। मैंने आपको बताया कि मैं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा, और फिर आपको उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अपराह्न 2.06½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश में रसोई गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। प्रो. महादेवराव शिवनकर।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक

महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"देश में रसोई गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध से सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, एलपीजी की आवश्यकताएं घरेलू उत्पादन और आयात के मेल से पूरी की जाती हैं। सितम्बर, 2005 में विभिन्न कारकों के कारण एलपीजी की अस्थायी कमी उत्पन्न हो गई अप्रैल–सितम्बर, 2005 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन योजित उत्पादन से 303 (हजार मीट्रिक टन) टीएमटी कम था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का उत्पादन योजित उत्पादन से 190 टीएमटी कम था। इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास वास्तविक माल–सूची अप्रैल, 2005 के आरंभ में 333 टीएमटी से कम होकर अक्तूबर, 2005 के आरंभ में 190 टीएमटी रह गई। इसके बाद 4 अक्तूबर, 2005 से आरआईएल, जो एलपीजी की एकल सबसे बड़ी घरेलू आपूर्तिकर्ता है, ने रखरखाव कार्य के लिए जामनगर स्थित अपनी फ्लूडाइज्ड केटेलिटिक क्रेकर (एफसीसी) इकाई बंद कर दी। इसके अलावा, लगभग इसी समय जब आरआईएल ने अक्तूबर, 2005 से इसके बंद किए जाने की पुष्टि कर दी, तब घरेलू उत्पादन संभावनाएं मुंबई हाई नार्थ में आग द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हो गई और विश्वव्यापी एलपीजी आपूर्तियां मुख्य रूप से अमरीकी रिफाइनरियों पर कैटरीना तूफान के प्रभाव के कारण कम हो गई। इन सभी कारकों की वजह से तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्तियों में प्रत्याशित कमी को समय पर पूरा करने के लिए आयात करने की योजनाएं चौपट हो गईं। इससे बाजार में अफवाहें भी फैल गईं कि ओएमसी मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी जिससे मांग अचानक बढ़ गई। सितंबर, 2005 के अंत में राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीटी) क्षेत्र में भरण संयंत्रों में हड़ताल भी हो गई जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 के प्रारंभ में मामले को उस समय हाथ में लिया जब यह निर्णय लिया गया कि इन्वेन्टरी प्रबंधन और सरकार की गहन निगरानी के तहत ओएमसीज का एक संयुक्त कार्य बल द्वारा सीधे आयातों के जरिए आपूर्ति की वास्तविक कमी पर शीघ्रातिशीघ्र काबू पा लिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एनसीटी क्षेत्र में भरण संयंत्र रविवार 9 अक्तूबर, 2005 और अन्य दिवसों को भी अवकाशों को कार्य करेंगे। इन निर्णयों के आधार पर यह घोषणा की गई कि एनसीटी क्षेत्र में वास्तविक कमी दशहरा तक और शेष देश में वास्तविक रूप से दीपावली तक समाप्त हो जाएगी। ये लक्ष्य काफी सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं। अक्तूबर–दिसंबर, 2005 की अवधि के दौरान 642 टीएमटी एलपीजी आयात करने के लिए ओएमसीज द्वारा पहले से की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 237.9 टीएमटी की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें से 138 टीएमटी पहले ही देश में पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार हाल में देश में समग्र वास्तविक कमी एलपीजी की औसत मासिक खपत के केवल 1.5 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। तथापि, प्रचालनात्मक कारणों से माइक्रो स्तर पर बकाया बाजार दर बाजार भिन्न–भिन्न हो सकता है।

नवंबर, 2005 के अंत तक आरआईएल को रिफाइनरी में उत्पादन पुनः शुरू होने पर स्थिति सामान्य होने की आशा है। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियां वितरक की पंजीकृत ग्राहक क्षमता के अनुरूप वितरकों को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संघर्ष कर रही हैं, कालाबाजारी और अनधिकृत प्रयोग के लिए घरेलू एलपीजी का विपणन नियंत्रित कम करने और अन्ततः विपणन समाप्त करने हेतु राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है जो घरेलू प्रयोग के लिए एलपीजी के खुदरा मूल्य और वाणिज्यिक एलपीजी के लिए बाजार मूल्य के बीच व्यापक अंतर के कारण होता है। संघ सरकार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों को जारी करने के द्वारा विपणन और अन्य दुरुपयोगों में कमी करने हेतु अनिवार्य आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों को सतर्क किया है। तेल विपणन कंपनियों को भी विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

रसोई गैस की अस्थायी कमी के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने सितम्बर, 2005 से नये कनेक्शनों को जारी करने पर रोक लगा दी थी परन्तु स्थिति में सुधार के मद्देनजर उन्होंने 1 दिसम्बर, 2005 से नये कनेक्शनों को जारी करने को बनाए रखने हेतु मंत्रालय के अनुरोध को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट पेट्रोलियम मंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है कि उससे मैं और सदन असहमत होगा। उसका प्रमुख कारण है कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि शॉर्टेज सितम्बर से है। हम देख रहे हैं कि देश में गैस की शॉर्टेज पिछले सैशन के समय से है और उस समय भी

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2903/2005

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

यह सवाल आया था और आपने बड़े जोश के साथ कहा था कि स्थिति में सुधार हो रहा है जिससे गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले सैशन के समय भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी। गैस सिलेंडर का नहीं मिलना और 600 रुपये तक प्रति गैस सिलेंडर की कीमत जाना ठीक नहीं है। जब से यह इस विभाग के मंत्री बने हैं, तब से लगातार यह स्थिति चल रही है। आप देखेंगे कि इनकी पुरानी आदत परमिट राज लाने की है। इस कारण गैस सिलेंडर महंगे हुए। विशेष रूप से जो महिलाएं ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, इसे लेकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, उनका गैस न मिलने की वजह से कई बार सारा बजट अपसैट हो जाता है। जिस परिवार की आय तीन–चार हजार रुपए मासिक होगी, अगर उसे 600 रुपए गैस सिलेंडर के देने पड़ेंगे, 1/4 देने पड़ेंगे तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा?

मैं आपका ध्यान 17 नवम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि महिलाएं सौ रुपए साड़ी के कम कर दें। यह एक शर्म की बात है। यह महिलाओं को सलाह दे रहे हैं लेकिन अपने विभाग में सुधार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर साड़ी के सौ रुपए कम करें तो गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी ठीक हो सकती है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन एसोसिएशन ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा एल.पी.जी संकट और तेल की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा–यदि महिलाएं अपनी साड़ी और फिल्म के बजट में कटौती करके सौ रुपए इधर बढ़ा दें तो एल.पी.जी का संकट दूर हो सकता हे। उन महिलाओं ने इसका निषेध किया। इस तरह से गरीबी के संबंध में और आम महिलाओं के संबंध में खिल्ली उठाई गई। महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, आंसू पोंछने के बजाय माननीय मंत्री महोदय उन्हें तड़पाना चाहते हैं। क्या आप गरीब आदमी को तड़पा–तड़पाकर मारना चाहते हैं। इस संबंध में जब–जब अधिवेशन होता है तब–तब आप छापे डालने की बात कहते हैं। पिछले अधिवेशन काल में इन्होंने कहा हमने यहां छापे डाले, वहां छापे डाले। मेरे पास अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा कि परिस्थिति सुधर गई है। जून–जुलाई के अधिवेशन के समय भी आपने कहा था कि अब परिस्थिति पूरे कंट्रोल में है। आप अभी भी इस संबंध में कह रहे हैं कि सितंबर से कमी नहीं है। एल.पी.जी की वस्तुस्थिति ऐसी नही है। कोटा, परमिट राज और सब्सिडी इनका मुख्य कारण हैं। आप सब्सिडी देना नहीं चाहते और इस प्रमुख कारण के कारण गैस सिलेंडर की शार्टेज हुई, कालाबाजारी हुई। विशेष रूप से सड़क पर जो ढाबा चलाने वाले लोग हैं, जहां बड़े सिलेंडर हैं, उनको टेक अप नहीं करना चाहते। आज दिल्ली में अखबार में कुछ छपा है क्योंकि यहां पर कॉलिंग अटेंशन है, आप इसे उस ओर डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस तरह से परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी विद्वान हैं, बहुत होशियार हैं, शब्दों में माहिर हैं, शब्दों को फेंकने में बहुत माहिर हैं, अब शब्दों के जाल में देश फंसने वाला नहीं है। आपका कर्तव्य है और आप इसे कंट्रोल कीजिए। चेयरमैन का स्टेटमेंट मेरे पास है। उन्होंने निर्णय लिया था जो वर्तमान पेपर में आया हुआ है, उन्होंने कहा कि नए साल तक हम सिलेंडर नहीं देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि हम स्थिति सुधारने वाले हैं यानी इस महीने की एक तारीख से स्थिति सुधरने वाली है। वास्तविक रूप से आप इस स्थिति को स्पष्ट करें कि नए साल यानी एक जनवरी के बाद आप नये कनेक्शन देने वाले हैं। आपको क्या पता कि इन नए कनेक्शन के लिए लोग कितना तड़प रहे हैं। परिवार बढ़ते हैं, शादियां होती हैं, परिवार का विघटन होता है और छोटे–छोटे परिवार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नए कनेक्शन का नहीं होना कितनी दिक्कत की बात है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय को इस बात का कोई खयाल नहीं है। क्या इस एक तारीख से यानी कल से नए कनेक्शन के सिलेंडर देना चाहेंगे? क्या आप यह घोषित करना चाहेंगे कि पर्याप्त रूप में नए सिलेंडर मिलेंगे? एन.डी.ए. सरकार के काल में इमिडियएटली लोग कंधे पर सिलेंडर ले जाते थे जब भाई–भाई में झगड़ा होता था, दूसरा परिवार दूसरी जगह झोंपड़ी में जाकर बसता था तो कंधे पर सिलेंडर ले जाता था और चूल्हे में आग लगाता था। इन्होंने तो चूल्हे को आग लगाई है। अब स्थिति यह आ गई है कि जलते हुए चूल्हे की आग में यह सरकार भस्म हो गई है और स्वाह हो गई है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि देश में इस परिस्थिति को सुधारिए। अगर आप इस परिस्थिति को नहीं सुधार पाए तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। यह सब आपकी पॉलिसी के कारण हुआ है और इस अर्थ नीति का निर्माण हुआ है। आपने जो पॉलिसी लादी, कोटा निर्धारित किया और परमिट निर्धारित किया, उसके कारण इस परिस्थिति का निर्माण हुआ। अगर पर्याप्त रूप में आवश्यकता पड़े तो गैस सिलेंडर आयात कीजिए। किसी ने आयात करने के लिए नहीं रोका है क्योंकि वैसे भी आप आयात करते हैं। केवल सब्सिडी नहीं देने की नीति के कारण, इस नीति का परिणाम यह हो रहा है कि हजारों लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस स्टेटमेंट में सुधार करेंगे? क्या स्थिति में सुधार करेंगे? क्या आने वाली परिस्थिति में सुधार

करेंगे? दीवाली के समय आपने सिलेंडर नहीं दिया, दशहरे के समय आपने सिलेंडर नहीं दिया, त्यौहार के समय सिलेंडर नहीं दिया, लेकिन कम से कम क्रिसमस के समय यानी 25 तारीख को आप सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे या नहीं? मेरा आपसे यह सवाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पैसिफिक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस स्टेटमेंट के बाद क्या करने वाले हैं? क्या वह पॉलिसी में सुधार करने वाले हैं? क्या सिलेंडर की कीमत कम करने जा रहे हैं? आज तो यह कीमत बढ़ रही है लेकिन काला बाजार में जो दाम बढ़ते हैं, उस पर किस तरह से कंट्रोल करने वाले हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इन सवालों के जवाब चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, कृपया स्पष्टीकरण मांगें।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि इसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लम्बी स्पीच नहीं करनी है, केवल क्वैश्चन पुट करना है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल, में आपसे अनुरोध करता हूं कि विशिष्ट प्रश्न पूछिए, न कि भाषण दीजिए।

श्री रूपचंद पाल : मैं विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। मैं केवल प्रश्न की रूपरेखा बना रहा हूं।

इस वक्तव्य में, माननीय मंत्री ने अनेक कारणों के बारे में वर्णन किया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कम उत्पादन हुआ था। कई अन्य कारण हैं जिनका उल्लेख उन्होंने किया है। मैं यही जानना चाहता हूं। यदि सरकार को इसकी कमी का अनुमान था तो कितनी कमी का अनुमान किया गया था? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एक माह में 5.5 करोड़ रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। कई अन्यों द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 40 लाख से 50 लाख सिलेंडरों की अत्यधिक कमी होने वाली थी परन्तु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसकी बजाय, सरकार ने इसके विपणन की जांच हेतु आदेश दिए। घरेलू उपभोग से वाणिज्यिक क्षेत्र, जैसे भोजन स्थलों, मोटरकार आदि के लिए राजसहायता प्राप्त रसोई गैस से विपणन हमेशा ही होता है। कालाबाजारी भी हमेशा ही होती हे। फिर भी सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आदेश को ऐसे समय में क्यों जारी किया गया था? क्या विपणन के संबंध में कुछ विशेष था? उनके क्षेत्र में रसोई गैस वितरकों से उपभोक्ताओं तक उपलब्ध रसोई गैस भरने पर प्रतिबंध, नये कनेक्शनों को बंद करना–इन सभी से संकट पैदा हुआ। संकट की स्थिति में कालाबाजारी और विपणन हमेशा ही बढ़ेगा। इस आदेश के पीछे क्या तर्क था? इस स्थिति में नई बात क्या थी? उन्होंने विपणन को रोकने हेतु तंत्र की विफलता को स्वीकार किया।

मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आता हूं। सरकार ने आयात हेतु निर्णय तब लिया जब उन्हें लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी का संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के रीटा कैटरीना तूफान, शुल्क दरों में वृद्धि, पोतों और चैनलों की अनुपलब्धता के कारण है। इस प्रकार की स्थिति में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यह शिकायत कर रहे थे कि उन्हें राजसहायता हेतु अत्यधिक हानि वहन करनी पड़ी। इस प्रकार की स्थिति में सरकार ने इस प्रकार का आदेश क्यों जारी किया? क्या यह संबंधित निकायों, जो अत्यधिक हानि अथवा कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिकायत कर रहे थे, से दबाव के तहत था? अन्यथा, वे अच्छी तरह से जानते थे कि कमी होने वाली है, विपणन हुआ है और कालाबाजारी हुई है। एक तंत्र था जिसकी समीक्षा और सुधार किया जाना था। परन्तु सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसने केवल इसे हल करने की बजाय और अधिक संकट ही पैदा किया है। यह मेरा कहना है। सरकार ने ऐसा क्यों किया?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधांशु सील, आप केवल स्पष्टीकरण की मांग करें।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

अतः, इस अवधि के दौरान उनके विभाग में कितने मामलों को रिकार्ड किया गया है? दूसरे, एक बहुत बड़ी शिकायत है कि उपभोक्ताओं को जितनी मात्रा मिलनी चाहिए उतनी उन्हें नहीं मिल रही है। उन्हें कम मात्रा (भार) मिल रही है। कुछ लोगों द्वारा बहुत बड़ा रैकेट है जो ये सभी खेल खेल रहे हैं। सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने वाली है? यह इस कारण है क्योंकि साथी उपभोक्ता काफी लम्बे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

[श्री सुधांशु सील]

तीसरे, घरेलू उपयोग हेतु रसोई गैस सिलेंडरों का ढाबों, रेस्तराओं और इन सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अतः, अपने वक्तव्य में उन्होंने यह बताया है कि नियमित रूप से जांच और निगरानी की गई है परन्तु मुझे यह संदेह है कि क्या वास्तव में ऐसा किया गया है अथवा नहीं। यह इस कारण है क्योंकि अभी भी हम यह देखते हैं कि ये सभी ढाबे और रेस्तरां स्वतंत्र रूप से सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं और हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उनको कहां से इनकी आपूर्ति हो रही है। अतः, वितरकों और इन सभी बड़े उपभोक्ताओं के बीच रैकेट अवश्य है जिसके कारण उपभोक्ताओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनके विभाग ने इसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब, योगी आदित्यनाथ, आप केवल स्पष्टीकरण पूछिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यू. पी.ए. की सरकार केन्द्र में है, इस सरकार की तब से नीयत ही ठीक नहीं है तो नीति कैसे ठीक होगी। पिछले डेढ़ वर्षों में... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं केवल बात का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नियमों के अनुसार कोई सदस्य एक ही दिन, एक ही समय पर दो ध्यानाकर्षण नोटिस नहीं दे सकता है। अब वे दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : यह जनहित से संबंधित मामला है, आप बैठिए...*(व्यवधान)* जनहित से जुड़े मामलों को एक बार नहीं दस बार यहां रखा जा सकता है। यह स्पीकर साहब तय करेंगे, बी.ए.सी. तय करेगी, आप कैसे तय करेंगे? आपको यह अधिकार किसने दिया है?. *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यह ध्यानाकर्षण प्रो. महादेवराव शिवनकर द्वारा न कि योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया है। इसे योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया नहीं गया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : जब वामपंथियों का नम्बर होता है तो आप चुप क्यों बैठते हैं?

प्रो. महादेवराव शिवनकर : उन्होंने परमीशन दी है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : वह नियम संबंधी मुद्दा उठा रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके संबंध में बहुत शोर-शराबा है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई शोर–शराबा नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

अब, योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। उन्होंने अनुमति दी है। उन्होंने उनके नाम की घोषणा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार : उन्होंने बहुत ही वैध आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

योगी आदित्यनाथ : मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : चेयर के डिसीजन पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता है।*...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं कह रहा था कि जब नीयत ठीक न हो तो नीति कैसे ठीक होगी?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे अवश्य ही सही किया जाना चाहिए। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। यह पूर्व उदाहरण स्थापित करेगा।*...(व्यवधान)*

श्री तरित बरन तोपदार : ऐसा नहीं है। नियम पुस्तिका का अनुपालन किया जाना चाहिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : ये उपाध्यक्ष महोदय को चुनौती दे रहे हैं*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आदित्य जी, कृपया आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : पिछले डेढ़ वर्षों में एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगभग 50 रुपये की वृद्धि इस सरकार ने की है। इस सरकार की नीतियां आम उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली और कालाबाजारियों को संरक्षण देने वाली हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : प्रश्न क्या है? उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाना है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : आप तय नहीं करेंगे। आप बैठिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको निर्णय नहीं लेना है। मैं निर्णय लूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : आप तय नहीं करेंगे कि कौन प्रश्न करेगा, कौन नहीं करेगा। आप चुपचाप बैठिए।*...(व्यवधान)* यह चेयर तय करेगी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : उन्होंने असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया है*...(व्यवधान)*

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें बहुत तेजी के साथ सामने आई हैं और माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी उनका जिक्र नहीं किया गया है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने एल.पी.जी का कोटा आधा किया है? सामान्य रूप से एक परिवार को जो एल.पी. जी का एक सिलेंडर मिलता था, वह एन.डी.ए. की सरकार के समय में 15–20 दिन में मिलता था।...*(व्यवधान)* इस सरकार ने तय किया है...*(व्यवधान)* अगर मुझे इसी प्रकार से वामपंथी डिसटर्ब करेंगे तो हम लोग भी इनको नहीं बोलने देंगे। अगर सदन की व्यवस्था इसी प्रकार से चलनी है तो हम भी जानते हैं कि कैसे अव्यवस्था फैलाई जाती है। इनसे ज्यादा अच्छी तरह से हम इनको जवाब देना जानते हैं। उपाध्यक्ष जी, आप इनको चुप कराइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, इस प्रकार के...*

जब यहां पर आ जाते हैं तो ये लोग इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों को सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है। इनको इस मामले में निर्देशित किया जाए।... *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, इनका यह कहना आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : हां, मैंने कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : आप साधु को एलपीजी सिलेंडर की क्या जरूरत है?...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : ...* भारत की परंपराओं के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। भारत के बारे में तुम नहीं जान सकते हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सलाह के बिना मैंने पहले ही यह कह दिया है कि मैं इसे देखूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगी की बात के अलावा इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, दो बातें सामने आई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए की सरकार ने तय किया था कि एक परिवार को गैस सिलेंडर 15 से 20 दिन की अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने उस अवधि को बढ़ाकर लगभग 40 दिन कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है?

इस प्रश्न का दूसरा पार्ट यह है कि क्या मंत्रालय ने विभिन्न गैस कंपनियों को आदेशित किया है कि जो सब्सिडी इससे पहले गैस सिलेंडर पर सरकार वहन करती थी, उस सब्सिडी को सरकार वापस ले और गैस कंपनियों को बाध्य किया है कि इस सब्सिडी को वहन करे। इस कारण गैस कंपनियां गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। वर्तमान में एलपीजी घरेलू उपयोग की गैस में किल्लत आ रही है, यह उसका प्रमुख कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से इन दो बिंदुओं के बारे में जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस प्रश्न को इस सभा में पिछले सत्र में भी उठाया गया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने अंत में यह कहा :

> "मेरे मंत्रालय के लिए स्थिति की निगरानी करना आवश्यक है और मुझे स्पष्टीकरण के साथ अगले सत्र तक इस सभा में वापिस आना है कि इस संबंध में आगे क्या किया जा रहा है।"

मैं मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने इस सभा को उस समय आश्वस्त किया था जब इस प्रश्न को उठाया गया था। उस समय अगस्त माह में यह संकट केवल तीन से चार राज्यों तक ही सीमित था। आज, सारे देश में अत्यधिक संकट है। यह कुछ रिफाइनरियों के अचानक बंद होने के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कारण हुआ है। उन्होंने उत्पादन कम करने हेतु उन्हें अनुमति दी थी। त्योहार के दौरान जब मांग में वृद्धि हुई तब उन्होंने उत्पादन में कमी की थी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुछ रिफाइनरियों ने सितम्बर, 2005 में अपने उत्पादन में कमी की थी। इसके साथ ही 45 दिन का नियोजित बंद भी हुआ।

माननीय मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में यह बताया है कि जामनगर में निजी रिफाइनरी में 4 अक्तूबर, 2005 से रख–रखाव संबंधी कार्य हेतु एक इकाई को बंद किया गया था। विगत में इस प्रकार के बंद की अनुमति हमेशा ही केवल उस अवधि में दी जाती थी जिसमें कम काम होता था न कि व्यस्ततम अवधि में। इसकी अनुमति केवल फरवरी से अप्रैल तक दी जाती थी। अतः, इस प्रकार के बंद करने और उत्पादन में कमी की अनुमति उस समय क्यों दी गई थी जब रसोई गैस हेतु मांग में वृद्धि हो रही थी?

एक कंपनी की आवश्यकता के अनुसार त्यौहार के समय में भी उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति को नियमित करने पर विचार किया गया। एक बड़े आपूर्तिकर्त्ता रिलायंस द्वारा नियोजित रूप से बंद किया जाना अपरिहार्य कारणों से गलत योजना आपूर्ति प्रबंधन का मामला प्रतीत होता है जिसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

रसोई गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्रों के अप्रत्याशित रूप से बंद होने की आकस्मिक प्रकृति क्यों रही थी? काम बंद करने की अनुमति देने हेतु व्यस्ततम अवधि का ही चयन क्यों किया गया था? उन्हें व्यस्ततम अवधि, अक्तूबर और नवम्बर में सबसे अधिक अनियोजित रूप से काम बंद करने की अनुमति देने के कारण को भी स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने उसकी अनुमति क्यों दी थी?

आज भी अत्यधिक कमी है और वाद–विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया कि वे अन्य कार्यों हेतु रसोई गैस के विपणन के संबंध में कुछ ठोस उपाय करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अन्य कार्यों हेतु रसोई गैस के विपणन को कम करने हेतु इन तीन माह के भीतर कौन से ठोस उपाय किये हैं।

आज रसोई गैस का एक सिलेंडर 500 रुपये अथवा 500 रुपये से भी अधिक अथवा 600 रुपये में बेचा जा रहा है। अतः, इन गलत कामों को रोकने और अन्य कार्यों, जिसके लिए यह नहीं है, हेतु रसोई गैस के विपणन के लिए भी कौन से सख्त उपाय सरकार द्वारा किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने नोटिस दिया है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए एज पर रूल्स...

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन का नोटिस नहीं है, तो उन्हें इस पर बोलने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सदन में इस प्रकार से उन्हें बोलने का अवसर देकर नई परम्परा प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, आपको निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्षपीठ को इस बात का निर्णय लेना है कि किस व्यक्ति को समय दिया जाये।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने नियमों के अनुसार, नोटिस दिया है। यदि माननीय अध्यक्षपीठ अनुमति देते हैं तो मैं स्पष्टीकरण से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता हूं...*(व्यवधान)*। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तभी मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने नियमों के अनुसार नोटिस दिया है। अतः, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तभी मैं बोलूंगा; अन्यथा में नहीं बोलूंगा...*(व्यवधान)*। मैंने नियमों का अध्ययन करने के पश्चात् ही नोटिस दिया है। मैंने नियमों का अध्ययन किया है और नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*। योगी आदित्यनाथ आपने अनियमित बात की है। मैंने नियमित बात की है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए जनरली प्रैक्टिस यह है कि...

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जनरल प्रैक्टिस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जितने नाम लिस्ट में हैं, उनसे ज्यादा लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन यह सब्जेक्ट ऐसा है, जो सारे

देश से संबंधित है इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन दो–चार माननीय सदस्यों के नोटिस आए हैं, उन्हें क्लैरीफिकेशन के लिए समय दे दूं। यह इसी शर्त पर होगा जब वे केवल क्लैरीफिकेशन करेंगे। अगर उन्होंने लैक्चर देना शुरू कर दिया, तो मैं उन्हें बीच में ही रोक दूंगा। अतः इस विषय की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं इस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों को, जिनके नोटिस आए हैं, उन्हें क्लैरीफिकेशन पूछने का समय देता हूं।

[अनुवाद]

सबसे पहले, मैं श्री एन. एन. कृष्णदास से अनुरोध करूंगा–उपस्थित नहीं।

अब, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को बुलाता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं नम्रता से यह कहता हूं कि मैं केवल नियमों के अनुसार ही बोलूंगा। मैंने पर्याप्त समय पहले नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अब, दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की अत्यधिक कमी है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तरी राज्यों में भी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां, महोदय, और विशेषकर मेरे केरल राज्य में। अब, रसोई गैस का उपयोग करने वाली कारों के आने के कारण एलपीजी की और ज्यादा कमी हो गई है...*(व्यवधान)*। जी हां, वाहनों ने पेट्रोल की बजाय रसोई गैस का उपयोग किया जा रहा है।

रसोई गैस का उपयोग करके प्रदूषण से बचा जा सकता है और इसलिए वाहनों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। रसोई गैस की न केवल घरेलू उपयोग हेतु आवश्यकता है अपितु हम देखते हैं कि कई वाहनों में इसका प्रयोग हा रहा है। निस्सन्देह, इससे एलपीजी की कमी होगी। सरकार को उपचारात्मक उपाय करने होंगे तथा उपचारात्मक उपाय इस प्रकार करने होंगे कि अवश्य ही कुछ विनियम तथा उपभोक्ताओं, विशेषकर घरेलू लोगों और उसके बाद वाहनों को उचित आपूर्ति करने हेतु कुछ विनियम संबंधी तरीके भी हों। प्रथम वरीयता घरों में हमारी महिलाओं को दी जानी चाहिए। उन्हें इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जलाने की लकड़ी काफी महंगी है और यह उपलब्ध नहीं है। पहले हम इसका उपयोग कर रहे थे। परन्तु अब यह उपलब्ध नहीं है। अधिकांश महिलाएं इस गैस पर निर्भर हैं। खाना बनाना केवल इस प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। मांग में न केवल वृद्धि हुई है अपितु वाहनों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। अतः, और ज्यादा कमी हो जाएगी।

प्रसंगवश, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें पहले की सभा में कुछ कूपन दिये गये थे और हम वरीयता आवंटन हेतु उन्हें जारी किया करते थे। आजकल आप इसे नहीं कर रहे हैं। वे अब मेरे पास नहीं है। रसोई गैस की आपूर्ति हर हाल में बहुत ही कम होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप और उपचारात्मक उपाय करने हेतु अनुरोध करता हूं ताकि बाजार में रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी न हो।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा उत्तर देंगे और सबको संतुष्ट कर देंगे, परन्तु एक तथ्य सामने है कि 50 वर्षों में जितने एलपीजी कनेक्शन दिए गए, उतने पिछले छः वर्षों में दिए गए। उसके बाद में लोग पंजीकरण कराना भूल गए और सिलेंडर लोगों के घर पर रिक्शे से खुद जाने लगे। अभी जैसे बसुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि शट डाउन प्रत्येक वर्ष होता है, ऐसा नहीं है कि इस वर्ष नहीं हुआ है। उसके बाद त्यौहारों के समय, जैसे पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि दोबारा ऐसा अवसर आए कि लोग पंजीकरण कराना भूल जाए, क्योंकि अब सांसद भी मांग करने लगे हैं। जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि बुकलेट देना शुरू कराएं, क्योंकि लोग हमारे से मांग कर रहे हैं। जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, लगता है कि नीति में कुछ कमी आ गई है। हम आपका उत्तर नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि घरों में फिर से इस प्रकार से सिलेंडर की मांग न हो, जैसी कि इस समय है। इसके बारे में अगर आप दो लाइन में आश्वासन दें तो वह ज्यादा मायने रखेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, यह एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है कि रसोई गैस वितरक अवैध रूप से होटलों और वाहनों के मालिकों को भी गैस सिलेंडर दे देते हैं और अंततः घरेलू उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके ध्यान में आई है और क्या इन रसोई गैस वितरकों, के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कमी के कारण यह आशंका है कि घरेलू रसोई गैस कनेक्शन, जो पहले ही दिए जा

चुके हैं, को भी वापिस किया जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं। कुछ क्षेत्रों में यह आशंका है कि एक ही घर में दो कनेक्शन हैं—जबकि एक व्यक्ति के पास दो कनेक्शन नहीं हैं अपितु अनेक व्यक्तियों के पास भिन्न-भिन्न कनेक्शन हैं—इसलिए घरेलू लोगों को अब नोटिस दिए गए हैं, उन्हें उनमें से एक कनेकशन वापिस करने के लिए कहा गया है। वे कानूनी नोअिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा कनेक्शन हों। क्या कोई नियम अथवा विनियम है कि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होने चाहिए? क्या यह वैध है? मुझे नहीं लगता कि यह कानूनी है। परन्तु, यदि इसे किया जा रहा है तो इसे अवश्य ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि अनेक राज्यों में रसोई गैस की अत्यधिक कमी है।

केरल में रसोई गैस की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए जाते बहुत ज्यादा शोर-शराबा होगा। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने हेतु अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की जाएगी।

श्री खारेवेल स्वाईं (बालासोर) : माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह सत्य है कि सरकार तेल का उत्पादन करने वाली ओ.एन.जी.सी., गेल, ओ.आई.एल. जैसी कंपनियों को एलपीजी के उनके उत्पादन के 25 प्रतिशत को गैर-घरेलू इस्तेमाल के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर न बेचकर बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने वाली है? यदि यह सत्य है तो क्या सरकारी सिलेंडरों का मूल्य बढ़ाने का यह एक अप्रत्यक्ष तरीका नहीं है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मेरे राज्य में इस समय एलपीजी की बहुत कमी है। मेरे राज्य तथा हमारे देश के कुछ अन्य भागों में वृक्षों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। यह सब देश के लिए आवश्यक है। मैं इस बात से असहमत नहीं हूं। एलपीजी की कमी होने पर लोगों को ईंधन कहां से मिलेगा? यह सब क्यों हो रहा है? एनडीए सरकार के शासन में देश में, एलपीजी भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। उस समय कोई भी गैस की आपूर्ति से वंचित नहीं था और संसद सदस्यों के कूपनों को आवश्यक नहीं समझा जाता था। अब, सरकार बदलने के बाद ऐसा क्या हो गया है? कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई है। अतः, इससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? लोगों को अपना भोजन तो पकाना ही है। यदि आप उन्हें एलपीजी उपलब्ध नहीं कराते हैं और पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगने के कारण उन्हें जलाने की लकड़ी नहीं मिल सकेगी तो ऐसे में लोगों की क्या दशा होगी? आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सभा को निश्चित रूप से यह आश्वासन देंगे कि सभी लोगों को एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत—मैंने आपको बिना कहे टाइम दे दिया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने सभी माननीय सदस्यों को बड़े विस्तार से जो-जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे अवगत कराया। आपने एक बात उस समय कही थी कि एक दिसम्बर से जनता की कठिनाइयों का निराकरण हो जाएगा और नये गैस कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन भी प्रारम्भ हो जाएगा और आने वाले 5-10 दिन के अन्दर जनता की कठिनाइयों का सर्वथा निराकरण हो जाएगा। मेरे बहुत से मित्रों ने जिन-जिन बातों का उल्लेख किया है, हम सब उनसे सहमत हैं कि काफी समय से जनता को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 22 तारीख के बाद हम जब हमारे क्षेत्र में गए, तब भी वही की वही समस्याएं, वही की वही लम्बी लाइनें, वही के वही सिलेंडरों के लम्बे ढेर और जगह-जगह खाली लगे हुए सिलेंडर थे। जब डी.एस.ओ. से पता लगाया तो उसने कहा कि मिट्टी के तेल का कोटा भी कम कर दिया गया है और इसके साथ ही एलपीजी गैस का कोटा भी कम कर दिया गया है। इसलिए हम आपसे स्पष्ट उत्तर चाहते हैं, देश की जनता आपके मुखारविन्द से सुनना चाहती है कि आखिर गैस की समस्या, जो माताओं, बहनों, गृहणियों से और हर घर से संबंधित है, उसका निराकरण हो पाएगा और उसे कब सच्चे अर्थों में क्रियान्वित कर दिया जाएगा, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, अब माननीय मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि एलपीजी के संबंध में परामर्शदात्री समिति को अवगत कराई गई वास्तविक स्थिति और इस स्थिति में सुधार करने हेतु उठाए जा रहे अथवा विचार किए जा रहे कदमों का पूरा ब्यौरा इस सभा को देने का मुझे पूरा अवसर दिया जाएगा।

सबसे पहले, मैं सभा के समक्ष सभी सांसदों के समान ही अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहता हूं जो कि अगस्त में इस सभा में

[श्री मणि शंकर अय्यर]

मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद हुई गैस की कमी के संबंध में है जिसके बारे में मैंने कहा था कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हम वह सब करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अब मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि यह सब अचानक क्यों हुआ।

[हिन्दी]

मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा कि जिस कदर मुझसे सवाल किए गए थे, उनका 1–1 का मैं जवाब देने लगूं तो तब जितने भी मुद्दे यहां उठाए गए हैं, उन सब पर कुछ रोशनी डाली जा सकती है, कुछ स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मैं माननीय श्री शिवनकर जी के सवालों से और टिप्पणियों से शुरू करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं तब से यह किल्लत शुरू हुई है और दिक्कतें शुरू हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत हद तक आप जो कहना चाहते हैं, उसको मैं मानता हूं कि वह सही है, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय दाम को तय नहीं करता हूं। हकीकत तो यह है कि 2003 के आखिरी क्वार्टर से लेकर मई, 2004 के बाद तक अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते चले गए। यहां तक कि मार्च 2004 में दो सौ रुपये से भी कम था अब वह आठ सौ रुपये तक पहुंचा हुआ है। थोड़ा–बहुत अब कम हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि परिवर्तन का मूल कारण यह है कि राम नाइक जी गए और मणि शंकर जी आए। इसका मूल कारण यह है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में एनडीए की सरकार ने कुछ नीतियों को तय किया था, उन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। लाजिमी है कि उन नीतियों में हमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारी नीयत और नीति में कोई कमी नही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में एक चमत्कार–सा हो रहा है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दाम इस तरह से बढ़ते ही चले जाएंगे और वह भी बिना वजह। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम पदार्थों का दाम तेल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता गया है। इस नई परिस्थिति में हम चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। अब बताया जाता है कि हमें सबक सीखने की जरूरत है। जब एनडीए का दौर था, जो पूछता था, उसको मिलता था, लेकिन जब से सरकार बदली है, उसके मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है।

मैं कुछ आंकड़ों के साथ शुरू करना चाहता हूं कि एलपीजी के नये कनेक्शन एनडीए के दौर में कितने दिए गए और अब हमारे दौर में कितने दिए जा रहे हैं? 1 अप्रैल, 2001 से लेकर अक्तूबर, 2003 के मध्य तक एनडीए सरकार ने 158 लाख नये कनेक्शन उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

यदि आप बुरा न मानें तो, मैं इस बात को अंग्रेजी में दोहराना चाहता हूं, कि 1 अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2003 तक ढाई वर्ष की अवधि के दौरान एनडीए सरकार ने 158 लाख नए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है जब से मैंने कार्यभार संभाला है तथा अक्तूबर, 2005 के बीच हमने 100 लाख कनेक्शन दिए हैं। एनडीए सरकार ने जो कार्य ढाई साल में किया वही कार्य हमारी सरकार ने डेढ़ साल में कर दिखाया है। फिर भी, बार–बार यह बात दोहराई जा रही है कि जो कि बिल्कुल गलत है कि हम जान–बूझकर गृह–लक्ष्मी (गृहिणियों) की मुस्कान छीनने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, गंगवार साहब मेरे ही मंत्रालय से जुड़े थे, यदि उनके पास कुछ ऐसे आंकड़े या तथ्य हैं जिनको कि इसके विरोध में कुछ साबित करते हैं तो में सुनने को तैयार हूं। इनके समय में यह इतने अक्षम थे कि इनको 158 लाख कनेक्शन देने में ढाई साल लगे। माफ कीजिए, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि 100 लाख कनेक्शन देने में मुझे डेढ़ साल लगे।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : आपने दो वर्षों में कितने कनेक्शन दिए, यह बताइए।...*(व्यवधान)*

आप सन् 1999 और 2000 की फिगर्स बता दें, कौन सक्षम है और कौन अक्षम है, यह पता लग जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं 1999 के आंकड़े नहीं दूंगा। गंगवार साहब इस सदन को उससे अवगत कराएं क्योंकि वह उनका दौर था। मैंने देश के सामने यह आंकड़ा रखा है कि उन्होंने ढाई साल में जो काम किया, वह हमने डेढ़ साल में किया और वह भी उस परिस्थिति में, जबकि हमारे लिए वह करना बहुत मुश्किल था।

शिवनकर साहब बताते हैं, वे या मुझे सुझाव दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं या क्या पता धमकी दे रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम सावधान रहें क्योंकि अगर हमने इस परिस्थिति को नहीं सुधारा तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। जनता ने तो आपको माफ नहीं किया, इसीलिए हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं।... *(व्यवधान)* अच्छा, इसका मतलब एलपीजी बिहार में नहीं मिल रही बाकी पूरे देश में मिल रही है। जब आपका इंडिया शाइनिंग हो रहा था जबकि एलपीजी बहुत उज्ज्वल हो रही थी, तब जाकर इस देश

की जनता ने आपको सही सजा दी। जनता हमें यहां लाई और हम अपना काम कर रहे हैं। आप एक–दो जगह जीत लेंगे तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन खुदा के वास्ते हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है क्योंकि हम आपसे बेहतर वह काम करना जानते हैं और हमने वह करके दिखा दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि किसी सदस्य को।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : माफ कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब भी रूपचंद पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने में सफल रहा हूं। कम्युनिस्ट तथा हमारे अन्य दक्षिणपंथी दल के मित्रों के बीच एक प्रकार की 'मिलीभगत' रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उन सबको एक मंच पर लाया हूं। परन्तु अब मैं, कामरेड श्री रूपचंद पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूं।

सबसे पहले उन्होंने यह पूछा कि सरकार कमी का अनुमान क्यों नहीं लगा सकी? सरकार ने आयात के संबंध में उचित निर्णय क्यों नहीं लिया? यदि श्री रूपचंद जी कभी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और मुझे आशा है कि वे मुझे अपना पेट्रोलियम मंत्री बनाते हैं तो संभवतः हम इस वर्तमान स्थिति को बदल देंगे–जिसमें कमी का अनुमान तथा आयात के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता अपितु 'नवरत्न', 'ओ.एम.सी. द्वारा यह कार्य किया जाता है। यही वह कार्यप्रणाली है जिसका मैं पालन कर रहा हूं, और सरकार का कार्य नवरत्नों के कामकाज पर निगरानी रखने का है, जिन्हें व्यवसायिक निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है।

मुझे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता, पूर्ण स्वायत्तता के सिद्धांत और प्रबंधन के छोटे–छोटे मामलों में भी पेट्रोलियम मंत्री के उत्तरदायित्व के बीच एक निश्चित विरोधाभास दिखाई देता है। यह एक संवैधानिक समस्या है जिसे संयुक्त संसदीय समिति में उठाया गया था जिसमें श्री रूपचंद पाल और मैं, दोनों सदस्य थे, और जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं पूरे सदन से ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं किस प्रकार मेरे अधीन व्यवसायिक कंपनियों को पूर्ण स्वायत्तता देने के साथ ही उनके ऊपर इस प्रकार के प्राधिकार का प्रयोग कर सकता हूं कि वे किस प्रकार से कमी का पूर्वानुमान लगाएं तथा इस प्रकार होने वाली कमी को पहले से ही दूर करने के लिए वे क्या कदम उठाएं?

बहरहाल, मैं इस छोटे से शाब्दिक फर्क के साथ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2004–05 में जो उत्पादन होगा इसकी तुलना में वर्ष 2005–06 में कितना उत्पादन होगा इसकी वस्तुतः सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी।

अपराह्न 3.00 बजे

आरम्भ से ही उन्होंने इस बात का पूर्वानुमान लगाया कि इस वर्ष एलपीजी के उत्पादन में 0.4 मिलियन टन की कमी होने की आशंका है। यह पूर्वानुमान देश में एलपीजी के प्रमुख उत्पादक, जो कि निजी क्षेत्र की एक तेलशोधक कंपनी है, तथा जिसका नाम लेने में श्री आचार्य कुछ हिचकिचाते हैं, से प्राप्त एक सूचना के आधार पर था। मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का उल्लेख कर रहा हूं। एलपीजी के उत्पादन में रिलायंस रिफाइनरी अपवादस्वरूप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इसलिए, पिछले वर्ष से मेरा मतलब है पिछला कलेंडर वर्ष में जब उन्होंने हमें इस बात की सूचना दी कि उन्हें संभवतः अपनी एफसीसी इकाई को बंद करना पड़ेगा, तब इस बात का पूर्वानुमान लगाया गया और कुल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाते समय, उनके द्वारा इकाई को बंद रखने की बताई गई अवधि को ध्यान में रखा गया और अतः, आयात की अपेक्षित मात्रा निर्धारित करते समय, विदेश से आयात के माध्यम से घरेलू उत्पादन में हुई कमी की पूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। तथापि, उस समय आरआईएल रिफाइनरी को बंद रखने के निर्णय को बार–बार स्थगित किए जाने के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका। अंततः, उन्होंने उसे 4 अक्तूबर को बंद कर दिया, और जैसा कि हमें पहले आशा थी, साल के आरंभ में बंद न करके तथा 40–50 दिनों तक बंद रखने की बजाय मेरी नवीनतम जानकारी के अनुसार वास्तव में वह आज तक भी बंद है। परन्तु हमें यह आशा है कि दो दिन की अवधि में पूरी आपूर्ति बहाल हो जाएगी। मुझे ऐसा ही बताया गया है। अतः यहां न केवल वर्ष में इकाई को बंद रखने की अवधि को आगे बढ़ाया गया अपितु, अनुमानित निर्धारित अवधि से अधिक समय तक इकाई को बंद रखा गया। इकाई को बंद करने की पूर्व योजना को स्थगित किए जाने का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि रिफाइनरी को वास्तव में पूजा (त्यौहारों) के सप्ताह में बंद किया गया और दिवाली, ईद और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिवस गुजर जाने के बाद वह आज तक भी बंद है। जब बीजेपी सांसदों ने मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि

[श्री मणि शंकर अय्यर]

क्रिसमिस तक हमारे ईसाई भाइयों को उन्हें आवश्यक एलपीजी उपलबध करा दी जाएगी तो मुझे अत्यधिक प्रशंसा हुई। हम धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना से यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक एलपीजी उपलब्ध हो सके।

परन्तु आरआईएल रिफाइनरी को किसी असामान्य कारणवश बंद नहीं किया गया, वे सिर्फ उसे बंद करना चाहते थे। मुझे याद आ रहा है कि एक माननीय सदस्य, श्री गंगवार, जिन्हें इस मामले का अनुभव है, ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि इस प्रकार इकाइयों के बंद होने में कोई असामान्य बात नहीं है। इसमें कुछ को नियोजित तरीके से तथा कुछ को अनियोजित तरीकों से बंद करने में कोई भी असामान्य बात नहीं है। अतः, ऐसे अनुभवों के आधार पर हमारी ओएमसी को आवश्यकता से संभवतः कुछ अधिक आयात की योजना बनाने की आदत होती है परन्तु इतने बड़े स्तर पर यह आयात कार्य करने की अपनी सीमाएं हैं चूंकि, पत्तनों पर सीमित क्षमता है, भंडारण की सीमित क्षमताएं हैं। अतः भारत में सामान के प्राप्त करने तथा उनका भंडारण करने की उपलब्ध क्षमताएं कुछ हद तक सीमित हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए आयात योजना बनानी पड़ती है। इस मानदंड के अंदर कुछ प्रबंध किए गए हैं। मेरा यह मानना है कि इस स्थिति में जिस बात पर उचित रूप से हिसाब नहीं लगाया गया है वह यह है कि सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरियां तथा कुछ हद तक निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां अप्रैल से मई माह तक और तत्पश्चात् सितम्बर से इतना बुरा प्रदर्शन करेंगी। इसका परिणाम यह है कि अप्रैल से दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान नियोजित उत्पादन की तुलना में उत्पादन में कुल 729 हजार मीट्रिक टन अर्थात् लगभग 7.3 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई है। इसमें से उत्पादन में आधे की कमी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आई कमी के कारण है। वास्तविक आंकड़ा 393 हजार मीट्रिक टन या 3.9 लाख मीट्रिक टन रहा तथा आरआईएल के उत्पादन में 3. 36 लाख मीट्रिक टन की कमी रही है। इसी कमी के कारण बाजार में इसका प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि उत्पन्न कतिपय दिक्कतों का कामरेड आचार्य अगस्त में अंदाता नहीं लगा सकते थे और न ही कार्ल मार्क्स ने हमें अमेरिका में आने वाले हरिकेन केटरिना के बारे में बताया था। इसके कारण 14 तेल शोध कारखाने बंद हो गए। आरआईएल से हमें इस बारे में अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ कि वे अक्तूबर में बंद कर देंगे। यह इसके बावजूद कि हमने उन्हें ऐसा न करने हेतु काफी मिन्नतें की थीं। उन्होंने कहा कि ऐसा तकनीकी कारणों से करना पड़ रहा था। हमें उनसे अगस्त माह में नोटिस मिला। मेरे मित्र कामरेड आचार्य को अच्छी तरह ज्ञात होगा कि हरिकेन केटरिना अमेरिका के दक्षिणी तट पर अगस्त के महीने में ही आया था, कम से कम 14 तेलशोधक कारखाने प्रभावित हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में एलपीजी का उपभोग रसोई गैस के रूप में शायद इतना नहीं होता है जितना कि भारत में। वहां इसके अन्य उपयोग हैं। हमारे पारंपरिक आपूर्तिकर्ता वहां आपूर्ति करने लगे क्योंकि वहां इसकी कीमत, हम जो भुगतान कर सकते थे उससे ज्यादा मिल रही थी। आईओसी द्वारा अनेक निविदाएं आमंत्रित की गईं। परन्तु इस बारे में एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पुनः निविदाएं आमंत्रित की गईं जिसके संबंध में आंशिक सफलता प्राप्त हुई, अक्तूबर से दिसम्बर की इस अवधि के दौरान नियोजित आयात की तुलना में हमने 238 हजार मिलियन मीट्रिक टन आयात करने की योजना बनाई है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 116 टीएमटी प्राप्त हो चुका है। मेरे विचार से नवीनतम आंकड़ा 138 टीएमटी है।

मेरे विचार से यदि मैं एक मंत्री न होकर तेल क्षेत्र में एक उद्योगपति होता तो मैं अधिक तेजी से भंडार में आपूर्ति करता परन्तु तेल विपणन कंपनियों की व्यवसायिक रणनीति है कि यदि संभव हो तो भंडार में करीब एक सप्ताह की आपूर्ति होनी चाहिए। भंडार लगभग एक सप्ताह का ही रह गया है। मैं आंकड़ों से इसे स्पष्ट करता हूं। अप्रैल और दिसम्बर के आरंभ में हमारी तेल विपणन कंपनियों का एलपीजी का प्रारंभिक भंडार 333 हजार मीट्रिक टन अर्थात् 3.3 मिलियन मीट्रिक टन था जो अब 150 तक रह गया है। यह पहले की तुलना में आधा रह गया है। अतः आप समझ सकते हैं कि मैंने किन परिस्थितियों में निर्देश दिए। ऐसा वाणिज्यिक स्वायत्तता के सिद्धांत के बावजूद किया गया कि आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु आयात प्रबंधन और भंडारण प्रबंधन दोनों ही आवश्यक हैं और उद्योग स्तर पर ऐसा करने हेतु सभी तेल कंपनियों के विपणन निदेशकों का एक कार्य दल जो सरकार को लगभग प्रतिदिन स्थिति की जानकारी देते हैं इसके द्वारा इस देश में इसकी वास्तविक कमी को दूर किया जा सका है। मैं समस्त बाजार की तुलना में मैकरो स्तर की बात कर रहा हूं। भारत में आज वास्तविक कमी औसत मासिक उत्पादन का लगभग डेढ़ प्रतिशत है।

यह कमी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में विश्वास के साथ कहा है कि हम तेल की कमी क्रिस्मस से पहले दूर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि तब तक हम इस 1.5 प्रतिशत कमी को दूर कर देंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमने वास्तविक कमी को दशहरा तक काफी हद तक दूर कर दिया था जैसा कि मैंने वायदा किया था। इसके लिए हमने दिल्ली और

आस–पास के अपने सभी संयंत्रों में उत्पादन 9 अक्तूबर, रविवार को भी जारी रखा था। देश भर में कमी काफी हद तक दूर कर दी गई थी जिससे उत्साहित होकर मैंने देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के लिए बहुत शुभ दीवाली की कामना की थी। क्योंकि वास्तविक कमी को कुछ हद तक दूर करने में हमने एक बड़े स्तर पर सफलता पा ली थी। भिन्न–भिन्न स्थानों में कार्य कर रहे कई हजार एलपीजी वितरकों को देखते हुए यह संभव है कि किसी स्थान विशेष में थोड़ी ज्यादा कमी हो सकती है। स्पष्ट है कि जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी मैं स्थिति में सुधार नहीं कर सकता हूं। हमें शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा जिससे कि तेल विपणन कंपनियों को जानकारी मिल सकेगी। मैंने 'जन केरोसिनि परियोजना' के तहत स्थानीय पंचायत निकायों के साथ मिलकर ऐसा किया था। परन्तु मैं सभा के सभी वर्गों को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वितरक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है परन्तु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कामरेड रूपचन्द पाल और अन्य सदस्यों, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी चर्चा में भाग लिया था, को मैं बताना चाहता हूं कि घरेलू उपयोग हेतु एलपीजी के नियंत्रित मूल्यों और वाणिज्यिक उपयोग हेतु एलपीजी के मूल्यों में भारी अंतर के कारण विपणन को मिलने वाले प्रोत्साहन से हमारी समस्या और भी बढ़ जाती है।

महोदय, मेरे विचार से इस सभा को यह जानना और इस पर विचार करना चाहिए कि अक्तूबर, 2005 के महीने में घरेलू उपयोग हेतु दिए गए प्रत्येक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर न कि डबल बोट्ल कनेक्शन पर 198 रुपये की राजसहायता दी गई थी। मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्रैल से अक्तूबर का औसत आंकड़ा 147 रुपये था। भारत प्रगति पर है। आय बढ़ रही है। श्रीमती मुकेश अंबानी हो या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सभी को घरेलू एलपीजी पर समान राजसहायता दी जा रही है। इन परिस्थितियों में मैंने सुझाव दिया कि घरेलू व्यय में आंशिक कमी आई है ऐसा मैंने महिलाओं के संबंध में पूछे जाने के संदर्भ में कहा था। मैंने संभावना का उल्लेख किया था। मैंने उस समय शीघ्र गणना की शायद साड़ी की कीमत 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये प्रति वर्ष होगी। परन्तु यदि कोई सज्जन मेरे से पूछता तो मैं कहता, आप पैंट क्यों खरीदते हैं? आपको धोती पहननी चाहिए क्योंकि यह कम महंगी है। सीधी सी बात यह है कि हमें अपने आपसे पूछना है; क्या रसोई गैस के इस्तेमाल हेतु सभी को हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह ऐसे समय में तर्कसंगत है, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और रसोई गैस एक मात्र ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद है जिसे हम भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं? एलपीजी के घरेलू इस्तेमाल का करीब एक–चौथाई हम आयात करते हैं।

मैं अपने ही प्रश्न का आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं महज मजाक के रूप में यह प्रश्न पूछ रहा हूं। पिछले सत्र में जब कामरेड आचार्य ने इस मामले को सभा में उठाया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनकी पार्टी आम लोगों की है, या पूंजीपतियों की क्योंकि रासेई गैस के ज्यादातर उपभोक्ता पूंजीपति वर्ग से हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह सच नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने पूरी बात नहीं कही।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : इस संबंध में तथ्य यह है कि उपभोक्ता चाहे सर्वोच्च आय वर्ग का हो या सबसे कम आय समूह का, सभी हेतु घरेलू रसोई गैस की कीमत एक ही है। मुझसे इसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन परिस्थितियों में एलपीजी के अत्यंत उपयोग को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रोत्साहन नहीं है। ऐसे इस्तेमाल का मैं समर्थन नहीं करता। नैतिक आधार पर मेरा मानना है कि यह पूरी तरह गलत है कि ढाबा, रेस्तरां चलाने वाला कोई घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करे। मेरा मानना है कि जिसकी मोटरकार या ऑटो रिक्शा में समुचित तरीके से एलपीजी सिलेंडर फिट न हो यदि वह अपने वाहन में एलपीजी सिलेंडर लगाता है तो यह न केवल अनैतिक अपितु खतरनाक भी है। इससे उस वाहन में यात्रा करने वालों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे वाहनों की पहचान करना और उसे रोकना किसका काम है?

जहां तक निरीक्षण का प्रश्न है, और मैं यह बयान हाल में ही मंजुनाथ की हत्या के संदर्भ में दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि सभा मुझे बधाई देगी हालांकि मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि ऐसा होगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : यह एलपीजी की आपूर्ति पर निर्भर है।

श्री मणिशंकर अय्यर : अजय भाई क्या आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। अप्रैल से अक्तूबर, 2002 के दौरान मेरे लोगों अर्थात् तेल कंपनियों के निरीक्षकों को 4470 एलपीजी सिलेंडरों के अन्यत्र इस्तेमाल की जानकारी मिली। अप्रैल से अक्तूबर, 2005 के बीच हमें 53,687 सिलेंडरों के अन्यत्र इस्तेमाल का पता चला। कृपया हमें यह न बताएं कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमने अपना काम किया है लेकिन वह खेप कई निरीक्षणों में शामिल नहीं थी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

अन्यत्र इस्तेमाल व्यापक स्तर पर नहीं हुआ क्योंकि घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडरों की कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे निरीक्षणों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हमने निरीक्षणों की संख्या बढ़ाकर 18,000 कर दी है। 163 से बढ़कर अप्रैल–अक्तूबर 2004 के बीच पाई गई अनियमितताओं की संख्या अब 508 हो गई है। हमारी जानकारी में आए अन्यत्र इस्तेमाल के मामले 122 से दोगुना बढ़कर 271 हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जानकारी में आए अन्यत्र इस्तेमाल के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। अन्यत्र इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडरों की संख्या लगभग 12 गुणा हो गई है। अतः हम जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की गई है।

श्री मणि शंकर अय्यर : जहां तक हमारा संबंध है, वितरकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के उपबंध लागू करना शामिल है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण वह कार्रवाई है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने की आवश्यकता है और यह कहते हुए मैं पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) सरकार या केरल में कांग्रेस सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सभी राज्य सरकारों का उल्लेख कर रहा हूं। हमने एलपीजी को आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा के अंतर्गत रखा है और यदि कोई घरेलू प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसे सात वर्षों तक का कारावास हो सकता है।

लेकिन मैं लोगों को जेल में नहीं डाल सकता। मैं किसी राज्य में किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करा सकता। कानून और वयवस्था, राज्य का उत्तरदायित्व है और हमने सिलेंडरों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों को अपनी कार्रवाई बढ़ाने हेतु बार–बार कहा है। अतः हमें इस संबंध में ताली बजाने हेतु दो हाथों की आवश्यकता है–पहली समस्या वितरकों द्वारा घरेलू उपयोग के सिलेंडरों को व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु बेचने की है। लेकिन जब तक आप किसी को व्यवसायिक रूप से या अनधिकृत प्रयोजनों हेतु इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं पाते यह कठिन है।*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सजा की बात कह रहे हैं, लेकिन जितने भी गैस के डीलर्स हैं जो सिलेंडर्स दे रहे हैं होटल वालों को, मिठाई वालों को या अन्य स्टेबलिशमेंट को, वहां एक भी छापा नहीं पड़ा है, एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। अगर पकड़ा गया है, तो बताइए?

श्री मणि शंकर अय्यर : माननीय मानवेन्द्र सिंह जी, होटल वालों, ढाबे वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। यह हमारे अधिकार–क्षेत्र में नहीं आता है, यह राज्य सरकारों का काम है। हम भी जो निरीक्षण करने के लिए रेड करते हैं, उसे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि मार्किटिंग डिसिप्लिन गाइड–लाइन्स में जो नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। हम जो कार्रवाई करते हैं, उसमें खतरा बहुत रहता है और खतरे से हमें बचाने के लिए राज्य सरकारें हमारा साथ दें और हमारे इंस्पेक्टरों के साथ सुरक्षा–बल उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। जिस प्रकार का वाकया अभी हाल में हुआ, माननीय गंगवार जी के क्षेत्र के नजदीक हुआ, तो ऐसी जगहों पर बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकारों की तरफ से सुरक्षा–बल उपलब्ध कराए जाएं। हमने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कहा है कि थोड़ी–बहुत उनकी तरफ से भी हमें मदद मिले तो अच्छा होगा। लेकिन जिस बिंदु पर बहुत जोर लगाया गया है वह यह है कि हमारी राज्य सरकारों को इस बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए और अगर वे ज्यादा ध्यान दें तभी संभव है कि थोड़ा बहुत हम इस डायवर्सन को कम कर पाएं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले वितरकों के विरुद्ध तेल कंपनियां क्या कार्रवाई कर रही हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं इस दोपहर चौथी बार स्पष्ट कर दूं कि तेल कंपनियां, वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते और विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के उपबंधों, जिन्हें हम हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर समय–समय पर संशोधित करते हैं, के अनुसार करती हैं।

कठोर होते जा रहे विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों पर तेल क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा काफी प्रतिरोध किया जाता है। हम अपना सर्वोत्कृष्ट करते हैं लेकिन जो हम करते हैं, वह समुद्र में एक बूंद के बराबर होगा। इस संबंध में राज्य सरकारों को अपने काम में काफी सुधार लाना होगा या फिर अन्यथा घरेलू एलपीजी मूल्यों और व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाले एलपीजी मूल्यों के बीच बढ़ रहे अन्तर को समाप्त करना होगा।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या सरकार वितरकों को दिए गए लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकती?

श्री मणि शंकर अय्यर : विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत इस संबंध में कुछ प्रावधान हैं और हम कुछ वितरकों के वितरण अधिकार रद्द कर सकते हैं।

महोदय, श्री सुधांशु सील ने मुझसे पूछा है कि सिलेंडरों का भार कम क्यों हो गया है। यहां फिर राज्य सरकारों के माप और तौल विभाग की भूमिका आ जाती है और चूंकि सील, पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने सितम्बर के अंत में कुछ छापे मारे थे जिसके कारण 29 सितम्बर को रसोई गैस भराई संयंत्रों में हड़ताल हुई।

अतः यह सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है कि माप और तौल का पालन हो और हम अपनी ओर से जो कुछ संभव हो करने की कोशिश कर रहे हैं।

हम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रंग व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यदि घरेलू एलपीजी रंग वाले सिलेंडर का इस्तेमाल व्यवसायिक प्रतिष्ठान में होता है तो पहचान आसानी से की जा सकेगी। और साथ ही सिलेंडरों के रंग बदलने में आने वाली लागत भी बहुत अधिक नहीं है। अतः हम इस पहलू पर ध्यानपूर्वक गौर कर रहे हैं कि क्या इस संबंध में प्रशासिनक उपाय संभव हैं। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि जब तक आर्थिक ताकतें इस अन्यत्र उपयोग को बढ़ावा देती हैं प्रभावी और पूरी तरह से यह रोक पाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा।

[हिन्दी]

अभी योगी जी ने पता नहीं क्यों कहा था कि राधा और कृष्ण की आवाज को आप बंद करें। साथ ही योगी जी ने बीच में यह भी कहा कि वे जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो सब्सिडी दी जा रही है, वह तेल कंपनियों पर क्यों थोपी जा रही है? इसका जवाब यह है कि जब आप इधर बैठते थे और मैं उधर बैठता था, तब आपने यह दुर्व्यवहार शुरू किया था, वह लगातार बढ़ता गया है, क्योंकि सब्सिडी का जो बोझ है वह हमारी तेल कंपनियों पर लगाने की देन माननीय श्री रामनाइक जी की है, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाने के लिए दरवाजा खोला और जिसके जरिए बोझ बढ़ता जा रहा है। यह बोझ क्यों बढ़ रहा है? मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहता हूं।

श्री संतोष गंगवार : आप असत्य बोल रहे हैं। आपकी जानकारी पुरानी है कि किस ढंग से प्रक्रिया चल रही है? हम आपसे वास्तविक जवाब चाहते हैं कि समस्या का हल कैसे होगा? अगर आप चाहें तो सदन में चर्चा करा लीजिए। हमें आपका आधा घंटा लंबा भाषण नहीं सुनना है। हम जानना चाहते हैं कि इस समस्या को आप किस दिन हल करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर : अगर आपको भाषण नहीं सुनना है, तो मेरे ख्याल से कॉफी और चाय बाहर उपलब्ध है। यह बहस मेरे और आपके बीच की नहीं है। यह बहस मेरे और उन माननीय सदस्यों के बीच है, जिन्होंने ये विषय उठाए हैं और मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरी जानकारी दूं कि आप के जमाने में जब आप दो शब्द कहकर भाग जाते थे, वह दौर खत्म हो गया है और नया दौर शुरू हो गया है...*(व्यवधान)* मैं कह रहा था कि जो सब्सिडी दी जा रही है और जब पिछली बार हमने पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े–बहुत बढ़ाए, उस समय मैंने कहा था कि जो बोझ बढ़ा है, उसका 51 प्रतिशत भार तेल कंपनियों के कंधों पर आ रहा है, 36 प्रतिशत सरकार पर और मात्र 13 प्रतिशत बोझ हम उपभोक्ताओं पर थोप रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह फाइनेंसियल बजट पर आए, तो आप जरूर कहिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे इस देश में विकास के लिए जो धन है, वह बहुत कम हो जाएगा। मैंने आचार्य जी के डॉयवर्जन और एक्सप्रेशंस के संबंध में कह दिया है और मूवीज के संबंध में राधाकृष्णन जी को बता दिया है, जो आमतौर पर सवाल करके उठकर चले जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : आपने आर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने आर्डर दिया था कि नया कनेक्शन नहीं देंगे, उसकी वजह से पब्लिक सैक्टर को जो लॉस हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे, मेरे पास अभी बहुत बिजनेस शेष है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि आप का कहना है, तो मैं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

प्रो. महोदवराव शिवनकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक दिसंबर से नए कनेक्शन मिलेंगे? यह स्थिति कितने दिनों में सुधरेगी?

मंत्री जी साफ–साफ बताएं कि स्थिति कितने दिनों में सुधरेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से और मेरे मंत्रालय की तरफ से कभी भी कोई ऐसा निर्देश नहीं निकाला गया कि नए कनेक्शन नहीं दिए जाएं।...*(व्यवधान)* मेरी बात सुन लो। जरा सब्र करो। आप स्वामी जी हैं। हमें आपसे सब्र करना सीखना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं यह पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कोई भी अनुदेय अथवा निदेश नहीं दिए गए। तथ्य यह है कि जब सितम्बर के माह से अत्यधिक कमी होनी शुरू हो गई तथा जब तेल कंपनियों के लिए मौजूदा ग्राहकों की मांग को पूरा करना संभव न रहा, यह उनके लिए उचित था कि अतिरिक्त कनेक्शन देकर अपनी समस्या में इजाफा न करें...*(व्यवधान)*। श्री संतोष गंगवार द्वारा बाधा डालने पर मुझे आपत्ति है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : जब हम यहां बैठते थे तो हम इस तरह टोकते नहीं थे।...*(व्यवधान)* आप बाहर जाइए और चाय–कॉफी पीजिए।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 3.27 बजे

(तत्पश्चात् योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : वे सदस्यगण जिन्होंने यहां बैठना स्वीकार किया, मैं उनको यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि रा.ज.ग. शासन काल की अंतिम तिमाही में, एलपीजी कनेक्शनों का इतना दुरुपयोग हुआ कि एक ही तिमाही में उपयोग वृद्धि की दर 18.8 प्रतिशता बढ़ गई। मैं यह नहीं मान सकता कि इसका भा.ज.पा. के संबंधों से तथा उनसे जो इसका अन्यत्र उपयोग कर रहे थे, कोई लेना–देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ऐसे घरेलू उपयोग के अलावा अन्यत्र उपयोग के अनेक मामले पता लगाए हैं, हमने अपनी तेल विपणन कंपिनयों के वितरकों की ग्राहकों की संख्या का पता लगाने पर बल दिया। इसके अनुरूप, हम किसी भी वितरक को उसके ग्राहकों की संख्या के अनुरूप उपलब्ध कराई जाने वाली गैस को सीमाबद्ध करने में सक्षम हुए हैं।

नए कनेक्शन के संबंध में, चूंकि स्थिति में सुधार हुआ है तथा इस मुद्दे को परामर्शदात्री समिति में उपस्थित माननीय सदस्यों की अनुमति से परामर्शदात्री समिति में भी उठाया गया, मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने ओएमसी को एक दिसम्बर से नए कनेक्शन देने का निदेश दिया। वे तुरंत मेरे अनुरोध से सहमत हो गए। परिचालित किए गए वक्तव्य में ऐसा ही बताया गया है...*(व्यवधान)* कृपया बैकलॉग को समाप्त होने देने के लिए कुछ समय दें। मैं कहना चाहता हूं कि एक जनवरी से यदि यह पाया जाता है कि वितरक नए कनेक्शन नहीं देता है तो मुझे सूचना दें अथवा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित करें। हम इसके निपटान का प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)* कृपया बाजार में इस प्रकार की अफवाहें न फैलाएं।

अपराह्न 3.29 बजे

[अनुवाद]

(दो) देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 पर विचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य को सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.) के कारण होने वाला मस्तिष्क ज्वर एक वायरस से होता है और यह मच्छरों के जरिए संचारित होता है। जापानी एन्सेफलाइटिस के मुख्य रिजर्वायर सूअर और जल पक्षी हैं और अपने प्राकृतिक चक्र में इन जानवरों में वायरस होता है। मनुष्य इसका आकस्मिक परपोषी (होस्ट) है और जापानी एन्सेफलाइटिस संचरण में भूमिका नहीं निभाता है। इसके प्रकोप वहां फैलते हैं जहां इन जानवरों और मानवों के बीच निकट से अंतःक्रिया होती है। जापानी एन्सेफलाइटिस के वेक्टर बड़े–बड़े जल निकायों जैसे धान के खेतों में पनपते हैं। ये मच्छर घरों के बाहर रहते हैं और इसलिए घरों के अन्दर अवशिष्ट छिड़काव जैसे वेक्टर नियंत्रण उपाय बहुत प्रभावकारी नहीं हैं।

जबकि इस रोग का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, शुरू में संलाक्षणिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जापानी एन्सेफलाइटिस और अन्य वायरस एन्सेफलाइटिस के मामले में अत्यधिक बीमार बच्चों का प्रबंधन मौत के जोखिम और अन्य जटिलताओं को कम से कम करने के लिए निदेशित किया जाता है। तथापि, इस रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न जन–स्वास्थ्य उपाय जैसे मच्छरों का नियंत्रण, मच्छरदानी का इस्तेमाल करके मच्छरों के काटने से बचाव, बचाव वाले वस्त्र पहनना और जापानी एन्सेफलाइटिस के सूअर–जानवर रिजर्वायर को मानव निवास स्थान से दूर रखने की हिमायत की जाती है। मरे हुए चूहे के मस्तिष्क से जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन का केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सीमित मात्रा में विनिर्माण किया जा रहा है और उसकी आपूर्ति राज्य निधियों का इस्तेमाल करके राज्यों को सीधे की जाती है। भारत सरकार जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीनों का विनिर्माण करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली को सुदृढ़ कर रही है। वैक्सीन की तीन खुराकें कुछ वर्षों के लिए प्रतिरक्षण प्रदान करती हैं और प्रत्येक 3 वर्ष में पुनरावृत्त बूस्टर खुराकें अपेक्षित होती हैं। टीकाकरण की एक प्रकोप नियंत्रण उपाय के रूप में सिफारिश नहीं की जाती है।

जापानी एन्सेफलाइटिस मौसमी समस्या के साथ आवर्ती रुझान वाला एक प्रकोप–प्रवण वाइरल संक्रमण है। इससे अधिकांशतः 15 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे ग्रस्त होते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान 17.11.2005 तक देश के 9 राज्यों से संदिग्ध जापानी एन्सेफलाइटिस के 6314 रोगियों तथा 1539 मौतों की सूचना मिली है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार संदिग्ध जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की राज्यवार संख्या अनुबंध–I में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा जा रहा है। इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जापानी एन्सेफलाइटिस का प्रकोप होने की सूचना मिली है। 29 जुलाई, 2005 से 1387 मौतों के साथ इस रोग के कुल 5842 मामले (17.11.2005 तक) सूचित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में संदिग्ध जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की जिलावार संख्या अनुबंध–II में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा जा रहा है।

जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम तथा इसकी किसी भी घटना को रोकने के लिए उन्नत कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क रखते हुए स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जा रही है तथा साथ–साथ समीक्षा बैठकें, क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय की भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान तथा निगरानी और अधीक्षण कार्य के लिए फील्ड दौरों का आयोजन भी किया जा रहा है। जापानी एन्सेफलाइटिस की घटना की जांच और उस पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों की जरूरत के आधार पर सहायता तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि इस महामारी से ग्रस्त जिलों में औषधों, उपकरणों और अन्य सहायक सामग्रियों के साथ–साथ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सा, नर्सिंग और पराचिकित्सा कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम तैयारी रखी जाए। नियंत्रण से जुड़ी नीति में शामिल है–निगरानी क्रियाकलाप तथा एकीकृत वेक्टर नियंत्रण, क्षमता निर्माण और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा सम्प्रेषण।

उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एनवीबीडीसीपी द्वारा निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :

– वर्ष 2004 के दौरान उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों के लिए पांच प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है ताकि क्षेत्र विशेष के डाक्टरों की रोगी प्रबंधन और जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े कौशल में सुधार लाया जा सके।

– एनवीबीडीसीपी निदेशालय के दल ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों अर्थात् मुज्जफरनगर और सहारनपुर का अप्रैल, 2005 में दौरा किया था। जापानी एन्सेफलाइटिस

*सभा पटल पर रखा और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2904/2005

[डा. अंबुमणि रामदास]

वेक्टर का उच्च घनत्व पाया गया था जिसकी सूचना नियंत्रण से जुड़े आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य को दे दी गई थी।

– एनवीबीडीसीपी निदेशालय के दल ने जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए जून, 2005 में गोरखपुर का दौरा भी किया था।

– जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण की वर्तमान कार्यनीति की समीक्षा के लिए एनवीबीडीसीपी, दिल्ली में 1 जून, 2005 को राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

– एन्सेफलाइटिस की घटना के आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण नीति की समीक्षा के लिए तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी कार्यनीति को अंतिम रूप देने के लिए सहारनपुर में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

– संचरण ऋतु से पहले राज्यों को जे.ई. की रोकथाम तथा नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश और सलाह भी दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस के वर्तमान प्रकोप की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :

– एक केन्द्रीय दल ने गोरखपुर का दौरा किया जिसमें निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं अपर महानिदेशक तथा निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान सहित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डी.जी.एच.एस.) भारत सरकार के नेतृत्व में नैदानिक तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे। वे जापानी एन्सेफलाइटिस प्रकोप की रोकथाम संबंधी विभिन्न उपचारात्मक उपायों के संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिले तथा उनके साथ विचार–विमर्श किया।

– गोरखपुर प्रभाग के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्रुत अनुक्रिया दलों ने दौरा किया है और उन्होंने रोकथाम संबंधी उपाय करने में राज्य की सहायता की है।

– भारत सरकार के विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल ने जापानी एन्सेफलाइटिस प्रकोप के समयपूर्वक प्रबंधन में राज्य सरकार तथा जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए गोरखपुर प्रभाग तथा सहारनपुर के प्रभावित जिलों का भी दौरा किया।

मैंने सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) के साथ जापानी एन्सेफलाइटिस की स्थिति का जायजा लेने के लिए 1 सितम्बर, 2005 को गोरखपुर जिले का दौरा किया तथा प्राधिकारियों को इस महामारी को रोकने के लिए जन–स्वास्थ्य से जुड़े उपायों में सक्रियता लाने का निर्देश दिया। मैंने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि जापानी एन्सेफलाइटिस की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

भारत सरकार ने जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रकोप की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सहायता दी है :

– जापानी एन्सेफलाइटिस के उपचार हेतु अनिवार्य दवाइयां तथा उपभोज्य।

– चिकित्सीय उपस्कर अर्थात् वेंटीलेटर और इलिसा (ईएलआईएसए) रीडर।

– जापानी एन्सेफलाइटिस डायग्नोस्टिक किटें।

– निजी बचाव के लिए मच्छरदानियां।

– प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशियों पर धूमन (फागिंग) के लिए हाथ में पकड़े जाने वाली धूम (फागिंग) मशीनें और मैलाथियान (तकनीकी)।

– मच्छरदानियों के संसेचन (इंप्रेगनेशन) के लिए सिंथेटिक पाइरेथ्राइड कीटनाशी लिक्विड।

– मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए फेंथियान और टेमेफास लार्वानाशी।

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई आपूर्तियों का ब्यौरा अनुबंध–III में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रखा जा रहा है।

– संक्रमण के फैलाव की रोकथाम तथा शीघ्र रोगी उपचार

के लिए समीपस्थ रेफरल केन्द्र/अस्पताल में रोगी को ले जाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा शुरू की गई है।

— एनआईसीडी, 22, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली पर एक 24 घंटे खुलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कीटविज्ञानी तथा सूक्ष्मजीवविज्ञानी तैनात होते हैं। एनआईसीडी स्थित नियंत्रण कक्ष का संपर्क राज्य/जिला अधिकारियों के साथ होता है तथा यह संपर्क डीजीएचएस को दैनिक रिपोर्ट तथा राज्य का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करने तथा सहायता प्रदान करने के संबंध में होता है।

— प्रभावित जिलों को संभारतंत्रीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए एलएनएम रेलवे अस्पताल काम्पलेक्स, गोरखुपर में स्थापित क्षेत्रीय निदेशक आरएचओ एवं एफडब्ल्यू के गोरखपुर उप–कार्यालय में निगरानी एकक स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 12 अगस्त को इसी सदन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ–साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछले 28 वर्षों से जापानी एन्सेफलाइटिस की भयंकर त्रासदी की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने उस समय भी कहा था कि पिछले 28 वर्षों में संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश की त्रासदी के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी अनदेखी विभिन्न सरकारों द्वारा की गई है। जहां विभिन्न देशों में जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी है वहां पर्याप्त जागरूकता, टीकाकरण और बचाव के अन्य सघन प्रयासों के माध्यम से लगभग इस पर नियंत्रण किया जा चुका है। पिछले 28 वर्षों से अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस हजार से अधिक मासूम बच्चे जापानी एन्सेफलाइटिस से मरे हैं। लगभग पांच हजार से अधिक बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हुए हैं। इस बार यह बीमारी पिछले 28 वर्षों से अधिक भयंकरतम त्रासदी के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में फैली थी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि वॉयरस जनित, जो पांच प्रमुख बीमारियां हैं, उनके लिए सौ प्रतिशत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार सहयोग प्रदान करेगी। यहां पर प्रश्न उठाने के बाद माननीय मंत्री ने अपनी ओर से कुछ प्रयास किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि एक सितंबर को बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखों से मरते हुए बच्चों को देखा है। लेकिन इस वर्ष मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 जुलाई के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन हजार से अधिक मासूम बच्चे की मौत जापानी एन्सेफलाइटिस के कारण हुई है। लेकिन इन सबके बावजूद जो जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सचमुच में चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा जापानी एन्सेफलाइटिस के संबंध में कुछ सामग्री दी गई है और विभिन्न दवाइयां भारत सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने वेन्टीलेटर देने की बात कही कि बीस वेन्टीलेटर दिए गए हैं। जापानी एन्सेफलाइटिस से प्रभावित सबसे जयादा मरीज बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे लेकिन मात्र सात वेन्टीलेटर बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं।

माननीय मंत्री जी ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि दवाओं की व्यवस्था वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश सरकार करती आई है। छिड़काव के लिए फॉगिंग मशीन दिलाने के लिए कहा गया था ताकि यू.एल.बी. का छिड़काव भी प्रभावित क्षेत्रों में हो। क्यूलेक्स मच्छर का लार्वा समाप्त होना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा यह बीमारी फैलती है। इस दृष्टि से लार्वा को मारने के लिए छिड़काव के लिए फॉगिंग मशीनें दी गई थीं और यू.एल.बी. के लिए मिथालियन आदि दवा दी गई थी, इस तरह के छिड़काव की व्यवस्था उन क्षेत्रों में नहीं हुई। वहां न तो कहीं कोई छिड़काव हुआ, न कहीं फॉगिंग हुई और न ही कहीं वैक्सीनेशन हुआ। माननीय मंत्री द्वारा जो सूची यहां उपलब्ध कराई गई है उससे ऐसा लगता है कि या तो माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं या फिर जिन एजेंसियों को सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उन्होंने ईमानदारी से पहल नहीं की।

मैं एक और बात माननीय मंत्री जी और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो मेडिकेटिड मच्छरदानियां उपलब्ध करवाने की बात कही थी, वे मच्छरदानियां मेडिकेटिड नहीं थीं। यह जांच में पाया गया कि वे मेडिकेटिड नहीं थीं। यहां पर भारत सरकार ने जिन एजेंसियों के माध्यम से मच्छरदानियां ली थीं, मच्छरों को मारने की दृष्टि से मेडिकेटिड थीं और वे प्रभावित परिवारों को देने की दृष्टि से दी गई थीं।

आखिरकार उसमें घोटाला कहां से हुआ और जिन लोगों को ठेका दिया गया था, उन लोगों ने सरकार के साथ इस प्रकार का फ्रॉड किस रूप में किया है, और इसके लिए कौन दोषी है, मैं यह सब जानना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण उपायों की पहल होनी चाहिए थी। इस बार इस बीमारी में एक नये प्रकार का ब्रायरस पैदा हुआ है। यह बीमारी जल जनित गन्दे पानी में फैल रहा है और इसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप दिखाया है। इस नये वायरस के कारण सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। इस नये वायरस के

[श्री]

मरीज गोरखपुर के मेडिकल कालेज और जिला चिकित्सालयों में भर्ती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जब मैंने इस मुद्दे को यहां उठाया था तो बताया गया था कि कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उनमें इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए सघन टीकाकरण और जो अन्य उपाय हो सकते हैं, उनमें साफ–सफाई रखना, लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करना और प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करके जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में जापानी एन्सेफलाइटिस मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। माननीय मंत्री जी ने पिदली बार भी सदन में कहा था लेकिन आज बार–बार एक बात के लिए निरंतर संशय बना हुआ है कि वास्तव में यूएलबी का छिड़काव राज्य सरकार या केन्द्र सरकार करेगी? इस जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी के लिए जो वैक्सीन आता है, उसकी कीमत 1500 रुपये है। चूंकि यह बीमारी गरीब तबके के लोगों में ज्यादा है, वे इस दवा का भार वहन नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टि से यह वैक्सीन राज्य सरकार या केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी? इस बार जो निशुल्क दवा की व्यवस्था हुई है, वह राज्य सरकार या केन्द सरकार करेगी? इसके अलावा जो बच्चे विकलांग हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र या राज्य सरकार क्या पहल करने जा रही है क्योंकि पिछले 28 वर्षों से हजारों की संख्या में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हुए लोगों के पुनर्वास के बारे में केन्द्र या राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी आग्रह करूंगा कि वह इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करें। देश के 15 राज्यों में यह बीमारी प्रति वर्ष आती है जिससे हजारों बच्चे समय से पहले काल के गाल में सुला दिए जाते हैं।

अपराह्न 3.43 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

सभापति जी, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों में यह बीमारी होती है और पिछले 28 वर्षों में कोई भी प्रयास न राज्य सरकार ने किए और न केन्द्र सरकार द्वारा ही किए गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जापानी एन्सेफलाइटिस से बचाव के लिए यूएलबी छिड़काव के लिए योग्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने क्या व्यवस्था की है? गोरखपुर तथा अन्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम के लिए वायरोलौजी लेबोरेटरी की स्थापना के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या राज्य सरकार ने जापानी एन्सेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैक्सीन की मांग की है, यदि हां तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कितने वैक्सीन की मांग की है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितने वैक्सीन अब तक उपलब्ध कराए हैं? जापानी एन्सेफलाइटिस से पीड़ित बच्चों या परिवारों के लिए निशुल्क उपचार की सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है और इस रोग से पीड़ित विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

इसका अगला प्वाइंट यह है कि यहां पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि टीका निर्माण की भारत के पास जो तकनीक है, वह पुरानी तकनीक है। कसौली में जो टीके बनते हैं, वे माउस कल्चर से बनते हैं। भारत सरकार यहां पर टिश्यु कल्चर से टीके बनाने की तकनीक लाएगी और लार्ज स्केल पर टीके बनाकर पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर प्रभावित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करवाएगी। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि टिश्यु कल्चर या अधिक से अधिक संख्या में वहां की मांग के अनुरूप टीकाकरण करने के लिए भारत सरकार ने क्या व्यवस्था की है? क्या सरकार ने किसी नई तकनीक को अपनाया है या नहीं अपनाया है? कृपया मंत्री जी इन सब प्वाइंट्स का जवाब अपने उत्तर में दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, साथी योगी आदित्यनाथ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक खतरनाक बीमारी मस्तिष्क ज्वर के बारे में बड़े ही विस्तार से सदन को अवगत कराया है। इसके पूर्व पिछले सत्र में भी मस्तिष्क ज्वर पर चर्चा हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे साथी योगी आदित्यनाथ जी ने केवल अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से संबंधित बात यहां उठाई है। लेकिन इस बीमारी का जबरदस्त प्रकोप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लेकर गोरखपुर और बिहार के बॉर्डर तक रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि असम के भी कुछ हिस्सों में यह बीमारी फैली थी। सम्मानित सदस्यों की चिंता तथा इससे संबंधित सारी बातें प्रश्नों के माध्यम से सदन में आती रही हैं और उन पर माननीय मंत्री जी के वक्तव्य भी आते रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कारगर कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार से जितना हो सका, उसने किया।

सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि जब कभी भी बीमारी की सूचना मिलती थी तो जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर को हम लोग सूचित करते थे और वह पूरी टीम भेजते थे। लेकिन सही मायनों में मेडिकेटिड मच्छरदानी, दवाओं का छिड़काव आदि जरूरी चीजों की जो जरूरत थी, वे उनके पास उपलब्ध नहीं थीं। जो मामूली दवाई

डी.डी.टी. वगैरह थी, उसका छिड़काव करके या सफाई वगैरह करके वे कुछ काम करते थे या पानी के अंदर क्लोरीन की कुछ मात्रा डालकर खानापूर्ति करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की थी, चूंकि विदेश से आने वाली दवाइयां या इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो जरूरी दवाएं थीं, जब तक केन्द्र उसके लिए परमीशन नहीं देता, प्रदेश उन्हें डायरेक्ट नहीं मंगा सकता।

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप स्पष्टीकरण पूछिए कि सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं उन्हीं पर आ रहा हूं। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? यह बीमारी उस क्षेत्र में बहुत दिनों से लगातार चल रही है। कृपया इस बारे में सदन को अवगत कराया जाए कि केन्द्र सरकार ने इस पर कोई कारगर कदम अब तक क्यों नहीं उठाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं डा. रामचन्द्र डोम को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसमें केन्द्र सरकार की क्या लाचारी है, क्या दिक्कत है। माननीय मंत्री जी इसकी रोकथाम के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? कृपया मंत्री जी अपने उत्तर में इन सारे बिन्दुओं का जवाब दें।

सभापति महोदय : आपकी बात आ गई है, फिर आप रिपीट क्यों कर रहे हैं?

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे आदरणीय मित्र, योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। यह एक वैक्टर–जनित घातक वायरल रोग है। इस वर्ष, जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.), डेंगू आदि देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर फैल गए हैं।

कहीं यह एक महामारी के रूप में फैल गई, कहीं–कहीं यह एक स्थानिक बीमारी के रूप में फैल गई है। परन्तु यह दुःखद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी घातक बीमारी के फैलने से सैकड़ों मानव जीवन समाप्त हो चुके हैं।

सभापति महोदय : डा. डोम, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

महोदय, यह अत्यंत ही दुखद है कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के संक्रामक रोग फैल रहे हैं तथा हमारे देश के गरीब तथा अत्यंत गरीब लोगों की जान ले रहे हैं। मुख्य रूप से इन बीमारियों के शिकार बच्चे ही होते हैं। यह एक चिंता का विषय है।

अब, मैं मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय का इस वर्ष इस देश के विभिन्न भागों में जापानी एन्सेफलाइटिस, डेंगू आदि वैक्टर जनित रोगों के बड़े पैमाने पर फैलने की पूर्व सचना थी; क्या सरकार वैक्टर नियंत्रण के कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से चलाने में असफल हुई है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई तथा इन बीमारियों के कारण बड़े पैमाने पर हुई जन जीवन की क्षति के क्या कारण हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के सटीक किस्म का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई अध्ययन कराया है तथा क्या भविष्य में हमारे देश में जापानी एन्सेफलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उपयुक्त वैक्सीन के देशी रूप का विकास किया है। देश में निकट भविष्य में जापानी एन्सेफलाइटिस, डेंगू आदि वैक्टर–जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या अन्य उपाय कर रही है?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने विस्तार से मस्तिष्क ज्वर के संबंध में अपनी बात रखी और पहले भी प्रश्नों के दौरान माननीय मंत्री जी इस पर काफी विस्तार से जानकारी देते रहे हैं। मंत्री जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के एनेक्सर–2 से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में यह बीमारी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। 2005 में यह बीमारी कई गुना बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिले इससे प्रभावित हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि

[अनुवाद]

"जबकि इस बीमारी के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है इसलिए केवल निरोधात्मक उपाय किए जाने चाहिए।"

[हिन्दी]

मुझे ऐसा लगता है कि शायद केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों

[श्री संतोष गंगवार]

में तालमेल का अभाव है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें प्रिवेन्टिव कार्रवाई पहले करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में संसाधनों का अभाव है और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सुविधाएं जितनी मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी स्थिति में यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि इसको मॉनीटर करे और जैसी उत्तर प्रदेश की डिमांड है, उस हिसाब से उनको संसाधन दे। आज यह बीमारी पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सहारनपुर तथा अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही है। मेरा आग्रह है कि इसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर प्रदेश सरकार के साथ बैठकर इसके क्या रेमिडियल मीजर्स हम अपना सकते हैं, वह देखें। क्योंकि यदि एक बार यह बीमारी हो जाती है तो मरीज का सिर बचना मुश्किल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि मरीज नहीं बचेगा। इसलिए अगर प्रिवेंटिव कार्रवाई पहले करें तो बेहतर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहले किया जाना चाहिए क्योंकि वहां इसकी अधिक आवश्यकता है। यदि केन्द्र इसके लिए आवश्यक संसाधन राज्य सरकारों को नहीं देगा तो इस बीमारी को रोक पाने में सफल होना मुश्किल है। मैं आपसे पुन: आग्रह करूंगा कि पहले से प्रिवेन्टिव कार्रवाई करें और प्रदेश सरकार के साथ बैठकर इस बीमारी को रोकने के संबंध में विचार करें।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : सभापति महोदय, जापानी एन्सेफलाइटिस इतनी घातक बीमारी है कि रोगियों तथा मृत्यु की दर बहुत अधिक है। मैं मंत्री महोदय से केवल दो प्रश्न ही पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्रालय इस रोग को नियंत्रित करने के लिए किसी राष्ट्रीय योजना पर विचार कर रहा है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस बीमारी से बचाव हेतु लोगों में क्या जागरूकता पैदा की गई है?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं केवल दो-तीन बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे देश में जापनीज एन्सेफलाइटिस बीमारी दक्षिण पूर्वी देशों से आई है। म्यांमार, कम्बोडिया और जो भी दक्षिण पूर्वी देश हैं, वहां से यह बीमारी हमारे यहां आई है। यह बीमारी हमारे तीन-चौथाई क्षेत्र में फैल गई है। क्यूलैक्स मच्छर धान की खेती में होता है और धान के खेतों में प्रजनन करता है। वहीं इस मच्छर का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। धान की खेती में बहुत से लघु कृषक और बहुत ही गरीब तबके के लोग लगे रहते हैं। इसी कारण गरीब तबका इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यही गरीब तबका सुअर पालन का भी काम करता है। अधिकतर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दक्षिण पूर्वी देशों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो भी प्रयास किए हैं, क्या इस बारे में मंत्री जी ने उन देशों से विचार-विमर्श किया है और यदि नहीं किया है तो बताएं कि क्यों विचार-विमर्श नहीं किया है तथा कब करेंगे?

दूसरी बात यह है कि बाइकन वैक्सीन इस बीमारी की रोकथाम के लिए होती है। यह दवा बहुत ही महंगी है। गरीब मजदूर से आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इसे खरीदकर बीमारी से बचने की व्यवस्था करें। बाइकन वैक्सीन सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या राज्यों से कोई चर्चा की है? आपने इस वर्ष हेल्थ बजट को बहुत बढ़ाया है और बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हुई हैं। क्या राज्य सरकारों को बजट के द्वारा महंगी दवाओं को उपलब्ध कराने में कोई मदद दी गई है?

तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं कि यूएनएफपीए तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियां भी हैं। वे इस बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाते हैं। तो क्या आपने यूएनएफपीए या संयुक्त राष्ट्र की किसी संस्था से मिलकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है? अगर कोई कार्यक्रम चलाया है तो किन प्रदेशों में और किन जिलों में चलाया है? केवल धान की खेती करने वालों तक यह बीमारी नहीं रह गई है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं और सारे देश में यह बीमारी फैलती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए, मंत्री महोदय इन सारी बातों का जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक सटीक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह मस्तिष्क ज्वर उत्तर-पूर्व के सभी आठ राज्यों में फैल चुका है। मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस मस्तिष्क ज्वर के लिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं।

गुवाहटी के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई दवा जांच प्रयोगशाला नहीं है, जहां पर यह कार्यशील नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों से अनेक मामले सामने आए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने नकली दवाओं की आपूर्ति की बुराई से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री कृपया ध्यान दें

कि एलएल दवा, अर्थात् लिगलांग दवा, जो एक नकली दवा है, की प्रत्येक स्ट्रिप 15 रुपये में बिक रही है, जबकि असली दवाई की प्रति स्ट्रिप की कीमत 100 रुपये है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने इन नकली दवाओं, जो कि संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में बिक रही हैं, की बिक्री को रोकने के लिए सभी उपाय किए हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री योगी आदित्यनाथ की चिंता से सहमत हूं, परन्तु मैं उनके द्वारा केन्द्र सरकार की कथित अकर्मण्यता के विषय पर लगाए गए कुछ मुद्दों को अस्वीकार भी करता हूं।

मेरे द्वारा दिए गए उत्तर पर लौटकर आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में जे.ई. वायरस फैलने से रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का क्रमवार विवरण मौजूद है। पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, तदुपरांत हम दूसरे राज्यों की चर्चा करेंगे। जब महामारी फैली थी, तो रोगियों के उपचार तथा उनके भविष्य के लिए निरोधात्मक उपाय करने के लिए कदम उठाए गए थे।

मैं अपने उत्तर के एक भाग पर चर्चा करना चाहूंगा। उपचारात्मक भाग हेतु उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करते हुए मैं अपने उत्तर के एक भाग पर चर्चा करना चाहता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

वर्ष 2004, अर्थात् पिछले वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश के पांच चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए थे ताकि जे.ई. के प्रबंधन निरोध तथा नियंत्रण के क्षेत्र में पेरीफेरिल डाक्टरों की कुशलता में सुधार किया जा सके।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जो जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.) और डेंगू, मलेरिया, कालाजार और फाइलेरिया ज्वर जैसे अन्य वैक्टर जनित रोगों के विरुद्ध चल रहा है, संबंधित विभाग के एक दल ने अप्रैल, 2005 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, का दौरा किया। वहां पर काफी मात्रा में वैक्टर पाए गए, इसकी सूचना राज्य सरकार को आवश्यक नियंत्रण उपाय करने के लिए दे दी गई थी। इसके उपरांत एक और दल ने जून, 2005 में जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा के लिए गोरखपुर का दौरा किया था।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग विभाग ने 1 जून, 2005 को दिल्ली में जापानी एन्सेफलाइटिस के नियंत्रण और रोकथाम के संबंध में वर्तमान कार्यनीति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय समीक्षा बैठक बुलायी थी।

अगले मौसम में एन्सेफलाइटिस के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्ययोजना को अंतिम रूप देने हेतु नियंत्रण रणनीति की समीक्षा करने के लिए सहारनपुर में जापानी एन्सेफलाइटिस के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई गई।

राज्यों को बीमारियों के फैलने के पूर्व ही जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी कर दिये गये थे और सलाहकार भी भेजे गये थे।

वास्तव में, हम उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2004 से ही अन्य नियंत्रणोपाय करने हेतु सलाह देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार खाली बैठी है और सलाह नहीं दे रही है। न केवल हम उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दे रहे हैं अपितु अन्य राज्यों—बिहार, उत्तरपूर्व, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को भी सलाह दे रहे हैं। हम जापानी एन्सेफलाइटिस के सभी स्थानीय क्षेत्रों को सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से हमारा दल वहां पर गया है। हमारे यहां राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान है। उस संस्थान से विशेषज्ञ वहां पर गये हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एन्टोमोलॉजी के लोग इन क्षेत्रों में गये हैं। वे सर्वेक्षण करते हैं और रोग के फैलने के संबंध में निकट भविष्य में होने वाली समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों को चेतावनी देते हैं। राज्य सरकार के लिए हमने यह काम किया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम न केवल उत्तर प्रदेश अपितु स्थानीय क्षेत्रों में निवारक उपाय करने के लिए राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है जिसका मैंने पहले ही अपने उत्तर में उल्लेख किया है और जिसे मैं फिर से कह सकता हूं कि इसके लिए मच्छरदानियों की आवश्यकता है। वास्तव में, हमारे पास दो प्रकार की मच्छरदानियां हैं। एक लम्बे समय तक चलने वाली मच्छरदानी है। इसे सिंथैटिक पाथरेथ्रोआइड से पहले से ही युक्त कर दिया गया है और यह लम्बे समय तक चलने वाली है। तत्पश्चात्, हमारे पास साधारण मच्छरदानी है जिसे बाद में भरा जाना चाहिए। हमारे पास लगभग 10 मि.ली. तरल सिंथैटिक पायरथयराइड है। हम इसे उपभोक्ताओं को देते हैं और वे इसे जल में भर देतें हैं और प्रत्येक छह में उन्हें यह करना होता है। हम उन्हें यही देते हैं।

हम राज्य सरकारों को फोगिंग की सलाह दे रहे हैं और फैथियोन, मलाथियन, कीटनाशकों और लर्वीसाइड के छिड़काव की भी सलाह देते हैं। हम समान के अलावा प्रौद्योगिकी और तकनीकी

[डा. अंबुमणि रामदास]

सहायता भी देते हैं। राज्य सरकार को केवल श्रम शक्ति उपलब्ध करानी होती है। यह उनकी जिम्मेदारी है।

निश्चय ही हमने टिकोफोस, लार्वीवोरस फिश जैसे कुछ लार्वीसाइड दिये हैं। तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश राज्य में काफी 'वाटरबॉडीज' हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि राज्य में बहुत बड़े चावल और धान के क्षेत्र हैं और ये जलाशय (वाटरबाडीज) अत्यधिक बड़े जलाशय है। अतः, हम वहां पर इन लार्वीवोरस फिश को देने का प्रयास कर रहे हैं और मच्छरों के लार्वे को कम करने और इस रोग के और फैलने को रोकने के भी प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह, यह सब चल रहा है और पिछले 28 वर्षों से यह फैल रहा था। स्थानीय क्षेत्रों को जोड़ा गया है। यह जापान से आया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में गया है। अब, भारत में यह स्थानीय क्षेत्रों में फैल रहा है। अतः, हम बताएंगे कि सरकार भविष्य के लिए क्या करने का प्रयास कर रही है।

निस्संदेह, फोगिंग हेतु अब हमने रसायनों, लार्वीसाइड्स और कीटनाशकों की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति की है। हमारे यहां आई.ई.सी. अभियान है। हमने उनसे इन्हें लेने हेतु कहा है। हमने न केवल जापानी एन्सेफलाइटिस अपितु मलेरिया, फाइलेरिया ज्वर और अन्य रोगों जैसे अन्य वैक्टर जनित रोगों के भी उपचार हेतु महंगी दवाइयों की आपूर्ति की है।

श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विषाणुविज्ञान प्रयोगशाला के बारे में उठाये गये मुद्दे पर वापिस आते हुए हमारी योजना गोरखपुर में यू. एन. और डब्ल्यू.एच.ओ. की सहायता से सतर्कता अथवा निगरानी एकक स्थापित करने की है और यह एक सतत जारी प्रक्रिया है। गोरखपुर में न केवल जापानी एन्सेफलाइटिस अपितु वैक्टर जनित रोगों के फैलने संबंधी भविष्य में निगरानी करने हेतु एक इकाई होगी।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में, मैंने संसद के पिछले सत्र में भी उसी प्रश्न का उत्तर दिया था।

हमें निश्चित रूप से इसकी चिंता है। मुझे बहुत चिंता है। हम भविष्य में इसको फैलाना नहीं चाहते हैं। हम अच्छी वैक्सीन उपलबध कराने के लिए कदम उठा रहे हैं। आज दुर्भाग्यवश जापानी एन्सेफलाइटिस की वर्तमान में अनुमोदित माऊस ब्रेन वैक्सीन के निर्माण की क्षमता नहीं है। इसका उत्पादन सी.आर.आई., कसौली द्वारा किया गया है। आज माऊस ब्रेन वैक्सीन की क्षमता लगभग 5,00,000 खुराक है। परन्तु हमारी नीयत आने वाले मौसम में इसे कम से कम एक मिलियन तक बढ़ाने की है। परन्तु उस समय तक हमने कोरिया, वियतनाम, कम्बोडिया, जापान और चीन में अपने दूतावासों से जो कुछ भी माऊस ब्रेन वैक्सीन उपलब्ध है खरीदने हेतु कहा है।

हमारी नीयत अगले वर्ष से पहले लगभग पांच से छः मिलियन वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराने की है। हम न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु उच्च स्थानीय जिलों, देश में लगभग 30 है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उत्तरपूर्व का कुछ हिस्सा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं, में भी बच्चों का टीकाकरण करना चाहते हैं। ये सभी क्षेत्र उच्च स्थानीय क्षेत्र हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास मध्यम स्थानीय क्षेत्र है। अतः, उसके अनुसार वर्गीकृत करते हुए हम यहां पर आने का प्रयास कर रहे हैं।

परन्तु, उसी समय हमारे पास एक अन्य वैक्सीन है। इसको टिश्यू कल्चर वैक्सीन कहा जाता है जो कि चीनी वैक्सीन है जिसमें हम सुरक्षा में गुणकारिता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, मैंने आई.सी.एम.आर. और डब्ल्यू.एच.ओ. को चीनी वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा है। यह बहुत ही सस्ती वैक्सीन है जिसका उत्पादन माऊस ब्रेन वैक्सीन से ज्यादा किया जा सकता था और जिसे किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि छः महीने की अवधि के दौरान वे हमें यह बताएंगे कि क्या इसे आगे चलाया जा सकता और बच्चों का टीकाकरण किया जा सकता है।

हम सरकार को इन टीकों की आपूर्ति कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा एक कार्यक्रम है। निर्धन व्यक्तियों को ये टीके खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। हम इन अधिक व्यापकता वाले इन क्षेत्रों में बच्चों का टीकाकरण करेंगे। निःसन्देह, पुनर्वास कार्यों के संबंध में बच्चे प्रभावित हैं। जापानी मस्तिष्क बुखार से ठीक होने के बाद भी व्यक्तियों को समस्या होती है। हम इन जिलों के संबंध में और अधिक पुनर्वास इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।

मैं अपने मित्र, श्री शैलेन्द्र कुमार के इस मुद्दे पर वापस आता हूं कि इस बीमारी से बिहार और उत्तर प्रदेश अधिक पीड़ित हैं, मैं इस बात का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। निःसन्देह उनका यह कहना है कि राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद, केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त कार्य नहीं किया है। यह बिल्कुल गलत है। मैंने अपने उत्तर में यह बात कही थी। यदि आप मेरे उत्तर को पढ़ें तो

आपको पता चलेगा कि हम क्या कदम उठा रहे हैं। बीमारी फैलने के बाद, राज्य सरकार ने हमें 75 लाख टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। भारत की तो बात ही छोड़िए पूरे विश्व से भी 75 लाख टीके उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता नहीं है। हमारे पास केवल 5,00,000 टीके हैं।

हमने राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। हमने उन्हें इसकी रोकथाम करने के लिए मुख्यतः जन–स्वास्थ्य उपाय करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में समस्या यह है कि इस बीमारी से वे व्यक्ति ही अधिक पीड़ित है जो निम्नतम स्तर पर जीवनयापन करते हैं। इससे अधिक निर्धन व्यक्ति पीड़ित हुए हैं। ऐसे व्यक्ति सूअर पालन के कारण इससे पीड़ित होते हैं। यह उनकी जीवन शैली है और वे लंबे समय से वहां इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहां सूअर से यह बीमारी फैलती है। अतः, हमें सूअरों को मानव आवास से अलग रखने की आवश्यकता है। यह एक आसान सा तरीका है जिससे इस बीमारी की रोकथाम करने में बहुत सहायता मिलेगी। यह एक बहुत ही आसान तरीका है। हमें सूअरों के पूरी तरह से दूर करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उन्हें मानव आवास से अलग कर दें। हम राज्य सरकार को केवल यही करने की सलाह दे रहे हैं।

मेरा मानना है उन्हें यह कार्य और अधिक समर्पण के साथ करना होगा। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे। हम इस विषय पर उन्हें और सलाह देंगे। जहां तक टीकों का संबंध है हम सभी राज्यों और सभी बीमारी पीड़ित क्षेत्रों की ओर से टीके खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगामी सीजन में इस पर आगे कार्यवाही करने जा रहे हैं। हमें आशा है, कि भविष्य में हम इस बीमारी को फैलने से रोकने के प्रयास में सफल होंगे।

मेरे मित्र डा. रामचन्द्र डोम ने यह पूछा था कि क्या मंत्रालय को इसकी पहले जानकारी थी। जी हां, न केवल बीमारियों और जापानी मस्तिष्क बुखार परन्तु अन्य बीमारियों के लिए भी हमारी स्वयं की निगरानी इकाइयां हैं। तदनुसार, हम राज्य सरकारों को भविष्य में आने वाली समस्याओं के संबंध में सलाह देते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या विभाग ने कोई अध्ययन किया है। जी हां, यह एक सतत प्रक्रिया है। हम यह कार्य कर रहे हैं। समुचित टीकों के विषय में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

निःसंदेह श्री संतोष गंगवार, उत्तर प्रदेश, जहां से वे चुनकर आए हैं, के विषय में चिन्तित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश अपितु देश के अन्य भागों से भी जापानी मस्तिष्क बुखार की इस विकट समस्या को दूर करने के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से बहुत से उपाय कर रहे हैं। निःसंदेह डा. बाबू राव ने राष्ट्रीय योजना की बात की है। जी हां, हमारे पास राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम है जिसके द्वारा जे.ई. मलेरिया फाइलेरिया, जापानी मस्तिष्क बुखार और कालाजार जैसी पांच बीमारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है।

रोकथाम संबंधी जानकारी के विषय में बहुत सी आईईसी गतिविधि जारी हैं, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। हम उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण सिंह ने कहा कि टीका महंगा है। इसका सरकार को वहन करना है और हम इन खर्चों को वहन करेंगे। टीके से नियंत्रित होने वाली कोई भी बीमारी, जिसमें न केवल जे.ई. अपितु टीके से नियंत्रित होने वाली किसी भी अन्य बीमारी के लिए सरकार टीकों की खरीद करके देश के भावी मासूम बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करने वाली है।

उन्होंने यह पूछा कि क्या हमने यू.एन. एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। हमारी अपनी स्वयं की व्यवस्था है तथा हमारी अपनी अपेक्षित क्षमता है। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से विदेशी सहायता की मांग करते हैं जो हमारे साथ सहयोग करता है। वस्तुतः यू.एन. एजेंसियां उत्तर प्रदेश और बिहार में पोलियो अभियान में बड़े पैमाने पर सहायता कर रही हैं। हम इस पोलियो अभियान के माध्यम से भी वहां पर पीड़ित बच्चों का टीकाकरण कर सकते हैं। मेरे मित्र श्री तापिर ने पूर्वोत्तर में कुछ नकली दवाइयों का जिक्र किया है। चूंकि आपने यह मुद्दा उठाया है अतः, हम इसका संज्ञान लेंगे। यदि आपके पास कोई विशेष मुद्दा है तो आप मुझसे मिल सकते हैं और इस प्रकार की दवाइयों और उससे संबंधित विषय पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से ऐसी दवाइयों के संबंध में कार्यवाही करेंगे। वस्तुतः, गुवाहाटी में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का क्षमता निर्माण परियोजना, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के तहत अब आधुनिकीकरण कर दिया गया है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए गुवाहाटी में शीघ्र ही हमारे पास एक आधुनिक प्रयोगशाला होगी। हम मुद्दों के संबंध में बहुत चिन्तित हैं। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मेरा मानना है कि आगामी महीनों और वर्षों में हम इस प्रकार की बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए निश्चित रूप से सभी कदम उठाएंगे और राज्य सरकारों के सहयोग से पीड़ितों की सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा एक सप्लीमेंटरी था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य लेने हैं।

[श्री अंबुमणि रामदास]

शैलेन्द्र जी, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया गया था। अब इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : हमारे प्रश्न का जो जवाब आया है, वह संतोषजनक नहीं है। हम लोगों को एक–दो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से पूछने दिया जाए, क्योंकि माननीय मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि जून से उन्होंने बचाव के कार्य प्रारम्भ किए थे, अगर जून से बचाव का कार्य प्रारम्भ हुआ तो फिर इतनी बड़ी संख्या में यह बीमारी कैसे फैली? दूसरे जो माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि वहां पर यू.एल. बी. (अल्ट्रा लो वोल्यूम इन्सेक्टीसाइड) के लिए जो मैलाथियान आदि उन्होंने उपलब्ध कराया था, उसका छिड़काव हुआ, वह कहां हुआ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो न गोरखपुर में हुआ है, न कुशीनगर में, न देवरिया में, न महाराजगंज में, न सिद्धार्थनगर में, न सन्त कबीरनगर में, न बस्ती में, पूरे प्रदेश में कहीं छिड़काव नहीं हुआ। आखिर इसके लिए कौन दोषी हैं और तीसरे वैक्सीनेशन कहीं नहीं हुआ है और मेडीकेटिड मच्छरदानी के बारे में सरकार स्पष्ट करे कि मेडीकेटिड मच्छरदानी के बारे में जो धोखा किया गया है, एक भी मच्छरदानी मेडीकेटिड नहीं थी। यह काम कहां से हो रहा है? इस सरकार के पैसे कुछ लोग बीच में खा जाते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि बिहार प्रदेश, जो गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, वहां भी इन्होंने अपनी टीम भेजी थी। पता नहीं, बिहार में कौन सी टीम गई, वहां क्या उपलब्ध कराया, कहां छिड़काव हुआ, वैक्सीन का क्या हुआ। माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ सिम्पल जवाब चाहूंगा, अपने जवाब में यह बताएं कि बिहार में आपने जो टीम भेजी, उसने क्या प्राप्त किया और वहां से रिपोर्ट प्राप्त करने के आधार पर कितने संसाधन वहां उपलब्ध कराए, कितना वैक्सीन उपलब्ध करवाया, कितना छिड़काव के लिए उपलब्ध करवाया, कृपया आप जरूर बताएं, जब अपना जवाब दें।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : अब हम टीकाकरण विषय पर आते हैं, हमने ऐसा ही कहा है कि हमने वहां पर इन बच्चों का टीकाकरण किया है। बीमारी के फैलने के दौरान टीकाकरण करने का कोई लाभ नहीं है। यह बहुत प्रभावी नहीं होता है। वस्तुतः हमें बीमारी फैलने के पश्चात् अथवा भविष्य में बीमारी फैलने से पहले बच्चों का टीकाकरण करना चाहिए। हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र स्वामीजी ने मच्छरदानियों की अनुपलब्धता के विषय में जिक्र किया। मेरा मानना है कि यह दी गई वस्तुओं की पूरी सूची हैं जो हमने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान की है। वास्तव में, हम राज्य सरकारों के साथ अधिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं वापस बिहार पर आता हूं। जी हां, वहां पहले से ही चिकित्सा दल मौजूद हैं। हमने इसमें सहयोग किया है। इसमें सीमाओं की कोई बात नहीं है। बीमारियां किसी सीमा को नहीं जानतीं चाहे वह उत्तर प्रदेश हो अथवा बिहार। जहां कहीं भी क्षेत्रीय बीमारियां फैलती हैं चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश, वहां पूरा चिकित्सा दल जाता है और वे वहां परामर्श देते हैं। उस स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें जिस किसी भी उपकरण, सामग्री, रसायनों अथवा स्प्रे या अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है हम उन्हें वह सब उपलब्ध कराते हैं।

अपराह्न 4.15 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 12, नियम 377 के अधीन मामले पर विचार करेगी।

(एक) छत्तीसगढ़ में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन स्टोर, कुम्कुरी से चावल के भारी स्टॉक के कथित रूप से गायब होने के मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्देशित) : महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के कुंकुरी में हुई घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जहां वेयर हाउसिंग कारपोरेशन स्टोर से भारी मात्रा में चावल गायब हो गया है। यह चावल सिविल आपूर्ति निगम द्वारा गरीब और लक्षित लोगों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु भेजा गया था। इस घटना से स्थानीय जनता में भारी रोष है और इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्षमता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। गरीब जनता में वितरण करने के लिए संचित अनाज का सरकारी गोदामों से गायब होना एक गंभीर मामला है। यद्यपि दो माह बीत गए हैं परन्तु यह मामला अभी भी गरम है। इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच आवश्यक हो गयी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मामले की सी.बी.आई. जांच कराए।

(दो) उत्तरांचल में बस गए पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) समापति महोदय, उत्तरांचल प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित बंगाली समुदाय के नमोःशूद्र पोण्ड्र, लोहार, भूमाली, माझी, मालो, राजवंशी, धोबी, रविदास, पालिया, नूनिया, केवट और लाढ़ राजपूत जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग काफी वर्षों से चली आ रही है। हमारे देश के पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार आदि राज्यों में इन्हें शामिल किया गया है, लेकिन उत्तरांचल में अभी तक इन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में उत्तरांचल सरकार द्वारा पूर्व में इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजे जा चुके हैं। मैंने भी भारत सरकार को इस संबंध में पत्रों के माध्यम से अवगत कराया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तरांचल में रहने वाली इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शीघ्र अति शीघ्र शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(तीन) देश में सभी रेलवे समपारों पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : महोदय, भारत में कहीं भी रेलगाड़ी से यात्रा करते समय रेलवे फाटकों के दोनों ओर, साइकिल से लेकर ट्रक तक, सभी प्रकार के वाहनों की लंबी कतारों को देखना एक सामान्य बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे फाटकों को अत्यधिक समय तक बंद रखा जाता है। यदि ये फाटक किसी छोटे या बड़े शहर के नजदीक हैं तो वहां की स्थिति और खराब हो जाती है। उससे जनता को काफी असुविधा होती है। इंतजार में उनका बहुमूल्य समय बरबाद हो जाता है। कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पहुंचने में उनहें अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। फाटकों के खुलने पर भागमभाग होती है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं और लोग घायल होते हैं।

अब फाटकों को हटाने का समय आ गया है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे फाटकों पर उपरिपुल और भूमिगत मार्ग बनाने के संबंध में एक चरणबद्ध योजना तैयार करें ताकि सड़क यातयात निर्विघ्न चलता रहे और असीम यातायात में फंसकर इंतजार करने की बजाय अपना बहुमूल्य समय अधिक उपयोगी कार्यों में लगा सकें।

(चार) तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित लोगों की पहचान करने के लिए नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरुनेलवेली) : महोदय, गत 26 दिसम्बर को सुनामी से तमिलनाडु का संपूर्ण समुद्री तट क्षेत्र पूर्णतः परित्यक्त क्षेत्र बन गया और लोगों का जीबन दयनीय हो गया। लाखों लोगों को अपने घरों, नौकाओं, मछली पकड़ने के जाल आदि से वंचित होना पड़ा। सुनामी की इस महाविपदा में लगभग दस हजार लोग मारे गए। सुनामी से हजारों एकड़ कृषि भूमि और नमक भूमि भी प्रभावित हुई थी। केन्द्र सरकार ने 35 प्रतिशत की राजसहायता वाली राजीव गांधी सुनामी सहायता कोष की घोषणा की थी। हमारे वित्त मंत्री ने यह बयान दिया था कि राज्य सरकार के अधिकारी यदि सुनामी प्रभावित लोगों की पहचान कर उनके नाम बैंकों को दे दें तो बैंक 24 घंटे के अंदर उन्हें रियायती ऋण दे सकते हैं। परंतु दुर्भायवश मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मत्स्य पालन के सहायक निदेशक या जिला समाहर्तालय के द्वारा संबंधित बैंक को प्रभावित लोगों की कोई सूची नहीं दी गयी है। सुनामी से मछुआरों की हजारों की सम्पत्ति, घर और वृहत् कृषि भूमि प्रभावित हुई थी परन्तु लोगों को कोई राजसहायता उन्हें बैंक ऋण नहीं मिला है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सुनामी प्रभावित लोगों की राजसहायता प्राप्त ऋण वितरित करने के लिए प्रभावित लोगों की पहचान संबंधी नियमों में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। मेरा यह सुझाव है कि संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्यों को सुनामी प्रभावित लोगों की पहचान करने और सुनामी प्रभावित लोगों को अपनी राजसहायता और ऋण प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने की अनुमति दी जाए।

(पांच) देश में बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एस. वी. चित्तन (डिंडीगुल) : भारत प्रति वर्ष कच्चे तेल के आयात पर लगभग 1,17,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। कच्चे तेल के आयात पर इस भारी खर्च में कमी लाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ताकि कच्चे तेल की अपनी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। गंभीर विचार के बाद सरकार ने कच्चे तेल के आयात की समस्या का सामना करने का उपाय ढूंढ़

[श्री एन. एस. वी. चित्तन]

लिया है और इसके बदले बायो–डीजल उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। एक अच्छी शुरूआत के तौर पर हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने जेट्रोफा, पुंगेमिया बीजों के उत्पादन द्वारा देश में बायो–डीजल के उत्पादन को संवर्द्धित करने के उपाय विकसित करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, इन बीजों का प्रयोग बायो–डीजल प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जेट्रोफा पौधे की किसी भी प्रकार की मिट्टी में खेती की जा सकती है और बढ़ने के लिए इसे काफी कम पानी की आवश्यकता होती है। यह एक नकदी फसल है और जो भी कृषक इस फसल की खेती करेगा वह निश्चित तौर पर धनवान हो जाएगा। चूंकि बायो–डीजल एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है अतः उससे पर्यावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन होने पर सरकार इसे 25 रु. प्रति लीटर पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है जो उपभोक्ताओं के लिए कच्चे तेल की तुलना में अधिक किफायती है।

अभी हमारे देश में जेट्रोफा, पोंगामिया बीजों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की खेती और प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए हमें जेट्रोफा और पोंगामिया के अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का आयात करना आवश्यक है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अच्छे बीजों के आयात पर से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि हटाने और वैट में छूट देने तथा कृषि आय के रूप में बायो–डीजल को मानते हुए उसके उत्पादन से प्राप्त आय पर आयकर की छूट देने का प्रावधान करे। इसे देखते हुए जेट्रोफा की खेती करने वाले किसानों और उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा का विस्तार करने हेतु नाबार्ड को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : श्री रघुवीर सिंह कौशल–उपस्थित नहीं; श्री जी. करूणाकर रेड्डी–उपस्थित नहीं; श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर–उपस्थित नहीं।

(छह) गुजरात के सूरत में भविष्य निधि का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत में 8 लाख के करीब भविष्य निधि में खाते हैं और 4 अप्रैल, 2005 में सूरत में भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु एक अधिसूचना जारी हुई थी परन्तु इस कार्यालय को सूरत में स्थापित नहीं करके इसे बड़ोदरा में स्थापित कर दिया गया है जहां पर केवल साढ़े चार लाख खाते ही हैं। जीआईडीसी में जो उद्योग हैं, वह बड़ोदरा से ज्यादा सूरत में हैं और मजदूरों की संख्या भी बड़ोदरा से जयादा सूरत में है। इस प्रकार के निर्णय से अधिक संख्या वाले भविष्य निधि खाते वाले जिले को यह फायदा न पहुंचाकर कम खाते वाले क्षेत्र को दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

सरकार से अनुरोध है कि सूरत में अधिक खाते की संख्या को देखते हुए और अधिक से अधिक मजदूरों को फायदा हो, इसके लिए भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय की जो स्वीकृति हुई थी, उसके अनुरूप इस कार्यालय की स्थापना शीघ्र की जाए।

(सात) मध्य प्रदेश के सतना और कटनी जिलों में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के सतना एवं कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों सतना, मैहर, जैतवार, मझगवां, खुटहा, लगरगवा, उचेहरा, भदनपुर, पकरिया, अमदरा, झुकेही एवं खन्ना बंजारी आदि रेलवे स्टेशनों की समस्याओं के संबंध में रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

सतना में डी.आर.एम. कार्यालय तथा सीमेंट प्लेट बनाने का कारखाना खोला जाये। सतना से बम्बई, मैहर से चित्रकूट धाम के लिए नई यात्री गाड़ी चलाई जाये। अगस्त, 2005 को खुटहा रेलवे स्टेशन में हुई दुर्घटना से मारे गये तथा घायलों को मुआवजा दिलाने, मैहर में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कराने, महाकौशल एवं रीवा नई दिल्ली एक्सप्रेस में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का डिब्बा पुनः लगाने, कटनी से नैनी तथा रीवा रेल मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य जल्द पूरा कराने के साथ–साथ उपर्युक्त सभी रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधा बढ़ाये जाने जो कि 21 नवम्बर को सभी स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख सभी मांगों को पूरा कराने की मांग करता हूं।

(आठ) अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर जिला अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या अत्यधिक है। विगत 4–5 वर्षों से लगातार कम

वर्षा होने तथा घोर अकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण कृषि उत्पादन नहीं के बराबर हुआ है। किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान कर्ज के बोझ से अत्यधिक दबे हुए हैं। वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण कुएं, तालाब, बावड़ियां, सिंचाई एवं पेयजल के स्रोत सूख गए हैं। चारे की कमी के कारण पशुधन भी नष्ट हो रहा है। परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। लोग घर–बार छोड़कर रोटी–रोजी की तलाश में मैट्रो शहरों की ओर जाने को विवश हो रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे लोगों को रोटी–रोजी का सहारा मिल सके।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्यापक जनहित में अजमेर जिले को भी अविलम्ब सम्मिलित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जाए।

(नौ) पश्चिम बंगाल के नवद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने की परियोजना के लिए निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अलकेष दास (नवद्वीप) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नवद्वीप पश्चिम बंगाल में है जो श्री चैतन्य का जन्म–स्थान है, यह गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव से प्रभावित है। यह शहर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूती वस्त्र केन्द्र है तथा इसकी एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक विरासत है जो कि हमारे राज्य का प्रेरणा स्रोत है। श्री चैतन्य के मत का अनुपालन करते हुए, अब दोनों समुदाय अर्थात् हिन्दू तथा मुस्लिम यहां निवास करते हैं तथा इसके इर्द–गिर्द के क्षेत्र में भाईचारे के साथ रहते हैं। गंगा नदी धीरे–धीरे इस शहर पर काबिज होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप खेती योग्य भूमि तथा कई घर बर्बाद हो गए हैं।

इस शहर को बचाने के लिए मैं सरकार से गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव से लोगों को बचाने हेतु परियोजना के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार आ रही बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तामलुक का पूर्व मेदनीपुर जिला रूपनारायण, गंगा (हुगली नदी), हाल्दी, केलेघई, कंगसाबोती, कपालेश्वरी और चंडिया नदियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है और यह क्षेत्र भारी बाढ़–आशंकित क्षेत्र है।

इस वर्ष दो बार हमारे बड़े क्षेत्र में बाढ़ आई थी, पहली बार नदी जल के अधिक बहाव के कारण तथा दूसरी बार भारी वर्षा के कारण हर वर्ष यह विभीषिका निम्नलिखित कारणों से होती है :

(1) लगभग सभी मुख्य नहरों में भारी सिल्ट जमाव के कारण जल निकास प्रणाली का बंद हो जाना।

(2) लगभग सभी जल द्वार (बांध के फाटक) पुराने हो गए हैं। ये कार्य नहीं कर रहे हैं।

(3) गंगा (हुगली), रूपनारायण, हाल्दी, केलेघई, चांदिया तथा कपालेश्वरी के नदी तलों में भारी सिल्ट जमाव।

इसलिए, मैं जल संसाधन मंत्री से निम्नलिखित विशेषताओं के साथ तामलुक और हल्दिया उपमण्डल का एक मास्टर प्लान बनाने का अनुरोध करता हूं :

(1) हल्दिया नदी का सिल्ट हटाना।

(2) रूपनारयण नदी का सिल्ट हटाया जाना।

(3) गंगा नदी (हुगली के निचले हिस्से) का सिल्ट हटाया जाना।

(4) केलेथई, चांदिया, कपालेखरी तथा कंगसाबीती का सिल्ट हटाना।

(5) रूपनारायण, हाल्दी, केलेघई, बाघई, कपालेश्वरी, चांडिया तथा कंगसाबोती नदी के तटबंध की रक्षा करना।

(6) इन नदियों को जोड़ने वाली नहरों में नदी तल तक जल बंध का पुनर्निर्माण।

(7) हिजली टाईडल केनाल तथा उड़ीसा कोस्ट केनाल की संपूर्ण रूप से पुनः खुदाई करना।

(8) इन नदियों के साथ सभी सबद्ध नदियों की पुनः खुदाई।

(9) डिगा से हल्दिया तक समुद्र भित्ति को मजबूत करना।

(ग्यारह) भटनी और गोपालगंज के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति महोदय, भटनी गोपालगंज नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। मुझे

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

ज्ञात हुआ है कि इस सर्वेक्षण में कुछ भूमिपतियों के दबाव में रेलवे लाइन को ग्राम तेंदुआ की आबादी में से निकाला गया है जिससे रेलवे लाइन को बनाने में एक मन्दिर को तोड़ना पड़ सकता है जिसके कारण इस गांव के आसपास में काफी तनाव है। स्थानीय लोग जन–आन्दोलन कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण में जनहित भावना एवं गरीब लोगों के घरों को ध्यान में नहीं रखा गया है जबकि यह गरीब किसान अपने पूर्वजों के समय से इस ग्राम में रह रहे हैं। इस रेलवे लाइन को घुमाकर किया गया है जिसके कारण रेलवे का खर्च भी बढ़ेगा एवं रेल सेवा की गति पर भी प्रभाव पड़ेगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस सर्वेक्षण रपट को मंगवाकर उसकी समीक्षा करे और उमसें यह देखा जाए कि इसमें जनता को कितना नुकसान है एवं इस रेलवे सर्वेक्षण में परिवर्तन करे। प्रस्तावित रेलवे लाइन को इस गांव के पास से किया जाए और सीधा रखा जाए। जिन लोगों की जमीन निकल रही है, उन्हें वर्तमान रेट पर मुआवजा दिया जाए एवं उनके परिवार के एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी पर रखा जाए।

(बारह) महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेपर और पेपरबोर्ड उद्योगों पर लगे उपकर से संग्रहीत राजस्व द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान उद्योग विकास विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पेपर और पेपरबोर्ड पर लगाए जा रहे उपकर का उपयोग पेपर उद्योगों के विकास पर नहीं किया जा रहा है। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेपर उपकर को केवल पेपर और पेपरबोर्ड उद्योगों के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बुलढाना में लगभग 20 कागज मिलें हैं जो कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेपर तथा पेपरबोर्ड पर उपकर के माध्यम से उपकर के रूप में बड़ी राशि एकत्रित की जाती है। अब तक उपकर के माध्यम से एकत्रित राजस्व में से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेपर और पेपरबोर्ड उद्योगों के विकास के लिए कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय लघु उद्योग मंत्री से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पेपर और पेपरबोर्ड उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने तथा उद्योग विकास विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पेपर और पेपरबोर्ड पर उपकर के माध्यम से संग्रहित राजस्व से निधियों को आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसलिए, महाराष्ट्र में पेपर और पेपरबोर्ड की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाएगी।

(तेरह) उड़ीसा के संबलपुर और देवगढ़ जिलों में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से राज्य में सी.आर.पी.एफ. की और बटालियनें भेजे जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, सम्बलपुर और देवगढ़ जिलों में माओवादी हिंसा बढ़ रही है, जो अब तक उड़ीसा राज्य के नौ नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आते थे। इस वर्ष तीन अलग–अलग घटनाओं में सम्बलपुर जिले में आठ आम नागरिक तथा एक पुलिसकर्मी मारे गए हैं। ऐसा अनुमान है कि इन दो जिलों में दो–तीन दलों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 60 से अधिक सशस्त्र उग्रवादी कार्यरत हैं। जबकि राज्य सरकार ने राज्य सशस्त्र बलों को तैनात किया है, राज्य सुरक्षा बलों ने सीआरपीएफ की एक कंपनी को संबलपुर में तैनात किया है। यह आवश्यक हो गया है कि क्षेत्र में बढ़ती नक्सली गतिविधियों से निपटने तथा उड़ीसा और झारखंड के बीच संवेदनशील सीमा क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए राज्य में सीआरपीएफ की मौजूदगी बढ़ाई जाए। इसलिए, वर्तमान में, राज्य में सीआरपीएफ की तीन बटालियन भी तैनात की गई हैं। लेकिन राज्य में बढ़ती हुई नक्सली समस्या को नियंत्रित करने तथा गरीब आदिवासी तथा आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उड़ीसा में अधिक सीआरपीएफ बलों को भेजा जाए।

(चौदह) तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति पैकेज जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : माननीय सभापति महोदय, पिछले माह तमिलनाडु के कई भागों में भारी वर्षा से सभी वर्गों के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लगभग सभी जलाशयों और बांधों से जल प्लावन हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए देरी से किए गए उपायों से कई नदी तथा नालों के तटों पर बसे कई घरों को बचाया नहीं जा सका। छोटे और बहुत पुराने टैंकों के 'बंद' क्षतिग्रस्त हो गए जिससे फसल की बहुत हानि हुई। चैन्ने सहित सभी मुख्य शहरों में लगातार हुई बारिश से सड़कों को भारी क्षति हुई तथा जल भराव हो गया। बारिश से हुई इस बाढ़ से तमिलनाडु में अनेक आवासीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त/जलमग्न हो गए।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को जानमाल की हुई हानि, फसल को हुए नुकसान तथा आवासीय इकाइयों को हुई क्षति तथा राहत कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत राशि पर श्वेतपत्र जारी करे। राज्य सरकार को दोनों सदनों के सदस्यों को विश्वास में लेने का निदेश दिया जाना चाहिए। मैं राहत कार्य को युद्धस्तर पर चलाए जाने हेतु क्षतिपूर्ति पैकेज के रूप में संघ सरकार से 5220 करोड़ रुपये देने का अनुरोध करता हूं।

(पंद्रह) कर्नाटक के चामराजनगर में क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए एक विशाल दुग्ध केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : मैंने केन्द्र से चामराजनगर, कर्नाटक में एक विशाल दुग्ध केन्द्र स्थापित करने हेतु बार-बार अनुरोध किया है। दुग्ध उत्पादकों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा वे सभी गरीब लोग हैं। दुर्भाग्यवश इस जिले में, दुग्धविपणन सुविधा बेहतर नहीं है। दुग्ध उत्पादकों को भारी हानि हो रही है। वे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अतः, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल विशाल दुग्ध केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इससे दुग्ध उत्पादकों को चॉकलेट, आईस-क्रीम आदि जैसे बहुत से दुग्ध उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता मिलेगी।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने 6.5 करोड़ रुपये का अनुदान देने का आश्वासन दिया, लेकिन, दुर्भाग्यवश, इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। उन्हें इस संबंध में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से किए गए अपने वायदे को निभाना है। इस मामले में केन्द्र द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि चामराजनगर में बिना किस अविलंब के एक विशाल दुग्ध केन्द्र स्थापित किया जाए।

(सोलह) लोगों से भूमि अधिग्रहण करने से पहले एक उचित, न्यायसंगत और जनहित वाली पुनर्वास नीति बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, 1950 के दशक में राजधानी शहर, चंडीगढ़ के निर्माण हेतु 28 गांवों को पूर्णतः उजाड़ा गया था। जो लोग अपना घरबार खो चुके थे उन

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विस्थापित लोगों को, नजदीकी गांवों में बसाया गया। उनमें से अधिकतर लोगों को अब पुनः इन गांवों में बसे अन्य निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ अतिरिक्त विकास हेतु जगह बनाने के उद्देश्य से उजाड़ा जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ सं.रा.क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन की नीतियों के कारण वास्तविक सम्पदा की कीमतें असहज रूप से आसमान छू रही हैं, इस तरह इन निर्धन ग्रामवासियों को चंद सिक्कों के लिए उनके मामूली घरों से वंचित किया जा रहा है। ऐसे विकास से निर्धन ग्रामवासी बेघर होंगे जिससे उनके साथ अन्याय होगा। उन स्थानीय बेघर लोगों को विकसित क्षेत्र में उनके घर की भूमि के समान आकार का प्लाट दिया जाना चाहिए जो कुछ हजारों का न होकर, लाखों में बेचा जा सकता हो।

मैं सरकार से चंडीगढ़ प्रशासन को अधिग्रहण करके भूमि के उनके छोटे प्लाटों से विस्थापित करने से पहले एक समुचित और न्यायोचित पुनर्वास नीति बनाए जाने के संबंध में अनुदेश देने का आग्रह करता हूं। अब भू-स्वामी प्रगति और विकास में भागीदार हो सकते हैं।

अपराह्न 4.40 बजे

राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005

तथा

भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में मद सं. 13 और 14 पर विचार किया जाएगा। गृह मंत्री अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयकों पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे

[श्री माणिकराव होडल्या गावित]

संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाने, कुचलने अथवा विकृत करने के लिए सार्वजनिक रूप से किए गए अपमानजनक कृत्यों को दंडित करने के लिए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया था। इसकी धारा 2 में अन्य बातों के साथ–साथ, राष्ट्रीय झंडे के अपमान अथवा उसके प्रति अनादर के लिए दंड की व्यवस्था है। राष्ट्रीय झंडे के प्रति अनादर का एक कृत्य राष्ट्रीय झंडे का किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में प्रयोग करना या उसे गद्दियों, रूमालों, नैपकिनों या किसी ड्रेस सामग्री पर काढ़ना या छापना है।

सामान्यतया आम नागरिकों, और विशेषतया खिलाड़ियों, से समय–समय पर यह मांग होती रही है कि वे अपनी ड्रेस, हेडगीयर, टी–शर्ट, वैस्ट आदि पर राष्ट्रीय झंडे को प्रदर्शित कर उसके प्रति अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित विभागीय संसदीय समिति का भी यह विचार था कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4(ङ) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आम जनता और खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाले हैं।

इसलिए यह प्रस्ताव है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (2003 में संशोधित) की धारा 2 के नीचे स्पष्टीकरण 4(ङ) में संशोधन किया जाए ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जनता अपनी पोशाक पर सम्मानपूर्वक ढंग से राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग कर सके और साथ ही यह सुरक्षा उपाय भी किया जा सके कि राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में या कमर के नीचे पहने जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु पर न किया जाए और न ही गद्दियों, रूमालों, नेपकिनों, अंगवस्त्रों या किसी ड्रेस सामग्री जैसी दैनिक उपयोग की किसी वस्तु पर कढ़ाई या छपाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए।

भारत का राज्य संप्रतीक सरकार की अधिकृत मुहर है। किसी दस्तावेज या वस्तु पर इसकी छाप होने से यह धारणा बनती है कि यह सरकार का कोई सरकारी दस्तावेज अथवा वस्तु है। इसलिए, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है। विधायन के अभाव के कारण पहले भी भारत के राज्य संप्रतीक के दुरुपयोग के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

प्रस्ताव है कि भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने हेतु एक स्वतः पूर्ण विधायन लाया जाए ताकि :

(i) सेवानिवृत्त/पूर्व सरकारी पदाधिकारियों/लोकसेवकों आदि सहित जनता द्वारा इसके प्रयोग को निषिद्ध किया जा सके, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो;

(ii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए भारत के राज्य संप्रीतक के दुरुपयोग को निषिद्ध किया जा सके; और

(iii) सरकारी कृत्यकारियों द्वारा इसके प्रयोग को विनियमित किया जा सके।

प्रस्तावित विधायन में दांडिक उपबंध भी शामिल हैं जिनके अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारत के संप्रतीक का अनधिकृत/अनुचित प्रयोग करता है अथवा व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करता है, दो वर्ष तक की जेल अथवा 5000/– रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 को इस माननीय सदन द्वारा अनुमोदित किए जाने की संस्तुति करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि वृतिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005, इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों का हार्दिक समर्थन करता हूं। देश की आजादी को हमने हजारों कुर्बानियों के पश्चात्, अंग्रेजों की लाठियां खाने के पश्चात्, अंडमान की काल–कोठरियों के अत्याचार सहन करने के पश्चात्, हजारों माताओं की गोदें सूनी होने के पश्चात्, हजारों सुहागिनों के सुहाग के उजड़ने और हजारों लोगों के फांसी के तख्ते पर झूलने के पश्चात् पाया है। हजारों लोगों को 'वंदे मातरम्' और 'जयहिंद' कहते हुए अंग्रेजों की गोलियों का

सामना करना पड़ा था लेकिन उन्होंने 'वंदे मातरम्' और 'जयहिंद' कहना नहीं छोड़ा था।

ऐसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और मैं उसके सम्मान वाली बात कहना चाहता हूं। हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज चुना गया और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय संप्रतीक चिह्न राज्य संप्रतीक चिह्न चुना गया। ये सभी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं। जिस प्रकार हमारा संविधान

अपराह्न 4.50 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

हमारे लिए पवित्र दस्तावेज है और उस संविधान के द्वारा सारे देश का शासन और राजकाज चलता है, उसी प्रकार से संविधान में वर्णित हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान की गई है और वह हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह ध्वज कितना निराला है? इसके ऊपर का रंग केसरिया है, बीच में सफेद और नीचे का रंग हरा है तथा बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हमारी एकता का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, समन्वय का प्रतीक सबसे सुंदर, सबसे मोहक, सबसे आकर्षक है, जिसे देखते ही हमारे अंदर बलिदान की भावना आ जाती है, इसको देखते ही त्याग की भावना हिलोरे लगाने लगती है, जिसे देखते ही हजारों रणबांकुरे सीमाओं की रक्षा करने वाले, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जयहिंद ध्वज को फहराते हुए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ऐसा पवित्र ध्वज जो हमारे लिए आदरणीय है, उसका अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह देश समाज या राष्ट्र की शक्ति है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, संवैधानिक और राजनैतिक पहचान का प्रतीक है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस में निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया था, उस समय ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके हाथ में विजय का चिह्न रजत पदक है, लेकिन उन्होंने जब तिरंगे के अंदर लपेटकर उसे अपने हाथ में लिया और लाखों लोगों की उपस्थिति में भारत का तिरंगा ध्वज एथेंस में फहराया, तब हम लोगों को लगा कि करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे लिए प्रतीक चिह्न लेकर आए हैं। यह राष्ट्र की शान है। यह तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। यह तिरंगा कभी झुकने न पाए, यह तिरंगा कभी अपमानित न हो, यह हम सभी का कर्तव्य है।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहले हम तिरंगे का प्रयोग केवल राष्ट्रीय दिवसों पर ही करते थे, 26 जनवरी–गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त–स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर–गांधी जी का जन्म दिवस, ऐसे राष्ट्रीय अवसरों या विशेष अवसरों पर तिरंगे का प्रयोग किया जाता था। हमारी राजमुद्रा पर, जो हमारा संप्रतीक चिह्न है, उसका विशेष अवसरों पर ही प्रयोग करते थे। हमारे मित्र श्री जिंदल एवं जनरल साहब सामने बैठे हुए हैं, उनके मन में विचार आया कि जिस पकार अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस में वहां के लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय दिवसों के अतिरिक्त भी अपने भवनों के ऊपर, अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर, अपने वाहनों के ऊपर और अपने दूसरे साधनों के ऊपर प्रयोग करके गौरव का अनुभव करते हैं और उससे हर समय उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से भारतवासियों को भी उसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकें। उन्होंने वर्ष 1995 में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की और 10 सालों तक जूझते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2003–04 में यह फैसला हुआ कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय दिवसों के अलावा, विशिष्ट अवसरों के अलावा, अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर, बड़े–बड़े भवनों के ऊपर या वाहनों के ऊपर ससम्मान फहराया जा सकता है। इसके बाद क्रिकेट के खेल में भी इसी प्रकार की घटना हुई। इसके लिए मैं जनरल साहब को बधाई देना चाहता हूं। क्रिकेट का खेल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ, उसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े जोश के साथ तिरंगे ध्वज को अपने कपड़ों पर लगाया, अपने सिर के ऊपर लगाया और इसका प्रयोग करने लगे। गांगुली ने भी इस संबंध में आज्ञा मांगी। सभी ने कह दिया, बीसीसीआई ने कह दिया कि गृह मंत्रालय अधिकार देगा, तभी हमारे खिलाड़ी अपनी हैट के ऊपर, अपने बल्लों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने गणवेश के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

वह मामला गृह मंत्रालय के अन्दर गया और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने आज्ञा दी कि क्रिकेट के खिलाड़ी अपने बल्ले और हैट के ऊपर इसका उपयोग कर सकते हैं। कमर के ऊपर के हिससे में उसका उपयोग किया जा सकता है, कमर के नीचे के हिस्से में उसका उपयोग हरगिज नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों को वैधानिकता, प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप लाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग अधिकाधिक अच्छे अवसरों पर हो, अपमान न हो, यह बिल आया है। कौन–कौन सी बातें इसमें कही गई हैं, जिन बातों से बचा जा सके, उसे बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग छोटे–छोटे कार्यों पर नहीं किया जा सकता। उसे कोई रूमाल के अन्दर, नैपकिन के अन्दर उपयोग न करे। कोई हीरो या हीरोइन गलत कार्यों में उसका दुरुपयोग न कर सके, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय

[प्रो. रासा सिंह रावत]

ध्वज का प्रयोग कुशन आदि में न किया जाए। कमर से ऊपर जो वस्त्र अच्छे माने जाते हैं, उनके ऊपर शोभा के लिए अलंकरण के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए या दूसरों के अन्दर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जा सकता है।

महोदय, क्रिकेट के मैच आप और हम सब देखते हैं। जब सबके बीच भारत जीतता हुआ दिखाई देता है तो और भारत का झंडा सारे खेल प्रेमी मिल करके लहराते हैं तो आपके और हमारे दिलों में एक प्रेम का संचार होता है। "वास्तव में जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।" हमें स्वदेश का प्यार देने के लिए, स्वदेश भक्ति की भावना जगाने के लिए, स्वदेश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए, स्वदेश की शान को ऊंचा रखने के लिए तिरंगा ध्वज हमेशा प्रेरणा देता रहा है। वह हमारे महापुरुषों की कुर्बानी, हमारे क्रांतिकारियों के शांतिपूर्ण कार्यों की याद दिलाता है। जो देशभक्त फांसी पर चढ़े, चाहे सूली पर चढ़े, रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।" चाहे शहीद भगत सिंह हों, चन्द्रशेखर आजाद हों, सुभाष चन्द्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, जवाहर लाल नेहरू हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, चाहे दूसरे बड़े–बड़े क्रांतिकारी सावरकर बंधु हों, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को गंवा दिया था, उन सबके बलिदानों को याद दिलाने वाला हमारा ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज की आन, बान शान की मर्यादा का पालन होना चाहिए। मैं इसका तहेदिल से पूरा समर्थन करता हूं। आगे आने वाले समय में जब भी यह ध्वज लहराए तो हम सब खड़े रहें। उसे किस समय फहराना है, ऑफिसेज में भी उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। उसकी मर्यादा हमारे राष्ट्र की मर्यादा है। राष्ट्रीय ध्वज के पीछे जो भाव हैं, जो उसके अलग–अलग रंग हैं, उन रंगों में जिन बातों की प्रेरणा दी गई है, हम उन बातों को जीवन में धारण करें। हमारा देश एक समाज, एक राष्ट्र और एक शक्तिशाली राष्ट्र है, हम यह कह सकें। तब हम कह सकेंगे कि जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, नागों में शेषनाग सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, सब देशों का सरताज मेरा देश भारतवर्ष है। यह हम गौरव के साथ कह सकें।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से नागालैंड तक हम सब लोग भारत के प्रति शान की बात रखें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी–कभी आन्दोलन चलते हैं तो कुछ लोग जोश में होश भूल जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को जला देते हैं। यह बड़ा भारी अपमान है। ऐसे अपमान करने वाले लोगों को, चाहे वे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले हों, या संविधान का अपमान करने वाले हों चाहे प्रतीक चिह्नों का अपमान करने वाले हों या जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा तीन शेर वाली, सारनाथ वाली, प्रेरणा देने वाली है, उनका दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसका सख्ती से पालना करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसके साथ जो समय का वर्णन किया गया है, उसका भी समर्थन करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी बात सिर्फ एक मिनट की रह गई है। देश में राष्ट्रीयता की भावना कम होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर हजारों पक्षी बैठे हुए थे। एक अज्ञानी व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का कनस्तर था। उस व्यक्ति पर अज्ञानता का भूत सवार हुआ और उसने दियासलाई निकाली और मिट्टी का तेल पेड़ पर छिड़क दिया। पेड़ जलने लगा और हजारों पक्षी चीं–चीं करने लगे। उस रास्ते में आप जैसा व्यक्ति जा रहा था, तो हमारे जैसे व्यक्ति ने कहा :

"आग लगी इस पेड़ को जलने लगे पात
तुम क्यों जलते पखेरुओ पंख तुम्हारे साथ।"

तब आप जैसे मनीषी ने उत्तर दिया :

"फल खाए इस पेड़ के गन्दे कीने पात
यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।"

इसलिए मातृभूमि की खातिर हम सब मिट जाएं। श्री माखन लाल चतुर्वेदी ने ठीक कहा है :

"चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना मुझे फेंक
जिस पर जावे मातृभूमि को शीश चढ़ाने वीर अनेक।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महत्व के इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। महोदय, मैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और यह विधेयक मुझे अति प्रिय है। मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने पर माननीय गृह मंत्री जी का बहुत–बहुत आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : आप हिन्दी में बोलते तो बहुत अच्छा लगता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हिन्दी में बोलते तो बहुत अच्छा होता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : राष्ट्रीयता की बात हो रही है। अगर आप हिंदी में बोलते तो अच्छा होता, ऐसी मेरी भावना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे किस भाषा में बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

वह अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी या जो भी भाषा उन्हें पसन्द है, उसमें बोल सकते हैं। व्यवधान मत डालिए, यह उनका पहला–पहला भाषण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल : मैं बीच में हिन्दी में बोलूंगा। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी की बात में बीच में रुकावट नहीं करता। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनें। यह इश्यू मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। आप इसे ध्यान से सुनें। मैं बीच में हिन्दी में भी बोलूंगा।

[अनुवाद]

मैं गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से विधेयक का समर्थन किया। समिति के सभापति ने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र भी लिखा। मैं इन सभी का बहुत आभारी हूं। मैं अपने अनुभव की बात से शुरूआत करना चाहता हूं। मैं 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में था। मैं वहां अमेरिकावासियों को उनके घरों और कार्यालयों पर सभी जगह अत्यधिक गर्व और स्नेह के साथ अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाते देखकर अत्यधिक उत्साहित हुआ। मैंने उनसे बहुत अधिक प्रेरणा ली। अमेरिकावासियों को इतने गर्व के साथ उनके राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखकर, मैं भी अमेरिका में एक भारतीय ध्वज फहराना चाहता था। अमेरिका में मेरे एक अमेरिकी मित्र ने मुझे एक भारतीय ध्वज उपहार में दिया और उस समय मैंने जो खुशी, आनंद, जोश महसूस किया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता–तब मेरी आयु 20 वर्ष थी।

[हिन्दी]

जब मैंने तिरंगा झंडा हाथ में लिया तो उस वक्त जो मेरी भावनाएं थीं, मैं उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसे हम सब अनुभव कर सकते हैं।

[अनुवाद]

तब मैं अपने विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था और मैं डलास में टैक्सास स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय में भारतीय झंडा लगाना चाहता था। जब मैंने वहां भारतीय झंडा लगाना चाहा, तो मुझे एक आशंका थी। मैंने सोचा, यदि मैं अमेरिका में भारतीय झंडा फहराता हूं, तो शायद लोग इस पर आपत्ति करें। मैंने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, यदि मैं यहां भारतीय झंडा फहराता हूं तो क्या उचित है? उन्होंने कहा कि इसमें कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि यह सामान्य बात है और मैं यहां झंडा फहरा सकता हूं। अतः, एक साल तक मैं अमेरिका में भारतीय झंडा फहराता रहा और मैं जब भी राष्ट्रीय झंडे को देखता, तो हर बार मुझे खुशी होती। जब में 1992 में भारत लौट आया और मैंने रायगढ़, मध्यप्रदेश में एक फैक्ट्री के परिसर में झंडा फहराना चाहा, तो उस समय मुझे रोक दिया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

महोदय, मैंने 26 जनवरी को झंडा फहराया, जैसा कि श्री रावत ने कहा कि कतिपय अवसरों पर ही झंडा फहराया जा सकता है। मैंने 26 जनवरी, 1993 को झंडा फहराया। अगले दिन जब मैं उस स्थान के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पर झंडा नहीं था। जब मैंने झंडा उतारने के संबंध में पूछा तो मुझे यह बताया गया कि हम झंडा वर्ष में केवल कतिपय दिवसों पर ही फहरा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब हम अपना राष्ट्रीय झंडा अमेरिका में प्रतिदिन फहरा सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं जबकि मैं अपने देश के प्रति प्यार और अपना विश्वास ही दर्शाना चाहता हूं। मैंने अपनी बात दोहराई और कहा कि वे प्रतिदिन राष्ट्रीय झंडा फहराएं और हम देखते हैं कि हमें झंडा फहराने से कौन रोकता है। अगले डेढ़ वर्ष के दौरान हमने अपनी कम्पनी के परिसर में प्रतिदिन राष्ट्रीय झंडा फहराया। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि कंपनी परिसर में राष्ट्रीयध्वज फहराने से कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी महसूस करेंगे कि वे न केवल कंपनी बल्कि देश के लिए भी कार्य कर रहे हैं। सभी में यह भावना जागृत करने हेतु मैं ध्वज फहराना चाहता था। परन्तु सरकारी अधिकारी, कभी कलक्टर, कभी पुलिस अधीक्षक बार–बार मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोकते रहे हैं। परन्तु मैं कहता कि यदि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज गर्व और सम्मान से अपने ही देश में नहीं फहरा सकते हैं तो देश के बाहर ऐसा हमें कौन करने देगा?

महोदय, एक दिन बिलासपुर के कमिश्नर रायगढ़ का दौरा कर रहे थे उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भेजकर कंपनी परिसर से ध्वज उतरवा दिया। उस समय मैं मात्र 24 वर्ष का था। जब दिल्ली में मुझे ध्वज के हटाए जाने के बारे में बताया गया तो मैं रो पड़ा। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ? हम अपने ही देश में राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहरा सकते? उस समय मैंने दिल्ली उच्च न्यायायलय में इसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सात महीनों में निर्णय दिया गया था। न्यायालय ने परमादेश जारी करते हुए सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मेरे अधिकार से दखलंदाजी करने से रोका।

महोदय, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के तहत हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। भारतीय ध्वज संहिता गृह मंत्रालय द्वारा जारी मात्र कार्यकारी अनुदेश हैं, राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जनता को दृष्टिगोचर राष्ट्रीय ध्वज को जलाता, विकृत, विरूपित करता है या रौंदता है या ध्वज के विरुद्ध मौखिक या लिखित रूप में शब्दों का उपयोग करता है तो वह राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर व्यक्त करता है। परन्तु यदि कोई आदरपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी। परन्तु मैंने राष्ट्रीय ध्वज फहराना जारी रखा, हालांकि उच्चतम न्यायालय का मैं अत्यधिक आदर करता हूं। मैंने एक अत्यधिक वरिष्ठ काउन्सेल से विधिक राय ली और उन्होंने बताया कि ऐसा करना उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं होगी। इसलिए मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा। रायगढ़ के कलेक्टर ने इसके विरुद्ध गृह मंत्रालय में शिकायत की। गृह मंत्रालय ने मेरे विरुद्ध अवमानना का मामला दायर किया, रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी–

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है परन्तु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है और फिर मुझ पर कंटैम्प्ट केस कर दिया। तब मेरे वकील ने कहा, अब थोड़े दिन के लिए झंडा उतार दो। मैंने कहा कि आपने तो लीगल ओपीनियन दिया था कि हम झंडा लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटैम्प्ट नहीं होगा।

[अनुवाद]

काउन्सेल ने कहा, "ऐसा कानून के दायरे में सुरक्षित रहने हेतु है।" मैंने कहा, "मैं मात्र यही नहीं चाहता हूं। इस संबंध में मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता हूं और मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज से वर्ष के प्रतिदिन प्रेरित होना चाहता हूं।" यह मामला उच्चतम न्यायलय में सात वर्ष चलता रहा और आप सबको जानकारी देते हुए हर्षित हो रहा हूं हालांकि आपको ज्ञात है कि उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी, 2004 को निर्णय दिया कि यह भारतीय संविधान की धारा 19(1)–वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधीन मूल अधिकार है।

चूंकि, यह हमारे देश का महानतम प्रतीक है इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और इससे अधिक महत्वपूर्ण कि इसके आदर्शों का पालन करें। आदर्श से मेरा मतलब राष्ट्रीय ध्वज के आदर्श और राष्ट्रीय ध्वज के आदर्श हमारे जनतंत्र के आदर्श के समान ही हैं। यह धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हमारे संविधान में यथा–उल्लिखित आदर्शों को दर्शाता है। अनेकता में एकता का यह महानतम प्रतीक है।

[हिन्दी]

जब कोई व्यक्ति अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है तो वह धर्म से ऊपर उठकर, अपने राजनैतिक दल से ऊपर उठकर केवल यह दर्शाता है कि उसे देश से प्यार है, वह सच्चा हिन्दुस्तानी है। हमारा झंडा हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की हमें हमेशा याद दिलाएगा। उसके बाद जब मैं यह संघर्ष कर रहा था।

[अनुवाद]

दलगत भावना से उठकर लाखों लोगों ने मुझे इस मामले में समर्थन दिया है। जिसके लिए मैं उनका आभार करता हूं। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति बहुत–बहुत आभारी हूं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मेरे संघर्ष में उन्होंने भी मेरा समर्थन किया था।

[हिन्दी]

मैं बताना चाहूंगा कि यह इतिहास में पहली बार है कि जब हमें यह अधिकार मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकें। आज से हजारों साल पहले चाहे रामराज्य था, चाहे अशोक का राज्य था, चाहे मौर्य का राज्य था या फिर मुगलों का राज्य था, हमेशा हमारे ऊपर राजाओं का राज रहा और झंडा भी राजा का ही रहा। प्रजा को झंडे के इस्तेमाल की इजाजत कभी नहीं मिली थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, एक गणतंत्र हो गया, गणतंत्र बनने के बाद जैसा रावत साहब ने कहा कि हमारे देश को आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं और उसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आजाद होने के बाद, एक प्रजातंत्र बनने के बाद, रिपब्लिक बनने के बाद भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया। सिर्फ जो लोग सत्ता में थे, वही लोग इसे अपने घरों पर लगा सकते थे। इतिहास में पहली बार हमें मौका मिला है कि हम सब लोग अपने–अपने घरों पर अपने देश के सबसे बड़े प्रतीक को दर्शा सकते हैं और उससे प्रेरित होकर देश के लिए काम कर सकते हैं। मेरे मन में यही है, मेरा सपना यही है कि राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित होकर मैं अपना काम सही ढंग से करूं, ईमानदारी से करूं देश के हित को आगे रखकर करूं, आप अपना काम करें, पुलिसकर्मी अपना काम करें, अध्यापक अपना काम करें, यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा देश विश्व के सबसे अच्छे देशों में आ सकता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर, इस बात को लेकर हम आगे चल रहे हैं।

22 जुलाई, 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए यह मोशन मूव किया था तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था :

[अनुवाद]

मुझे याद है और इस सभा में अनेक सदस्यों को याद होगा हम इस ध्वज को न केवल गर्व और उत्साह से देखते हैं, बल्कि ध्वज को देखकर हमारी रगों में जोश भर जाता था और जब कभी भी हम निराश होते थे ध्वज को देखते ही हमारी हिम्मत बढ़ जाती थी। आज हमारे बीच हमारे अनेक कामरेड उपस्थित नहीं हैं उन्होंने ध्वज को उठाए रखा उनमें से कुछ मरते समय भी गिरते–गिरते दूसरों को ध्वज पकड़ा देते, जिससे कि ध्वज ऊंचा–रहे।

सरोजिनी नायडू ने कहा था :

"याद रहे इस ध्वज के नीचे न कोई राजा है न कोई रंक, न कोई गरीब है न कोई अमीर, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है मात्र कर्त्तव्य, जिम्मेदारी और बलिदान है। चाहे हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख या पारसी हों भारत माता का एक ही अविभाजित हृदय और अविभाज्य एक ही आत्मा है।"

[हिन्दी]

उस राष्ट्रीय ध्वज को जिसके बारे में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इतना कुछ कहा, वह एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा सपना साकार हुआ। हम हर रोज अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकते हैं। आज जो यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसा रावत साहब ने कहा कि जब सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमैट के ऊपर राष्ट्रीयध्वज पहन रखा था तो वर्ष 2003 में जो उस समय सरकार थी–

[अनुवाद]

ध्वज के गौरव के प्रति उनकी चिंता के कारण उन्होंने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में कतिपय संशोधन किए जिन्हें खंड 'ङ', स्पष्टीकरण IV, धारा (दो) के तहत शामिल किया गया था, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लगाकर पहनता है या कढ़ाई करता है तो ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान है जो दंडनीय है। मैंने सोचा कि यह सही नहीं है। ऐसा शायद ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनकी चिंता के कारण किया गया हो। परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जो जैकेट मैंने पहन रखी है

[श्री नवीन जिन्दल]

[अनुवाद]

यह मैंने बुशान एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाजी दल के सदस्य के रूप में पहनी थी। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने जैकेट दी थी। आप देखेंगे कि इसमें चक्र नहीं है। मात्र तीन रंग हैं क्योंकि हमें इसकी अनुमति नहीं थी। चूंकि इसमें चक्र नहीं था इसलिए हमारा प्रयास भी आधे मन से था। चक्र नहीं होने के कारण हम पदक नहीं जीत सके। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं अकसर देखता हूं

[हिन्दी]

कि जितने भी देशों से लोग आते हैं, सब बड़े गौरव से अपने–अपने देश का झंडा पहनते हैं और उससे प्रेरित होकर वे लोग काम करते हैं। जब सचिन तेंदुलकर या माननीय सदस्य सिद्धू जी भी आज तिरंगे को नहीं लगा सकते, जबकि दिल्ली में या मुम्बई में देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अमरीका का फ्लैग टीशर्ट पर पहनकर घूम सकते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग पहनकर घूम सकते हैं, यू.के. का फ्लैग पहनकर घूम सकते हैं। लेकिन यदि कोई तिरंगा झंडा पहनकर घूमता है तो उसमें आपत्ति है। उस समय मैंने माननीय होम मिनिस्टर को रिक्वैस्ट की थी और पार्लियामैन्ट्री स्टैन्डिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सभी मैम्बर्स से मैंने रिक्वैस्ट की थी कि इस मुद्दे को हम लें। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को माना। मैं सरकार का भी बहुत आभारी हूं कि कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव किया और पार्लियामेन्ट में इसे इंट्रोड्यूस किया। इसलिए मैं इस राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 का पुरजोर समर्थन करता हूं।

इसके बाद हमारे घरों में हर व्यक्ति, बच्चे और बड़े सब लोग अपनी टी–शर्ट्स पहन सकेंगे जिस पर राष्ट्रीय ध्वज होगा। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने वहां पर एक टी–शर्ट खरीदी थी जो अमेरिका में बनी थी और जिस पर भारत का झंडा बना था। ऊपर अंग्रेजी में इंडिया लिखा था और नीचे हिन्दी में सत्यमेव जयते लिखा था। अगर हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के झंडे वाली टी–शर्ट खरीदना चाहें तो वह यहां उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने पर जेल होती है। मेरा मानना है कि इतिहास में पहली बार हमें अवसर मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकते हैं और इससे प्रेरित होकर देश के लिए काम कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि पहली बार यह मौका मिला है फिर भी बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। हम चुनावों में देखते हैं कि कोई कांग्रेस का झंडा लगाता है तो वह कांग्रेस को वोट देता है। किसी और पार्टी का झंडा लगाता है तो उसको वोट देता है और उसको सपोर्ट करता है। इसलिए हम सब इंडिया का झंडा लगाएं, इंडिया के लिए वोट करें और इंडिया के लिए सपोर्ट करें। हम यह न पूछें कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है बल्कि हमारा झंडा हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहले सेन्ट्रल हाल में स्मोकिंग अलाउड थी, तब मैंने स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट की कि जब इसके लिए कानून है कि स्मोकिंग नही होनी चाहिए तो उन्होंने वह बंद करा दी। जब मैं उनका धन्यवाद करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यह जो आपने पहन रखा है राष्ट्रीय ध्वज का बैज, यह पहनना यहां पर अलाउड नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना सब केस जीतने के बाद भी दस साल संघर्ष करने के बाद मैं संसद में भी पहुंच गया और संसद में आकर मुझे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पहनना अलाउड नहीं है। उन्होंने मुझे एक किताब दिखाई ओर लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 349 के अंतर्गत लिखा था कि किसी तरह का बैज नहीं पहन सकते हैं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह बैज नहीं है यह तो लेबल पिन है। उन्होंने कहा कि आप रूल्स चेन्ज करवाना चाहते हैं तो चिट्ठी लिखिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखी और इस बात को 16 महीने हो चुके हैं। अभी भी बहुत से मैम्बर्स ने लेबल पिन पहन रखा है। मैं समझता हूं कि यह सदन हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। अगर यहां पर हम अपने देश का सबसे बड़ा प्रतीक गर्व से नहीं पहन सकेंगे तो कहां पहन सकेंगे? अमेरिकन प्रैजीडैंट जार्ज बुश या प्रैजीडैंट मुशर्रफ या अन्य कई प्रमुख अपने–अपने देश का झंडा हमेशा गर्व से पहनते हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम किसी भी धर्म से हों, लेकिन सबसे पहले हम हिन्दुस्तानी हैं। इसके लिए हमने एक नोटिस भी दिया था। इस नोटिस को 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। करीब पांच–छः रिमाइंडर भी हम इसके लिए दे चुके हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि रूल्स कमेटी में इसको टेकअप करके हमारे देश के सर्वोत्तम प्रतीक को संसद में पहनने दिया जाए। इसके लिए कवि राजेश चेतन ने कहा है कि :

"जब सांसद संसद में सीने पर तिरंगा लगाएगा, तो संसद में दंगा करते कुछ तो शरमाएगा।" हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने देश के लिए काम करें, देश की सौ करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करें और जब हम राष्ट्रीय ध्वज लगाकर आएंगे तो यह हमें हर पल इस बात की याद दिलाता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सदन में भी

इसकी परमीशन दी जाए। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

जो दूसरा बिल है–भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, मैं इसका भी पुरजोर समर्थन करता हूं। कई बार हमारे सांसद अपनी कार पर इसको लगाते हैं तो वह भी इसका मिसयूज है। उसके लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब जो बिल इंट्रोड्यूज किया गया है इसके बाद कानून सख्त कर दिया जाएगा। पहले सिर्फ 500 रुपये जुर्माना था। कई बार पूर्व सांसद या रिटायर्ड अधिकारी भी सारनाथ से लिए गए शेर के चिह्न का मिसयूज करते थे। उससे ऐसा लगता था कि सरकारी काम हो रहा है। इसके गलत प्रयोग के लिए पहले केवल 500 रुपये का जुर्माना था जो इसको रोकने में असमर्थ था। अब इसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा रहा है और यदि कोई बार–बार इसका मिसयूज करेगा तो दो साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। संसद की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में भी इस पर पूर्ण समर्थन था। सभी की आम सहमति थी, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। मैं इस सम्माननीय सभा से इन दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। हम सभी को आम सहमति से समर्थन करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण (सशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। इस सभा में ऐसा विधेयक लाने के लिए में मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मेरे विचार से इस सभा के किसी भी पक्ष को यह विधेयक पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, यह सत्य है कि राष्ट्रध्वज का इतिहास स्वयं स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। परन्तु मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही हमारा अपना राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र संप्रतीक और हमारा अपना संविधान है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह सभा के अंदर हो अथवा देश के अंदर हो या बाहर, वह हमारे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र संप्रतीक और संविधान का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध है। यह सत्य है कि इनका सम्मान किए बिना और प्रतिष्ठा बनाए रखे बिना तथा भारत की स्वतंत्रता का यथामहत्व दिए बिना कोई भी दल अथवा व्यक्ति अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक की खूबी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास विधेयक है, अधिनियम है। परन्तु, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के किसी भी भाग से राष्ट्रीय ध्वज अथवा राष्ट्रीय संप्रतीक अथवा संविधान के अपमान या उसे हानि पहुंचाए जाने की स्थिति में कोई कार्यवाही कर सकती हे। यह सत्य है कि कुछ दल के सदस्य, जब चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में, यह सोचते हैं कि उनके दल के ध्वज का स्थान राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा है। यह उचित बात नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार में, केरल के सदस्यों ने स्वयं ही राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में सभा में प्रश्न उठाया था। हमारे पास उदाहरण है। मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता। गत वर्ष, कालीकट में कैरीपुर हवाई अड्डे पर मंत्री महोदय के वहां पहुंचने पर उनकी उपस्थिति में ऐसा हुआ था। हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। मैं नहीं जानता कि ये लोग वहां क्यों गए थे। वहां संवाददाता, मीडिया के कर्मी, फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाता मौजूद थे। वे मंत्री जी को देखना चाहते थे, वे रिपोर्ट देना चाहते थे। परन्तु मीडिया के किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इतना ही नहीं उन्हें पीटा भी गया। मुझे एशियानेट की महिला संवाददाता, सुश्री देबा, का नाम याद है। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और सभी मीडिया कर्मियों को बाहर ले जाया गया था। इसे वीजयुल मीडिया में देखा जा सकता है। समाचार–पत्रों में यह बताया गया था कि बड़ी संख्या में लोग उत्तेजित हो गए थे। वे इवाई अड्डे पर चढ़ गए और राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर उन्होंने एक राजनैतिक दल अर्थात् मुस्लिम लीग का झंडा लगा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमने उस मुद्दे को यहां उठाया था। उनमें से कुछ न्यायालय में गए। यह सुनकर हैरानी हुई कि सरकार इस मामले को न्यायालय में ले गई थी, उसने यह बताया था कि इसमें कुछ गलत नहीं था और वहां कुछ नहीं हुआ था। यदि हम वीजयुल मीडिया को देखें तो हम यह देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह वहां मुस्लिम लीग का झंडा लहरा रहा था। वास्तव में यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान था और उसे हानि पहुंचाई गई थी। आज यहां जो विधेयक लाए हैं उसमें यह देखा जा सकता है :

> "जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाएगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा, अपवित्र करेगा, विदूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा) उसके प्रति अन्यथा अनादर दर्शित करेगा या उसका अपमान करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

[श्री पी. करूणाकरन]

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित सरकार अपना संबंधित व्यक्ति अथवा संबंधित पुलिस अधिकारी को किसी भी समय कोई कार्यवाही करने में सक्षम हैं। इस मुद्दे से मैं कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। यह मुस्लिम लीग अथवा सी.पी.आई.(एम) अथवा बी.जे.पी. अथवा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न है। हम इस मुद्दे को यथामहत्व देते हैं। साथ ही सरकार सरकारी वकीलों को कुछ अनुदेश भी दे रही है। वे न्यायालय में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या हम सरकार की इस राय पर विचार कर सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया, अवमानित किया गया और हानि पहुंचाई गई। आपका क्या उत्तर है? अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। सभी सदस्य–चाहे वह विपक्ष से हों या सत्ता पक्ष से सबको इस विधेयक को पारित करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी।

हम माननीय मंत्री को यह उपाय करने के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित सरकार आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करने को तैयार है। हमने यहीं यह मुद्दा उठाया था...*(व्यवधान)* संसद सदस्यों ने भी यहीं यह मुद्दा उठाया था। वास्तविकता यह है कि उस समय मीडिया के लोगों की पिटाई की गई थी। ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ! वहां पर एक या दो मंत्रियों के मौजूद रहने के कारण ऐसा हुआ। अतः, जब यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो सरकार का क्या दायित्व बनता है? क्या उसको कार्यवाही करनी चाहिए अथवा नहीं? इसका यह अभिप्राय है कि वे राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान देने को तैयार नहीं हैं। वे वस्तुतः राष्ट्रीय ध्वज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले व्यक्तियों को बचा रहे हैं और उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। इस कड़ी आलोचना के साथ, मैं इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : राज्य सरकार के लिए यह शर्म की बात है...*(व्यवधान)*

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों (लुधियाना) : *उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार यह विधेयक लाई है। यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से लोग अपने निजी लाभ के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सभी सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का वस्तुतः सम्मान सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए जाने चाहिए। इसे उचित तरीके से सम्मान दिया जाना चाहिए। महोदय, जैसा कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं, हमें उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना चाहिए। परन्तु कभी–कभी ऐसा नहीं किया जाता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : यह जो बोल रहे हैं, वह बिल्कुल सही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे अनपार्लियामेंट्री नही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों : सामान्यतः यह कहा जाता है कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हों तब हमारा सिर किसी रूमाल, टोपी अथवा पगड़ी से ढंका होना चाहिए। परन्तु बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि भारत में एक ऐसा राजनैतिक दल हे जिसके नेता अपनी कारों पर अपनी पार्टी के झंडे लगाते हैं। परन्तु जब उनकी कारें गुजर रही होती हैं तो बहुत से पुलिसकर्मी उसे राष्ट्रीय ध्वज समझकर उसे सलामी देते हैं। लोग उलझन में होते हैं और यह नहीं जानते कि राष्ट्रीय झंडे पर अशोक चक्र होता है अथवा 'हाथ' का निशान। मेरा मानना है, कि यदि हम सही तरीके से राष्ट्र ध्वज को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस पार्टी के झंडे के रंग को बदल देना चाहिए। केवल तभी हम सही तरीके से राष्ट्र ध्वज को सम्मान दे सकेंगे...*(व्यवधान)* जब आप बोलते हैं तो मैं कभी भी व्यवधान नहीं डालता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप इतिहास नहीं जानते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मिस्त्री जी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों : हम इतिहास अच्छी तरह जानते हैं। करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे शहीदों ने इसी राष्ट्र ध्वज के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। ढिल्लों जी, आप भी बैठ जाइए।

[हिन्दी]

ढिल्लों जी आप भी बैठ जाइए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : यह बिल राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है, पार्टी के ध्वज के बारे में नहीं है। कोई पार्टी अपना सिम्बल, पार्टी का ध्वज लगा सकती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उसका मतलब कुछ और है।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : वह लगा सकती है, लेकिन पार्टी के अंदर वह गलतफहमी हो जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आपकी बारी आने वाली है।

[अनुवाद]

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सम्माननीय राष्ट्र ध्वज को प्राप्त करने के लिए भारत के हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। करतार सिंह सराभा और महान शहीद भगत सिंह ने इसके लिए अपने प्राणों का त्याग किया। परन्तु हम इस राष्ट्र ध्वज को किसी एक राजनैतिक दल की सम्पत्ति नहीं बनने देंगे। यह राष्ट्र ध्वज हम सबका है। हमारे मन में राष्ट्र ध्वज के लिए बहुत सम्मान है। हम अपने दिल की गहराइयों से राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं और इसे सम्मान देते रहेंगे। परन्तु मेरा बल इस बात पर है कि केवल एक पार्टी अर्थात् कांग्रेस पार्टी का झंडा राष्ट्र ध्वज से मेल खाता है। जिससे भ्रम पैदा होता है। अतः, कांग्रेस पार्टी के झंडे को बदला जाना चाहिए। मेरी यही मांग है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005, जो सदन में लाया गया है, उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए मैं खडा हुआ हूं। देश की आजादी के पूर्व 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को महत्व मिला। जैसा अभी सम्माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या फारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर वह हिन्दुस्तानी रहा है तो सबने अपनी कुरबानी दी। स्वतंत्रता संग्राम में हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार से संघर्ष का साथी रहा है। जिस वक्त लोग तिरंगे झंडे को देखते थे, उस समय उनकी जज्बात और हौसला–अफजाई होती थी, यह आजादी की लड़ाई के लिए बड़े सम्मान की बात थी। राष्ट्रीय ध्वज को हम एकता, प्रेम और समन्वय का प्रतीक भी मानते हैं।

जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में यह अधिकार प्रदत्त किया गया है। मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है और उसका जो प्रतीक है, वह भी अपने आपमें बड़ा महत्व रखता है। जहां तक अभी सदन में सम्मानित सदस्यों ने इसके इस्तेमाल पर तमाम तरह की चर्चाएं की हैं, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस्तेमाल की भी एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए, इसे इतनी ज्यादा छूट न दी जाये कि इसका अपमान भी होने लगे। उसी के तहत यह विधेयक यहां पर लाया गया है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण कानून विधेयक, 1971, जिसे केबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी संशोधन का प्रस्ताव रखकर इस सदन में लाये हैं, उसके लिए भी मैं इस सरकार को और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

तीन वर्ष पूर्व जनहित याचिका के द्वारा हमें यह अधिकार मिला कि हम अपने घरों पर, दफ्तरों पर या तमाम औद्योगिक स्थानों पर झंडे को फहरा सकते हैं। जैसा अभी अपने उद्बोधन में हमारे साथी भाई जिन्दल जी ने बड़े विस्तार से कहा और एक तरह से इसके गलत इस्तेमाल पर जैसे कमर के नीचे इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, यह भी बड़ी अच्छी बात है। उसी के तहत आपने जैसे रूमाल है, नैपकिन है, यह बात सत्य है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल उसका शारीरिक प्रयोग में करते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल करके फेंक दें, अनादर कर दें तो यह भी राष्ट्रीय ध्वज का एक अपमान होता है, इसलिए इसका इस विधेयक में विरोध किया गया है। यह होना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ वर्ष पूर्व रविवार का दिन था और दिल्ली में मैं जब गुजर रहा था तो इण्डिया गेट के पास मैं पहुंचा तो सेना भवन के भवन पर मुझे दिखाई पडा कि तिरंगा झंडा उल्टा लगा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं कहीं जा रहा था, तुरन्त गाड़ी को ले जाकर मैंने सेना भवन में, जबकि रविवार का दिन था। मैंने गाड़ी अन्दर लगाकर वहां गार्ड को कहा कि सबसे पहले तुम झंडा तो सही करो। सेना भवन पर अगर उल्टा झंडा लग जाए तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां भी, सरकारी दफ्तरों पर, खासकर हमारे जो सैन्य दफ्तर हैं, चाहे थल सेना, वायु सेना या नौसेना हो, इन जगहों पर प्रशिक्षित लोगों को लगाना चाहिए, वे सही तरीके से उसे सैल्यूट करें और उसे सम्मान दें और झंडा कभी उल्टा न लगे। खासकर मैं कभी–कभी देखता हूं, अभी जैसे हमारे सम्मानित सदस्य कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि उनका झंडा तिरंगा है और उसमें बीच में चिह्न चरखे का, हाथ के पंजे का या जो भी चुनाच चिह्न रहा हो, चक्र का तो काफी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने देखा, कभी–कभी हमारे कांग्रेसी भाई, मैं भी पहले कांग्रेस में था, हमारे कुछ कांग्रेसी भाई इतने उत्साहित हो जाते हैं कि झंडा ही उल्टा लगा लेते हैं। तो वहां मेरी निगाह तुरन्त चली जाती है कि उल्टा झंडा लगा हुआ है। कांग्रेस भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि वह एक प्रशिक्षण शिविर अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित करें क्योंकि बड़े–बड़े नेताओं से भी गलती हो जाती है और उनकी गाड़ियों पर भी उलटा झंडा लग जाता है, फिर चाहे वह आपकी पार्टी का झंडा हो या राष्ट्रीय झंडा हो।

मुझे उस समय ताज्जुब हुआ, जब मैं इलाहाबाद में था। मेरा क्षेत्र इलाहाबाद में है। उस समय असम के मुख्यमंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार महंत थे। उनका जब वहां आगमन हुआ तो मुझे भी किसी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था। श्री प्रफुल्ल जी गाड़ी से उतरे और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे। वहां पर रोडवेज की टैक्सी या गाड़ी होती है और उस पर राष्ट्रीय झंडा लगा होता है। वह चाहे किसी भी राज्य की गाड़ी हो, उस पर झंडा लगा होता है। उस गाड़ी पर चक्र वाला तिरंगा झंडा लगा होता है। वहां मौजूद जनता दल के या उनकी पार्टी से संबंधित सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी से आप नहीं जाएंगे, जब तक कि इस पर पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। मैं वहां पर खड़ा होकर यह सब तमाशा देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारे में से कोई मुख्यमंत्री हो जाता है, एमपी हो जाता है या एमएलए हो जाता है। चुनाव के वक्त पार्टी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। हमारे विचारों में विभेद हो सकता है लेकिन चुनने के बाद हम पूरे क्षेत्र के एमपी या एमएलए हो जाते हैं या पूरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो हर समय करना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब तक उन्होंने पार्टी का झंडा नहीं लगाया, तब तक उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। यह अजीब सी स्थिति कभी–कभी देखने को मिल जाती है और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मान और अपमान की बात आ जाती है।

खेलों के बारे में इस विधेयक में मैं पढ़ रहा था कि टी–शर्ट, कैप, बैट या हेलमेट पर हिंदुस्तान के खिलाड़ी, चाहे वह किसी भी खेल से संबंधित हों, चाहे वालीबाल, हॉकी, निशानेबाजी से जुड़े हों, अपने खेल से संबंधित उपकरणों पर या उनकी पोशाकों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं। मेरे खयाल से यह बुरी बात नहीं है। इसे एलाओ करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इससे खिलाड़ी की हिम्मत बढ़ती है तथा राष्ट्र प्रेम का जज्बा आता है। इससे हौसलाअफजाई होती है कि हम हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। जैसा कि एक माननीय सस्य ने कहा, राठौड़ जी जब शूटिंग में ओलम्पिक में पदक लेकर आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को लपेटा हुआ था। जब हमने यह दृश्य टीवी पर देखा, तो बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय ध्वज का इससे सम्मान होता है और खिलाड़ी की हौसलाअफजाई होती है। उसे अच्छा खेलने की और ज्यादा ताकत मिलती है। इसलिए हमें इस संबंध में छूट देनी चाहिए। फिर चाहे वह कोई भी खेल हो।

अभी मैं लखनऊ से गुजर रहा था। रायबरेली एक जिला है जहां से माननीय सोनिया गांधी जी एमपी चुनकर आई हैं। हम नरेश स्वीट हाउस से नाश्ता करके निकल रहे थे। वहां गुटका बिक रहा था, जिस पर लिखा हुआ था 'विधायक गुटका'। हमने सोचा कि कुछ दिनों में 'सांसद' नाम से भी गुटका आ जाएगा। हमने उसकी चार–पांच लड़ियां खरीद लीं, ताकि हम इन्हें सदन में दिखा सकें। हमें मालूम नहीं था कि आज यह विधेयक आने वाला है अन्यथा हम ये लड़ियां आपको अवश्य दिखाते। 'विधायक' शब्द लेजिस्लेचर से

संबंधित है। इस तरह के आइटमों पर रोक लगनी चाहिए। यह मामला वहां की विधान सभा में उठाया गया था। इस समय 'मंत्री' नाम से भी गुटका चला है। ऐसे ब्रांडों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों का उपयोग हानिकारक है। लोग इन्हें खाकर उनके पाउच को कूड़े में फेंक देते हैं। इससे विधायिका का अपमान होता है। यह सब बंद होना चाहिए। हमने अभी टीवी पर देखा था कि चर्बी से डालडा घी बनाकर बेचा जा रहा है। ऐसे उत्पादों पर भी रोक लगनी चाहिए। जहां हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की बात आती हो, वहां इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

मैं भाई नवीन जिंदल जी को आज के इस विधेयक के माध्यम से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। मैं पर्सनल, पब्लिक ग्रिवान्सेज, लॉ एंड जस्टिस नियम समिति में भी मैम्बर हूं और इत्तिफाक से मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आपका पत्र भी मिला था। आपने हाउस के अंदर जो चिह्न दिया है, उसे मैं कुछ दिनों तक लगाकर आता था, लेकिन इतनी जल्दी होती है कि हम कपड़े पहनने के बाद उसे लगाना भूल जाते हैं, नहीं तो मैं उसे रोज लगाकर आता। मैंने आपको जब भी देखा, चाहे आप कुर्ता–पजामा में हों, चाहे कोट में हों या पैंट–शर्ट में हों, आप अपना राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाकर आते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। आपने सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रीय ध्वज को जो सम्मान दिलाकर आम पब्लिक के लिए एलाऊ करवाया है, उसके लिए भी मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 जो मंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपीए सरकार, जो इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में लाए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, जिनके अनवरत प्रयास से, उनहोंने कोर्ट से लेकर सदन तक जो अनवरत प्रयास किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। पहले राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन उनका प्रतिफल है कि आज इस कानून के माध्यम से हमें आजादी मिल गई कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनवरत इस्तेमाल करके देश की इज्जत और उसके सम्मान को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज बहुत सी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हो सका और हमें आजादी मिली। इसके पीछे बहुत लम्बा इतिहास है, न जाने कितनी मां और बहनों की मांग के सिंदूर मिट गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजाद करवाने का काम किया, मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता, यह लम्बा इतिहास है, जिसे करीब–करीब सब लोग जानते हैं। जो तिरंगा हमारी शान है, आज हम उन पुरखों के प्रति भी इस सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनके बलिदान और कुर्बानी के बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाने को मिला और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाए।

आज कई माननीय सदस्यों ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। यह अच्छी बात है कि हम अब इसका इस्तेमाल अनवरत रूप से बहुत सी जगहों पर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं इस झंडे का दुरुपयोग न हो जाए। इसके दुरुपयोग के प्रति निश्चित तौर पर आशंका है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपने कानून बनाया है और आप सख्ती भी कर रहे हैं, पहले जो सजा थी, आपने इस कानून के माध्यम से उसे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन यह ख्याल जरूर रखा जाए कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।

आपने इस विधेयक के माध्यम से कुछ सख्ती भी बरती है। कई चीजों के इस्तेमाल पर आपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग न करने की रोक लगाई है। आपने बिल में चर्चा की है कि हम ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे जैसे कुशनों, रूमालों, नैपकिनों, पोशाक सामग्री, कशीदाकारी और छपाई आदि। इसके बावजूद भी हमें यह आशंका है कि यदि हमें इसके प्रयोग की आजादी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर इसका दुरुपयोग न हो। हम जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे।

अभी भाई नवीन जिंदल जी ने जो कहा, वह ठीक कहा। इनकी देश और विदेश की जो अनुभूति रही है, उसको इन्होंने यहां व्यक्त किया है। वही अनुभूति हम सब लोगों के मन में भी है। हम सब आपस की वैमनस्यता, दुर्भाव और दलगत भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं जिससे आपसी प्रेम और मोहब्बत खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें हमें विदेशों से देखने को नहीं मिलतीं। वहां इन सब चीजों से ऊपर हमें इस बात का अहसास होता है कि हम सबसे पहले हिन्दुस्तानी हैं। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भावना देश के बाहर जाकर हमारे मन में आती है, वही भावना देश में सब लोगों के मन में हो, तो इस देश में सारे भेदभाव हट जाएंगे। यह तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। यह हमें अहसास दिलाता है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। अगर यह भारतीय भावना हमारे मन में हमेशा रहेगी, तो दंगा–फसादा, कटुता,

[श्री राम कृपाल यादव]

भेदभाव, जात–पात, धर्म आदि की जो समस्याएं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। निश्चित तौर पर हमारे भारत के नौजवानों में क्षमता और कुव्वत है। इसके तहत यह देश विश्व में नम्बर वन का देश कहलाएगा।

मैं निवेदन करूंगा कि आज हम इस संकल्प के साथ इस विधेयक को पास करने के लिए आए हैं। जिन भावनाओं के साथ हम इस विधेयक पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, अगर यही भावना सबके मन में रहे तो निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा और कोई माई का लाल हिन्दुस्तान को आंख दिखाने का काम नहीं करेगा। मगर आज चिंता का विषय यह है कि आज हम सब उन भावनाओं से अलग होते जा रहे हैं। हमारे मन में कटुता भरती जा रही है। आज का भारत और पिछले 20 वर्षों के भारत की सोच में बदलाव आया है। लोगों में आपसी मनमुटाव आया है। मैं अंतर्दिल से अपनी बात रख रहा हूं कि देश की एकता के लिए, देश की तरक्की के लिए हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। यह भावना आज इस देश में है। जब भी देश पर कोई विपत्ति आती है, तो हम सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर भारतमाता की शान तिरंगे के लिए एक होकर लड़ने का काम करते हैं और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। मगर आपसी सद्भावना, एकता और मोहब्बत की जरूरत है ताकि इस तिरंगे की शान और आगे बढ़े और हमारा देश नम्बर वन पर आए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए सरकार को, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक को लाकर एक उचित कदम उठाया है। मगर वहीं यह भी सत्य है कि इस देश के तिरंगे की शान हमेशा रहनी चाहिए। जब तिरंगे पर आफत आती है तो सरहदों पर रहने वाले जवान इसकी रक्षा करते हैं। जब वे तिरंगे को हाथ में लेते हैं तो उनमें जोश पैदा होता है। उनमें सद्भावना, एकता और मोहब्बत पैदा होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे देश के जवान सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वे इस तिरंगे की हिफाजत ओर हमारी सुरक्षा करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वह मनोभावना, वह सोच देश के एक–एक व्यक्ति में आए तभी तिरंगे की शान रहेगी। जिस भावना के अनुरूप आज यह विधेयक आया है, उसकी इज्जत और शान रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी और सदन के तमाम लोगों, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हृदय से इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया है।

इस विश्वास के साथ तिरंगे की हम लाज रखेंगे और तिरंगे पर कभी आंच नहीं आने देंगे चाहे इसके लिए हम सभी माननीय सदस्यों को अपना खून देने का काम भी करना पड़े लेकिन हम इस तिरंगे की शान को कभी गिरने नहीं देंगे।

महोदय, मैं पुनः इन दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. राधिका सेलवी (तिरुचेन्दूर) : इस चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं तथा साथ ही मैं हमारे प्रिय नेता डा. कलैंगनर तथा तमिल के जुपिटर तलपत्ती राम. के. स्टालिन का भी धन्यवाद करती हूं।

महोदय, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक, 2005 एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है। सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक में संशोधन करने के लिए गृह मंत्री का धन्यवाद करती हूं जिससे देशभक्त तथा खिलाड़ी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। 50 के दशक में राष्ट्रीय झंडा 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को आवासों पर फहराया जाता था। प्रतिक्रिया काफी स्फूर्तिपूर्ण थी। कई निजी तथा सार्वजनिक समारोहों तथा कार्यक्रमों में राष्ट्र ध्वज को सम्मान के साथ फहराया जाता था। परन्तु अब वह जोश नहीं रहा। लोगों, विशेषकर बच्चों को राष्ट्र ध्वज के उपयोग एवं उसके अपमान के विषय में नहीं बताया जाता। बहुत थोड़े से लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का उचित रूप से उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, कागज के निर्मित ध्वजों को दर्शकों द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल स्पर्धाओं इत्यादि में फहराया जाता है तथा इन ध्वजों को समारोह के पश्चात् भूमि पर फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्वजों को उचित रूप से उपयोग करने हेतु लोगों को समुचित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए।

असामाजिक तत्व ध्वज को जलाने, फाडने, विरूपित करने, मलिन करने, सौंदर्य नष्ट करने, नष्ट करने जैसे विभिन्न कुकृत्यों में संलिप्त रहते हैं जिससे, ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये अपराध हैं जिनके लिए अपराधी को दंड के रूप में जेल भी हो सकती है अथवा जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सरकार को इनका पालन करना चाहिए

अब, लोग अपने वस्त्र तथा टोपी पर भी तिरंगा सम्माननीय

तरीके से मुद्रित करा सकते हैं। परन्तु यह भी प्रस्तावित है कि कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों में तिरंगे की छपाई नहीं होनी चाहिए। तकिए, दस्ताने, नैपकिन, रूमाल तथा अन्तर्वस्त्रों में तिरंगे का उपयोग वर्जित है। सरकार का यह निर्णय प्रशंसनीय है। राष्ट्र ध्वज प्रत्येक भारतीय की गरिमा तथा सम्मान का सूचक है।

महोदय, ध्वज के उपयोग हेतु दिशानिर्देशों को स्कूली बच्चों के मध्य भी प्रसारित किया जाना चाहिए। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। आम लोगों को भी राष्ट्र ध्वज के उप्रयोग हेतु दिशानिर्देशों को जानना चाहिए। वे सदुपयोग और दुरुपयोग के महत्व के प्रति सचेत नहीं हैं। टेलीविजन, रेडियो तथा समाचारपत्रों में प्रचार करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। ध्वज केवल एक फैशन की चीज बनकर न रह जाए अपितु ध्वज का उपयोग अधिकाधिक नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा तथा सम्मान की रक्षा होगी।

डीएमके की ओर से मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री अविनाश राय खन्ना बोलेंगे। छह बज चुके हैं तथा इस विधेयक पर भाषण देने के लिए 14 से अधिक सदस्य शेष हैं। यदि सदन सहमत हो, मेरा विचार है कि इस विधेयक पर कल चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त के बाद, हम विशेष उल्लेखों पर विचार प्रारंभ करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

सायं 6.00 बजे

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक से संबंधित विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : खन्ना जी, प्लीज आप कल बोलिए। हम इस विधेयक पर चर्चा कल भी जारी रखेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विशेष उल्लेखों पर विचार करेगी।

श्री अनंत गुढ़े–उपस्थित नहीं हैं; श्री शैलेन्द्र कुमार–उपस्थित नहीं हैं; श्री किशन सिंह सांगवान।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था और वर्ष 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होकर एक सूबा बना था। इस बंटवारे में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक चंडीगढ़, खरड तहसील और फाजिल्का के गांव हरियाणा को दिए गए थे। अब यह 39 साल पहले की बात हो गई है, लेकिन आज तक यह फैसला पूरी तरह से लागू नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बंटवारा हुआ, अस्थायी तौर पर चंडीगढ़ को दोनों प्रांतों की राजधानी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट बना दिया गया था। यह फैसला अस्थायी था। लेकिन लगभग 40 साल हो गए हैं और आज तक हरियाणा को न तो अलग से हाईकोर्ट मिला और न ही अलग राजधानी मिली। इस बात से हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। हर साल सैकड़ों–करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है। इसी तरह पानी का मामला–एसवाईएल नहर का मामला अभी भी हल नहीं हुआ है। इराडी ट्रिब्युनल ने यह भी फैसला किया था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, लेकिन आज तक वह पानी नहीं मिला है। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो अवार्ड दिया था, वह लागू नहीं हुआ और वह पानी जो एसवाईएल नहर से हरियाणा को मिलना था, नहीं मिल सका है। दो प्रदेशों के इस मामले को 40 साल हो गए, आखिर कब यह फैसला होगा और कब दोनों प्रदेशों की जनता को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त दोनों प्रान्तों के मध्य पानी के मामले को हल किया जाए, हरियाणा को अलग हाईकोर्ट दिया जाए और चंडीगढ़, जो कि हरियाणा का हिस्सा है, को हरियाणा हाईकोर्ट से संबंधित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन महत्वपूर्ण बातों के विषय में आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी भी 41 सदस्यों को बोलना है, इसलिए जितना कम से कम समय में संभव हो सके, अपनी बात कहें।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : तमिलनाडु में पिछले चार से पांच महीनों के दौरान मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. की भारी किल्लत है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मिट्टी का तेल ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों विशेषकर हाशिए पर पड़े लोगों का घरेलू ईंधन है। एल.पी.जी. मध्यम वर्गीय घरों में उपयोग किया जाता है। इन दोनों प्रकार के ईंधनों की कमी के कारण भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। मिट्टी के तेल और एल.पी. जी. की अपर्याप्त आपूर्ति और वितरण के कारण इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। कालाबाजारी करने वाले लोग इनका मूल्य 30 से 50 रुपये बढ़ा करके भारी लाभ कमा रहे हैं। कल मुझे पेट्रोलियम मंत्री से एक लिखित उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने एल.पी.जी. के उत्पादन में कटौती की बात ऐसे समय में बताई है जब इसकी भारी किल्लत है। यह जले पर नमक छिड़कने के समान है। एल.पी.जी. की कमी के कारण बेइमान व्यापारियों और वितरकों ने मनमाने ढंग से इसका मूल्य 500 रुपये कर दिया है। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं से राशन कार्ड मांगते हैं जिसके न होने से उन्हें वापस भेज दिया जाता है गोया कि इन ईंधनों की बिक्री राशन कार्ड से की जाती है। जबकि ऐसा नहीं है।

अतः इन ईंधनों की कमी के कारण होने वाली लोगों की परेशानी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा इनकी आपूर्ति और वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : मैंने इस सम्मानीय सभा को एल.पी.जी. की उपलब्धता के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है।

***श्री पी. मोहन** : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपके विस्तृत उत्तर को सुन रहा था। परन्तु मैं आपको बता दूं कि इस विशेष उल्लेख का नोटिस इससे बहुत पहले ही दिया गया था।

***श्री मणि शंकर अय्यर** : यदि आपकी सूचना मिट्टी के तेल के बारे में है तो मुझे अधिक ब्यौरे के साथ आने के लिए एक और अवसर दें।

***श्री पी. मोहन** : इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. की कमी से लोगों को होने वाली समस्या को दूर करने हेतु तत्काल कदम उठाए।

***श्री ए. वी. बेल्लारमिन** (नागरकोइल) : हाल ही में आयोजित ढाका सार्क शिखिर सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है और कुछ स्वागत योग्य निर्णय लिए गए हैं। वीजा प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना, इससे संबंधित दिक्कतों को दूर करना, दोहरे कराधान से बचना, देशों के बीच मुद्दों के निपटान हेतु अधिकरणों की स्थापना, अफगानिस्तान को शामिल करना और चीन तथा जापान को पर्यवेक्षक का दर्जा देना सभी स्वागत योग्य हैं। भारत द्वारा पेश प्रस्तावों का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। इस समय मैं चाहता हूं कि भारत सरकार मछुआरों द्वारा सार्क देशों के तटीय क्षेत्रों से लगे गहरे समुद्र में अपना व्यवसाय करने से जुड़े विवादास्पद मुद्दे उठाए। जब कभी मछुआरे भूल से भी किसी देश की समुद्री सीमा पार करते हैं तो संबंधित देश के नौसैनिक गश्ती पोतों द्वारा उन्हें बन्दी बना लिया जाता है और उनकी नावों और उपकरणों को जब्त कर लिया जाता है। आए दिन ऐसी दुःखदायी घटनाएं होती रहती हैं। कतिपय सार्क देशों की नौसैनिक बलों द्वारा ऐसी कार्यवाही से गरीब मछुआरों के परिवार बरबाद हो जाते हैं। रोजी–रोटी कमाने वालों को जेलों में बंद कर दिया जाता है जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक धक्का पहुंचता है। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि मछुआरों की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु सार्क के मंच पर उपयुक्त उपाय विकसित करे।

इन सभी सार्क देशों को मिलकर अपने देशों के गरीब मछुआरों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, खाड़ी देशों में कार्य करने वाले केरलवासियों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। केरल सरकार ने संघ सरकार के पास केरल एयरलाइंस के गठन का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, उन्होंने निजी विमान कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु 20 विमान रखना तथा ऐसे ही अन्य दिशानिर्देशों में छूट के लिए भी आवेदन किया है। लेकिन यह सार्वजनिक चिंता का विषय है और उसका प्रयोजन स्वयं केरल सरकार ने किया है। ऐसा वे खाड़ी देशों में रहने वाले केरल के लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं।

अब जब हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां इन बेबस कामगारों पर भारी बोझ डाल रही हैं। मैं यदि गलत नहीं कह रहा हूं, तो वे इन लोगों से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अपेक्षित राशि के बराबर विमान किराया वसूल कर रहे हैं। वे न्यूयार्क और कुछ अन्य दूरदराज के स्थानों के किराये के बराबर किराया ले रहे हैं। अतः, ये गरीब लोग अपने घरेलू कार्यों के लिए अपने घरों को लौटने में दिक्कत महसूस करते हैं।

केरल सरकार ने एक नई विमान कम्पनी शुरू करने की पहल की ताकि इन गरीब लोगों को अमेरिका तक की हवाई यात्रा के लिए अपेक्षित टिकट किराये से कम में टिकट प्राप्त हो सके, जो इन कामगारों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसलिए, मैं केन्द्र

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केरल सरकार द्वारा जनता की भागीदारी से एक नई विमान कम्पनी शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करे। यह एक अत्यावश्यक मामला है और इसके संबंध में आवश्यक छूटें दी जानी चाहिए ताकि केरल सरकार अपनी प्रस्तावित नई केरल एयरलाइन शुरू कर सके।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, कृपया मुझे उनके साथ संबद्ध होने की इजाजत दें।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड उच्च–न्यायालय में समुचित जजों के न होने से लम्बित मामलों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और समय पर न्याय नहीं मिले तो इसको अन्याय ही कहा जाएगा। वर्तमान समय में 12 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं लेकिन 7 न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही है और न ही समय पर फैसला दिया जा रहा है। इसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान झारखंड न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद स्थापित नहीं है तथा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा काम चलाया जा रहा है। न्यायालय में एडमिशन के लिए लगभग 40 हजार से भी अधिक मामले लम्बित हैं और मुकदमा दायर होने के बाद कई मामलों की 6 महीने से अधिक और कई मामलों की तो एक साल से भी अधिक समय के बाद पहली बार सुनवाई होती है। वर्तमान झारखंड राज्य बनने के बाद मुकदमों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इन समस्याओं के समाधान हेतु 19 अक्टूबर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने एक माह तक आंदोलन किया था परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और काफी समय से लम्बित मामलों के निपटान हेतु न्यायाधीशों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि पूरे हिंदुस्तान में जन–स्वास्थ्य–रक्षक जो कर्मचारी थे, जिनकी नियुक्ति प्रख्यात समाजवादी नेता और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजनारायण जी के समय में हुई थी और बहुत दिनों से उनको मानदेय पर गांवों में जन–स्वास्थ्य–रक्षक के रूप में रखा गया था, उनको हटा दिया गया है। अभी जंतर–मंतर पर उन्होंने धरना–प्रदर्शन भी किया कि उनकी सेवाएं ली जाएं। अभी हमने हाउस में स्वास्थ्य संशोधन विधेयक 47(क) पर बड़े विस्तार से चर्चा की है कि हम ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे। उसकी अवधारणा तभी पूरी हो पाएगी, जब हम इन्हीं जन–स्वास्थ्य–रक्षकों को पुनः नियुक्त करेंगे। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि उनकी पुनः नियुक्ति की जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए।

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : उपाध्यक्ष जी, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का गठन एक लोक उपक्रम के रूप में बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण हेतु किया गया था। यह कंपनी सदा से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कार्य करती आ रही है। इस उपक्रम में 26,000 कर्मचारी कार्यरत थे। बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य समाप्ति के उपरांत स्टील अथॉरिटी को अन्य इकाइयों में छोटे–मोटे कार्यों पर निर्भर करना पड़ा। आज इस उपक्रम की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। इसके पास केवल 1800 कर्मचारी बचे हुए हैं जिनकी मासिक मजदूरी समयानुसार मुहैया कराने में कंपनी सक्षम नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस उपक्रम का पृथक् अस्तित्व बनाए रखने में स्थापना खर्च आय के आधार पर आर्थिक क्षमता तथा इसके कामगारों की इस्पात संयंत्र के कार्यों में दक्षता का ध्यान रखते हुए वास्तविक विकल्प के रूप में इस उपक्रम को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ विलय करते हुए इसके 1800 बचे हुए कर्मचारियों का 'सेल' की विभिन्न इकाइयों में आमेलन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : उपस्थित नहीं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : उपस्थित नहीं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी) : वणक्कम, प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु से खाड़ी और दक्षिण एशियाई देशों में हजारों कुशल मजदूर जा रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थी और सूचना प्रौद्योगिकी पेशे वाले व्यक्ति अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में प्रतिवर्ष शिक्षा और नौकरी के लिए जाते हैं। अभी तक तमिलनाडु में दो जगह पासपोर्ट कार्यालय हैं। एक चेन्नई में और दूसरा तिरुचिरापल्ली में। तमिलनाडु के 16 दक्षिणी जिले तिरुची पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जिला मुख्यालयों पर प्रत्येक कलक्टरी को पासपोर्ट आवेदन

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

प्राप्ति का केन्द्र बनाया गया है, तथापि इससे कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है क्योंकि पासपोर्ट की प्रक्रिया और इसे जारी करने का कार्य केवल चेन्नई और तिरुची पासपोर्ट कार्यालयों में ही किया जाता है। इन 16 जिलों के हजारों आवेदकों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस परिहार्य विलंब और प्रतीक्षा तथा इन जिलों से कुछ पासपोर्ट आवेदकों की यात्रा में समय और पैसे की बर्बादी को टाला जा सकता है। इस आदरणीय सभा के माध्यम से, हमारे नेता वैको मदुरै में एक नया पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने के लिए 2002 से ही एक उचित मांग उठाते आ रहे हैं। इसकी अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संघ सरकार को मदुरै में एक प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने की पहल करनी चाहिए। इससे समस्याएं कम होंगी और लोगों को विशेषतः तमिलनाडु के दूरस्थ दक्षिणी जिलों की जनता को सहायता मिलेगी।

इसके साथ ही, मैं बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, इसमें मैं भी

[हिन्दी]

स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : उपस्थित नहीं।

श्री संतोष गंगवार : उपस्थित नहीं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : उपस्थित नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपस्थित नहीं।

योगी आदित्यनाथ : उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, 21 नवम्बर को मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों में एक साथ हुए रेल रोको आन्दोलन में दिए गए ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सतना जिले में इंडियन आयल एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तेल डिपो यथावत रखे जाने, सतना जिले की सिविल लाइन एवं मैहर तथा कटनी जिले के कैमोर में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने, आदिवासी क्षेत्र मझगवां जिला सतना एवं कटनी जिले के बिलहरी गांव में नवोदय विद्यालय खोलने, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7, 75 एवं 78 का पुनर्निर्माण करने, सतना एवं कटनी जिले को केन्द्र की रोजगार गारंटी, काम के बदले अनाज योजना एवं गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल करने, बरगी बांध की दायीं तट नहर का काम जल्दी पूरा करने, सतना जिले के बाबूपुर गांव में इस्पात विभाग की खदान पर सीमेंट उद्योग की स्थापना किए जाने, सतना में हवाई यात्राएं प्रारम्भ किए जाने, मां शारदा मन्दिर में रोप–वे लगाने की अनुमति दिए जाने, सतना से सेमरिया होते हुए इलाहाबाद मार्ग का नवनिर्माण करने के संबंध में 21 नवंबर को रेल रोको आन्दोलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए ज्ञापन में उल्लिखित सभी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, बिहार राज्य को पिछड़े राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि बिहार की जो स्थिति है और जिस ढंग से आजादी के बाद उसका विकास होना चाहिए था, उस ढंग से विकास नहीं हो पाया। बिहार में सड़कों का अभाव है, बिजली का अभाव है, किसानों के लिए सिंचाई का अभाव है, वहां पर एससीएसटी बच्चों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है और गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वालों की पूरे हिन्दुस्तान में जितनी संख्या है, उसके प्रतिशत के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले लोग हैं। बिहार से प्रतिवर्ष लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। वहां बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए बिहार राज्य पिछड़ा राज्य घोषित किया जाए ताकि जो अन्य विकसित प्रदेशों की कैटेगरी में बिहार प्रदेश भी आकर खड़ा हो सके। जब तक हिन्दुस्तान के सभी प्रदेश समान रूप से विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत को जिस रूप से मजबूत होना चाहिए, उस रूप से मजबूत नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सकरार से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार राज्य को निश्चित रूप से पिछड़ा प्रदेश घोषित किया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सबद्ध होने की इजाजत दी जाती है।

डा. रामचन्द्र डोम : उपस्थित नहीं;

श्री चन्द्रकांत खैरे : उपस्थित नहीं;

श्रीमती पी. सतीदेवी : उपस्थित नहीं।

श्री पी. करुणाकरन : मैं केरल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। राज्य में लगभग 22 एफसीआई गोदाम हैं। इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता लगभग 5.08 लाख मीट्रिक टन है। स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार, अभी उनमें केवल 1.08 लाख मीट्रिक टन ही भंडारण किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ गोदामों में स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। यह पहली बार है कि ऐसे गोदाम भी हैं जिनमें स्टॉक नहीं है। इसका एक उदाहरण कन्नूर जिले में मुझिपीलानगोड का गोदाम है जिसमें स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। उत्तरी क्षेत्र के कुछ भागों में जैसे कन्नूर, कासरगोड और कालीकट जिले, खुदरा दुकानदार इन मुख्य गोदामों से खाद्यान्न लेते हैं।

केरल में एक बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब, सरकार या एफसीआई ने इन गोदामों को निजी व्यक्तियों को सौंपने का निर्णय लिया है। इनमें से दो गोदामों को पहले ही सौंपा जा चुका है तथा दो अन्य गोदामों के संबंध में भी उन्होंने निर्णय ले लिया है। इससे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि, गोदामों में चावल या गेहूं नहीं है, इसलिए लोग राशन की दुकानों पर जाने की बजाय खुले बाजार में जाने को मजबूर हैं। अब, चावल की कीमत 32.17 रुपये प्रति किलो हो गई है। आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों में कितना अन्तर है।

एसजीआरवाई स्कीम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत, 4000 टन चावल की आपूर्ति की जाती है। यह मुख्यतः सूनामी और बाढ पीड़ित क्षेत्रों के लिए है। तथापि, इन गोदामों में खाद्यान्न की कमी के कारण यह नहीं दिया जा सका है।

अतः मैं सरकार से एफसीआई गोदामों को पर्याप्त खाद्यान्न विशेषतः चावल और गेहूं देने और एफसीआई गोदामों को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय पर अमल रोकने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव–उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मुख आ रही कठिनाइयों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा हम सबको ज्ञात है कि सैनिक 19–20 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होकर सरहदों में नौकरी करते हैं और 17 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं। उनको बाकी सिक्योरिटी फोर्सिज जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में एडजस्ट करने की स्कीम बनाई जाए ताकि वे 17 वर्ष की सर्विस करने के बाद दोबारा सिक्योरिटी फोर्सिज में नौकरी कर सकें। जब सैनिक रिटायर होकर आते हैं तो उनको कोई काम या बिजनेस शुरू करना होता है। इसके लिए कनसैशनल रेट पर लोन देने की सुविधा होनी चाहिए। उनकी एक रैंक एक पेंशन की मांग काफी समय से पैंडिंग है। उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। कई बार सैनिकों को रिटायर होने के बाद दूसरी जॉब भी मिल जाती है लेकिन अगर दो पेंशन लेते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को केवल एक पेंशन मिलती है। सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे कि उसकी मौत के बाद उस सैनिक की फैमिली को दोनों पेंशन मिलें। सैनिकों को दूसरी कई सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ती हैं। उनकी समस्याएं भी अलग हैं। इसलिए सैनिकों का पे कमीशन अलग होना चाहिए।

पे कमीशन में सैनिक, ब्रिगेडियर या किसी भी रैंक के अफसर हैं, इसमें उनकी भागीदारी जरूर हो ताकि पे स्केल और सुविधाओं को तय करते समय उन्हें ज्ञान हो कि सैनिक कौन–सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्यओं की तरफ ध्यान देकर उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अनुपस्थित।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शायद आपको जानकारी होगी कि अब से दो–तीन दिन पूर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाान (एम्स) अस्पताल के निदेशक ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के अनुसार पहले जो टेस्ट फ्री में हुआ करते थे जिनमें कई रूटीन टेस्ट भी थे, उन सब पर राशि पहले से ही ली जाती थी। इसके अलावा जो अन्य टैस्ट हुआ करते थे उन पर भी कई गुना राशि बढ़ा दी गई है। आप सबको मालूम है और पूरा देश जानता है कि एम्स अस्पताल में बड़े पैमाने पर गरीब बेसहारा मरीज आते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है। खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और अगल–बगल के राज्यों से मरीज बड़े पैमाने पर आते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, वे इस अस्पताल में आकर अपना इलाज कैसे करा पाएंगे?

मैं आपको तीन–चार उदाहरण देना चाहता हूं कि जिसकी फीस नहीं लगती थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते हैं, जो डिमांड करना चाहते हैं उसके बारे में कहिए। उदाहरण मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, पहले फ्री में इलाज होता था अब उसमें पैसा लिया जा रहा है। गरीब कहां से पैसा देगा? उनका इलाज कैसे हो पाएगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सर्कुलर अभी निकला है उसमें बड़े–बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों से भी ज्यादा कीमत ली जा रही है। अगर पेशेंट प्राइवेट वार्ड में रहेगा, वहां के आई.सी.यू. का किराया पेशेंट के प्राइवेट वार्ड में रहने पर अब एक हजार रुपए है और जनरल वार्ड में आई.सी.यू. में रहने पर पांच सौ रुपए प्रतिदिन किराया है। यही नहीं, पेट की जांच जो पहले फ्री में होती थी अब उसके लिए बाहर हजार रुपए देने पड़ते हैं। पी.टी.बी.डी. टेस्ट पहले फ्री में होता था अब उसके लिए सात हजार रुपए देने पड़ते हैं। बेरियम और एनीमिया के टेस्ट पहले तीन सौ रुपए में होते थे अब उसकी फीस पांच हजार रुपए हो गई है। सिम्पल एक्स–रे के लिए पहले तीस रुपए चार्ज था अब उसका चार्ज 75 रुपए हो गया है। रीढ़ एक्स–रे का चार्ज तीस रुपए था जो अब पचास रुपए हो गया है। इसी तरह से एन्जियोग्राफी के लिए बीस हजार रुपए देने पड़ेंगे। इतना पैसा गरीब लोगों के पास कहां है? अगर उनके पास पैसा ही होता तो वे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते। इस तरह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। मुझे नहीं पता कि यह किस निर्णय के अनुसार है और क्या एम्स अस्पताल के डायरेक्टर साहब ने सरकार से सहमति ली है या नहीं? सरकार की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई डायरेक्शन हुआ या नहीं? डायरेक्टर साहब इस सर्कुलर को जारी करके गरीबों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इस विषय पर अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और अगल–बगल के राज्यों से गरीब लोग यहां अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं। बिहार में कोई अस्पताल नहीं है। वहां एम्स अस्तपाल खोलने का प्रस्ताव है लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। गरीब कहां जाएंगे? मैं आपसे हाथ जोड़कर आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को डायरेक्शन दें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह सवाल काफी गंभीर है और आपने खुद अपने आसन से यह महसूस किया होगा कि गरीब लोगों के लिए इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है। पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। यह अद्भुत स्थिति है। यह राशि बढ़ा दी गई है इसके बारे में सरकार को सूचना ग्रहण करनी चाहिए। यह मामला संवेदनशील है। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष जी, यू.पी.ए. सरकार गरीबों की सरकार है, इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं इसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सूचित कर दूंगा।

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

सायं 6.30 बजे

(तीन) इराक में अमरीकी सेनाओं द्वारा एक भारतीय को कथित रूप से बंदी बनाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में श्री सिजो जोस, जो अब इराक में अमरीकी सेनाओं की हिरासत में है की दयनीय दशा को लाना चाहता हूं। यह बताया गया है कि पिछले चार माह से वह उनकी हिरासत में है। वह खानपान का प्रबंध करने वाली फर्म में कार्य कर रहा था जो इराक में अमरीकी सैनिक अड्डों हेतु भोजन की आपूर्ति करती है। अतः, मुझे सूचित किया गया है कि उसे कुछ निषिद्ध स्थलों की फोटो लेने और इस प्रकार की कुछ अन्य बातों हेतु हिरासत में लिया गया था। पिछले चार माह में उसके रिश्तेदार उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं तथा उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी उसकी दशा के संबंध में विदेश राज्य मंत्री को लिखा है परन्तु मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला है। मेरा अनुरोध यह है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे उनकी हिरासत से छुड़ाने हेतु कदम उठाने चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : इसी मुद्दे के संबंध में मेरा नोटिस भी है। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं। श्री सिजो जोस के परिवार के सदस्य अफगानिस्तान में बी.आर.ओ. के एक व्यक्ति का सिर काट लिए जाने के बारे में सुनने के पश्चात् काफी दुख में हैं। चार माह से इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं

है। यह व्यक्ति वहां पर नौकरी के लिए गया था। वह बहुत ही गरीब परिवार से है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय यह पता नहीं लगा पाया है कि वास्तव में क्या हुआ है, यह ज्ञात है कि यह व्यक्ति, जो एक एजेंट के माध्यम से गया है वास्तव में कुवैत गया है परन्तु अब परिवार के सदस्य यह सोच रहे हैं कि क्या वह कुवैत में था। परिवार के सदस्य मनीआर्डर भी प्राप्त कर रहे हैं परन्तु वह व्यक्ति खाड़ी देश में कहीं सूचना प्राप्त कर रहा था। परन्तु पिछले चार माह से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। वे काफी कष्ट में हैं। परिवार के सदस्यों ने हमसे संपर्क किया है। केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से संपर्क किया है। इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। मुझे आशा है कि विदेश मंत्रालय इस मामले पर गौर करेगा और यह पता लगाएगा कि वास्तव में क्या हुआ है। श्री सिजो जोस शायद हिरासत में है। वह यह कह नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसका बचाव करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। वह नहीं जानता कि उसका अपराध क्या है। वास्तव में, उसने कोई अपराध नहीं किया है। और यही बात हम सोच रहे हैं।

मैं इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जो कि विदेश विभाग के प्रभारी भी हैं, से अनुरोध करता हूं। मैंने उन्हें भी लिखा था। परन्तु इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला है। सरकार की ओर से कुछ तत्काल प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। मैं संसदीय मामलों के माननीय मंत्री से इसके बारे में माननीय विदेश मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को सूचित करने हेतु अनुरोध करूंगा क्योंकि यह काफी गंभीर मुद्दा है और हम कोई ऐसी बुरी खबर नहीं सुनना चाहते हैं जैसी हमने हाल ही में सुनी थी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री विजय हान्डिक : माननीय विदेश राज्य मंत्री पहले से ही इस मामले को देख रहे हैं। मैं पुनः यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई सूचना है मैं उनके संपर्क में रहूंगा। यदि कोई सूचना हुई तो मैं उसे सभा के समक्ष रखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

राजस्थानी भाषा को विश्व के सभी भाषाविदों ने एकमत से अत्यंत समृद्ध भाषा मानकर इसे विश्व भाषा क्रम में 16वां स्थान दिया है। राजस्थानी भाषा का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। 8वीं शताब्दी में कवि उद्योतम सूरी ने 'कुवलयमाल' नामक राजस्थानी ग्रन्थ लिखा। विश्व के प्रसिद्ध भाषाविद् सर जार्ज गियर्सन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' में, इटली के डा. एल. पी. टेस्सीटोरी ने 'इंडियन अंटीक्वैरी' में, हिन्दी के प्रख्यात समालोचक डा. नामवर सिंह ने 'पुरानी राजस्थानी' में एवं शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रो. कालीचरण ने 'राजस्थानी भाषा संरचनात्मक व्याकरण' नामक पुस्तकों में राजस्थानी भाषा को विश्व की श्रेष्ठतम भाषाओं में शामिल किया है।

भारत की आजादी से पूर्व राजपूताने की सभी रियासतों का कामकाज राजस्थानी भाषा में ही होता था। राजस्थानी में लगभग ढाई लाख से ज्यादा पुरानी पुस्तकें छपी हुई हैं तथा लाखों ग्रन्थों की पांडुलिपियां ग्रंथागारों में पड़ी हैं। चेक विद्वान स्मेकल के अनुसार एशिया में लोक साहित्य का सबसे बड़ा भंडार राजस्थानी भाषा का ही है। राजस्थानी भाषा का नौ खंडों का शब्दकोश दुनिया के विशालतम शब्दकोषों में से एक है। 73 बोलियों, उप बोलियों से समृद्ध इस भाषा में इतना ही श्रेष्ठ व्याकरण भी उपलब्ध है। हाड़ौती, ढूंढाडी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, मालवी, पहाड़ी एवं भीली आदि बोलियों को बोलने वाली जनता, जिसमें प्रवासी राजस्थानी भी शामिल हैं, की संख्या लगभग बारह करोड़ के लगभग बताई जाती है। लोकतंत्र में इतने लोगों की मातृभाषा को सरकार न माने, यह दुखद स्थिति है। मान्यवर, यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, पिछली सरकार के जो गृह मंत्री थे, जब बोडो, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा था, तब हमने राजस्थानी भाषा को भी शामिल करने की मांग रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि समय आने पर राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा। गत 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके, पूरे राज्य ने एक स्वर से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

अतः हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि राजस्थान के 12 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में अविलम्ब सम्मिलित कर राजस्थान के करोड़ों–करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विक्रम केशरी देव–उपस्थित नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद–उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, आपके माध्यम से मैं

माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान मोबाइल फोन कनेक्शन की नई योजना अर्थात् केवल सरकारी कर्मचारियों हेतु शुरू किए गए पोस्ट–पेड मोबाइल फोन कनेक्शन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह आकर्षक योजना 2 नवंबर, 2005 से लागू हुई और अभी तक इस पर अच्छी प्रतिक्रिया है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशन भोगी कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं। केरल में राज्य सरकार के कर्मचारियों में वे व्यक्ति शामिल हैं जो सरकारी क्षेत्र और सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से जो व्यक्ति राज्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, अनुदान–प्राप्त स्कूलों और प्राइवेट कालेजों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया था। इससे उन कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है।

मैं माननीय संचार मंत्री से इस स्थिति को देखने और पहले से ही घोषित योजना को राज्य सरकारी क्षेत्र की इकइयों, अनुदान–प्राप्त स्कूलों और कालेजों के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु विस्तृत किए जाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेन गोहेन–उपस्थित नहीं।

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि विषाणु–विज्ञान और संक्रमण रोग संस्थान, जो केरल के अल्लापुझा जिले में स्थित एक स्वायत्त संगठन है, संपूर्ण दक्षिण भारत में अपनी तरह का अकेला संस्थान है। संस्थान की स्थापना संक्रामक रोगों का पता लगाने और मच्छर–जनित रोगों संबंधी शीघ्र चेतावनी प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

केरल और इसके पड़ोसी देशों में डेंगू बुखार, जापानी एन्सेफलाइटिस, हेपटाइटिस लेप्टोस्पइरोसिस इत्यादि के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूर–दूर तक फैले समुद्री तटों और जलवायु वाले असाधारण भौगोलिक स्थितियों में देश के इस हिस्से में रहने वाले लोग इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

इस संस्था की सेवाएं केवल केरल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी सेवाएं पड़ोसी राज्यों की अन्य संस्थाओं और लोगों के लिए भी हैं। लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण, उस क्षेत्र में सुविधाओं के चिरप्रतीक्षित वृद्धि और वैज्ञानिक उपकरणों और उपस्करों के उन्नयन के काम को समय–समय पर संपादित नहीं किया जा रहा है।

इस स्थिति में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संस्थान को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने और इसके खासे महत्व के मद्देनजर, बुनियादी ढांचे के और विकास तथा इस संस्थान को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान–उपस्थित नहीं;

डा. राजेश मिश्रा–उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (नर्म) में उड़ीसा के मिलेनियम शहर कटक को शामिल न किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक अच्छी परियोजना है जिसे केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय की कई अन्य परियोजनाओं के साथ शुरू किया है।

उड़ीसा में तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण के साथ, इस्पात, एल्युमिनियम, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और यहां तक पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में 5 वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की संभावना के दृष्टिगत शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु शहरी क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता है। कटक, उड़ीसा का प्राचीनतम शहर है। जिसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख है और जिसकी अस्थायी जनसंख्या लगभग 30,000 से 40,000 लोग प्रतिदिन है। लेकिन नर्म में शामिल किए गए शहरों की सूची से कटक को निकाल देने से तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। आज भी, कटक नगर निगम ने एक संकल्प पारित किया है और 3 दिसंबर, शनिवार को वहां 'बन्द' का आयोजन किया जा रहा है।

अतः, यही तत्कालिकता है, जिसके कारण मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसने तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है क्योंकि सरकार कटक शहर के महत्व को पहचानने में विफल रही है। निःसन्देह, भुवनेश्वर और मंदिरों के शहर पुरी को शामिल किया जाना काबिले–तारीफ है। लेकिन मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कटक उड़ीसा की पुरानी राजधानी होने के साथ भुवनेश्वर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे 'नर्म' में शामिल किया जाना चाहिए। प्रथम चरण में, देश के लगभग 60 शहरों को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है, और योजना आयोग सहित मंत्रिमंडल, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। लेकिन शहरों के चयन की पद्धति में किसी विशेष मानक का पालन नहीं किया गया। यह मुख्य समस्या है।

महोदय, उदाहरण के लिए, तिरुपति को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, जहां रोजाना 50,000 लोग प्रतिदिन

जाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के अन्य शहरों को शामिल किया गया है। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, उन्होंने केवल दो शहरों को शामिल किया है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं, जिन में चार से अधिक शहरों को इस परियोजना में शामिल किया गया है। अतः, कोई मानक अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

अतः, मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और 'नर्म' में कटक को भी शामिल किया जाए। बेशक, कटक को शामिल किया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध किया है। भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या मानक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि कटक को 'नर्म' में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, प्रत्येक शहरी केन्द्र पर दबाव पड़ रहा है और अधिकांश शहरी निकाय अति जनसंख्या की चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। कटक जलनिकासी, स्वच्छता, सड़कों और पर्यावरण की कई समस्याओं से ग्रस्त है। यह बुनियादी ढांचे में सुधार का सही रास्ता है। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कटक को 'नर्म' में शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आलोक कुमार मेहता–उपस्थित नहीं।

श्री लालमणि प्रसाद, मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री राम कृपाल यादव ने भी यही मामला उठाया है, जो आप उठाना चाहते हैं। आप अपनी बात उनके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : महोदय, उसी से संबंधित मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के कोने–कोने से असहाय, गरीब, लाचार तथा जीवन से निराश लोग उपचार कराने के लिए आते हैं। वहां सभी प्रकार की जांच मुफ्त होती थी। कल समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी हुई कि जांच फीस में वृद्धि कर दी गई है। इससे तमाम गरीबों को निराशा हुई है। अतः ऐसे मौके पर मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बढ़ी हुई फीस को वापिस लिया जाए। यह गरीबों के हित में होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.46

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 दिसंबर, 2005/ 10 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रेवती रमन सिंह	102
2.	श्री हरिसिंह चावड़ा	103
3.	श्री सी. कुप्पुसामी	104
4.	श्री उदय सिंह श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	105
5.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	106
6.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	107
7.	श्री रामदास आठवले श्री रायापति सांबासिवा राव	108
8.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	109
9.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	110
10.	श्री एल. गणेशन	111
11.	श्री रशीद मसूद	112
12.	श्री बीर सिंह महतो श्री काशी राम राणा	113
13.	श्री राजेन गोहेन श्री हेमलाल मुर्मू	114
14.	श्री ब्रजेश पाठक	115
15.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री टेकलाल महतो	116

1	2	3
16.	श्री मनोरंजन भक्त श्री मोहन सिंह	117
17.	श्रीमती जयाप्रदा	118
18.	श्री अजीत जोगी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	119
19.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री मुन्शी राम	120
20.	श्री रामजीलाल सुमन डा. चिन्ता मोहन	121

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	1120, 1201, 1266
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1245, 1250
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1164, 1189, 1223, 1228
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	1269
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1087, 1162, 1254
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1130, 1255
7.	आंगडि, श्री सुरेश	1132, 1142
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	1125
9.	आठवले, श्री रामदास	1175, 1210, 1227, 1235
10.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	1102, 1252
11.	"बाबा", श्री के. सी. सिंह	1103
12.	बंसल, श्री पवन कुमार	1252
13.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	1085, 1161, 1203, 1225, 1239
14.	बर्मन, श्री रनेन	1135, 1259
15.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	1179
16.	बखला, श्री जोवाकिम	1135, 1259
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	1184, 1215, 1231
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1251
19.	बोस, श्री सुब्रत	1088
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1116, 1180, 1209
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1128, 1191
22.	चंदेल, श्री सुरेश	1090
23.	चारेनामै, श्री मणि	1158
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1178
25.	चिन्ता मोहन, डा.	1169, 1232
26.	चिन्तन, श्री एन.एस.वी.	1143
27.	चौधरी, श्री अधीर	1106, 1142, 1168, 1217
28.	धनराजू, श्री के.	1247
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1156, 1244, 1268
30.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1142, 1218
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	1113, 1193, 1219, 1234
32.	गणेशन, श्री एल.	1182
33.	गंगवार, श्री संतोष	1242
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1107, 1188
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	1236, 1261
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	1108
37.	झा, श्री रघुनाथ	1134, 1257
38.	जिन्दल, श्री नवीन	1139, 1209

1	2	3
39.	जोगी, श्री अजीत	1185, 1216
40.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	1151, 1199
41.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1081
42.	खा, श्री सुनील	1089
43.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1110, 1192, 1222
44.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1098
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1092, 1115
46.	खारवेनथन, श्री एस. के.	1101, 1109, 1122, 1241
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1082, 1209
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1129
49.	कृष्ण, श्री विजय	1152
50.	कुप्पुसामी, श्री सी.	1163
51.	कुरूप, श्री सुरेश	1141
52.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1084, 1111, 1148, 1172, 1263
53.	लाहिरी, श्री समिक	1086
54.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	1169, 1174, 1217
55.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1157, 1202
56.	महाजन, श्री वाई. जी.	1116
57.	महतो, श्री बीर सिंह	1173, 1178, 1213
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	1189, 1226
59.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1217, 1242
60.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	1124
61.	मंडल, श्री सनत कुमार	1096
62.	माने, श्रीमती निवेदिता	1142, 1218
63.	मनोज कुमार, श्री	1100
64.	मसूद, श्री रशीद	1176, 1209, 1212, 1229
65.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1170
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	1228
67.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1121
68.	मिश्रा, डा. राजेश	1117
69.	मोदी, श्री सुशील कुमार	1249
70.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	1110
71.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1094
72.	मुकीम, मो.	1159
73.	मोहिते, श्री सुबोध	1155
74.	मुंशी राम, श्री	1111, 1148, 1263
75.	नायक, श्री अनन्त	1142, 1143
76.	निखिल कुमार, श्री	1142, 1194, 1217
77.	ओराम, श्री जुएल	1099, 1167, 1205, 1217
78.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1153
79.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1097, 1165, 1260
80.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1258
81.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1243
82.	पासवान, श्री वीरचंद्र	1095, 1114
83.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1127
84.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	1119
85.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1110
86.	पाठक, श्री ब्रजेश	1183, 1214, 1230, 1238

1	2	3
87.	पाटील, श्री बालासाहेब विखे	1105
88.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1221
89.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	1111, 1148, 1172, 1263
90.	पिंगले, श्री देबिदास	1126, 1190, 1221
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1109, 1123, 1203, 1213, 1269
92.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1170, 1208, 1226
93.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1137
94.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1250
95.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	1131, 1250
96.	राव, श्री के.एस.	1145, 1195
97.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1171, 1206, 1233, 1248
98.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1092, 1209
99.	रावत, श्री अशोक कुमार	1111, 1148, 1172, 1263
100.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1093, 1187, 1218
101.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1113, 1181
102.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1140, 1260
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1173, 1213, 1252
104.	रिजीजू, श्री कीरेन	1147
105.	रियान, श्री बाजू बन	1147
106.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1104, 1166, 1204, 1224, 1237
107.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1147, 1196, 1259
108.	सरोज, श्री तूफानी	1118
109.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1267
110.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1133
111.	सेठी, श्री अर्जुन	1112, 1143
112.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1142
113.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1247
114.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1153, 1154, 1164, 1189, 1200
115.	शिवन्ना, श्री एम.	1122, 1186
116.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1111, 1148, 1172, 1263
117.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	1136
118.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1189
119.	सिंह, श्री दुष्यंत	1256
120.	सिंह, श्री गणेश	1253
121.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1142, 1218
122.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	1142, 1236
123.	सिंह, श्री मोहन	1108
124.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1114, 1197, 1220
125.	सिंह, श्री राकेश	1110
126.	सिंह, डा. राम लखन	1110
127.	सिंह, श्री रेवती रमन	1177, 1207, 1241
128.	सिंह, श्री सुग्रीव	1119
129.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1138
130.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1149
131.	सुब्बा, श्री एम. के.	1091
132.	सुगावनम, श्री ई. जी.	1083, 1145
133.	सुमन, श्री रामजीलाल	1174, 1217, 1232

1	2	3
134.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1259
135.	थामस, श्री पी. सी.	1146, 1264
136.	तुम्मर, श्री वी. के.	1109, 1252
137.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1217
138.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1127
139.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1144, 1217, 1240, 1262
140.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1115, 1180
141.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	1150, 1198, 1265
142.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1164, 1211, 1228, 1236
123.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	1142
144.	वाघमारे, श्री सुरेश	1246
145.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1142, 1236
146.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1127
147.	यादव, श्री गिरिधारी	1123
148.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1160

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	
परमाणु ऊर्जा	
कोयला	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	102, 107
संस्कृति	
विदेश	104, 108, 120
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	103, 105, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
प्रवासी भारतीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	117
योजना	
अंतरिक्ष	111
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	
शहरी विकास	115
युवा कार्यक्रम और खेल	113

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	
परमाणु ऊर्जा	1083, 1094, 1110, 1157, 1171, 1251
कोयला	1085, 1103, 1111, 1127, 1130, 1131, 1134, 1167, 1192, 1217, 1245, 1254, 1257, 1269
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	1086, 1088, 1096, 1101, 1107, 1109, 1116, 1118, 1120, 1122, 1126, 1128, 1133, 1137, 1139, 1143, 1153, 1156, 1189, 1191, 1195, 1200, 1201, 1207, 1212, 1219, 1224, 1226, 1229, 1234, 1236, 1240, 1241, 1244, 1246, 1253, 1266, 1267, 1268
संस्कृति	
विदेश	1082, 1084, 1091, 1115, 1132, 1150, 1185, 1187, 1190, 1198, 1199, 1206, 1208, 1209, 1210, 1222, 1238, 1242, 1243

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1087, 1090, 1092, 1093, 1097, 1098, 1106, 1114, 1119, 1124, 1135, 1140, 1141, 1144, 1148, 1149, 1151, 1152, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1168, 1170, 1177, 1178, 1180, 1181, 1184, 1188, 1202, 1204, 1211, 1214, 1215, 1216, 1218, 1220, 1221, 1223, 1225, 1228, 1233, 1237, 1258, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265
प्रवासी भारतीय कार्य	1113, 1145, 1182, 1235, 1247
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1089, 1108, 1165, 1169, 1173, 1183, 1197, 1213, 1227, 1255
योजना	1099, 1102, 1112, 1138, 1142, 1147, 1154, 1158, 1166, 1194, 1196, 1203, 1232, 1249, 1250
अंतरिक्ष	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	1174

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/14/06/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।